उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

MAED-114
भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास

खण्ड – 1 : प्राचीन एवं मध्य काल में शिक्षा

इकाई –01 : वैदिक काल में शिक्षा 5–14
इकाई –02 : उत्तर वैदिक काल में शिक्षा 15–22
इकाई –03 : बौद्धकाल में शिक्षा 23–30
इकाई –04 : मध्य काल में शिक्षा 31–38

खण्ड – 2 : ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा

इकाई –05 : ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक वर्षों में शिक्षा 41–54
इकाई –06 : बीसवीं सदी के प्रारम्भ में शिक्षा 55–76
इकाई –07 : ब्रिटिश कालीन भारत के प्रमुख आयोग 77–98
इकाई –08 : ब्रिटिश शिक्षा की विशेषताएं एवं कमियाँ 99–108

खण्ड – 03 : स्वतंत्रोत्तर काल में शिक्षा

ठकाई –09 : भारतीय संविधान और शिक्षा 111–119
इकाई –10 : महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग 120–166
इकाई –11 : महत्वपूर्ण शिक्षा समितियाँ 167–190
इकाई –12 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1968 191–201

खण्ड – 04 : समसामयिक भारत में शिक्षा

इकाई– 13 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1986 203–222
इकाई– 14 : कार्यान्वयन कार्यक्रम – 1986 और 1992 223–242
इकाई– 15 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 243–256
इकाई –16 : राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 257–264

MAED – 114 : भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

संरक्षक एवं मार्गदर्शक :

प्रोफेसर सत्यकाम — कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज

विशेषज्ञ समिति :

प्रोफेसर पी० के० स्टालिन	निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रोफेसर पी० के० पाण्डेय	प्रोफेसर, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रोफेसर छत्रसाल सिंह	प्रोफेसर, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रोफेसर के० एस० मिश्रा	पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रोफेसर धनन्जय यादव	विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रोफेसर मीनाक्षी सिंह	आचार्य, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
डॉ० जी० के० द्विवेदी	सह आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
डॉ० दिनेश सिंह	सह आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
डॉ० सुरेन्द्र कुमार	सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

लेखक :

डॉ० दिनेश कुमार	सहायक आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, गुलाब देवी महिला पी0जी0 कालेज, बलिया (इकाई 1, 2, 3 एवं 4)
कौमुदी शुक्ला	सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज (इकाई 5, 6, 7 एवं 8)
डॉ० गिरीश कुमार द्विवेदी	सह–आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई 9, 10, 11 एवं 12)
डॉ० सुरेन्द्र कुमार	सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई 13, 14, 15 एवं 16)

सम्पादक :

डॉ० दिनेश सिंह	सह–आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8)
डॉ० सुरेन्द्र कुमार	सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई 9, 10, 11 एवं 12)
डॉ० गिरीश कुमार द्विवेदी	सह–आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई 13, 14, 15 एवं 16)

परिमापक :

प्रोफेसर पी०के० स्टालिन	निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई 1, 2, 3 एवं 4)
प्रोफेसर छत्रसाल सिंह	आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई 5, 6, 7 एवं 8)
प्रोफेसर पी०के० पाण्डेय	आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 16)

समन्वयक

डॉ० गिरीश कुमार द्विवेदी — सह–आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रकाशकः कुलसचिव, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

मुद्रित वर्ष – 2024

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

ISBN No. -978-93-48270-67-2

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के किसी भी अंश को उप्र राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में मिनियोग्राफी (वक्रमुद्रण) द्वारा या अन्यथा पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

नोट : पाठय साम्रगी में मुद्रित साम्रगी के विचारों एवं आकड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय, उत्तरदायी नहीं है।

प्रकाशन ❘ विनय कुमार, कुलसचिव, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज, 2024।

मुद्रकः चन्द्रकला यूनिवर्सल प्रा0लि0, 42/7 जवाहरलाल नेहरू रोड, प्रयागराज– 211002

सन्देश

मेरे प्रिय शिक्षार्थियों,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज में आपके प्रवेश लेने पर मैं गर्मजोशी से स्वागत करते हुए खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। सन् 1999 में स्थापित उत्तर प्रदेश का यह एक मात्र ऐसा विश्वविद्यालय है, जहाँ पर "मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धित" (O.D.E.) के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। अपनी स्थापना के दो दशक के समय में विश्वविद्यालय ने 12 क्षेत्रीय और 1300 से अधिक अध्ययन केन्द्रों की सहायता से उत्तर प्रदेश के उन दूर–दराज इलाकों में भी, जहाँ अन्य शिक्षण संस्थान नहीं पहुँच पाये हैं अपनी व्यापक पहुँच बनायी है। अपने लगभग 125 डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कार्यक्रमों के माध्यम से विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा के विकास में निरन्तर अपना योगदान दे रहा है।

वर्तमान समय में भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में **विश्व में दूसरे स्थान** पर है। हमारे देश में अधिकतर विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शहरी क्षेत्रों में स्थापित हैं जबकि एक बहुत बड़ी आबादी, जो ग्रामीण एवं दूरदराज इलाके में बसी है, उनको उच्च शिक्षा का अवसर उपलब्ध नहीं है। ऐसे लोगों के लिए यह मुक्त विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक सुनहरा माध्यम है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा उन लोगों के लिए लाभप्रद अवसर प्रदान करता है जो आर्थिक, सामाजिक और भौगौलिक सीमा/बन्धन के कारण उच्च शिक्षा से वंचित हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करने एवं सतत् शिक्षा के विकास के लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति ने नवीन मार्ग का सृजन किया है।

हमारे कार्यक्रम कई दृष्टिकोणों से सुविधाजनक हैं क्योकि यह **"छात्र जहाँ हम वहाँ"** जैसे आदर्श एवं लचीली पद्धति पर आधारित है। जहाँ एक ओर परम्परागत शिक्षा के अन्तर्गत समय से कक्षा में उपस्थित होने जैसी बाध्यताएं हैं वही दूसरी ओर मुक्त विश्वविद्यालय में इस बन्धन से आजादी मिलती है और शिक्षार्थी अपनी सुविधानुसार परामर्श कक्षाओं में आकर या मोबाइल काउन्सिलिंग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विषय के विविध पक्षों का ज्ञान कराने के लिए विद्वान विषय–विशेषज्ञों द्वारा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के आधार पर पाठ्य सामग्री तैयार करायी जाती है जो विविध विद्वानों के ज्ञान और कौशल का निचोड़ है। इस प्रकार यहाँ पर **"कोई भी, कहीं भी और किसी भी समय"** अध्ययन कर सकता है अर्थात् **'3A (Any One, Any Where and Any Time)'** मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के विकास का मूल दर्शन है। शिक्षार्थियों के शिक्षा के स्तर में गुणोत्तर वृद्धि के लिए आई.सी.टी. आधारित कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है तथा शिक्षा में नवीन तकनीक को जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम मुक्त विश्वविद्यालय उठा चुका है। शिक्षा को और सरल तथा रोचक विधि से आप तक पहुँचाने एवं समझाने के लिए हम नित नवीन सूचना तकनीकियों का प्रयोग कर रहे हैं।

अन्त में मुझे यह विश्वास है कि हमारे विश्वविद्यालय से शिक्षार्थी के रूप में जुड़कर आप अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करेंगे और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उच्च गुणवत्ता के साथ मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय देश में एक आदर्श बनकर उभरेगा।

आपकी सफलता की कामनाओं के साथ

आपका

कुलपति

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,

प्रयागराज

खण्ड – 01 : प्राचीन एवं मध्यकाल में शिक्षा

खण्ड परिचय

प्रस्तुत खण्ड में शैक्षिक विकास के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विवेचन प्राचीन एवं मध्यकालीन शिक्षा के सन्दर्भ में किया गया है। भारतीय शैक्षिक व्यवस्था एवं उसकी संरचना संसार की प्राचीनतम् शैक्षिक व्यवस्था है जो वैश्विक स्तर पर सर्वथा अग्रणी रहा है। प्रस्तुत खण्ड–1 को 4 इकाई में वर्गीकृत करते हुए इसका विवेचन किया गया है।

इकाई–1 : वैदिक काल में शिक्षा

प्राचीन काल में सभ्यता एवं संस्कृति को परिष्कृत करने में शिक्षा व्यवस्था में धर्म का अधिक हस्तक्षेप था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में धर्म की प्रधानता थी। धार्मिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षा की नीतियां निर्धारित की जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा के लिए विधा, ज्ञान तथा विनय आदि शब्दों से सम्बोधन किया जाता था। वेदकालीन युग में वेदों का ज्ञान प्रत्येक भारतीय नागरिक के जीवन में समाहित था। प्रस्तुत इकाई में भारत में वैदिक काल की शिक्षा का अर्थ, महत्व, उसके स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श, शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, शिक्षा के प्रमुख दोष, वर्तमान शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है।

इकाई–2 : उत्तर वैदिक काल में शिक्षा

उत्तर वैदिक काल का प्रारम्भ ऋगवैदिक युग के अन्त से होता है तथा बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारम्भ पर अन्त होता है। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था की अवधि 1400 ई०पू० से लेकर 200 ई०पू० तक मानी जाती है। इस युग को दो भागों क्रमशः उपनिषद् काल एवं सूत्र काल में विभक्त कर सकते है। प्रस्तुत इकाई में उत्तर वैदिक काल में शिक्षा के अन्तर्गत तत्कालीन शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता, प्रकृति व प्रमुख गुण एवं दोषों का वर्णन किया गया है।

इकाई–3 : बौद्ध काल में शिक्षा

लगभग पाँचवी शताब्दी ई०पू० से जनमानस की आवश्यकताओं की पूर्ति नही कर पाने के कारण वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में गिरावट आने गली। गौतम बुद्ध के धरा पर अवतरण के पश्चात् वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन करके बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था की अवधारणा को जन्म दिया बौद्ध शिक्षा 15,000 वर्ष से अधिक समय तक प्रचलित रही और उसने ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मणीय शिक्षा पद्धति की प्रतिद्वन्दी थी, पर अनके बातों में उनके सदृश्य थी। बुद्ध की शिक्षा व्यवस्था, सदाचार, अहिंसा एवं सत्य पर आधारित थी जिससे यह न केवल भारत में अपितु अन्य राष्ट्रों में भी ज्यादा लोकप्रिय हुयी। प्रस्तुत इकाई में बौद्धकाल में शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, शिक्षा के प्रमुख दोष, शिक्षण विधि, वर्तमान शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व आदि पर प्रकाश डाला गया है।

इकाई–4 : मध्यकाल में शिक्षा

500 वर्षों तक मुस्लिम शासन काल में एक नयी शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ जिसे मध्यकालीन अथवा मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। मुस्लिम शासकों ने भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली का सम्मान नहीं किया बल्कि नालन्दा एवं विक्रमशीला जैसे शैक्षिक संस्थानों का नष्ट कर दिया। मुस्लिमों ने अच्छे शैक्षिक संस्थानों को नष्ट तो कर दिया परन्तु उसके स्थान पर अच्छे शैक्षिक संस्थान स्थापित नही कर सके। प्रस्तुत इकाई में मध्यकाल में शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा पद्धति, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की विशेषताएं, शिक्षा के दोष आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है।

इकाई–01 : वैदिक काल में शिक्षा

इकाई की संरचना

1.1 प्रस्तावना
1.2 इकाई के उद्देश्य
1.3 शिक्षा का अर्थ व स्वरूप
1.4 शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श
1.5 वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था
1.6 वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं
1.7 वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख दोष
1.8 वैदिक कालीन शिक्षा की प्रासंगिकता
1.9 सारांश
1.10 अभ्यास के प्रश्न
1.11 चर्चा के बिन्दु
1.12 बोध प्रश्नों के उत्तर
1.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.1 प्रस्तावना

मानव के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। प्राचीन भारत के मनीषी इस तथ्य से भलीभांति अवगत थे कि, शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, समाज की चतुर्मुखी उन्नति और सभ्यता की बहुमुखी प्रगति की आधारशिला है। भारतीय शिक्षा का अभ्युदय लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ था। तत्कालीन परिस्थितियाँ आज के समान नहीं होने के कारण उस समय की शिक्षा व्यवस्था आज की तुलना में पूर्णतया भिन्न थी। किन्तु, भारतीय दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही आध्यात्मिक रहा है इसी कारण से तत्कालीन शिक्षा पूरी तरह से आध्यात्मिकता से ओत–प्रोत थी। वेद, पुराण, उपनिषद, संहिता, व्याकरण आदि का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य एवं आवश्यक था। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उस समय की शिक्षा पूरी तरह से ब्राह्मणीय व्यवस्था के अधीन थी। आध्यात्म एवं दर्शन एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसी कारण से प्राचीन काल में हमारा देश विश्व गुरू भी कहा जाता था। कालान्तर में हमारी शिक्षा पद्यतियों में अनेक प्रकार में बदलाव होने के कारण शिक्षा की गुणवक्ता में कमी आती गयी। मानवता के स्थान पर यांत्रिकता हावी होती गयी जिससे मानव नैतिक मूल्यों से दूर होता गया। संसाधनों के अभाव के बावजूद हमारी शिक्षा अच्छी थी। इस इकाई में उसी शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का सूक्ष्म विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

1.2 इकाई का उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि –

1. वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था के बारे बता सकेंगे।
2. आध्यात्मिकता के बारे में अच्छे से बता सकेंगे।
3. तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में बता सकेंगे।
4. वैदिक काल की शिक्षा के उद्देश्य को बता सकेंगे।
5. वैदिक कालीन शिक्षा के दोषों को बता सकेंगे।

1.3 शिक्षा का अर्थ व स्वरूप

वैदिक काल में शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली एक प्रक्रिया थी। उस समय अध्ययन के समाप्ति के उपरांत जब राजाओं के यहां सेवा देते थे तब भी पूजा–पाठ हवन आदि के साथ–साथ राजसभा में शास्त्रार्थ भी करने पड़ते थे। जिसके लिए उन्हें आजीवन अपने ज्ञान को सम्बर्द्धनशील बनाए रखना पड़ता था, जो विद्वान शास्त्रार्थ में विजयी होता था वह समाज में श्रेष्ठ माना जाता था, इसलिए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम था जिससे व्यक्ति की पहचान विद्वान के रूप में होती थी। उस समय शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक था। डॉ० ए०एस० आलतेकर के शब्दों में ''वैदिक युग से लेकर आज तक भारत में शिक्षा का मूल तात्पर्य यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है।'' वैदिक साहित्य में विद्या, ज्ञान, बोध, विनय ये सभी शिक्षा के प्र्यार्य माने जाते हैं। वैदिक काल में शिक्षा को जीविकोपार्जन का माध्यम न मानकर उत्तम जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष की प्राप्ति का साधन माना गया है। शिक्षा वह प्रकाश पुंज है जो व्यक्ति को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, अर्थात्–

असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय।

शिक्षा का प्रकाश व्यक्ति के सभी संदेहों एवं कठिनाइयों का आसानी से निवारण करता है। शिक्षा से प्राप्त अन्तर्दृष्टि, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहयोग प्रदान करता है। वैदिक काल में आज की भाँति न तो विद्यालय थे और न ही विद्यालयी शिक्षा। उस समय लोगों के पास संशाधन नाम मात्र ही थे, मानव जीवन बड़ी ही कठिनाइयों के साथ व्यतीत होता था। अतः लोग शिक्षा की आज जैसी उपयोगिता नहीं समझते थे। आज शिक्षा का उद्देश्य अच्छे व्यक्तित्व के साथ–साथ आय के अच्छे स्रोत प्राप्त करना है जिससे उसका और उसके परिवार का जीवन सुचारू रूप से चल सके। किन्तु प्राचीन काल में शिक्षा का न तो कोई ऐसा उद्देश्य था और न ही ऐसी उपयोगिता। वैदिक काल में गुरू के आश्रम में जाकर रहना पड़ता था जो घर से तो दूर थे ही शहर, नगर से भी सैकड़ों मील दूर जंगलों में हुआ करते थे, जहां न कोई सुविधा न कोई अपना सगा–सम्बन्धी, बस गुरू ही सबकुछ हुआ करता था। उसके आदेश का पालन करना ही शिष्य का परम कर्त्तव्य था। समय–समय पर मौखिक विधि द्वारा शिक्षण कार्य होता था क्योंकि उन दिनों कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। दैनिक कार्य के उपरांत खाद्य सामग्री की आपूर्ति के लिए भिक्षा भी मांगना पड़ता था। गुरू की सेवा करना, उनकी गायों को चराना, जंगलों से लकड़ी काट कर ले आना, अग्नि प्रज्ज्वलित रखना आवश्यक था, क्योंकि उन दिनों आज की भांति दियासलाई भी नहीं थी।

ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सभी के लिए अति आवश्यक था। वैदिक काल में अध्ययन करना बहुत बड़ी साधना थी और परिणाम स्वरूप यदि राजा के यहां शास्त्रार्थ में विजयी हुए तो कुछ सोने की मुहरें ईनाम के रूप में मिल जातीं या राजा के यहां दरबार में रहकर सेवा प्रदान करने का अवसर मिल जाता। कुछ जो उच्च शिक्षा का अच्छा ज्ञान रखते थे वे आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हो जाते और इस संसार के मोह–माया से मुक्ति पाने के लिए तपस्या करने लग जाते। सफलता मिलने पर ख्याति और असफलता होने पर पुनः सफलता के लिए प्रयत्नशीलता के दौरान मृत्यु ही हाथ लगती थी। इन दोनों ही दशाओं में परिवार के शेष लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लग पाता था। ऐसी दशा में समाज के अधिकांश लोग शिक्षा–दीक्षा से विमुख होकर अपने स्तर के किसी भी रोजी–रोजगार से जुड़ जाते थे, कुछ धन का अर्जन करते थे और अपने परिवार का पेट पालते थे। आज की भांति शिक्षा जीविकोपार्जन का साधन नहीं मानी जाती थी, किन्तु शिक्षित व्यक्ति की समाज में बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था।

1.4 शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श

वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों और आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए डॉ० ए० एस० अल्तेकर ने लिखा है– ''प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों एवं आदर्शों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है– ईश्वर–भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्त्तव्य पालन की भावना का समावेश, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार।''

हम उपर्युक्त उद्देश्यों एवं आदर्शों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इसका आवश्यक संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं–

1. ज्ञान व अनुभूति पर बल

वैदिक काल की शिक्षा का मुख्य फोकस बिन्दु ज्ञान और अनुभूति पर बल देना था। ज्ञानार्जन और वास्तविकता पर जिसकी जितनी पकड़ होती थी उसे उतना ही समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। कक्षावार शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं थी। अतः जो जितना शीघ्र ज्ञान ग्रहण करने की सिद्धि का प्रमाण अपने गुरू के सम्मुख प्रदान करता था गुरू उसे उतनी ही शीघ्र शिक्षा पूरी हो जाने का संकेत करते हुए समाज की सेवा के लिए वापस घर भेज देता था।

2. ईश्वर भक्ति और अर्भिकता

वैदिक कालीन भारतीय संस्कृति, धर्म की आधार शिला पर निर्मित थी। डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी के अनुसार, ''प्राचीनतम वैदिक कविता के जन्म से लेकर लगभग एक हजार वर्षों से अधिक तक हमको भारतीय साहित्य पर एक मात्र धर्म की ही छाप दिखाई देती है।'' इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक कालीन शिक्षा में धार्मिक तत्वों की प्रधानता थी। अर्थात् शिक्षा का उद्देश्य अपने आप को ईश्वर अर्थात् ब्रहम से एकाकार करना था। जिसकी पूर्ति के लिए इस युग में अनेकों प्रकार के यज्ञों और धार्मिक क्रियाओं का आयोजन किया जाता था जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन सिद्ध होते थे। इसके लिए शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न ब्रतों का पालन, नियमित संध्या आदि का विधिवता अनुपालन करना होता था। गुरू अपने शिष्यों को प्रतिदिन प्रार्थना करना, यज्ञ करना, वेद एवं मंत्रों का उच्चारण करना आदि विधिवत सिखाते थे।

3. चरित्र निर्माण

वैदिक कालीन शिक्षा का एक उद्देश्य चरित्र निर्माण करना भी था। इसका सत्यापन इस बात से भी होता है कि लगभग 25 वर्ष की आयु तक अर्थात् शिक्षाकाल की अवधि में प्रत्येक विद्यार्थी चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरूष सभी को ब्रहमचर्य व्रत का पालन करना अनिवार्य था। मनुस्मृति में उल्लेख है कि, ''वेदों का कम ज्ञाता किन्तु सच्चरित्र व्यक्ति, वेदों का पंडित किन्तु दुश्चरित्र व्यक्ति की अपेक्षा अधिक अच्छा है।'' गुरूकुल में छात्रों के चरित्र–निर्माण को दृष्टि में रखकर ही आचार्य और उपाध्याय अपने चरित्र द्वारा आदर्श उपस्थित करते थे। सदा अनुशासन में रहना और संयमित जीवन व्यतीत करना, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य था। गुरूकुलों के उत्तम वातावरण, सदाचार के उपदेशों, महापुरूषों के उदाहरणों, महान विभूतियों के आदर्शों आदि के द्वारा गुरू अपने शिष्यों में अच्छे चरित्र का निर्माण करता था और यह सब तभी सम्भव था जब कि गुरू स्वयं एक उत्तम चरित्र वाला एवं आदर्श व्यक्तित्व का धनी होगा।

4. व्यक्तित्व का विकास

शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था, जिससे विद्यार्थियों में शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास सम्यक रूप से हो सके। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है अतः शारीरिक स्वास्थ्यता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। उनमें इंद्रिय निग्रह, आत्म संयम और आत्म विश्वास की भावना को बलवती करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किया जाता था। सादा जीवन उच्च विचार का पालन सदैव करना पड़ता था जिसके कारण उसमें सम्यक दृष्टिकोण पैदा हो जाता था जो व्यक्तित्व का एक अहम भाग है। इस प्रकार उसका जीवन सादा, संयमित तथा निःश्वार्थी बन जाता था किन्तु आत्म सम्मान और आत्म विश्वास जैसे सद्गुणों का विकास समुचित रूप से हो जाता था जो जीवन के लिए आवश्यक है। उनमें विवेक न्याय, निर्भीकता, निष्पक्षता जैसे गुणों के विकास के लिए गोष्ठियों, वाद–विवाद सभाओं आदि का आयोजन किया जाता था।

5. नागरिक और सामाजिक कर्त्तव्यों का पालन

शिक्षा के दौरान गुरू अपने शिष्यों में नागरिकता तथा सामाजिक कर्त्तव्यों से भली भांति अवगत करा देते थे। परोपकार को ही परम धर्म माना जाता था। एक अच्छे समाज के निर्माण में सभी नागरिकों की सहभागिता आवश्यक होती है किन्तु उस समय सभी लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे कि उनके अंदर इस गुण का विकास किया जा सके। समाज के बहुत कम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे और पुनः अपने द्वारा सीखे हुए गुणों को समाज में घूम–घूम कर फैलाने का कार्य करते थे। समावर्तन संस्कार के समय शिक्षा को समाप्ति पर गुरू अपने शिष्यों को दीक्षांत भाषण में समाज के लिए किये जाने वाले उस विद्यार्थी के कर्त्तव्यों की विस्तृत व्याख्या करता था। उसके द्वारा

अर्जित धन का कुछ भाग समाज पर खर्च करना अनिवार्य समझा जाता था।

6. सामाजिक सुख और कुशलता की उन्नति

वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक श्रम विीाजन का सिद्धांत भी था। प्रत्येक विद्यार्थी को इस दृष्टिकोण से शिक्षा दी जाती थी वह अपने भावी जीवन के लिए तैयार हो जाये। उसके जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान आसानी से निकाला जा सके और यह तभी सम्भव है जब उसको इस क्षेत्र में कौशल हो और उसमें कुशलता प्राप्त हो। उसे सामाजिक संरचना की शिक्षा देकर इस प्रकार सक्षम बना दिया जाता था कि वह समाज में आकर सामाजिक व्यवस्था पर आसानी से अपना नियंत्रण और आधिपत्य स्थापित कर सके और साथ ही समाज में सुख का भोग कर सके। उस समय प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रूचि के अनुसार अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय को ग्रहण करने की पूरी स्वतंत्रता थी। जबकि, उत्तर वैदिक काल में इस प्रकार की स्वतंत्रता समाप्त करके केवल वंशानुगत व्यवसाय चयन की ही अनुमति थी।

7. राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार

शिक्षा का एक उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार भी होता है। प्रत्येक विद्यार्थी को इस उद्देश्य का अनुपालन करना अनिवार्य होना चाहिए। किसी भी देश की संस्कृति ही वहाँ की पहचान होती है। इसलिए अपनी संस्कृति का संरक्षण एवं सम्वर्धन प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इसे अपनी पिछली पीढ़ी से धरोहर के रूप में प्राप्त करता है और अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है जिससे उसकी पहचान बनी रहे। कभी–कभी इसी हस्तांतरण की प्रक्रिया में कुछ घटक या तो छूट जाते हैं या फिर नये जुड़ जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है। जब अच्छी चीजें छूट जाती हैं और बुरी चीजे जुड़ जाती है तो सामाजिक पतन होने लगता है और जब बुरी चीजे छूटती है और अच्छी चीजें जुड़ती है तो सामाजिक उत्थान होता है। इसीलिए हजारों वर्षों तक वेदों को अलिखित रहने पर भी उसका अस्तित्व अक्षुण्ण रहा है।

1.5 वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था

ऋग्वेद काल में शिक्षा की व्यवस्था आज की भांति सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित नहीं थी और न ही आज की भांति शिक्षण कौशलों एवं शिक्षण विधियों का प्रयोग ही किया जाता था, क्योंकि उस समय ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं हुआ था। ए०एस० आल्टेकर के अनुसार ''प्राचीन भारत में सम्भवतः 400 ई० पूर्व से पहले प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय तक बालक का परिवार ही उसकी शिक्षा का केन्द्र था। उसके पश्चात कुछ ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का कार्य आरम्भ किया। एक गुरू के संरक्षण में केवल 5 या 7 विद्यार्थी हीं रहते थे। इस प्रकार प्राचीन शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से वैयक्तिक थी।

1. शिक्षा का आरम्भ

वैदिक काल में प्रारम्भिक शिक्षा अपने परिवार में ही प्रारम्भ की जाती थी, जिसके अन्तर्गत लभगग 5 वर्ष की आयु के बालक को घर पर ही विद्यारम्भ संस्कार के द्वारा लिखना, पढ़ना तथा कुछ गणितीय कार्य सिखाया जाता था। उसके बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरूकुल भेजा जाता था जहां पर गुरू उपनयन संस्कार के द्वारा विद्यारम्भ करता था। उपनयन के उपरांत विद्यार्थी ब्रह्मचारी कहलाता था। ब्रह्मचारी बनते ही उसे आश्रम के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। उपनयन संस्कार उस समय समाज में उपलब्ध चार वर्णों यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में से प्रथम तीन वर्णों के लिए ही थे। जबकि चौथे वर्ण अर्थात् शूद्र को न तो उपनयन का हक था और न ही उसे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ण के लिए विद्यारम्भ की आयु निर्धारित की गयी थी। ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष तथा वैश्य के लिए 12 वर्ष की आयु विद्यारम्भ के लिए निर्धारित थी।

2. प्रवेश विधि

उपनयन संस्कार के बाद बालक को गुरू के पास ले जाया जाता था। गुरू उससे पूछता था कि ''तुम किसके ब्रह्मचारी हो?'' बालक 'आपका' कहकर अपने आपको गुरू के लिए समर्पित कर देता था। आचार्य तब उसे शुद्ध करता था कि तुम इन्द्र, सूर्य तथा अग्नि के शिष्य हो, क्योंकि ये सब वैदिक काल के शक्तिशाली देवता थे। इसके बाद शिष्य को वैदिक अध्ययन में गायत्री मंत्र के पाठ द्वारा प्रवेश कराया जाता था। गायत्री मंत्र सीख लेने के बाद विद्यार्थी को एक दण्ड प्रदान किया जाता था जो कि ज्ञान के मार्ग पर सदैव चलने का प्रतीक माना

जाता था। दण्ड ग्रहण करने के बाद उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह एक सजग प्रहरी की भांति अपने वेदों की रक्षा करेगा। साथ ही उसे आत्म निर्भर, विश्वासी बनाता था और उसी दण्ड की सहायता से वह विद्यार्थी अपने गुरू के पशुओं को चराते समय नियंत्रित भी करता था।

3. गुरूकुल प्रणाली

प्राचीन शिक्षा पद्यति में जब बालक अपनी प्रारम्भिक शिक्षा अपने घर पर पूरी कर लेता था और उसे उपनयन कराकर गुरू के यहां भेज दिया जाता था तब से लेकर अपनी शिक्षा समाप्त करने अर्थात् समावर्तन संस्कार तक वह अपने गुरू के आश्रम में एक सदस्य की भांति रहता था। सादा जीवन उच्च विचार परम आवश्यक था। संसार में विद्यमान किसी भी प्रकार की साज–सज्जा तथा आकर्षक वस्तुओं से सदैव दूर रहना पड़ता था जिससे उसके अन्दर अच्छे व्यक्तित्व का विकास हो सके।

4. शिक्षक का स्थान

क्योंकि इस समय की शिक्षा वेदों पर आधारित थी तथा मौखिक शिक्षण विधि द्वारा एक पीढ़ी से शिक्षा दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित की जाती थी। अतः इसके लिए गुरू का महत्वपूर्ण स्थान था। वैदिक शिक्षा में शुद्ध उच्चारण पर अधिक बल दिया जाता था। और यह तभी सम्भव हो सकता है जब गुरू अपने विषय में पारंगत हो। पुस्तकों के अभाव के कारण भी विद्यार्थी अपने गुरू पर ही निर्भर रहता था, इसलिए गुरू का स्थान सर्वोपरि था।

5. शिक्षक की योग्यता

वैदिक काल में गुरूओं को सम्मान जनक स्थान प्राप्त था उनका अत्यधिक आदर होता था इसलिए उनमें अनेक गुणों की अपेक्षा की जाती थी। शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यता था गुणों का होना अनिवार्य माना जाता था।

1. विद्यार्थी शिक्षकों को एक आदर्श चरित्र का धनी व्यक्ति के रूप में देखते थे, इसलिए उनमें उत्तम चरित्र का होना आवश्यक था।
2. उसे धैर्यवान, मितव्ययी, निष्पक्ष व्यवहार वाला होना चाहिए।
3. उसे अपने विषय का पूर्णज्ञाता होना चाहिए। आजीवन एक विद्यार्थी की भांति अध्ययनशील रहना चाहिए।
4. उसका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिससे उसके विद्यार्थी उससे प्रभावित होकर स्वयं उसके व्यवहार का अनुशरण कर सकें।
5. उसे समय–समय पर छात्रों को उचित दिशा–निर्देश, प्रोत्साहन आदि देते रहना चाहिए।

6. गुरू–शिष्य सम्बन्ध

वैदिक काल में विद्यार्थी अधिकतर उसी गुरू के पास शिक्षा ग्रहण करने जाते थे जिनकी विद्धता की ख्याति दूर–दूर तक फैली रहती थी। अध्यापक वैदिक काल में अपने शिष्य का आध्यात्मिक पिता कहा जाता था। विद्यार्थी के सभी प्रकार की जिम्मेदारी गुरू के कंधों पर होती थी। वह अपने शिष्यों को पिता की भांति कठोर निर्देश तो माता की भांति स्नेह व वात्सल्य प्रदान करता था। इसलिए गुरू–शिष्य सम्बन्ध बड़ा ही घनिष्ठ एवं प्रेम पूर्ण होता था। यह घनिष्ठता और प्रेमपूर्ण सम्बन्ध शिक्षा समाप्ति के बाद भी जीवन पर्यन्त चलता था।

7. विद्यार्थियों की नियमित दिनचर्या

वैदिक काल में शिष्य ब्रह्ममुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया समाप्त करके स्नान व पूजा–अर्जन प्रतिदिन करते थे। उसके बाद पुराने अध्याय का अभ्यास व नये अध्याय का अध्ययन करते थे। दोपहर में भोजन करके थोड़ी देर विश्राम करके उसके बाद आस–पास के गांवों में भिक्षाटन करते थे। सायं को संध्याभजन, व्यायाम, पठन–पाठन आदि के उपरांत रात्रि की बेला शीघ्र ही भोजन करके रात में विश्राम करते थे और दूसरे दिन पुनः प्रातः से यही क्रिया दोहराते थे।

8. छात्रों के कर्त्तव्य

गुरूओं के प्रति विद्यार्थियों के प्रमुख कर्त्तव्य निम्नलिखित थे–

1. अपने गुरू का माता–पिता, राजा तथा ईश्वर के समान आदर करना।
2. अपने गुरूओं की सेवा करना, अनुशासन में रहकर उपयुक्त व्यवहार करना।
3. पढ़ाई की अवधि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना।
4. उन्हें आकर्षक एवं भड़काऊँ रंग के वस्त्रों को पहनना वर्जित था।
5. गुरू गृह के सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक सम्पादित करना।

9. गुरुओं के कर्तव्य

समाज एवं छात्रों के प्रति गुरूओं के कर्त्तव्य निम्नलिखित थे–

1. गुरू अपने छात्र का मानसिक व आध्यात्मिक पिता समझा जाता था।
2. वह अपने विद्यार्थियों को भोजन, स्वास्थ्य तथा शयन के आवश्यक एवं उपयुक्त निर्देश देते थे।
3. छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी पूर्ति करते थे।
4. विद्यार्थियों को परम सत्य की ओर ले जाना।
5. सभी विद्यार्थियों के साथ एक समान वात्सल्य पूर्ण व्यवहार करना।

10. शिक्षा सत्र एवं अवधि

शिक्षा सत्र का आरम्भ उपक्रम नामक संस्कार के द्वारा हिन्दी के श्रावण मास की पूर्णिमा को होता था और उत्सर्जन नामक संस्कार के द्वारा पौष की पूर्णिमा को समाप्त माना जाता था। शिक्षा लगभग 24 या 25 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाती थी तब तक विद्यार्थी ब्रहमचारी ही रहता था। वेदों में वर्णित है कि वेद को गहनता से अध्ययन के लिए 12 वर्ष अर्थात कुल 48 वर्ष लगते थे, किन्तु साहित्य और धर्मशास्त्र के विद्यार्थी केवल 10 वर्षो में अपना अध्ययन समाप्त कर देते थे।

11. पाठ्यक्रम

वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम धार्मिक एवं साहित्यिक पुस्तकों पर आधारित था। तत्कालीन शिक्षा के उद्देश्यों से पता चलता है कि उस समय लोग परा और अपरा दोनों ही प्रकार की उन्नति के लिए शिक्षा ग्रहण करते थे। परा अर्थात् आध्यात्मिक विद्या के अन्तर्गत चारो वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, दर्शन, नीतिशास्त्र आदि विषय आते थे, जबकि अपरा अर्थात् लौकिक विद्या के अन्तर्गत इतिहास, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, ज्यामिति, औषधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, व्याकरण, धनुर्विद्या, शल्य विद्या, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि विषय आते थे।

12. शिक्षा प्रणाली

वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से मौखिक थी। पुस्तकें लगभग नही ंके बराबर थीं। पुस्तकों की प्रतियां विभिन्न पत्रों पर हस्त लेखन करके सुरक्षित रखी जाती थीं। अध्यापक स्वयं पुस्तकों को याद कर लेता था और अपने शिष्यों को कंठस्थ कराता था। इस प्रक्रिया में उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेद काल में लेखन का विकास ही नहीं हो पाया था। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरू अपने शिष्यों के अंदर उत्सुकता जगाने, खोज करने और अपने विषय के प्रति रूचि उत्पन्न करने का कार्य करता था जिससे विद्यार्थी आत्म प्रेरित होकर विद्याध्ययन अपनी गति से कर सके।

13. अनुशासन

वैदिक काल में अनुशासन का विशेष महत्व था। वैसे तो प्रत्येक शिक्षा पद्यतियों में अनुशासन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है किन्तु वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में दो प्रकार के अनुशासन शारीरिक और आध्यात्मिक अनुशासन की चर्चा की गयी है। शारीरिक अनुशासन के अन्तर्गत शरीर को स्वच्छ रखना, सादा भोजन, सादा

जीवन व्यतीत करना होता था जबकि आध्यात्मिक अनुशासन के अन्तर्गत तपस्या, पूजा–पाठ, गुरू सेवा, इन्द्रिय–निग्रह अर्थात् अपने ज्ञानेन्द्रियों को वश में रखना पड़ता था। विद्यार्थियों को काम, क्रोध, मद, लोभ आदि से दूर रहना पड़ता था।

14. स्त्रीशिक्षा

वैदिक कालीन शिक्षा के समय पुरूषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। उनका भी विधिवत उपनयन संस्कार होता था तथा वे भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थी। वेदाध्ययन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। आचार्यों की कन्याएं अपने घर पर ही विद्याध्ययन करती थी। अपाला घोषा, गार्गी, देवयानी, मैत्रेयी, उर्वशी आदि अनेक विदुषियों के नाम प्रमुख हैं जो उस समय शिक्षा ग्रहण करी थीं। स्त्रियां भी स्वतंत्रतापूर्वक यज्ञों में भाग लेती थी और पुरूष विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करती थी। कालान्तर में उनके शिक्षा में कमी आयी और इस कमी को धार्मिक, साहित्य, संगीत, नृत्य, ललित कलाओं आदि ने पूरा किया। अर्थात् स्त्री शिक्षा में आध्यात्मिकता कम होती गयी और भोग–विलास सम्बन्धी शिक्षा बढ़ती गयी।

1.6 वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताए

वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत् हैः–

1. विद्यारम्भ संस्कार

यह संस्कार उस समय होता था जब बालक विद्यारम्भ अर्थात् प्राथमिक शिक्षा को प्रारम्भ करता था। कुछ लोग इसके लिए 'अक्षर स्वीकरणम' शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसी समय से बालक को अक्षर–ज्ञान कराया जाता था। बालक पहले सरस्वती और गणेश की उपासना करके ही शिक्षा प्रारम्भ कर देता था। डॉ० ए०एस० अल्टेकर के अनुसार विद्यारम्भ संस्कार, उपनयन संस्कार के अनेको वर्षों बाद उस समय हुआ, जब वैदिक संस्कृत, जन साधारण के बोल चाल की भाषा नहीं रह गयी।

2. उपनयन संस्कार

यह संस्कार उस समय होता था जब बालक अपना घर त्याग कर गुरू की शरण में विद्याध्ययन के लिए जाता था। गुरू बालक को गायत्री मंत्र का उपदेश देकर शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर देता था। डॉ० ए०एस० अल्टेकर के अनुसार – उपनयन संस्कार का आरम्भ पूर्व ऐतिहासिक युग से माना जाता है। यह संस्कार प्रथम तीन वर्णों ब्राहमण, क्षत्रिय तथा वैश्य के लिए था जबकि शूद्रो को न तो इस संस्कार का और पढ़ने का अधिकार नहीं था।

3. समावर्तन संस्कार

यह संस्कार उस समय होता है जब बालक अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त कर लेता है। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है– घर लौटना यह लगभग 25 वर्ष की आयु पर होता था। विद्यार्थी इस समय घर लौटकर ब्रह्मचर्य त्यागकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था।

4. विद्यालय भवन

वैदिक कालीन विद्यालय सामान्य ऋतुओं में वृक्षों की छाया में चलाये जाते थे, किन्तु बारिश के दिनों में गुरू गृह अर्थात् आश्रमों में जो कि घास–फूस के छप्पर नुमा बने होते थे उसी में कक्षाएं चलायी जाती थीं और रात में उसी में विश्राम भी किया जाता था।

5. प्रकृति से सम्पर्क

गुरू अपने शिष्यों की शिक्षा खुले आसमान के नीचे प्राकृतिक वातावरण में निर्भीक रूप से सम्पन्न कराते थे। गुरू और शिष्य दोनो ही प्रकृति की सुरम्य गोंद में रहकर अपना कार्य सम्पादित करते थे। इस प्रकार के वातावरण में अधिकांश समय व्यतीत करने से उनके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता था।

6. गुरुकुल प्रणाली

आज की भांति वैदिक काल में दैनिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। बालक एक बार गुरू के आश्रम जो जंगल में बने होते थे, में आने के बाद पूरी पढ़ाई समाप्त करके ही अपने घर जा सकते थे।

7. अध्ययन की अवधि

प्राचीन काल में अध्ययन की अवधि सामान्य तथा 12 वर्ष थी जो 8 से 12 वर्ष के बीच प्रारम्भ हो जाती थी। यह अवधि केवल एक वेद के लिए होती थी। इसी प्रकार 12, 24, 36, 48 वर्ष की आयु तक अध्ययन करने वाले क्रमशः स्नातक, बसु, रूद्र और आदित्य कहे जाते थे।

8. शिक्षण विधि

वैदिक काल में कागज का अविष्कार नहीं था इसलिए न कॉपी थी न किताब। अर्थात् प्रवचन विधि द्वारा शिक्षा दी जाती थी जिसे मैखिक विधि भी कहते है। मौखिक विधि के निम्नलिखित अंग होते थे– श्रवण, मनन, चिंतन, स्वाध्याय और पुनरावृत्ति। विद्यार्थी गुरू के उच्चारण सुनकर ठीक उसी प्रकार उसे उच्चारित करके सीखते और याद रखते थे।

9. छात्र जीवन सम्बन्धी नियम

छात्रों के लिए अनेक कठोर नियम थे। जिसका अनुपालन करना अनिवार्य था। सादा जीवन व्यतीत करना, दैनिक दिनचर्या सम्पन्न करना, साधारण कपड़े पहनना और आपस में मिलजुल कर रहना सभी के लिए अति आवश्यक था।

10. गुरू शिष्य सम्बन्ध

वैदिक काल में गुरू अपने विद्यार्थियों का आध्यात्मिक पिता होता था। वह अपने विद्यार्थियों के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध करता था और पिता तुल्य स्नेह प्रदान करता था। विद्यार्थी भी उसे पिता तुल्य आदर–सम्मान देता था और प्रत्येक आदेश का पूर्णतया अनुपालन करता था। अतः दोनों में सम्बन्ध प्रेमपूर्ण, स्नेहपूर्ण, सम्मान पूर्ण, विश्वसनीय तथा कर्त्तव्य निष्ठ था।

1.7 वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख दोष

वैदिक काल में शिक्षा के जहां अनेक गुण थे वहीं कुछ दोष भी थे –

1. लोक भाषाओं की उपेक्षा

उस समय शिक्षा केवल संस्कृत भाषा में ही दी जाती थी शेष सभी भाषाओं की उपेक्षा होती थी। शायद इसी कारण से प्राचीन काल में सभी लोग शिक्षा नहीं ग्रहण जाते थे केवल जो संस्कृत को जानते थे वहीं पढ़ते थे।

2. धर्म निरपेक्ष विषयों का अभाव

वैदिक कालीन शिक्षा में आध्यात्मिकता पर बल दिया जाता था इसलिए धर्म निरपेक्ष विषय नहीं पढ़ाये जाते थे, जिससे मानव, मानव बनकर समाज में प्रेम सौहार्द्ध एवं भाईचारे की भावना के साथ रह सके।

3. शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा

जो लोग पढ़ाई के महत्व को जानते थे वही इस समय शिक्षा ग्रहण करते थे वह भी समाज के केवल प्रथम तीन वर्ष के लोग। समाज का चौथा वर्ण शिक्षा से पूरी तरह वंचित था।

4. स्त्री शिक्षा की उपेक्षा

उस समय शिक्षा घर से सुदूर जंगलों में आश्रमों में दी जाती थी इसलिए महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जाती थीं। उन्हें इतनी दूर जाने की स्वतंत्रता नही थी।

5. हस्तकौशल की उपेक्षा :–

वैदिक काल में केवल आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था। हस्तकौशल की शिक्षा नहीं दी जाती थी। लोग गरीब थे अपना जीवन यापन करने के लिए वे कौशल की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहते थे।

1.8 वैदिक कालीन शिक्षा की प्रासंगिकता

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

प्रश्न 1– उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं ?

....

....

प्रश्न 2– वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं ?

....

....

प्रश्न 3– वैदिक कालीन शिखा के मुख्य दोष क्या हैं ?

....

....

1.9 साराशं

वैदिक कालीन शिक्षा पद्यति में आज की भांति सुख–सुविधाओं से युक्त विद्यालय नहीं थे। शहर से दूर जंगलों में जाकर गुरू के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। गुरू के संरक्षण में शिक्षा समाप्त करके वापस अपने घर और समाज में आना होता था। आश्रम का जीवन संयमित एवं ब्रहमचर्य युक्त था। उस समय की शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होना सुनिश्चित था। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य रोजगार परक नहीं था बल्कि ज्ञानार्जन मात्र था।

1.10 अभ्यास के प्रश्न

1. समावर्तन संस्कार की प्रक्रिया बताइए।
2. वैदिक काल में अध्यापक–शिष्य सम्बन्ध पर प्रकाश डालि।
3. वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए।
4. वैदिक कालीन शिक्षा के दोष बताइए।
5. वैदिक कालीन शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा था ?

1.11 चर्चा के बिन्दु

1. वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए।

1.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. उपनयन का शाब्दिक अर्थ है समीप ले जाना। शिष्य को गुरू के पास शिक्षा के लिए ले जाने वाले संस्कार अर्थात् विद्यारम्भ संस्कार को उपनयन संस्कार कहते हैं।
2. विद्यारम्भ संस्कार, गुरूकुल प्रणाली, प्रकृति से सम्पर्क, अच्छे गुरू शिष्य सम्बन्ध, मौखिक शिक्षण विधि, समावर्तन संस्कार आदि वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं हैं।

3. लोक भाषाओं की उपेक्षा, धर्म निरपेक्ष विषयों का अभाव, शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, हस्तकला शिक्षा की उपेक्षा ही वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य दोष थे।

1.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. गुप्ता, एस०पी० एवं गुप्ता अलका (2016), 'आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याएं', इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन।
2. त्यागी, गुरूसरनदास (2012), 'भारत में शिक्षा का विकास', आगराः अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
3. सारस्वत, मालती एवं मदन मोहन (2000), 'भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं', इलाहाबादः कैलाश प्रकाशन।

इकाई–02 : उत्तर वैदिक काल

इकाई की संरचना

2.1 प्रस्तावना

2.2 इकाई का उद्देश्य

2.3 उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ एवं स्वरूप

2.4 उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श

2.5 उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था

2.6 उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ

2.7 उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख दोष

2.8 उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की प्रासंगिकता

2.9 सारांश

2.10 अभ्यास प्रश्न

2.11 चर्चा के बिन्दु

2.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2.1 प्रस्तावना

उत्तर वैदिक कालीन युग का आरम्भ ऋग्वैदिक काल के अंत से प्रारम्भ होकर बौद्ध और जैन धर्म के आरम्भ तक चलता है अर्थात् उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा का काल लगभग 1400 ईशापूर्व से 200 ईशापूर्व तक माना जाता है। इस अवधि को सुविधा की दृष्टि से अध्ययन करने के लिए पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है–

(अ) उपनिषद काल (1400 ई०पू० से 600 ई०पू० तक)

(ब) सूत्रकाल (600 ई०पू० से 200 ई०पू० तक)

इस प्रकार से यदि देखा जाये तो वैदिक कालीन शिक्षा में जब ब्राह्मणीय शिक्षा व्यवस्था का समावेश हो गया तो वह शिक्षा उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध हो गयी, जिसका उद्देश्य भी वैदिक कालीन शिक्षा से थोड़ा भिन्न हो गया। जहां वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भौतिक जगत के बंधनों से मुक्ति दिलाना था वहीं उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य यज्ञ, हवन, पूजा–पाठ के साथ–साथ स्वांतः सुखाय और पारिवारिक भरण–पोषण हो गया और इसी समय पुरोहित प्रणाली का उदय हुआ।

2.2 इकाई का उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप इस योग्य हो जायेंगे कि –

- उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की उत्पत्ति के बारे में जान सकेंगे।
- उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की गतिविधियों के बारे में बता सकेंगे।
- उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं बता सकेंगे।
- उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के दोषों के बारें में बता सकेंगे।
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज के लिए ग्रहणीय तत्वों के बारे बता सकेंगे।

2.3 उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ एवं प्रकृति

वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ अपने अन्दर ज्ञान का दीप जलाना था और उसकी रोशनी से अपने समाज को और अपने राजा को प्रकाशमान बनाना था। अपने और अपने परिवार के लाभ का कोई महत्व नहीं था। किन्तु, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करके स्वयं को ख्याति प्राप्त करना था और उस ख्याति के आधार पर दूर–दूर के देशों तक जाकर पूजा–पाठ, यज्ञ, हवन आदि कराना और उसके बदले पारिश्रमिक के रूप में खूब धन, वैभव, अन्न, वस्त्र आदि अपने घर लाना बन गया था। धीरे–धीरे इस व्यवस्था में धन पाने की लालच ने समाज के लोगों को गुमराह करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया अर्थात् अच्छे–बुरे, स्वर्ग–नरक, पाप–पुण्य, धर्म–अधर्म आदि के जाल में बांधना प्रारम्भ कर दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो समाज के लोगों में अंधविश्वास एवं वाह्य आडम्बर फैलाने लगे और जैसे–जैसे लोग इस जाल में फंसते गये उनसे उतना ही दान, दक्षिणा, धन आदि ज्ञानी लोग लेकर अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने लगे और ब्राह्मणीय व्यवस्था की स्थापना हो गयी। दोनों तरफ के लोगों में यह परम्परा पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने लगी जिसे पुरोहित व्यवस्था कहा गया।

इस काल में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इन्होंने समाज के लोगों को जातियों के अटूट बंधन से इतनी मजबूती के साथ बांध दिया कि लगभग 2500 वर्ष बाद भी यह आज के समाज में अपना साम्राज्य फैलाये हुए है। इन्होंने धीरे–धीरे समाज के चारो वर्णों में से तीन वर्णों क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को इस शिक्षा से दूर करके स्वयं को इस शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने का कार्य किया। यह बात, इस बात से प्रमाणित होती हैं कि उस समय राजाओं अर्थात् क्षत्रियों के पास राज–पाट था उन्हें अपने अंधविश्वास और वाह्य आडम्बरों के जाल में फंसा कर शिक्षा से दूर रखा और अपने फायदे वाली शिक्षा उन क्षत्रियों को देते गये। कालान्तर में उनकी अनेक चल–अचल सम्पत्तियों पर अधिकार करके समाज के विशेष और बड़े लोग बन गये और ये धीरे–धीरे गरीबता की ओर अग्रसर हो गये। वैश्य को अपने कार्यों में सुलभता और सुचारुता प्रदान करने के लिए आवागमन एवं व्यापार का क्षेत्र सुलभ कराया और पढ़ने का उतना ही अधिकार दिया जिसमें उसका कार्य आसानी से सम्पादित हो सके और ब्राह्मणों का लाभ बनता रहे। किन्तु शूद्रों को अपने फायदे के लिए शिक्षा से वंचित रखा। इनको समझा–बुझाकर शिक्षा से दूर रखा और यदि किसी ने इसके बाद भी पढ़ने की कोशिश की तो उसे ऐसा कठोर दंड दिया कि वे उसे सहन नहीं कर पाये और शिक्षा से दूर भाग गये। इससे उनको अंधविश्वास और वाह्य आडम्बरों में फंसाना आसान हो गया और धीरे–धीरे वे इस जाल में फंसते गये और परिणाम स्वरूप अपना अस्तित्व समाप्त कर लिये। इनका कार्य और व्यवसाय समाज के अन्य लोगों की सेवा करना मात्र रह गया था जो आज के इक्कीसवीं सदी में भी दिखाई देता है।

जो आगे बढ़कर शिक्षा से किसी प्रकार से जुड़े वे आज समाज में आगे बढ़ गये किन्तु जो नहीं जुड़ पाया वह अभागा आज भी जानवरों से बदतर जिन्दगी जीने को मजबूर है। शिक्षा से जुड़ना इतना आसान नहीं था इनकों इतना कठोर दण्ड दिया जाता था कि वे विद्यालय से शिक्षा छोड़कर भाग जाते थे। आज भी आपको समाज में अनेक ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे पढ़ाई के बारे में पूंछने पर वे बताते हैं कि हमारे अमुक अध्यापक ने हमें इतना मारा कि हम पढ़ाई छोड़ दिये।

2.4 उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के उद्‌देश्य एवं आदर्श

1. पाण्डित्य पर बल

उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्‌देश्य पाण्डित्य व्यवस्था पर बल देना था। इस काल में लोगों में एक नयी व्यवस्था का वर्चस्व बढ़ा जिसके अन्तर्गत पण्डित लोग अपनी विद्धता को बढ़ाने में लगे थे अर्थात् पाण्डित्य प्रदर्शन पर बल दिया गया। जो जितना बड़ा पण्डित होता था वह उतना ही अधिक पारिश्रमिक लेकर बड़े–बड़े घरों और घरानों में पूजा–पाठ, यज्ञ, हवन आदि कार्य करवाता था। धीरे–धीरे समाज की व्यवस्था पर इन्हीं का आधिपत्य होता चला गया। यहां तक की राजाओं के दरबार में दोषियों की सजा भी तय करने का अधिकार इन्हें ही मिल गया।

2. साहित्यों का सृजन

इस काल में वैदिक संस्कृति विलुप्त हो रही थी और उस पर इसका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। इस स्थिति में ब्राह्मण इस बात पर भी बल दे रहे थे कि हमारे कमाई का जो जरिया है वह और पुष्पित और पल्लवित हो

इसके लिए अनेक ब्राह्मणवादी ग्रन्थों की रचना की गयी। इन ग्रन्थों का मुख्य सार एक ही बात थी कि समाज को पाप–पुण्य, धर्म–अधर्म, स्वर्ग–नरक का भय दिखाकर अपनी बात किसी भी तरह मनवा लेना।

3. ईश्वर भक्ति व उपासना पर बल

इस काल में लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। अनेकोनेक देवी–देवताओं का सृजन किया गया, संकल्पित किया गया और लोगों को उनके अनुसार पूजा–पाठ करने का विधान तैयार किया गया। जिसमें यह भी बताया गया कि इन देवी–देवताओं के नाराज होने पर आप के साथ किस प्रकार अनिष्ट होगा और यदि निर्धारित विधि–विधान से पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया गया तो वे हमें अनेक प्रकार से लाभान्वित करेंगे। यहां तक कि इन्होंने पूजा–पाठ को विधिपूर्वक करवाने को इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने का माध्यम बताया।

4. व्यक्तित्व का विकास

उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार करना था जिसमें समाज दो खण्डों में विभाजित हो सके एक अपनी बात को मनवाने वाला व्यक्तित्व और दूसरा सामने वाले की बातों को मानने वाला व्यक्तित्व। अर्थात् शिक्षा का उद्देश्य एक समूह को महान बनाना था और दूसरे समूह को उस महान समूहों पर आश्रित रहना। इस प्रकार के व्यक्तित्व के विकास से समाज में ब्राह्मण का वर्चस्व अधिक समय तक बने रहने की सम्भावना प्रदान करता है। इससे एक निर्धारित सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने में सहायता मिलती थी।

5. गुरू शिष्य सम्बन्ध

वैदिक काल की भांति गुरू शिष्य सम्बन्ध को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि परिवेश बदल चुके थे। लोगों की समझ बदल चुकी थी। इसलिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उस गुरू–शिष्य परम्परा को बनाए रखना था, जो वैदिक काल में बनी हुई थी। इस काल में भी गुरू के अपने अनेक कर्तव्य सुनिश्चित थे और विद्यार्थियों के अपने सुनिश्चित थे। शिष्य के व्यक्तित्व में किसी अभाव, त्रुटि या दोष का पाया जाना उसके गुरू के कर्तव्यों पर प्रश्न चिह्न खड़ा कर देता था इसलिए गुरू अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन करके अपने शिष्यों में आवश्यक व्यक्तित्व का निर्माण करने का सफल प्रयास करते थे।

2.5 उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था

उत्तर वैदिक काल की अवधि लगभग 1200 वर्षों तक की थी जो वैदिक काल के अंत से बौद्ध काल के प्रारम्भ तक मानी जाती थी। इसलिए इस काल की शिक्षा व्यवस्था में भी वैदिक कालीन शिक्षा के एवं बौद्ध कालीन शिक्षा के भी कुछ लक्षण और विशेषताएं प्रतीत होती हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य जहाँ भौतिक बन्धनों से मुक्ति प्राप्त करना था वहीं उत्तर वैदिक काल में धीरे–धीरे साधना के क्षेत्र यज्ञ, हवन आदि पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा परिणाम स्वरूप पुरोहित प्रणाली का अविर्भाव हुआ जिसे उपनिषद काल कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ ब्रह्मविद्या से है। ब्रह्म शब्द की व्याख्या इतनी प्रधान होती गयी कि कुछ ही समय बाद इसे ब्राह्मणीय शिक्षा काल भी कहा जाने लगा।

उपनिषद काल में यज्ञ एवं उनसे सम्बनधी उपकरणों का विकास होने लगा और साथ ही अपरा विद्या का भी विकास हुआ। इस प्रकार इस काल में पुरोहितों ने अपने अनुरूप विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की और विभिन्न प्रकार के धार्मिक ग्रन्थों आदि की रचना की और उन्हीं को आधार मानकर समाज में कर्मकाण्ड को बढ़ावा दिया। इस बात की पुष्टि ''ब्राह्मण'' एवं 'आरण्यक' जैसी पुस्तकों के पढ़ने से होती है जिसमें आत्मा, परमात्मा, जीव, सृष्टि, प्रलय आदि गम्भीर विषयों पर अनेक महान विद्वानों व चिन्तकों के अनुभव मिलते हैं। उपनिषद कालीन शिक्षा व्यवस्था को निम्नलिखित बिन्दुओं पर संक्षिप्त विवरण के द्वारा और अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है।

1. शिक्षा का उद्देश्य

वैदिक काल की ही भांति इस काल में भी सत्य की खोज और ब्रह्म का साक्षात्कार करना शिक्षा का उद्देश्य समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल में भी गुरू शिष्य सम्बन्ध वैदिक काल के लगभग समान ही थे। गुरू का

स्थान बहुत ऊँचा था। छात्र ब्रह्मचर्य जीवन का यापन करते हुए स्वाध्याय, भिक्षाटन, गुरू की सेवा, दण्ड–कमण्डल, लम्बे बाल रखना आदि अनेक प्रकार के क्रिया–कलाप करते थे। होम अग्नि द्वारा उन्हें बौद्धिक विकास की शिक्षा दी जाती थी और साथ ही वातावरण भी शुद्ध होता था। इसी काल में आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा में भी विशेष प्रगति हुई चरक, सुश्रुत और धनवन्तरि जैसे आयुर्वेदाचार्य इसी काल में पैदा हुए थे।

2. शिक्षण विधि

उत्तर वैदिक काल में, वैदिक कालीन शिक्षा की भाँति श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन प्रणाली चल रही थी किन्तु इस काल में स्वाध्याय विधि का भी विकास हो चुका था। श्रवण में शिष्य अपने गुरू की बात सुनकर याद करता था, मन में उन सुनी हुई बातों का वैज्ञानिक एवं तार्किक विश्लेषण मन द्वारा करता था और निदिध्यासन में ज्ञान की अनुभूति प्राप्त करता था जबकि स्वाध्याय में गुरू अपने शिष्य को आवश्यक दिशा निर्देश देकर स्वयं से पढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता था। इस काल में प्रश्नोत्तर एवं वाद–विवाद विधि भी प्रचलित हो गयी थी। विद्यार्थियों को क्रियाशील बनाने के लिए अन्वेषण आगमन तथा योजना विधि का भी प्रयोग इसी काल में प्रारम्भ हुआ।

3. पाठ्य विषय

इस काल में आध्यात्मिक विकास पर बल देने के कारण भौतिक प्रगति की उपेक्षा हुई। परा और अपरा दोनों ही विद्याओं की प्रगति आवश्यकतानुसार हुई। चारो वेद, व्याकरण, गणित, नक्षत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, नृत्य, संगीत, इतिहास, पुराण, सर्प विद्या आदि प्रचलित थी। स्त्री शिक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। उन्हें भी विधिवत विद्यारम्भ संस्कार 'उपनयन' के बाद धर्मशास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था। लोपामुद्रा, विश्वधारा, सिकता, घोषा आदि ने ऋषियों की भांति ही ऋचाओं की रचना की थी।

4. दिनचर्या

उत्तर वैदिक काल अथवा उपनिषद काल में छात्रों की दिनचर्या अत्यन्त व्यवस्थित थी। शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास के लिए नियमित अभ्यास एवं सम्बन्धित कार्य करना पड़ता था। शारीरिक शिक्षा हेतु भिक्षाटन, गुरू के पशुओं की सेवा, आश्रम के कार्य सभी शिष्यों को प्रतिदिन करना अनिवार्य था, श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन द्वारा मानसिक विकास कराया जाता था। शिष्यों में चारित्रिक विकास हेतु कठोर अनुशासन, ब्रह्मचर्य, मादक पदार्थों का वर्जन, श्रृंगार सामग्रियों का वर्जन, काम एवं क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए सादा जीवन जीना पड़ता था।

5. दीक्षांत समारोह

इसकाल में शिक्षा की समाप्ति पर दीक्षान्त समारोह की प्रथा थी। इसके अन्तर्गत गुरू अपने शिष्यों को कुछ शब्दों के माध्यम से आगे के सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन को बेहतर ढंग से जीने की कामना करता था। वे शब्द निम्नवत् हैं–

सत्यंवद, धर्म चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः।

मातृदेवो भव, पितृदेवोभव, आचार्य देवो भव।।

इस उपदेश के एक–एक शब्द में प्रेम, श्रद्धा, सेवा, ज्ञान, विश्वास आदि का आभास मिलता था। वेद व उपनिषद का यही मूल मंत्र था।

2.6 उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ

1. अंधविश्वास पर बल

उत्तर वैदिक काल में अंध विश्वास पर विशेष बल दिया गया। कर्म, काण्ड, दैवीय शक्तियों की पूजा, आदि पर बल दिया गया। समाज को लोगों में इन कर्मों को न करने पर अनिष्ट होने का डर दिखा कर उन्हें इन अन्धविश्वासों में संलिप्त किया गया।

2. निःशुल्क शिक्षा

वैदिक काल की भांति इस काल में भी गुरू अपने शिष्यों से शुल्क नहीं लेते थे। शिष्यों के आवास, भोजन,

वस्त्र आदि की व्यवस्था अध्यापक निःशुल्क करता था। इन पर खर्च हुए धन की पूर्ति छात्र द्वारा भिक्षाटन, गुरूदक्षिणा तथा समाज के संभ्रान्त लोगों द्वारा दिए गये दान से होता था।

3. व्यक्ति का सर्वांगीण विकास

इस काल में शिक्षा द्वारा मनुष्य को वास्तविक मानव धर्म, आध्यात्म, ज्ञान–विज्ञान की शिक्षा देकर उसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाता था। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से विद्यार्थियों को सशक्त करने के लिए पाठ्यक्रम में कुछ विषयों को पर्याप्त स्थान दिया गया था।

4. शिक्षा सत्र

श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रत्येक आश्रम में 'उपाकर्मन' नामक समारोह के साथ ही शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जाता था जो 6 माह के बाद पौष माह की पूर्णिमा को 'उत्सर्जनम्' नामक समारोह के साथ समाप्त होता था।

5. नारी शिक्षा

वैदिक काल में केवल गुरूओं की कन्याएं ही अपने घर में शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं उन्हें अलग से गुरूकुल में कोई स्थान नहीं मिलता था किन्तु इस काल में नारी जाति के शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था थी। उनका भी विद्यारम्भ संस्कार विधिवत होता था। इस काल के अंत तक जिसे 'सूत्रकाल' भी कहा जाता है, स्त्रियां भी अध्यापन कार्य करने लगीं थीं जिन्हें 'उपाध्याया' कहा जाता था।

6. विशुद्ध शिक्षा प्रणाली

इस युग में जो शिक्षा प्रणाली थी वह पूरी तरह विशुद्ध भारतीय शिक्षा प्रणाली थी। इसकी इसी विशेषता के कारण अनेक शिक्षाविद इसे आज के इस युग में भी प्रासंगिक मानते हैं। इसमें कुछ कमियों के कारण यह प्रणाली उपेक्षित हुई अन्यथा आज भी यह सर्वोत्तम प्रणाली होती।

7. संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार

उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के अन्तर्गत धर्म, आध्यात्म, नैतिकता, संयमित जीवन एवं सांस्कृतिक आदर्शों के साथ जिस संस्कृति का विकास हुआ उसका संरक्षण एवं प्रसार भी इस काल में पर्याप्त हुआ। आज भी अनेक कर्मकाण्ड, रीति रिवाज–पुराने पद्यति पर आधारित हैं। इक्कीसवीं सदी के इस भौतिकतावादी युग में आज भी पुरानी संस्कृति पर आधारित क्रिया–कलाप हो रहे हैं इससे साफ पता चलता है कि इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो आज के लोग भी छोड़ नहीं पा रहें हैं।

2.7 उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के दोष

1. शिक्षा में मनोवैज्ञानिकता का अभाव

वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था जहां अपने उत्कर्ष पर थी वहीं उत्तर वैदिक काल तक आते–आते इसके कुछ पहलू इतने कठोर हो गये कि इसमें मनोवैज्ञानिकता का लोप होने लगा। बालकों को बालक समझनें के बजाय उसके ऊपर इतने कठिन नियम–निर्देश थोप दिये गये कि वह अपना स्वयं का अस्तित्व ही भूल गया। किशोर को किशोर मनोविज्ञान के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था करने के बजाय उसे निरीह मानव जैसा जीवन जीने के साथ–साथ अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों को अपनाना पड़ा।

2. शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा

वैदिक काल से ही शूद्रों के लिए शिक्षा के द्वार बन्द कर दिये गये और उन्हें हेय दृष्टि से देखने के साथ–साथ उन पर अनेकों अत्याचार किया जाने लगा। इस प्रकार उनकी शिक्षा की उपेक्षा ही नहीं हुई बल्कि वे शिक्षा के अधिकार से वंचित भी हो गये। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इस प्रकार इस युग का यह सबसे बड़ा दोष माना जाता है।

3. जनसाधारण के शिक्षा की उपेक्षा

इस युग में शिक्षा केवल ब्राह्मणों के लिए ही सुलभ थी समाज के शेष वर्ग पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ा। क्षत्रिय में कम और वैश्य में सबसे कम और शुद्र तो शिक्षा से वंचित ही थे। इस प्रकार समाज के लोगों का एक

बड़ा हिस्सा शिक्षा से बहुत दूर था। स्त्रियों के लिए शिक्षा नाम मात्र थीं क्योंकि महिलाओं और पुरूषों के कार्यों का विभाजन हो चुका था। कुछ विशेष घरों की कन्याएं ही इस काल में शिक्षा के लिए जा पाती थीं। किसी भी देश या समाज के विकास के वहां की सभी जनता का शिक्षित होना अनिवार्य है, किन्तु इस काल में ऐसा नहीं माना जाता था।

4. मानवीय विचारों का अभाव

इस युग में मानव को मानव नहीं समझा जाता था अर्थात् उसमें मानवीयता का अभाव था। एक शोषित वर्ग था तो दूसरा शोषक अर्थात् एक मानव का दूसरा मानव ही दुश्मन बना बैठा था। सभी को अपनी बात कहने का हक नहीं था। इस प्रकार से समाज में असंतोष व्याप्त हो चुका था। लोग एक दूसरे को घृणा और द्वेष की नजरों से देखने लगे थे।

5. हस्तकला और शारीरिक श्रम के प्रति घृणा

इस काल में समाज में हस्तकला और शारीरिक श्रम को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। यही कारण है कि समाज में जो समुदाय जितना उपेक्षित था उसे उसी के स्तर का हस्तकला सम्बन्धी कार्य सौंपा गया था। शूद्रों के लिए केवल शारीरिक श्रम करते रहना ही उपयुक्त था। यह व्यवस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती जाती थी। किसी को भी अपना पैतृक व्यवसाय त्यागकर दूसरा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता नहीं थी।

2.8 उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की प्रासंगिकता

उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा में अनेक विशेषताएं होते हुए भी अनेक दोष परिलक्षित होते हैं। जिस प्रकार से तत्कालीन समाज में कौशलों का विकास हुआ था यदि उस प्रकार के कौशलों को बढ़ावा दिया जाता तो आज हमारे देश का स्वरूप कुछ और ही होता। प्राचीन काल में प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर जिस तरह जोर दिया जाता था वह आज भी अनुकरणीय है। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल काल में गुरू–शिष्य सम्बन्ध जिस पराकास्ठा पर था आज उतना ही कलंकित है। उसे पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। वैदिक कालीन शिक्षा से जो शिक्षण विधियां विकसित हुयीं उन्हीं का परिमार्जित रूप आज की स्मार्ट कक्षाओं में देखने को मिलता है।

इस प्रकार यदि देखा जाय तो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जिन परा एवं अपरा विद्याओं का वर्चस्व था वह आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी शिक्षण संस्थानों में या आश्रमों में दिखाई पड़ती हैं। हम भौतिकतावादी युग में विज्ञान के सहारे बहुत आगे आये किन्तु पुरानी आध्यात्मिकता, कर्मकाण्ड, अंधविश्वास, यज्ञ, पूजा–पाठ से निवृत्त नहीं हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी –

(क) निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों से कीजिए।

प्र०1– उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा किसे कहते है?

....

....

प्र०2– उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए।

....

....

प्र०3— उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख दोष बताइए।

....

....

2.9 सारांश

वैदिक काल के अंत से बौद्ध काल के प्रारम्भ तक के समय को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इसे उपनिषद काल भी कहते हैं। इस काल की अवधि लगभग 1200 वर्ष है। इस काल में ब्राह्मणीय व्यवस्था का उदय हुआ जिसने समाज को दो वर्गों शोषित और शोषक में विभक्त कर दिया। इस काल में शिक्षा का स्वरूप वैदिक काल से थोड़ा परिमार्जित हो गया। स्त्रियों की विधिवत शिक्षा की व्यवस्था प्रारम्भ हुई।

इस काल में ब्राह्मणों की शिक्षा का वर्चस्व हुआ और क्षत्रियों की शिक्षा का स्तर कुछ कम हुआ, वैश्य की शिक्षा का स्तर अधिक कम हो गया तथा शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया। इस काल में पूजा—पाठ, यज्ञ, हवन, आदि पर विशेष बल दिया गया। समाज में अंधविश्वास, कर्मकाण्ड, जीवन—मरण, स्वर्ग—नरक, पाप—पुण्य आदि का भय दिखाकर ब्राह्मणों द्वारा जनता का शोषण किया गया। जनता इनके अंध विश्वासों और पाखण्डों से ऊब चुकी थीं उसे नयी व्यवस्था चाहिए थी इसलिए बौद्ध कालीन शिक्षा का जन्म हुआ।

2.10 अभ्यास के प्रश्न

1. उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन कीजिए।
2. उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ एवं स्वरूप बताइए।
3. उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।
4. उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख विशेषताएं बताइए।
5. उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है?

2.11 चर्चा के बिन्दु

1. इस प्रकार चर्चा कीजिए। उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा पद्यति की, वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है इस पर चर्चा कीजिए।

2.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. वैदिक काल के अंत से बौद्ध काल के प्रारम्भ तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं और इस काल के दौरान प्रचलित शिक्षा को उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं।
2. अंध विश्वास पर बल, निःशुल्क शिक्षा, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, शिक्षा सत्र, नारी शिक्षा, विशुद्ध भारतीय शिक्षा प्रणाली, संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार आदि उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताएं है।
3. शिक्षा में मनोवैज्ञानिकता का अभाव, शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा, जन साधारण के शिक्षा की उपेक्षा, मानवीय विचारों का अभाव, हस्तकला एवं शारीरिक श्रम के प्रति घृणा आदि उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख दोष हैं।

2.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. पाठक, पी०डी० एवं त्यागी, गुरूसरनदास, (2017), भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगराः अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
2. गुप्ता, एस०पी० एवं गुप्ता अलका (2016), 'आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याएं', इलाहाबादः शारदा

पुस्तक भवन।

3. त्यागी, गुरूसरनदास (2012), 'भारत में शिक्षा का विकास', आगराः अग्रवाल पब्लिकेशन्स।

4. सारस्वत, मालती एवं मदन मोहन (2000), 'भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं', इलाहाबादः कैलाश प्रकाशन।

इकाई–03 : बौद्ध कालीन शिक्षा

इकाई की संरचना

3.1 प्रस्तावना

3.2 इकाई के उद्देश्य

3.3 बौद्ध कालीन शिक्षा का अर्थ एवं स्वरूप

3.4 बौद्ध कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श

3.5 बौद्ध कालीन शिक्षा की व्यवस्था

3.6 बौद्ध कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ

3.7 बौद्ध कालीन शिक्षा के प्रमुख दोष

3.8 बौद्ध कालीन शिक्षा की प्रासंगिकता

3.9 सारांश

3.10 अभ्यास प्रश्न

3.11 चर्चा के बिन्दु

3.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

3.1 : प्रस्तावना

लगभग पांचवी शताब्दी ईशा पूर्व से जनजीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने के कारण वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था दिखाई पड़ने लगी। क्योंकि ब्राहमणीय शिक्षा पद्यति में लोग अंधविश्वासी कर्म काण्डों से ऊब चुके थे। वर्ण व्यवस्था अधिक जटिल हो चुकी थी ऐसी स्थिति में गौतम बुद्ध ने उस समय के समाज की आवश्यकताओं को समझा और एक नये नियम का प्रतिपादन करने की सोच जिसमें सभी कुरीतियों एवं आडम्बरों से मुक्ति के सारे रास्ते खुले थे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को बौद्ध कालीन शिक्षा के नाम से जाना गया। यह शिक्षा व्यवस्था वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का बदला स्वरूप होने के कारण कई दृष्टिकोणों में भिन्नता होने पर भी कई मामलों में वैदिक शिक्षा के सम्मान ही थी। डॉ०आर०के० मुकर्जी के अनुसार, ''उचित रूप से विचार किए जाने पर बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिन्दू या वैदिक शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप है।''

3.2 : इकाई का उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप इस योग्य हो जायेंगे कि :–

1. बौद्ध कालीन शिक्षा की व्यवस्था के बारे में बता सकेंगे।
2. कुरीतियों एवं अंधविश्वासों से दूर रह सकेंगे।
3. बौद्ध कालीन समाज की व्यवस्था के बारे में बता सकेंगे।
4. बौद्ध कालीन शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में जान सकेंगे।
5. बौद्ध कालीन शिक्षा का मूल्यांकन अपने दृष्टिकोण से कर सकेंगे।

3.3 : बौद्ध कालीन शिक्षा का अर्थ एवं स्वरूप

बौद्ध कालीन शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्य वैदिक कालीन शिक्षा पद्यति से थोड़ा भिन्न थे। वैदिक कालीन शिक्षा में जहां शिक्षा को अपने आध्यात्मिक विकास का माध्यम और मोक्ष की प्राप्ति का साधन माना गया था वहीं

बौद्ध काल में शिक्षा को अपनी और अपने समाज की उन्नति का साधन माना गया। जहां वैदिक काल में शिक्षा शहर व नगर से दूर जंगलों में गुरू गृह अर्थात् आश्रमों में दी जाती थी जिससे विद्यार्थियों को रहने के साथ उनके समस्याओं का सामना करना पड़ता था वहीं बौद्ध कालीन शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए विद्यालय के रूप में मठों की स्थापना की गयी जिसमें रात्रि निवास के लिए छात्रावास भी बनाए गयें। उनके रहने, भोजन, स्वास्थ्य सम्बन्धित अनेक समस्याओं का भली भांति समाधान करने का विकल्प चुना गया। प्रवेश के नियम कठोर जरूर थे किन्तु एक बार प्रवेश के उपरांत जीवन आसान हो जाता था।

पढ़ाई के लिए अवधि व आयु निर्धारित थे। इस समय भी वैदिक काल की भांति विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता था और समय–समय पर भिक्षा मांगना पड़ता था। इस समय अपनी शिक्षा पूरी करने के उपरांत विद्यार्थी वापस अपने घर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं था बल्कि इच्छुक विद्यार्थी अपनी आगे की शिक्षा वहीं रूक कर पूरी कर सकते थे और शेष समाज में जाकर समाज में जन जागरण का कठिन कार्य करते थे।

3.4 : बौद्ध कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श

वैदिक कालीन शिक्षा की भांति बौद्ध कालीन शिक्षा के भी कुछ अपने आदर्श एवं उद्देश्य थे। अंतर सिर्फ इतना था कि प्राचीन काल के आदर्श और उद्देश्य अब बौद्ध धर्म के अनुकूल रूप धारण कर लिए थे। मूल तत्व वही थे केवल वाहय तत्व बदल गये थे।

1. धार्मिकता की भावना को बढ़ावा

बौद्ध धर्म के सिद्धान्त सामान्यतः दुःखवाद पर आधारित थे। इनका उद्देश्य बौद्ध भिक्षुओं को और श्रमणों को ही शिक्षित करना था किन्तु बाद में ये जनसाधारण की शिक्षा पर भी बल देने लगे। बौद्ध धर्म का प्रचार–प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था फिर निर्वाण तक पहुंचना और उसके बाद सांसारिक जीवन को सफलता पूर्वक जीने की कला को विकसित करना इनका उद्देश्य होता चला गया। क्योंकि ये जानते थे कि बिना समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास किये पूरे समाज का विकास करना असंभव था। और समाज के लोगों का इस शिक्षा प्रणाली में विश्वास भी जीतना था, जिससे इस शिक्षा व्यवस्था का विकास किया जा सके।

2. चरित्र निर्माण

बिना चरित्र का विकास किये किसी भी व्यक्ति का विकास करना लगभग असंभव है। इसलिए समाज को विकसित करने के लिए बौद्ध काल में भी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण करना था। वैदिक कालीन ब्राह्मणीय व्यवस्था में समाज का नैतिक पतन हो चुका था। अतः समाज का उत्थान अति आवश्यक था जो यज्ञों, कर्मकाण्डों से होना असम्भव था। समाज के लोग इन कर्म काण्डों से उबरना चाहता थे ऐसी स्थिति में यह शिक्षा पद्यति लोक लुभावनी लगी क्योंकि इस पद्यति में इन आडम्बरों यज्ञों और कर्मकाण्डों का विरोध था और सदाचार और संयम पर विशेष बल दिया गया था।

3. व्यक्तित्व का विकास

उपरोक्त वर्णित यज्ञों, कर्मकाण्डों और वाहय आडम्बरों के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना असम्भव था। इसलिए इन सभी को त्याग कर सादा जीवन उच्च विचार, नैतिक पवित्रता, आत्मज्ञान, आत्म अनुशासन आदि के द्वारा जीवन को अच्छी तरह यापित करते हुए व्यक्तित्व का विकास करना इस शिक्षा पद्यति का उद्देश्य माना गया। इसके अनुसार बालक के ज्ञान चक्षु को इतना बलवती कर देना था जिसकी सहायता से वह सही और गलत का, उचित और अनुचित का अंतर स्पष्ट रूप से समझ सके। आदर्श गुरूओं के निर्देशन में वह अपने आप को इस योग्य बना लेता था कि उसका चरित्र भी आदर्श एवं अनुकरणीय बन जाये।

4. समाजिक कौशल की वृद्धि

किसी भी व्यक्ति का विकास तब तक सार्थक और पूरा नहीं माना जाता जबतक उसमें अपने समाज के प्रति प्रेम, सहयोग और सहानुभूति की भावना का विकास न हो जाये। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं अपने लिए और अपने समाज के लिए कुछ करने का कौशल होना आवश्यक था। अतः इसे शिक्षा का उद्देश्य बनाया गया।

5. राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार

बौद्ध धर्म के अन्तर्गत खूब साहित्यों की रचना की गयी। क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। इसलिए उस समय के साहित्यों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उस समय हमारा देश बहुत दूर तक फैला हुआ था। किसी भी देश की संस्कृति वहां की पहचान होती है। इसलिए उसे सुरक्षित रखना भी देश का कर्त्तव्य है। और समाज का कार्य है कि उस संस्कृति को अपने भावी पीढ़ी में सुरक्षित रखकर हस्तांतरित करना। इसलिए बौद्ध काल में संस्कृति का संरक्षण और प्रसार को शिक्षा का उद्देश्य बनाया गया। जिसके अन्तर्गत बौद्ध उपाध्याय समाज में घूम–घूमकर प्रवचन करते थे और प्रवचन के माध्यम से जन जागरण करते थे। साथ ही उनकी शंकाओं का समाधान भी करते थे। इस प्रकार यदि देखा जाये तो बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य और आदर्श उस समय के समाज की आवश्यकता के अनुरूप थे।

3.5 : बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था

1. शिक्षा का आरम्भ

बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में विद्यारम्भ संस्कार वैदिक कालीन उपनयन संस्कार के समान होता था जिसे प्रब्रज्या या पबज्जा संस्कार के नाम से जाना जाता है। विनय पिटक के अनुसार ''जो भी व्यक्ति विहार में प्रवेश चाहता था उसे सर्वप्रथम अपने केश मुड़वाकर पीले वस्त्र धारण करके भिक्षुओं को नतमस्तक होकर प्रणाम करना पड़ता था और जमीन पर पलथी मार बैठकर दोनो हाथ जोड़ते हुए ऊपर उठाकर यह उच्चारण करना पड़ता था–

बुद्धंशरणं गच्छामि,

धम्मं शरणं गच्छामि,

संघंशरणं गच्छामि।

इस क्रिया को शरणत्रयी कहते थे। जिसके सम्पन्न होने पर बालक श्रमण बन जाता था और तब संघ में प्रवेश का हकदार बन पाता था। बालक अपना घर परिवार त्यागकर मठ में ब्रहमचारी बनकर शिक्षा ग्रहण करता था।

2. उपसम्पदा संस्कार

बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली का यह दूसरा संस्कार माना जाता था। यह संस्कार श्रमण के रूप में 12 वर्ष निरंतर शिक्षा पूरी करने पर 20 वर्ष की अवस्था में होता था। इसके उपरांत बालक बौद्ध भिक्षु बनकर पुनः संघ में प्रवेश करता था। वैदिक काल में जहां 12 वर्ष की शिक्षा पूरी करने के बाद बालक को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त होता था वहीं बौद्ध काल में 12 वर्षों की शिक्षा तक श्रमण या नवशिष्य या सद्विहारक रहने के बाद बौद्ध भिक्षु बनकर रहना पड़ता था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम और भी कठिन हो जाते थे।

जब श्रमण अपनी 12 वर्ष की शिक्षा पूरी कर लेता था तो उसे संघ के भिक्षुओं के समक्ष विनयशील होकर बैठना पड़ता था। वहां पर मौजूद भिक्षुओं में से एक भिक्षु उस श्रमण को अपना उपाध्याय मानता था तब वह भिक्षु बन जाता था। यह संस्कार कम से कम दस भिक्षुओं की उपस्थिति में सम्पन्न होता था। एक भिक्षु उस श्रमण का परिचय अन्य उपस्थित भिक्षुओं से कराता था। वे अन्य भिक्षु उससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूंछकर आस्वस्थ होते थे कि वह श्रमण भिक्षु बनने लायक है या नहीं। बहुमत से भिक्षु के रूप में स्वीकृति मिलने पर ही उक्त श्रमण को उपसम्पदा दी जाती थी। और उसके बाद उसे निम्नलिखित कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था–

1. वृक्ष के नीचे वास करना।
2. मांगकर लाये हुए साधारण कपड़े से शरीर ढकना।
3. भिक्षापात्र में भिक्षान्न एकत्रित करके भोजन करना।
4. औषधि के रूप में गौ–मूत्र का सेवन करना।
5. ब्रह्मचर्य का पालन करना।

3. शिक्षा अवधि तथा सत्रावधि

वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में अध्ययन काल 22 वर्ष का था, जिसे दो भागों में बांटा जाता था। पबज्जा के उपरांत 12 वर्ष और उपसम्पदा के उपरांत 10 वर्ष तक का। अध्ययन काल 8 वर्ष की आयु से प्रारम्भ होकर 30 वर्ष की आयु तक चलता है। यातायात के साधनों के अभाव के कारण दूरस्थ देशों के विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त करके ही अपने घर वापस लौटते थे। किन्तु पास के विद्यार्थी समय–समय पर आवश्यकता के अनुसार अपने घर जाया करते थे। सामान्यतया एक गुरू के पास 10–15 शिष्य हुआ करते थे किन्तु सुप्रसिद्ध गुरूओं के पास सैकड़ों शिष्य हो जाया करते थे। बौद्ध काल में शिक्षा के दो स्तर–प्राथमिक और उच्च शिक्षा थे। प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ में धार्मिकता पर आधारित थी किन्तु बाद में जनसाधारण के लिए लौकिक शिक्षा भी प्रदान होने लगी। उच्च शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के समाप्ति पर दी जाती थी जो केवल बौद्ध भिक्षुओं को ही प्रदान की जाती थी। ह्वेनसांग ने अपने विवरण में अनेक ऐसे शिक्षा केन्द्रों का उल्लेख किया है जहां वह स्वयं पढ़ाई किया है। उसके विवरण से स्पष्ट है कि उस समय भारत में उन्नत उच्च शिक्षा केन्द्र थे जिसमें तर्कशास्त्र, न्याय दर्शन, ज्योतिष, और राजनीति जैसे गम्भीर विषयों को पढ़ाया जाता था।

4. प्रशासन

बौद्ध धर्म के अन्तर्गत सुसंगठित शिक्षा केन्द्रों जिसे मठ कहा जाता था, की स्थापना हो रही थी। भिक्षु तथा भिक्षुणी विहार या संघारामों में अपना जीवन व्यतीत करते थे। नालन्दा, तक्षशिला महाविहार, बल्लभी, विक्रमशिला आदि अनेक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षा केन्द्र बौद्ध काल के दौरान स्थापित हो चुके थे। इन अध्ययन केन्द्रों के प्रशासन की बांगडोर एक योग्य भिक्षु के हाथों में होता था। और उस योग्य भिक्षु का चयन संघों के सदस्य स्वयं करते थे। इस भिक्षु के सहयोग के लिए दो समितियां गठित होती थीं जिनका नाम क्रमशः शैक्षणिक और प्रशासनिक थी। दोनों समिति प्रमुख भिक्षु के निर्देशन में अपने–अपने निर्धारित कार्यों का सम्पादन करती थी। शैक्षणिक समिति प्रवेश, पाठ्यक्रम या पढ़ाई से सम्बन्धित सभी कार्य निपटाती थी जबकि प्रशासनिक समिति का कार्य इमारतों व कमरों का निर्माण एवं पुनरूद्धार करना था। इस प्रकार दोनों समितियां मिलकर शिक्षण संस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग प्रदान करती थी।

5. छात्रावास

बौद्ध कालीन शिक्षा के अन्तर्गत अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों और गुरूओं के लिए आवास की व्यवस्था थी जिसमें सभी के लिए भोजन एकसाथ तैयार किया जाता था। छात्रों के कमरों में सोने के लिए एक पत्थर की बेंच, दीपक रखने के लिए उपयुक्त स्थान बना हुआ होता था। छात्रों को वस्त्र, भोजन, औषधि सभी चीजें मुफ्त मिलती थीं। वित्तीय व्यवस्था को चलाने के लिए दान प्रणाली प्रथा थी। गुरू दक्षिणां की प्रथा भी प्रचलित थी। धनी लोग भूमिदान के साथ निर्माण कार्य में व्यय धनराशि भी स्वयं वहन करते थे। कनिष्क, चन्द्र गुप्त विक्रमादित्य, कुमार गुप्त एवं उनके उत्तराधिकारियों ने नालंदा को बहुत दान दिया जिसके कारण इसका अत्यधिक विकास हो पाया।

6. पाठ्यक्रम

वैदिक कालीन शिक्षा की तुलना में बौद्ध काल में अनेक विषयों का अविर्भाव हुआ। अधिकांश भिक्षु बौद्ध कालीन धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते थे किन्तु कुछ भिक्षु अर्थनीति, राजनीति, चिकित्सा आदि विषयों का भी अध्ययन करते थे। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि प्राथमिक और उच्च शिक्षा दो स्तर के शिक्षा की व्यवस्था थी। प्राथमिक में अक्षर, वर्णमाला को लिखना, पढ़ना सिखाया जाता था। उसके बाद व्याकरण का ज्ञान, शिल्प, हस्तकला लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। किन्तु उच्च शिक्षा में विभिन्न धर्मों की शिक्षा के साथ–साथ नक्षत्र विद्या, खगोल विद्या, औषधि शास्त्र, ज्योतिष विद्या न्याय शास्त्र आदि अनेक विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी।

7. शिक्षण प्रणाली

वैदिक कालीन शिक्षा की तरह इस प्रणाली में भी अध्ययन के कुछ नियम निर्धारित थे। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर दोपहर 11 बजे तक पठन–पाठन, दोपहर में भोजन फिर विश्राम एवं पुनः पठन–पाठन कार्य होता था। शिक्षण के साथ सदाचार, ब्रह्मचर्य, विनय, सात्विकता आदि पर बल दिया जाता था। बौद्ध कालीन शिक्षण प्रणाली के बारे में ह्वेनसांग ने भी लिखा है, ''शिक्षक पाठ्यवस्तु का सामान्य अर्थ बताते हैं और छात्रों को विस्तार

से पढ़ाते थे, शिक्षक अपने छात्रों को परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करते थे और कुशलता से उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के योग्य निर्माण करते थे। वे मंदबुद्धि वाले छात्रों पर विशेष ध्यान देकर ज्ञानार्जन हेतु सफल बनाते थे।

प्रचलित शिक्षण विधियां प्रवचन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि वाद–विवाद विधि, व्याख्यान विधि, कक्षानायकीय विधि, पुस्तक अध्ययन विधि, सम्मेलन विधि, देशाटन एवं प्रकृति निरीक्षण विधि तथा निदिध्यासन विधि थी। जिसमें क्रमशः प्रवचन में विद्यार्थी अपने शिक्षकों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते थे, प्रश्नोत्तरी विधि में सभी आपस में प्रश्न पूँछकर उसका उत्तर सामने वाले से पाकर संतुष्ट हो जाते थे। वाद–विवाद में आपस में चर्चा करके निष्कर्ष तक पहुंचते थे। व्याख्यान में छात्र को अपनी शंकाओं पर प्रश्न पूंछकर संतुष्ट होते थे। कक्षानायकीय में कोई एक तीव्र बुद्धि वाला बालक पूरी कक्षा को गुरू की अनुपस्थिति/उपस्थिति में नियंत्रित करता था। सम्मेलन विधि में सभी को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होती थी। देशाटन एवं प्रकृति निरीक्षण में विद्यार्थी दूर–दूर तक नगरों व जंगलों में वास्तविकता की खोज के लिए निकल जाते थे। निदिध्यासन में चिंतन एवं मनन के द्वारा विषय वस्तु को याद किया जाता था जो आध्यात्मिक शिक्षा में भी सहयोग करती थी।

8. गुरू शिष्य सम्बन्ध

बौद्ध काल में गुरू शिष्य सम्बन्ध का उल्लेख महावांगा में देखने को मिलता है। उस समय गुरू शिष्य सम्बन्ध बहुत ही स्नेह पूर्ण था। दोनों में पारस्परिक प्रेम, आदर, श्रद्धा तथा विश्वास था। डॉ० ए०एस० आलतेकर लिखते हैं कि ''श्रमण और उनके गुरू का सम्बन्ध पुत्र और पिता तुल्य था। वे आपस में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की डोर से बंधे तुल्य था। वैदिक काल की भांति बौद्ध काल में भी शिष्य, गुरू के पूर्व उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर गुरू की सेवा जैसे वस्त्र धुलना, अस्वस्थ्य होने पर भोजन और औषधि देना, वर्तन साफ करना आदि कार्य करता था। और गुरू भी अपने शिष्य के लिए आवास, भोजन, वस्त्र की व्यवस्था करने के साथ–साथ उसके मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए पूरा प्रयास करता था। वह अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते थे, उनकी जिज्ञासा बढ़ाते थे, उनकी शंकाओं का निवारण करते थे। उस समय शिक्षक और छात्र दोनों संघ के अधीन थे, अर्थात संघ का स्थान सर्वोपरि था। यदि किसी विद्यार्थी को संघ के द्वारा दण्डित किया जाता था तो वह गुरू के समक्ष अनुनय–विनय करके ही पुनः शिक्षा प्राप्त सकता था। और संघ के द्वारा दिये गये दण्ड को माफ करने के लिए भी गुरू के माध्यम से ही क्षमा–प्रार्थना कर सकता था। इस प्रकार बौद्ध काल में गुरू–शिष्य सम्बन्ध अपने चरम पर था।

9. अनुशासन

बौद्ध कालीन शिक्षा में अनुशासन के सम्बन्ध में अत्यधिक कठोर नियम थे। चरित्र शुद्धि, भाव शुद्धि एवं आत्म शुद्धि के साथ सदाचार, नैतिकता भी अति आवश्यक था। प्रत्येक श्रमण एवं भिक्षुक को सादा जीवन जीना पड़ता था। मन, वचन एवं कर्म से सत्य और अहिंसा का पालन करना होता था। केवल तीन बार निश्चित समय पर भोजन करना पड़ता था और समय व्यतीत होने पर वे भोजन ग्रहण नहीं कर सकते थे। पुनः अगले समय पर ही भोजन मिलता था तब तक उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था। प्रत्येक विद्यार्थी को आमोद, प्रमोद एवं मनोरंजन से दूर रहना अति आवश्यक था और किसी भी प्रकार की गलती, अपराध या अनुशासनहीनता के लिए संघ को सूचना देना अनिवार्य था और तदुपरांत संघ जो दण्ड निर्धारित करता था उसे मानना पड़ता था। छोटे–अपराध को माफ कर दिया जाता था। दण्ड का निर्धारण करने वाली समिति को 'प्रतिमीख' नाम से जाना जाता था यह समिति एक माह में दो बार बैठक करके आवश्यक और उपयुक्त दण्ड निर्धारित करती थी।

3.6 : बौद्ध कालीन शिक्षा की विशेषताएँ

बौद्ध धर्म अनेक मामलों में वैदिक धर्म से भिन्न था और अनेक मामलों में उसके समान था। इसलिए बौद्ध कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जा रहा है–

1. पबज्जा संस्कार

जैसा कि पीछे बताया जा चुका है कि बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में विद्यारम्भ इसी संस्कार के द्वारा होता है। इस संस्कार का सम्बन्ध बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखने वालो से है। इस संस्कार द्वारा लगभग 8 वर्ष की आयु वाले बालकों को विद्यार्थी बनाया जाता था।

2. **उपसम्पदा**

यह संस्कार बौद्ध कालीन शिक्षा की दूसरी विशेषता है जिसमें बौद्ध संघ के कम से कम 10 बौद्ध भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था। इसमें श्रमण के रूप में 12 वर्ष की शिक्षा पूरी करके अर्थात 20 वर्ष की आयु पर श्रमण से भिक्षु बनने के लिए यह संस्कार आवश्यक था।

3. अध्ययन की अवधि

बौद्ध काल में 8 वर्ष की आयु में शिक्षा प्रारम्भ करके 12 वर्ष की शिक्षा श्रमण के रूप में और पुनः 10 वर्ष की शिक्षा भिक्षु के रूप में पूरी करनी पड़ती थी अर्थात् शिक्षा ग्रहण करने के लिए 22 वर्ष देने होते थे उस समय उसकी आयु 30 वर्ष हो जाती थी जबकि वैदिक काल में 25 वर्ष की आयु में ही शिक्षा समाप्त हो जाती थी।

4. खेलकूद और शारीरिक व्यायाम

बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में छात्रों का केवल मानसिक और आध्यत्मिक, नैतिक, चारित्रिक विकास ही नहीं होता था बल्कि शारीरिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति के लिए खेल–कूद और शारीरिक व्यायाम अति आवश्यक थे। छलवग्ग के द्वारा यह जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय कुश्ती लड़ना, मुक्केबाजी, तीर चलाना, भूमि जोतना, तुरही बजाना, रथों की दौड़ाना आदि कौशल भी सिखाया जाता था जो शारीरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे।

5. विद्यालय

वैदिक काल में जहां जंगलों में वृक्षों के नीचे कक्षाएं चलती थीं वहीं बौद्ध काल में कक्षाओं के लिए पृथक कमरों अथवा हाल और आवास हेतु पृथक छात्रावास बनाए जा चुके थे। मठ प्रायः सामान्य विद्यालयों के रूप में जाने जाते थे जहां धार्मिक शिक्षा के साथ–साथ जीवन की वास्तविकता की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। इन स्थानों पर सभी धर्मों, जातियों और परिस्थितियों के शिक्षा के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को बिना किसी भेद–भाव के शिक्षा दी जाती थी।

6. संगठित शिक्षा संस्थाओं का उदय

इस काल की यह सबसे मुख्य विशेषता है। इसमें जहां एक ओर आवश्यकतानुसार भवनों को बनाकर शिक्षा दी जाती थी वहीं दूसरी ओर इसका संरक्षण और संवर्धन समाज के बड़े और प्रसिद्ध समाज सेवियों के द्वारा किया जाता था। इसमें राजाओं का भी महत्वपूर्ण योगदन हुआ करता था। डॉ० आल्टेकर लिखते हैं कि 'यह कहना उचित है कि संगठित सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं का उदय बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण ही हो पाया है।'' और मुख्य बात यह थी कि इस काल के शिक्षण संस्थाओं में इच्छुक लड़के तथा लड़कियों को समान रूप से बिना किसी भेद–भाव के शिक्षा प्रदान की जाती थी जिससे समाज में महिला और पुरूष दोनों का विकास हो सके। क्योंकि किसी एक के विकास से समाज का विकास होना असम्भव था।

3.7 : बौद्ध कालीन शिक्षा के प्रमुख दोष

बौद्ध कालीन शिक्षा में कुछ दोष बताए गये हैं जो निम्नलिखित थे :–

1. बौद्ध धर्म का पतन

इस काल की शिक्षा पद्यति का यह प्रथम और सार्वधिक हानिकारक दोष है। इसमें जनतंत्रीय आधार पर बालक और बालिकाएं पृथक–पृथक शिक्षा ग्रहण करते थे। किन्तु अवसर पाकर वे एक दूसरे में मिलना प्रारम्भ कर देते थे जिससे व्यभिचार उत्पन्न होने लगा और इस धर्म का पतन होने लगा।

2. देश की दुर्बलता

अहिंसा इस काल की शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता थी। किन्तु कालान्तर में अहिंसा की शिक्षा के कारण विद्यार्थियों में युद्ध कला की शिक्षा का अभाव होने लगा और नेतृत्व की क्षमता घटती चली गयी और देश दुर्बल होता गया। अवसर पाकर अनेक राजाओं ने इस पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर लिया। और देश गुलाम हो गया।

3. स्त्री शिक्षा की उपेक्षा

बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण था महिलाओं को शिक्षा से जोड़ना। कालान्तर में स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा होती गयी और उनको शिक्षा से वंचित किया जाने लगा। केवल धनी और कुलीन परिवारों की स्त्रियां ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती थीं। उनकी गलतियों पर उन्हें उपयुक्त दण्ड भी नहीं दिया जा सकता था क्योंकि उनके घरों से मठों को अधिकधिक आर्थिक सहायता भी मिलती थी। इस प्रकार धीरे–धीरे स्त्री शिक्षा उपेक्षित होती गयी।

4. कट्टर धार्मिक विचारों पर बल

यह शिक्षा का एक दोष उभर कर सामने आया क्योंकि इसमें आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया जाने लगा। लोग अपने को महत्वपूर्ण बनाने के लिए अलौकिक शिक्षा पर बल देते गये और लौकिक शिक्षा उपेक्षित होने लगी। इस प्रकार समाज में कट्टर धार्मिक विचारवादी लोगों की संख्या बढ़ने लगी और मानव से मानवता धीरे–धीरे जाने लगी।

3.8 : बौद्ध कालीन शिक्षा की प्रासंगिकता

बौद्ध कालीन शिक्षा की प्रासंगिकता है कि किसी समाज का विकास वहाँ के सम्पूर्ण जनता के शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है जहाँ वैदिक काल में समाज के एक बड़े हिस्से को शिक्षा से जाति के आधार पर वंचित रखा जाता था वहीं बौद्ध काल में जो महात्मा गौतम बुद्ध जी के नेतृत्व में पाली बड़ी शिक्षा व्यवस्था जिसमें जाति के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला वह शिक्षा व्यवस्था सामाजिक दृष्टिकोण से पहले से बेहतर थी वास्तव में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जातिगत आधारित नहीं बल्कि योग्यता आधारित ही पहले भी होना चाहिए था गौतम बुद्ध जी ने नई शिक्षा व्यवस्था लागू करके पूरे मानव समाज को एक नया आयाम प्रदान किया आज का सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवन का अध्ययन करने से पता चलता है कि वह परिवार अधिक प्रगतिशील है जिसके सभी या अधिकांश सदस्य शिक्षित हैं और रोजगार उन्मुख है इसी प्रकार वह समाज अधिक प्रगतिशील होगा इसके अधिकांश लोग शिक्षित होंगे आज के विकासशील और प्रगतिशील परिवार तथा समाज के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है जो कि बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था से प्रचलित होती हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों से कीजिए।

1– पबज्जा संस्कार से आप क्या समझते है ?

....

....

2– बौद्ध कालीन शिक्षा की विशेषताएँ बताइए।

....

....

3– बौद्ध कालीन शिक्षा के दोष लिखिए।

....

....

3.9 : सारांश

वैदिक कालीन शिक्षा में लोग अंधविश्वास और आडम्बरों से ऊब चुके थे इसलिये उससे मुक्ति पाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली का उदय हुआ जो पूर्व की भांति इतनी कठिन नहीं थी, इसके प्रत्येक भाग के नियमों में कुछ शिथिलता आयी। विद्यार्थी प्रथम भाग अर्थात् श्रम्रण के रूप में शिक्षा पूरी करने के बाद चाहे तो अपने घर गृहस्थ जीवन में वापस आ सकता था या फिर उपसम्पदा संस्कार के द्वारा भिक्षु बनकर अपनी शिक्षा आगे के लिए जारी रख सकता था। भिक्षु के रूप में शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत वह उसी प्रणाली का एक हिस्सा बन जाता था और समाज में सेवा देकर जनजागरण का पुनीत कार्य करता था।

3.10 : अभ्यास के प्रश्न

1. उपसम्पदा संस्कार का वर्णन कीजिए।
2. प्रवज्जा संस्कार को लिखिए।
3. बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या कीजिए।
4. बौद्ध कालीन शिक्षा के गुण और दोष का उल्लेख कीजिए।
5. बौद्ध कालीन शिक्षा में शिक्षण विधि की विवेचना कीजिए।

3.11 : चर्चा के बिन्दु

1. बौद्ध शिक्षा प्रणाली का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए।

3.12 : बोध प्रश्नों के उत्तर

1. बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में विद्यारम्भ करने के लिए जिस संस्कार का उपयोग होता था उसे पबज्जा संस्कार कहते है।
2. पबज्जा संस्कार उपसम्पदा संस्कार, अध्ययन की अवधि खेलकूद एवं व्यायाम, विद्यालय और संगठित शिक्षा संस्थाओं का उदय आदि बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं हैं।
3. बौद्ध धर्म का पतन, देश की दुर्बलता, स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा तथा कट्टर धार्मिक विचारों पर बल देना ही इस काल की शिक्षा पद्यति के प्रमुख दोष थे।

3.13 : कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. गुप्ता, एस०पी० एवं गुप्ता अलका (2016), आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याएं, इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन।
2. त्यागी, गुरूसरनदास (2012), 'भारत में शिक्षा का विकास', आगराः अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
3. सारस्वत, मालती एवं मदन मोहन (2000), 'भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं', इलाहाबाद : कैलाश प्रकाशन।

इकाई–04 : मध्य काल में शिक्षा

इकाई की संरचना

4.1 प्रस्तावना

4.2 इकाई के उद्देश्य

4.3 मध्य काल की शिक्षा का अर्थ एवं स्वरूप

4.4 मध्य काल की शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श

4.5 मध्य काल की शिक्षा की व्यवस्था

4.6 मध्य काल की शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं

4.7 शिक्षा के प्रमुख दोष

4.8 मध्य काल की शिक्षा की प्रासंगिकता

4.9 सारांश

4.10 अभ्यास के प्रश्न

4.11 चर्चा के बिन्दु

4.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

4.1 : प्रस्तावना

भारत में विद्यमान धन सम्पदा से आकृष्ट होकर मुसलमानों ने आठवीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण कर दिया। अपने प्रयास में सफल होने के उपरांत वे यहां की धन सम्पदा को लूट कर अपने देश को लेकर चले गये। किन्तु मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण करके यहां मुस्लिम साम्राज्य का शिलान्यास किया। परिणाम स्वरूप मुस्लिम शासकों ने भारतीय शिक्षा के स्वरूप को परिवर्तित करके एक नवीन शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया जिसे मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली कहा गया। लगभग 600 वर्षों तक यह शिक्षा प्रणाली अपने उत्थान और पतन के मार्ग को तय करते हुए आगे बढ़ी। डॉ० एफ० ई० केई ने लिखा है कि ''मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रतिरोपण किया गया और जो ब्राह्मणीय शिक्षा से अति आत्म सम्बन्ध रखकर अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई। इस प्रकार यदि देखा जाये तो इस शिक्षा व्यवस्था पर इसके धर्म (इस्लाम) की छाप स्पष्ट दिखाई देती है।

4.2 : इकाई का उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप इस योग्य हो जायेंगे कि –

- मुगलकालीन शिक्षा की व्यवस्था के बारे में बता सकेंगे।
- मुगल कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारें में बता सकेंगे।
- इस शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं के बारें में बता सकेंगे।
- इस शिक्षा प्रणाली के दोषों को बता सकेंगे।

4.3 : मध्य काल की शिक्षा का अर्थ एवं स्वरूप

इस्लामी शिक्षा के सम्बर्धन के लिए मुगल शासकों ने शिक्षा व्यवस्था को अपने अनुसार संगठित करने का प्रयास किया। इस युग में शिक्षा मकतब और मदरसों में दी जाती थी जो मस्जिदों से सम्बद्ध होते थे इसको स्तर की दृष्टि से देखा जाये तो यह दो भागों में बंटी थी। प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। प्राथमिक शिक्षा मकतबों में

दी जाती थी। मकतब का अर्थ होता है– वह स्थान जहां लिखने की शिक्षा दी जाती है। मकतब में बालकों को कुरान की कुछ विशेष आयतों को कंठस्थ कराया जाता था जो एक मुसलमान के लिए किसी सुअवसर या नमाजों में पढ़ने की दृष्टि से आवश्यक समझे जाते थे। प्रत्येक मस्जिद से एक मकतब जुड़ा रहता था जिसमें मौलवी साहब उस मुहल्ले के सभी बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रदान करते थे। इन मकतबों में केवल मुसलमान के ही बच्चे नहीं पढ़ते थे बल्कि हिन्दुओं के भी वे बच्चे जो अरबी, फारसी पढ़ना चाहते थे, वे भी आसानी से प्रवेश ले सकते थे।

मकतबों के अतिरिक्त खानकाह व दरगाहों का भी निर्माण इस काल में हुआ जहां केवल मुसलमान बालकों को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया के अन्तर्गत जिस प्रकार वैदिक काल में उपनयन, बौद्ध काल में पबज्जा संस्कारों से विद्यारम्भ होती थी, ठीक उसी प्रकार इस काल में 'विस्मिल्लाह' संस्कार द्वारा विद्यारम्भ किया जाता था। यह संस्कार 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आवस्था में बालकों का किया जाता था। इस पर अवसर पर बालक को सगे सम्बन्धियों के समक्ष नये कपड़े पहनाकर बैठाया जाता था। अब उसके सामने कुरान को रखकर उसका 55वां और 57वां अध्यायन रखकर पढ़ना सिखाया जाता था। न पढ़ सकने की स्थिति में केवल 'विस्मिल्लाह' शब्द का उच्चारण करने से काम चल जाता था। इसके बाद बालक की शिक्षा आरम्भ हो जाती थी। कुरान के कुछ अंशों को कंठस्थ कराया जाता था किन्तु 30वें अध्याय के इबादत और फातिहा का अध्ययन अनिवार्य था। प्राथमिक शिक्षा के दौरान उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। लिपि का ज्ञान होने के बाद फारसी का व्याकरण याद करना होता था। बालक को ''आदमनामा'' जिसमें फारसी की क्रियाओं के रूपों का संग्रह है, पढ़ाया जाता था। नैतिक शिक्षा के लिए 'गुलिस्ता' एवं 'बोस्तां' का अध्ययन, कराया जाता था। पैगम्बरों एवं मुस्लिम फकीरों की कहानियों के लिए युसुफ जुलेखा, लैलामजनू, सिकन्दर नामा आदि प्रमुख पुस्तकें पढ़ाई जाती थी।

प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के उपरांत उसकी उच्च शिक्षा प्रारम्भ होती थी जो मदरसों में दी जाती थी। मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी के 'दरश' शब्द से हुई है जिसका अर्थ भाषण देना होता है। मदरसों का संचालन, शिक्षा की व्यवस्था तथा निरीक्षण किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में रहता था। इसमें शिक्षण कार्य हेतु सुयोग्य अध्यापकों को अधिक वेतन देकर दूर से भी बुलाया जाता था। जबकि राज्य द्वारा भी कुछ मदरसे संचालित होते थे जिनमें अध्यापकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी और वेतन भी वही देती थी। मदरसों की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया है धार्मिक और लौकिक। मुगलकालीन शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया क्योंकि इसके माध्यम से इस्लाम का प्रचार करना भी इनका उद्देश्य था। संक्षेप में कहा जाये तो कुरान का अध्ययन प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य था। लौकिक पाठ्यक्रम में अरबी साहित्य, व्याकरण, इतिहास, भूगोल, नीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, कानून आदि विषयों को आवश्यकता और अपनी रूचि के अनुसार विद्यार्थी स्वयं चुनता था।

मदरसों में शिक्षा का माध्यम अरबी था। किन्तु कुछ सम्राट इस्लाम के अधिक प्रचार–प्रसार के लिये तथा लोगों में इसके प्रति लगाव उत्पन्न करने के लिए मातृभाषा को ही माध्यम माना था। जैसा कि मदरसा शब्द से ही इसकी शिक्षण विधि स्पष्ट है अर्थात् शिक्षक केवल व्याख्यान देते थे। किन्तु व्याख्यान की प्रभावी बनाने के लिए उसे रूचिकर रूप में प्रस्तुत करते थे और साथ ही विषय–वस्तु को और अधिक गहराई से जानने के लिए बालक में जिज्ञासा उत्पन्न कराना इनका उद्देश्य रहता था। कभी–कभी कक्षानायकीय विधि भी प्रयुक्त की जाती थी, जिससे अध्यापकों की अनुपस्थिति में भी शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल सके। व्यवहारिक शिक्षण विधि का स्वरूप संगीत, चिकित्सा तथा हस्तकला के शिक्षण में दिखाई देता है। इस प्रकार यदि देखा जाये तो रटन्त विधि के विपरीत प्रयोगात्मक शिक्षण विधि का आरम्भ इसी मुगल कालीन शिक्षा के दौरान हो गया।

4.4 : मध्य काल के शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श

जैसा कि इकाई के प्रारम्भ में बताया जा चुका है कि मुगलों ने भारत पर आक्रमण करके अपना साम्राज्य स्थापित किया और अपने अनुरूप शिक्षा प्रणाली लागू की। इससे साफ स्पष्ट होता है कि उनके इस कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य रहा होगा। और उसे आदर्श स्वरूप स्थापित करने के लिए अपने अनुसार परिवर्तन भी किया होगा। मोहम्मद तुगलक, अकबर, शाहजहाँ जैसे अनेक शिक्षा प्रेमी मुगल शासकों ने अपने शासन काल में शिक्षा को प्रोत्साहित किया और उसके मुगल कालीन (मध्य कालीन) शिक्षा के उद्देश्यों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया –

1. धर्म का प्रचार करना

इस्लामी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार–प्रसार करना था, जिससे अधिक से अधिक लोग इस्लाम से जुड़े, उसे समझें और धर्म परायण बन सकें। धर्म प्रचार को वे पुण्य (सवाब) का कार्य मानते थे और इस कार्य को करने वाले को 'गाजी' की संज्ञा दी जाती थी। मकतब और मदरसे किसी मस्जिद से सम्बद्ध होते थे जहां धर्म का कार्य होता था और प्रारम्भ से ही बालक को उनके पवित्र धार्मिक ग्रन्थ कुरान का अध्ययन कराया जाता था।

2. विशेष नैतिकता का प्रचार

मुगलकालीन शिक्षा का एक उद्देश्य विशेष नैतिकता को बढ़ावा देना भी था। उस समय हिन्दू और मुसलमानों की नैतिकता में भी अंतर था, इस्लाम में किसी भी गरीब की सहायता करनें के लिए जकात का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत वह जरूरतमन्दों की सहायता करते हैं जबकि हिन्दुओं में ऐसा नहीं है। वे प्रत्येक मुसलमान को समृद्ध देखना चाहते थे। उनके यहां धर्म स्थल या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी व्यक्ति न तो छोटा होता है और न ही बड़ा होता है। बल्कि सभी बराबर होते हैं।

3. सांसारिक वैभव की प्राप्ति

मुगल कालीन शिक्षा का एक उद्देश्य सांसारिक वैभव को प्राप्त करना भी था, जिसके लिए कोई भी मार्ग चुनना गलत नहीं था। वे जानते थे कि संसार के सभी सुखों को धन से प्राप्त किया जा सकता है। धन, ज्ञान से प्राप्त होगा और ज्ञान, शिक्षा से प्राप्त होगा। इसलिए वे मानते थे कि यदि दुनिया में स्वर्ग का आनन्द लेना है तो शिक्षित बनना पड़ेगा। इसी क्रम में अनेकों हिन्दुओं ने धन ग्रहण करके या जागीर ग्रहण करके इस्लाम को स्वीकार कर लिया और उनका जीवन सुखमय हो गया।

4. इस्लामी कानूनों, सिद्धान्तों एवं प्रथाओं का प्रचार करना

मुगल शासकों ने अपनी प्रजा को इस्लामी कानूनों, सिद्धांतो और प्रथाओं से जुड़े रहने के लिए शिक्षा के उद्देश्य में इसे शामिल किया। यदि किसी हिन्दू को ये धर्म, सिद्धांत, प्रथा आदि अच्छी लगेगी तो उसका झुकाव स्वतः इस धर्म की ओर होने लगेगा और वह इस्लाम धर्म आसानी से स्वीकार कर लेगा। इस्लाम के शासक तो यही चाहते ही थे कि किसी भी प्रकार से इन्हे इस्लाम स्वीकार कराया जाय।

5. पवित्रता के भाव उत्पन्न करना

लोगों में पवित्रता के भाव उत्पन्न करना इस्लामिक शिक्षा का उद्देश्य था। वे लोगों में यह भावना उत्पन्न करना चाहते थे कि इस्लाम एक पवित्र धर्म है। यदि लोगों में यह विश्वास जगेगा तो हमारे धर्म का प्रचार–प्रसार करना और भी आसान हो जायेगा। ऐसी स्थिति में इस्लाम, अन्य धर्मों की तुलना में आदर्श स्थापित कर सकेगा। हजरत मुहम्मद साहब का कहना था, "माँ–बाप द्वारा बच्चों को दी गयी समस्त वस्तुओं एवं उपहारों में उदार शिक्षा की भेंट ही सर्वोत्तम है।" अतः शिक्षण संस्थाओं को बनवाना उतना ही पवित्र समझा जाता था जितना कि मस्जिदों का निर्माण करवाना। मुहम्मद साहब ने यह भी उपदेश दिया कि, "दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है।

6. राजनैतिक उद्देश्य

इस्लामी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मुस्लिम शासन को मजबूत बनाना भी है। क्योंकि वे जानते थे कि यदि हिन्दू हमारे विरोध में एकजुट हो जायेगा तो हमें शासन करना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए वे समाज में अपने वर्चश्व को बनाए रखने के लिए शिक्षा के उद्देश्य को थोड़ा लचीला बनाने का प्रयास करते थे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये कुछ भी कर सकते थे यहां तक कि उन्होंने अपनों को ही मौत के घाट उतार दिया था।

4.5 : मध्य काल की शिक्षा व्यवस्था

1. शिक्षा का आरम्भ

इस्लामी शिक्षा का आरम्भ विस्मिल्लाह रस्म(संस्कार) के द्वारा माना जाता था। जो बालकों के 4 वर्ष 4 माह

और 4 दिन की आयु पर किया जाता था, इसका वर्णन पीछे किया जा चुका है। प्राथमिक शिक्षा मकतबों में प्रदान की जाती थे और ये मकतब मस्जिदों से जुड़े होते हैं। अर्थात् प्रारम्भ से ही धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसे ईश्वर की पूजा करने की विधि से ही शिक्षा प्रारम्भ करायी जाती थी, और इस शिक्षा को प्रदान करने वालें शिक्षक को मौलवी कहा जाता था जो एक प्रकार से धर्मगुरू ही होता था।

2. पाठ्यक्रम

मुगल काल में शिक्षा दो स्तरों में बंटी हुई थी प्राथमिक और उच्च शिक्षा। प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों का पाठ्यक्रम थोड़ा भिन्न था। प्राथमिक शिक्षा में कुरान की आयतों को पढ़ना उनका सही–सही उच्चारण करना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। बालक को पढ़ने लिखने के साथ–साथ अंकगणितीय ज्ञान, व्याकरण और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। जबकि उच्च शिक्षा में कुरान के ज्ञान के साथ–साथ कानून, परम्पराओं तथा सिद्धांतों का ज्ञान आवश्यक था। इस धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त व्याकरण, कृषि, गणित, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि की भी शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था।

3. शिक्षण विधि

मकतबों में तो रटन्त विधि पर जोर दिया जाता था किन्तु मदरसों में मौखिक विधि के साथ–साथ कक्षानायकीय विधि, तर्क विधि, कुछ विषयों हेतु व्यावहारिक विधि का प्रयोग किया जाता था। छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया जाता था। शिक्षक का कार्य उन्हें प्रेरित करके पढ़ाई के लिए उन्मुख करना, और उनकी पढ़ाई के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का आसान सा समाधान करना था। सब मिलाकर व्याख्यान विधि या मौखिक विधि अधिक श्रेयष्कर थी।

4. विद्यालय

मुगल कालीन शिक्षण विधि में विद्यालय का स्थान महत्वपूर्ण था क्योंकि वह मस्जिदों से सम्बद्ध रहता था। अर्थात् मस्जिद में नमाज पढ़ना जितना महत्वपूर्ण था उससे कम महत्वपूर्ण कार्य शिक्षण का नहीं था। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मकतब और उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मदरसों की स्थापना हुई थी। जिसके शिक्षक किसी भी दशा में धार्मिक गुरू से कम नहीं होते थे। मकतब में सभी के बच्चे पढ़ सकते थे किन्तु खानकाह और दरगाहों में केवल मुस्लिम विद्यार्थी ही अध्ययन कर सकते थे। कुछ व्यक्तिगत शिक्षक अपने घरों पर भी शिक्षा प्रदान करते थे। अरबी और फारसी भी पढ़ाने के लिए अलग से विद्यालय हुआ करते थे।

5. हस्तकला की शिक्षा

मुगलकाल के शासकों की एक विशेषता रही है कि वे ऐश्वर्य और भोग–विलासिता का जीवन विताना ज्यादा पसन्द करते थे, इसके लिए हस्तकला अति आवश्यक थी। इसलिए मुगल काल में हस्तकला शिक्षा लगभग अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इसके अन्तर्गत कशीदाकारी, जरी, लकड़ी, रेशम, जूते, पर्दे, हाथी के दांत का काम, आभूषण आदि बनाना मुख्य कलाएं थी। इन हस्तकलाओं की शिक्षा कारखानों में दी जाती थी जिसे बालक प्रयोगात्मक कार्य द्वारा सीखता था। इस काल में कारखानों का उल्लेख भी मिलता है। अकबर के समय में सब कारखाने ''दिवाने–बुयतात'' नामक सरकारी विभाग के अधीन थे। इस सम्बन्ध में एस०एम० जाफर ने लिखा है कि, ''भारत में हजारों कारखाने थे, जिनमें लड़कों को विशिष्ट कलाओं और दस्तकारियों में शिक्षा–प्राप्त करने के लिए किसी व्यवसाय के शिल्पकार का शिष्य बना दिया जाता था।

6. परीक्षा एवं उपाधियाँ

मुगल काल में आज की भांति कोई निश्चित परीक्षा प्रणाली नही थी। शिक्षक अपने छात्रों का स्वयं मूल्यांकन करता था और यदि वह समझता तो ही उसे अगली कक्षा के लिए प्रोन्नत करता था अन्यथा वह उसी कक्षा में और पढ़ाई करता था।

सामान्यतया पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों को कोई उपाधि नहीं दी जाती थी किन्तु विषयों में विशेष योग्यता रखने वाले छात्रों को विशेष शब्दों से सम्बोधित किया जाता था वही उसकी उपाधि बन जाती थी। साहित्य के क्षेत्र में विशेष स्थान रखने वाले छात्रों को 'काबिल' की, धर्मशास्त्र के छात्रों को 'आलिम' की तथा तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता रखने वाले छात्रों को 'फाजिल' की उपाधि से अलंकृत किया जाता था।

4.6 : मध्य काल की शिक्षा की विशेषताएँ

मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था भारत में लगभग 600 वर्षों तक रही जो अनेक मुगल शासकों के व्यक्तित्व से प्रभावित होने के बाद भी अपनी पहचान नये–नये कलेवर के साथ हमारे सम्मुख आयी जिसकी कुछ अपनी स्वयं की विशेषताएं है जो निम्नलिखित हैं–

1. व्यावहारिक शिक्षा

मुगल काल में शिक्षा को आध्यात्मिकता से जोड़ा अवश्य गया किन्तु लोक–परलोक के वाह्य आडम्बरों से मुक्त थी। इस समय शिक्षा के व्यावहारिक पक्ष को अधिक महत्व दिया जिसके परिणाम स्वरूप समाज में विभिन्न प्रकार के कौशल युक्त कार्यों का उद्भव हुआ। कशीदाकारी, जरी, लकड़ी एवं हाथी दांत के कार्य, दरी, पर्दा, जूता, रेशम, मलमल एवं आभूषण आदि की शिक्षा सैद्धांतिक रूप में प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं था इसको तो मात्र व्यवहारिक विधि द्वारा ही प्रदान किया जा सकता था। इसलिए इस युग की यह पहली और महत्वपूर्ण विशेषता थी।

2. निःशुल्क शिक्षा

इस काल में प्राथमिक और उच्च स्तर की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती थी अर्थात् विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। इन संस्थाओं का सम्पूर्ण व्ययभार इन संस्थाओं के संचालकों और प्रशासकों या समाज के अन्य धनी व्यक्तियों के द्वारा वहन किया जाता था। मदरसों में रहना, खाना, भोजन, वस्त्र आदि की निःशुल्क सुविधा थी। इस सम्बन्ध में इब्न बतूता ने एक मदरसे के बारे में लिखा है कि, 'यह अति विशाल और भव्य मदरसा है। इसमें छात्रों के रहने के लिए 300 कमरें है और छात्रों को दैनिक भोजन और सालाना कपड़ों का खर्च दिया जाता है।

3. व्यक्तिगत सम्पर्क

प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्यति की भांति इस काल में भी गुरू और शिष्य का व्यक्तिगत सम्बन्ध अच्छा था। शिक्षक अपने छात्रों के साथ निवास करता था जिससे विद्यार्थी अपने शिक्षकों के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके विचारों और आदर्शों का अनुशरण करते थे जो उनकी प्रतिभा और विद्वता को और निखारता था। टी०एन० सिक्वेरा के अनुसार, 'शिक्षा को व्यक्तिगत प्रक्रिया माना जाता था। शिक्षकों को अपने छात्रों के साथ रहना पड़ता था।'

4. गुरू–शिष्य सम्बन्ध

शिक्षक अपने छात्रों से स्नेहपूर्ण और पुत्रवत व्यवहार करते थे। शिक्षक प्रत्येक मोड़ पर अपने विद्यार्थियों का मार्ग–दर्शन करते थे। उसमें चरित्र का निर्माण, अच्छी आदतों का निर्माण उसके अध्यापक ही करते थे। बदले में शिष्य भी उन्हें आदर करते थे, सम्मान की दृष्टि से देखते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनकी सेवा आदि करते थे। यद्यपि केवल एक शासक औरंगजेब ने भरी सभा में गुरू का अपमान किया था। क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा था। उसने अपने बड़े भाई की हत्या करके अपने पिता को बंदीगृह में डालकर स्वयं ही अनैतिक और अनाधिकृत रूप से गद्दी पर बैठ गया था।

5. शिक्षा का संरक्षण

मुगल काल के राजाओं ने शिक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए मकतब एवं मदरसों की स्थापना की और विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि वे सभी अपनी शिक्षा व्यवस्था को राजकीय संरक्षण देते थे और यह कार्य बिना शिक्षा के प्रति प्रेम के सम्भव नहीं था। इस काल में विद्वानों, कवियों या अन्य साहित्यकारों को या तो राजकीय संरक्षण प्राप्त था या वे अमीरों के यहां अच्छे पदों पर रहते थे। दोनों ही दशाओं में उनको अच्छा सम्मान प्राप्त था। इसका तात्पर्य है कि वे शिक्षा का और शिक्षा पाने वालों का सम्मान करते थे।

6. शिक्षा की अनिवार्यता

मुगल काल में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा को अनिवार्य तीन कारणों से माना जाता था। पहला कुरान शरीफ का प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान हो जायेगा, दूसरा मुसलमानों द्वारा मुहम्मद साहब के इस कथन में विश्वास करना कि – 'जो छात्र ज्ञान की खोज करता है उसे ईश्वर स्वर्ग में ऊँचा स्थान देते हैं तथा तीसरा, इस्लाम में

कहा गया है कि, ''जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, वह धार्मिक कार्य करता है, जो ज्ञान की बात करता है वह ईश्वर की प्रशंसा करता है और जो ज्ञान की खोज करता है वह ईश्वर की उपासना करता है।'' इस प्रकार से धार्मिक पृष्ठिभूमि के कारण इस्लाम में शिक्षा को अनिवार्य माना गया था।

7. सांस्कृतिक एकता

प्रारम्भ में मुगल काल में मकतब और मदरसों में केवल मुसलमानों को शिक्षा दी जाती थी किन्तु उनकी सांस्कृतिक एकता और उदारता के कारण हिन्दुओं को भी उसमें शिक्षा का हक मिल गया और समाज में रहने वाले सभी जाति, धर्म, सम्प्रदाय के लोग एक साथ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने लगे थे। इसके परिणाम स्वरूप जो वैदिक काल में जातिगत विवाद था वह समाप्त हो गया।

8. साहित्य और इतिहास का विकास

मुगल काल या मध्यकाल में साहित्य और इतिहास का विकास दृष्टि गोचर होता है। राजाओं या अमीरों के यहां संरक्षण प्राप्त विद्वानों ने यह पुनीत कार्य किया। ये विद्वान आर्थिक समस्या से दूर होने के कारण पूरे लगन व ध्यान से इस प्रकार के कार्यों को अंजाम दिया भारत में क्रमबद्ध लेखन का कार्य इसी काल में प्रारम्भ हुआ क्योंकि इसके पूर्व की ऐतिहासिक घटनाओं का व्यवस्थित वर्णन बहुत कम मिलता है। मुगलकाल में इतिहासकारों को राजा का संरक्षण होने से ही इन इतिहासकारों में जियाउद्दीन बर्नी का 'तारीखे फिरोजशाही', अबुल फजल का 'अकबरनामा' बदायूँनी का 'मुन्तखब–उत–तवारीख' आदि इतिहास के अद्वितीय और प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं।

9. पुरस्कार एवं छात्रवृत्तियाँ

मुगल काल में यदि कोई विद्यार्थी प्रतिभा सम्पन्न एवं कुशाग्र बुद्धि वाला होता था तो सरकार द्वारा उसे छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती थी और ये छात्रवृत्तियां राजकोष या अमीर लोग अपने पास से देते थे। कभी–कभी अच्छे कार्य पर प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार भी दिया जाता था जिससे वह आगे इससे भी अच्छा कार्य कर सके। छात्र, छात्रवृत्ति पाकर निर्वाधारूप से शिक्षा ग्रहण कर सके इसलिये यह प्रथा थी।

4.7 : मध्य काल की शिक्षा के दोष

मुस्लिम कालीन शिक्षा में अनेक गुणों की उपस्थिति के बाद भी कुछ दोष दृष्टिगत होते हैं। क्योंकि प्रत्येक घटना के दो पक्ष धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। इसलिए इसमें कुछ दोष थे जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है–

1. शिक्षा में आध्यात्मिकता का अभाव

यद्यपि इस काल में भी धार्मिक शिक्षा का वर्चस्व रहा किन्तु वैदिक काल की भांति धर्म के नाम पर वाह्य आडम्बर और अंधविश्वास नहीं था। इसमें भी आध्यात्मिक शिक्षा पर बल दिया गया परन्तु यह शिक्षा परलोक एवं पुनर्जन्म से दूर थी यह वास्तविकता पर आधारित थी, ईश्वर की भक्ति तक ही सीमित थी। अतः आध्यात्मिक पक्ष के उन्नयन के अभाव के कारण यह शिक्षा ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी।

2. दोशयुक्त पाठ्यक्रम

मुगलकालीन शिक्षा व्यवस्था विभिन्न विषयों में सामाहित थी परन्तु वैज्ञानिकता का अभाव था। पाठ्यक्रम केवल लोक लुभावन थे इसकी सहायता से आध्यात्म के चरम तक पुहंचना असम्भव था। पाठ्यक्रम में अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं को स्थान नहीं दिया गया था। भाषा साहित्य एवं इतिहास को प्रमुखता दी गयी जबकि वैज्ञानिक विषयों की उपेक्षा की गयी थी।

3. स्त्री शिक्षा की उपेक्षा

मुगलकालीन शिक्षा का सबसे बड़ा दोष स्त्री शिक्षा की उपेक्षा करना था। मुगल काल में स्त्रियों को केवल भोग और विलास की वस्तु समझा जाता था इससे अधिक कुछ भी नहीं। इस काल में पर्दा प्रथा के कारण महिलाएं समाज में अपनी स्वेच्छा से न तो कोई कार्य कर सकती थी और न ही कहीं अपनी मर्जी से जा सकती थीं। केवल राज घरानों और अमीरों के घरों की लड़कियों को शिक्षा की व्यवस्था स्वयं के घर पर ही कर दी जाती थी। जनसाधारण के महिलाओं के शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी।

4. शिक्षा में अस्थिरता

मुगल काल में यह दोष होना स्वाभाविक था इसका कारण था राजाओं का बदलना। एक राजा अपनी सोंच के अनुसार शिक्षा प्रणाली लागू करता था कुछ दिन बाद उसे कोई दूसरा राजा युद्ध में पराजित करके स्वयं राजा बन जाता अथवा उसका कोई सहयोगी ही उसे मौत के घाट उतार देता, और स्वयं राजगद्दी पर आसीन हो जाता था। दोनों ही परिस्थितयों में राजा जल्दी–जल्दी बदल जाते थे और वे अपनी समझ–बूझ के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन कर देते थे। इस प्रकार कोई भी शिक्षा व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पाती थी।

5. छात्रों की विलासिता

प्राचीन काल की भांति मध्यकाल में छात्रों को कठोर नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन नहीं करना पड़ता था। मुगलकाल में छात्रों के लिए छात्रावासों में भोग–विलास के मार्ग खुले हुए थे। सुख के साधन और सौन्दर्य प्रसाधन की सुविधाएं उपलब्ध थी। अल्पायु में ही वे इस जीवन के इतने आदी हो जाते थे कि जीवन का मुख्य लक्ष्य यही सब हो जाता था शेष अन्य चीजे गौण हो जाती थी। परिणाम यह निकला कि ये अच्छी शिक्षा से वंचित हो गये। इनकी सोच भी संकुचित होती गयी और ये शिक्षा के महत्व से धीरे–धीरे दूर होते गये।

4.8 : शिक्षा की प्रासंगिकता

मध्य काल की शिक्षा की प्रासंगिकता जैसा की आप सभी को पता है की मुगलकालीन शिक्षा में धार्मिक शिक्षा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। धर्म के बिना किसी भी समाज का उत्थान संभव नहीं है। मुगलकालीन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना किसी भी देशकाल स्थिति में धर्म की आवश्यकता होती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जितनी आवश्यक है धर्म भी उतना ही आवश्यक है। किन्तु धर्म के अंतर्गत अंधविश्वास और वह आडंबर को स्थान नहीं मिलना चाहिए। धर्म से ही मानव में मानवता का सृजन होता है। इसलिए धर्म समाज के लिए देश के लिए अति आवश्यक है। आज की शिक्षा व्यवस्था के लिए ज्ञान विज्ञान चिकित्सा प्रौद्योगिकी कौशल शिक्षा जितनी आवश्यक है, धर्म भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में धार्मिक शिक्षा को भी पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए तभी समाज का कल्याण संभव है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्न के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों से कीजिए।

1– विरिम्ल्लाह रस्म किस आयु में होती है ?

....

2– मध्य काल में शिक्षण संस्थाओं को क्या कहा जाता था ?

....

3– मध्य कालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए।

....

4– मध्य काल की शिक्षा की प्रमुख दोष बताइए।

....

....

4.9 : सारांश

भारत की धन–धान्य सम्पदा को देखकर मुगलों ने इस पर आक्रमण करके यहां के धन को लूट किया और कालांतर में यहां के शासक बन गये। अपनी शासन सत्ता को और बलवती बनाने के लिए उन्होंने अपनी नयी शिक्षा पद्यति को लागू किया जो यहां के पहले की शिक्षा पद्यति से कुछ भिन्न थी। इस काल की शिक्षा धर्म से परिपूर्ण थी। प्राथमिक शिक्षा केन्द्र मकतब और उच्च शिक्षा केन्द्र मदरसा थे जो मस्जिदों से जुड़े हुए होते थे। इस शिक्षा में पहले जहां छात्रों के लिए कठोर नियम थे वही इस काल में उन्हें भोग विलास की सामग्रियों से जोड़ दिया गया। इस काल में अनेक सामाजिक कलाओं एवं कौशलों का विकास हुआ। लोगों के मनोरंजन के साधनों में वृद्धि हुई इस कारण से इस शिक्षा में लोग आध्यात्म से दूर होकर अपने जीवन को भोग–विलास के दलदल में डूबो दिये। हां कुछ साहित्य और इतिहास लेखन का कार्य इस काल में अवश्य हुआ।

4.10 : अभ्यास के प्रश्न

1. विस्मिल्लाह संस्कार का वर्णन कीजिए।
2. मध्यकालीन शिक्षा की व्यवस्था की विवेचना कीजिए।
3. मध्यकालीन शिक्षा के गुण और दोष को बताइए।
4. मध्यकालीन शिक्षा में स्त्रियों की दशा पर प्रकाश डालिए।
5. मध्यकालीन शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए।

4.11 : चर्चा के बिन्दु

1. मध्य काल की शिक्षा प्रणाली का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए।

4.12 : बोध प्रश्नों के उत्तर

1. विस्मिल्लाह रस्म 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु में होती है।
2. मध्य काल में प्राथमिक स्तर की शिक्षण संस्था को मकतब और उच्च शिक्षा स्तर की शिक्षण संस्थाओं को मदरसा कहा जाता था।
3. व्यावहारिक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, व्यक्तिगत सम्पर्क, गुरू–शिष्य सम्बन्ध, शिक्षा का संरक्षण, शिक्षा की अनिवार्यता, सांस्कृतिक एकता, साहित्य और इतिहास का विकास, पुरस्कार एवं छात्रवृत्तियां आदि मुगल कालीन शिक्षा की विशेषताएं थी।
4. शिक्षा में आध्यात्मिकता का अभाव, दोषयुक्त पाठ्यक्रम, स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा, शिक्षा में अस्थिरता, छात्रों का विलासिता पूर्ण जीवन आदि मुगल कालीन शिक्षा के प्रमुख दोष थे।

4.13 : कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. गुप्ता, एस०पी० एवं गुप्ता अलका (2016), 'आधुनिक भारती शिक्षा की समस्याएं', इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन।
2. त्यागी, गुरूसरनदास (2012), 'भारत में शिक्षा का विकास', आगराः अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
3. सारस्वत, मालती एवं मदन मोहन (2000), 'भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं', इलाहाबादः कैलाश प्रकाशन।

खण्ड – 02
ब्रिटिश कालीन शिक्षा

खण्ड परिचय

इस खण्ड के अन्तर्गत अग्रेजों के भारत आगमन के समय 1502 ई0 में ब्रिटिश युग का प्रारम्भ माना जाता है। भारत में पुर्तगालियों के आगमन के उपरान्त 1510 ई0 में अल फ्रांसों डी – अलबुड ने गोवा पर अधिकार कर लिया। यहीं से सभी यूरोपीय देश भारत में धर्म, व्यापार व अग्रेजी शिक्षा के प्रचार हेतु भारत की ओर प्रभावित हो गये। प्रस्तुत खण्ड दो को चार इकाईयों में वर्गीकृत कर ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया गया है।

इकाई–5 : ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक वर्षों में शिक्षा

प्रस्तुत इकाई में ब्रिटिश शासन में प्रारम्भिक वर्षों में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी तथा उसका भारतीय जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। इस इकाई के अन्तर्गत मिशनरियों द्वारा शिक्षा में प्रसार, चार्ल्स ग्रान्ट की शिक्षा व्यवस्था, 1813 चार्टर अधिनियम, मैकाले मिनट, चार्ल्स वुड डिस्पैच, भारतीय शिक्षा आयोग के सुझाव एवं संस्तुतियों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

इकाई–6 : बीसवीं सदी के प्रारम्भ में शिक्षा

इस इकाई के अन्तर्गत बीसवीं सदी के प्रारम्भ में शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत शिमला सम्मेल, रैले आयोग, शिक्षा नीति 1904, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, शिक्षा नीति–1913 सैडलर आयोग द्वैध शासन में शिक्षा, हर्टांग समिति, एक्ट वुड रिर्पोट, बेसिक शिक्षा खेर समिति, सार्जेण्ट योजना की सुंस्तुतियों एवं गुण–दोष का विवेचन किया गया है।

इकाई–7 : ब्रिटिश कालीन भारत के प्रमुख आयोग

इस इकाई के अन्तर्गत ब्रिटिश कालीन भारत के प्रमुख आयोग के अन्तर्गत बुड का आदेश पत्र, हण्टर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, रैले आयोग इत्यादि के सझावों एवं गुण दोष का विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

इकाई–8 : ब्रिटिश शिक्षा की विशेषताएँ एवं कमियाँ

प्रस्तुत इकाई में ब्रिटिश शिक्षा की विशेषताओं के अन्तर्गत शिक्षा के उद्देश्य, शैक्षिक ढ़ाचा, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, परीक्षा व्यवस्था, अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था एवं तकनीकी बुनियादी शिक्षा, महिला शिक्षा, गुरू शिष्य से सम्बन्धित विशेषताओं की चर्चा के साथ ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था की कमियों के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना की गयी है।

इकाई–05 : ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक वर्षों में शिक्षा

इकाई की संरचना

5.1 प्रस्तावना

5.2 इकाई के उद्देश्य

5.3 मिशनरियों द्वारा शिक्षा का प्रसार

5.3.1 विभिन्न देशों के मिशनरियों का योगदान

5.4 चार्ल्स ग्रांट और शिक्षा

5.4.1 इसाई धर्म प्रचार पर रोक और मिशनरियों में असंतोष

5.4.2 शिक्षा के प्रसार की योजना

5.4.3 चार्ल्स ग्रांट की मान्यताएं

5.4.4 चार्ल्स ग्रांट का प्रभाव

5.5 सीरामपुर त्रिमूर्ति : इसाई धर्म प्रचार और विवाद

5.5.1 कलकत्ता में प्रवेश निषेध

5.5.2 धार्मिक प्रकाशन और विरोध

5.5.3 धार्मिक तटस्थता की नीति

5.6 1813 का चार्टर अधिनियम ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शैक्षिक नीति में परिवर्तन का महत्व

5.6.1 संसद का हस्तक्षेप

5.6.2 शिक्षा हेतु राज्य का उत्तरदायित्व

5.6.3 कार्यान्वयन में विलम्ब

5.6.4 पाश्चात्य शिक्षा का प्रारम्भ

5.6.5 सहयोग के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता

5.7 प्राच्य–पाश्चात्य शिक्षा का विवाद

5.8 मैकाले मिनट और अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार

5.9 अधोमुखी निस्यन्दन सिद्धान्त (डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी)

5.10 मार्च, 1935 का आदेश पत्र

5.11 एडम की रिपोर्ट : शिक्षा व्यवस्था पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण

5.12 लॉर्ड ऑकलैंड की शैक्षिक नीति

5.13 चार्ल्स वुड डिस्पैच (1854)

5.14 लॉर्ड स्टेनली का 1859 का प्रेषण

5.15 भारतीय शिक्षा पर हंटर आयोग (1882)

5.16 लॉर्ड हार्डिग की घोषणा (1884)

5.17 सारांश

5.18 अभ्यास के प्रश्न

5.19 चर्चा के बिन्दु

5.20 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.21 कुछ उपयोगी पुस्तक

5.1 : प्रस्तावना

1498 में वास्को द गामा द्वारा (Cape of Good Hope) की तरफ से भारत आने का मार्ग खोजने के बाद, 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करके अत्यधिक धन अर्जन किया। पुर्तगालियों की सफलता को देखते हुए, यूरोपीय देशों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस ने भी भारत में व्यापारिक गतिविधियों को प्रारम्भ कर दिया। समय अन्तराल के साथ उनके अन्दर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा अत्यधिक बढ़ गई और 18वीं शताब्दी तक अंग्रेजों ने पुर्तगालियों, डचों और फ्रांसीसियों को पराजित कर भारत में आधिपत्य स्थापित करते हुए व्यापार और राजनीतकि जगत में पूर्णतया प्रवेश कर लिया।

(क) ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन और शासन

1601 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, जिसका प्राथमिक लक्ष्य धन के अर्जन से था, न कि शासन करने से। परिस्थितियों ने समय के साथ उन्हें शासक बना दिया। कई प्रकार की विषम चुनौतियों का सामना करते हुए, जैसे कि भाषा अवरोध (भारतीय अंग्रेजी नहीं समझते थे और अंग्रेज हिंदी/स्थानीय भाषाएं नहीं समझ पाते थे), कंपनी ने अपने कार्यों को सरल बनाने के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयोग किया। भारतीयों को अंग्रेजी भाषा उन्होंने इसलिए सिखाया जिससे वे भारतीयों से बेहतर ढंग से संवाद कर सकें और उन पर शासन कर सकें।

भारत आगमन के समय अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। लेकिन उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया में उन्होंने एक ऐसी शिक्षा नीति अपनाई जिसका लक्ष्य सांस्कृतिक विजय प्राप्त करना और देश को राजनीतिक रूप से गुलाम बनाना था।

(ख) अंग्रेजों की हुकूमत से पहले भारत में दो प्रकार की शिक्षा प्रणालियां प्रचलन में थीं।

(1) हिंदू शिक्षा प्रणाली: हिंदुओं में शिक्षा का स्तर सीमित था और केवल ब्राह्मणों को ही धार्मिक ग्रंथों या अन्य ज्ञान का अध्ययन के साथ उसकी व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त था। वे संस्कृत भाषा के माध्यम से टोल, विद्यालय और पाठशाला जैसे विशेष मदरसों में अध्ययन करते थे। इन स्थानों पर धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त वहाँ पर मुख्य रूप से पढ़ना, लिखना और गणित की प्राथमिक जानकारी दी जाती थी। इन पाठशालाओं में बहुतायत व्यापारियों के बेटों का ही नामांकन होता था। महिलाओं, "निचली जातियों" और किसानों को आसानी से शिक्षा नहीं मिल पाती थी।

(2) मुस्लिम शिक्षा प्रणाली: मुसलमान मदरसे में अध्ययन कर सकता था, जहाँ शिक्षा अरबी भाषा में प्रदान की जाती थी, जो कुरान की भाषा है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी स्कूल थे जहाँ कुरान के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं, फारसी और अन्य विषयों को पढ़ाया जाता था। दोनों ही धार्मिक शिक्षा प्रणालियों में उस समय कई अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे।

1812 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के संबंध में उदासीनता और गैर–हस्तक्षेप की नीति अपनाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि कंपनी स्वयं 1765 के बाद के समय में अपनी सत्ता को मजबूत करने में व्यस्त थी। 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने, तो उनकी पहली प्राथमिकता हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का सद्भाव प्राप्त करने के लिए प्राच्य अध्ययन और शोध को प्रोत्साहित करना था। 1781 में उन्होंने इस उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इस मदरसे में मुस्लिम कानून और अन्य संबंधित विषयों को पढ़ाया जाता था। मदरसे का प्रभाव इतना अधिक था कि निदेशक मंडल ने इसे तुरंत अपने स्थायी नियंत्रण में ले लिया। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन द्वारा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना उसी दिशा में एक प्रयास था। यह कॉलेज हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की अनुमति से स्थापित किया गया था। इन दोनों संस्थानों को कंपनी के न्यायालयों में कानून के प्रशासन में मदद करने के लिए योग्य भारतीयों को शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था।

हेस्टिंग्स ने तीन विद्वानों, सर चार्ल्स विल्किंस, सर विलियम जोन्स और एच.टी. कोलब्रूक को संस्कृत का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1784 में, जोन्स ने एशिया के इतिहास और पुरावस्तुओं, कला, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन और जांच करने के लिए Asiatic Society of Bengal की स्थापना की। 1794 में उन्होंने मनुस्मृति का अनुवाद किया। 1797–98 में कोलब्रुक ने अनुबंधों और उत्तराधिकार पर हिंदू कानून का सार चार खंडों में तैयार किया। विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, ब्रिटिश प्रशासकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज के पाठ्यक्रम में प्राच्य अध्ययन को शामिल किया गया था। साथ ही भारतीय पंडितों और प्राच्य विद्या के विशेषज्ञों को भी अध्यापन के लिए नियुक्त किया गया था। यह अध्याय उन पहलुओं का विश्लेषण करता है जो अंग्रेजों ने शिक्षा और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में शुरू की थीं।

5.2 : इकाई के उद्‌देश्य

इस इकाई को पढ़ने के उपरान्त आप इस योग्य हो जाएंगे

1. चार्ल्स ग्रांट की शिक्षा नीति को समझ सकेंगे।
2. चार्टर अधिनियम एक्ट के उद्देश्य से भली भांति परिचित हो सकेंगे।
3. पाश्चात्य शिक्षा के संबंध में तर्क कर सकेंगे।
4. मैकाले के विवरण पत्र के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
5. अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत को स्पष्ट कर सकेंगे।
6. ऑकलैंड की शैक्षिक नीति की विवेचना कर सकेंगे।
7. वुड डिस्पैच के शिक्षा में योगदान पर चर्चा कर सकेंगे।
8. हंटर आयोग के संबंध में जानकारी से अवगत हो सकेंगे।

5.3 : मिशनरियों द्वारा शिक्षा का प्रसार

यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन के पश्चात 18वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार के साथ–साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका मुख्य उद्देश्य लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना था, लेकिन उन्होंने शिक्षा को एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया। भारतीयों से जुड़ने और उन्हें अपने धर्म, विचारों और सिद्धांतों से अवगत कराने के लिए, उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया। इसके लिए उन्होंने धर्म प्रचार और पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण, ईसाई मिशनरियों को आधुनिक भारतीय शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है।

5.3.1 विभिन्न देशों के मिशनरियों का योगदान

- **डच मिशनरी** चिनसुरा, नागापट्टम और विमलीपट्टम में विद्यालय स्थापित किए।
- **डेन मिशनरी** तंजावुर, सीरामपुर, त्रिची और फोर्ट सेंट डेविड में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी।
- **फ्रांसीसी मिशनरी** यनम, कालीकट, पांडिचेरी और चंदननगर में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी।
- **पुर्तगाली मिशनरी** गोवा, दमन, दीव, बेसिन, कोचीन और हुगली में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की।
- **ब्रिटिश मिशनरी** कलकत्ता, मद्रास, मुंबई और बंगाल के अनेक स्थानों में स्कूल स्थापित किए।

इन मिशनरियों द्वारा गठित शिक्षा संस्थाओं ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पाठ्यक्रम में पाश्चात्य विज्ञान, गणित और अंग्रेजी भाषा जैसे विषयों को सम्मिलित किया। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से भारतीय अनभिज्ञ थें। मिशनरियों की शिक्षा व्यवस्था में धार्मिक प्रचार भी सम्मिलित

था। मिशनरियों के योगदान ने निश्चित रूप से भारत में शिक्षा के स्तर को प्रगति प्रदान की थी और आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली को आकार प्रदान करने में महती भूमिका का निर्वहन किया था।

ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 से पहले मिशनरी गतिविधियों के अनुकूल थी। लेकिन बाद में इसने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए धर्मांतरण के सभी प्रयासों का विरोध किया। कंपनी और मिशनरियों के बीच मतभेद 1813 तक चलता रहा, जब तक कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण किया गया। अठारहवीं शताब्दी के अंत में कई मिशनरी समूहों ने कंपनी से भारत में ईसाई धर्म और अंग्रेजी शिक्षा प्रारम्भ करने की सिफारिश की। इस सन्दर्भ में चार्ल्स ग्रांट, विलियम विलबरफोर्स, हेनरी थॉर्नटन और एडमंड पैरी ने प्रयास किया लेकिन कंपनी ने उनके प्रयासों को हतोत्साहित किया।

1783 में संसद के एक अधिनियम द्वारा बिना लाइसेंस के मिशनरियों के भारत में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। 1793 में इस प्रस्ताव को और मजबूत किया गया। विशेष रूप से परोपकारी व्यक्ति विलबरफोर्स के मिशनरियों के प्रयासों को 1793 के कंपनी चार्टर में एक खंड जोड़ने के लिए असफलता मिली, ताकि मिशनरियों को "स्कूल–मास्टर, मिशनरी या अन्यथा" के रूप में सेवा करने की अनुमति मिल सके। कंपनी के निदेशक मंडल में भिन्न विचार रखने वाले समूह के सदस्यों को विरोध का सामना करना पड़ा तथा यह तर्क दिया गया था "कि हिंदुओं के पास अधिकांश लोगों के समान ही धर्म और नैतिकता की अच्छी प्रणाली थी और उन्हें धर्मांतरण का प्रयास करना या उन्हें उनके पास पहले से मौजूद ज्ञान से अधिक ज्ञान या किसी अन्य प्रकार का ज्ञान देना मूर्खता होगी। इसके परिणामस्वरूप, विलबरफोर्स के प्रस्ताव को ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्न के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों से कीजिए।

1. बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की ?

....

2. बिना लाइसेंस के मिशनरियों के भारत में आने पर प्रतिबंध हेतु अधिनियम किस सन् में पारित हुआ ?

....

5.4 : चार्ल्स ग्रांट और शिक्षा

5.4.1 (क) इसाई धर्म प्रचार पर रोक और मिशनरियों में असंतोष

ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मिशनरियों के धर्म प्रचार कार्य पर रोक लगाने से असंतुष्ट होकर, मिशनरियों ने इंग्लैंड में आंदोलन शुरू कर दिया। चार्ल्स ग्रांट, जो एक पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी और बाद में ब्रिटिश संसद सदस्य और कंपनी के अध्यक्ष बने, इस आंदोलन में प्रमुख थे। चार्ल्स ग्रांट ने 1792 में भारत के लिए भाषा और शिक्षा पर पहला औपचारिक स्वरूप तैयार किया। यह "एशियाटिक सबजेक्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, पार्टिकुलरी विद रिस्पेक्ट टू मोरल्सः एंड द मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग इट" नामक एक पुस्तक था। ग्रांट ने इस पुस्तक में अंग्रेजी भाषा, शिक्षा और ईसाई धर्म के पक्ष में तर्क दिया था। उन्होंने मुगलों के उदाहरण के आधार पर कहा कि मुगलों ने पहले अपनी भाषा अपने प्रजाजनों पर थोप दी थी। वह चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की एक पश्चिमी प्रणाली के रूप में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुझाव दिया कि शासकों और शासितों के बीच आसान संवाद के लिए अंग्रेजी को सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया जाए। ग्रांट के अवलोकन 1792 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए थे और ओरिएंटल शिक्षा के पक्ष में कंपनी की नीति के विरुद्ध राय का आधार प्रदान करते थे। ग्रांट ने साम्राज्यवादी शिक्षा के सभी पहलुओं, धार्मिक–सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और राजनीतिक इसमें सम्मिलित किया था।

5.4.2 (क) शिक्षा के प्रसार की योजना

1792 में, ग्रांट ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की। इसमें उन्होंने अज्ञानता दूर करने के लिए पांच सूत्रीय योजना प्रस्तुत की थी, जो निम्नवत वर्णित है–

1. भारत में विद्यालयों की स्थापना
2. अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा
3. अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा
4. पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रसार
5. ईसाई धर्म का प्रचार

5.4.3 (क) चार्ल्स ग्रांट की मान्यताएं

- चार्ल्स ग्रांट का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की सोच को बदल देगी और वे ईसाई धर्म अपना कर उसका अनुसरण करने लगेंगे।
- उन्होंने सरकारी संरक्षण को योजना की सफलता के लिए इसे आवश्यक माना था।

5.4.4 (क) चार्ल्स ग्रांट का प्रभाव

- ग्रांट को "भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता" माना जाता है।
- ग्रांट के विचारों से रॉबर्ट विलबरफोर्स प्रभावित हुए, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर में मिशनरियों को भेजने का प्रावधान जोड़ने का प्रयास किया।
- जबकि, कंपनी के विरोध के कारण यह प्रयास असफल रहा।
- 1813 में ग्रांट को मिशनरियों को भारत आने की अनुमति देने वाली धारा को चार्टर में शामिल करने में सफलता मिली।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्न के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों से कीजिए।

3. चार्ल्स ग्रांट के द्वारा प्रतिपादित पाँच सूत्रीय योजना को लिखिए।

....

....

सरकार के माध्यम से जिस कार्य को करने में ग्रांट करने में विफल रहे, उसे भारत में ईसाई मिशनरियों, विशेष रूप से विलियम कैरी, विलियम वार्ड और जोशुआ मार्शमैन, ने अपने निजी प्रयासों के माध्यम से पूरा किया। इन्हें सीरामपुर त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है ।

5.5.1 (क) कलकत्ता में प्रवेश निषेध

वे कलकत्ता में धर्म प्रचार करना चाहते थे, लेकिन गवर्नर जनरल ने उन्हें "विध्वंसकारी" और "शांति–व्यवस्था के लिए खतरा" बताकर प्रवेश देने से मना कर दिया था। विवशतावश, त्रिमूर्ति को डेनमार्क–नियंत्रित सीरामपुर में शरण लेनी पड़ी।

5.5.2 (ख) धार्मिक प्रकाशन और विरोध

उन्होंने सीरामपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया और 1808 में "हिंदुओं और मुसलमानों के लिए संबोधन" (Addresses to Hindus and Muslims) नामक एक पुस्तक प्रकाशित भी किया और उसको वितरित भी कराया था। इस पुस्तक में, उन्होंने धर्म को अज्ञान, अंधविश्वास और मिथ्या से भरा बताया और मुहम्मद को पैगंबर माना। उन्होंने पश्चिमी शैली के कई स्कूल भी खोले। हिंदुओं और मुसलमानों ने उनके कार्यों का कड़ा विरोध किया।

5.5.3 (ग) धार्मिक तटस्थता की नीति

क्रोध को शांत करने के लिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने इन तीनों पादरियों को गिरफ्तार कर लिया और मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार पर रोक लगा दी। यह माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एहसास हुआ कि धर्म प्रचार उसकी राजनीतिक और व्यापारिक हितों के लिए हानिकारक है। इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाना शुरू कर दिया था।

5.6 : 1813 का चार्ट अधिनियम ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शक्षिक नीति में परिवर्तन का महत्व

5.6.1 संसद का हस्तक्षेप

1813 में कंपनी के चार्टर के नवीनीकरण के समय ईसाई मिशनरियों को सफलता मिली। अब उन्हें अपने पसंद के आधार परे धर्म प्रचार और शैक्षणिक गतिविधियों को चलाने की अनुमति दे दी गई थी। इस प्रकार, 1813 में इस संबंध में 1783 और 1793 की नीति में बदलाव आया। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 के खंड 43 में प्रावधान किया गया था कि "उपयोगी ज्ञान और धार्मिक और नैतिक सुधार लाने के उद्देश्य से भारत जाने और वहां रहने के इच्छुक व्यक्ति" निदेशक मंडल से अनुमति ले सकते थे। इनकार की स्थिति में मामला अंतिम निपटारे के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भेजा जाता था।

5.6.2 शिक्षा हेतु राज्य का उत्तरदायित्व

1813 का चार्टर अधिनियम भारतीय विषयों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शैक्षिक नीति के संबंध में एक महत्वपूर्ण स्थिति थी। इसके तहत, कंपनी ने पहली बार, शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की जिम्मेदारी स्वीकार की। इस अधिनियम के द्वारा संसद ने भारत के गवर्नर जनरल को यह शक्ति प्रदान कर दी कि "किसी भी अधिशेष (राजस्व) से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक लाख रुपये की राशि साहित्य के पुनरुद्धार, सुधार और प्रोत्साहन के लिए अलग रखी जाएगी और भारतीयों के शिक्षित मूल निवासियों को और ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों में विज्ञान के ज्ञान को शुरू करने और बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाएगा।"

5.6.3 कार्यान्वयन में विलम्ब

इसके लिए संसद द्वारा स्वीकृति मिल गई थी, परन्तु शैक्षणिक गतिविधियों में कमी आई और इसके लिए आवंटित धनराशि खर्च नहीं की गई। 1823 तक कुछ नहीं किया गया, जब लोक शिक्षा की एक सामान्य समिति नियुक्त की गई। समिति ने कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज को पुनर्गठित किया।

5.6.4 पाश्चात्य शिक्षा का प्रारम्भ

1813 के चार्टर अधिनियम के बाद भी शुरुआती दौर में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत नहीं हुई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मुख्य रूप से ब्रिटेन की भारत में राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक जरूरतों से प्रेरित थी। यह मात्र संयोग नहीं था कि 19वीं सदी के मध्य तक, विशेष रूप से लॉर्ड डलहौसी के अधीन, भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई।

5.6.5 सहयोग के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता

अंग्रेजों को अपने विजित प्रदेशों को प्रशासित करने के लिए एक विशाल सरकारी तंत्र का निर्माण करना था। इस विशाल राजनीतिक नियंत्रण तंत्र को चलाने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी और ब्रिटेन से शिक्षित लोगों की यह आपूर्ति प्राप्त करना संभव नहीं था। इसलिए, भारत में प्रशासनिक कार्यों में काम करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा में लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों की

स्थापना आवश्यक हो गई।

5.7 : प्राच्य–पाश्चात्य शिक्षा का विवाद

1813 के चार्टर अधिनियम ने शिक्षा नीति को विस्तृत और अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। इस अधिनियम में शिक्षा के माध्यम या उन्हें स्थापित किए जाने वाले शिक्षण संस्थानों के प्रकार के विषय का कोई उल्लेख नहीं था। इसलिए, वर्षों तक देश में इस बात को लेकर बहस चलती रही कि इस शिक्षा नीति को किस दिशा में ले जाना चाहिए। अंग्रेजों की इस संबंध में दो विचारधाराएँ थीं जो निम्नवत् है–

5.7.1 पाश्चात्यवादी

यह विचारधारा चार्ल्स ग्रांट की सलाह को सही मानती थी और अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी ज्ञान के प्रसार की सिफारिश करती थी। इस विचारधारा में मिशनरी, युवा नागरिक शामिल थे। बाद में लॉर्ड मैकाले के भारत आने और नेतृत्व संभालने के बाद यह विचारधारा और मजबूत हुई। भारत में राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति भी इसके समर्थक थे।

5.7.2 प्राच्यवादी

पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान के प्रसार के कार्यक्रम से सहमत थे, लेकिन साथ ही संस्कृत और अरबी साहित्य को भी प्रोत्साहित करने की पुरजोर सिफारिश करते थे। इन विभिन्न विचारों के कारण 1823–1853 के बीच बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, उत्तर–पश्चिमी प्रांत और पंजाब के प्रेसिडेंसी और प्रांतों में विभिन्न शैक्षणिक प्रयोग हुए। इनका विवेचन निम्नवत् किया जा रहा है–

- **बंगाल**

  बंगाल में संस्कृत और अरबी की किताबों का वृहद पैमाने पर प्रकाशन और अंग्रेजी किताबों का शास्त्रीय भाषाओं में अनुवाद जैसे उपायों के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन मिला।

- **बॉम्बे**

  बॉम्बे में सरकार ने एक साथ संस्कृत, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। बॉम्बे के गवर्नर एल्फिस्टोन ने दिसंबर 1823 के अपने मिनट में कहा था कि इसका उद्देश्य "देशी स्कूलों में शिक्षण के तरीके को सुधारना और स्कूलों की संख्या बढ़ाना" था।

- **मद्रास**

  मद्रास में, गवर्नर मुनरो ने 25 जून, 1822 के अपने मिनट में कहा था कि उनका उद्देश्य "देशी स्कूलों में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की सिफारिश करना नहीं है।" लेकिन बाद में 1826 में उन्होंने प्रत्येक कलेक्टरेट में दो प्रमुख स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव रखा, "एक हिंदुओं के लिए और दूसरा मुसलमानों के लिए।"

- **उत्तर–पश्चिमी प्रांत**

  उत्तर–पश्चिमी प्रांतों में, देशी स्कूलों को बढ़ावा देकर सामूहिक शिक्षा की एक प्रणाली का निर्माण किया गया था।

- **पंजाब**

  अमृतसर के स्कूल में हिंदी, फारसी, अरबी, संस्कृत और गुरुमुखी विभाग स्थापित किए गए थे।

5.8 : मैकाले मिनट और अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार

1829 ई0 में विलियम बेंटिक भारत आए यकीन था कि ब्रिटिश भाषा सशक्तिकरण की कुंजी है। इंग्लैंड में उन्हें जेम्स मिल और कलकत्ता में राम मोहन राय का समर्थन मिला। 1834 में बेंटिक की स्थिति थॉमस बैबिंगटन मैकाले के आगमन से मजबूत हुई, जो गवर्नर–जनरल की परिषद के पहले विधि सदस्य बने थे।

उस समय की ऐसी धारणा थी कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक स्थायी दास बना रहेगा। मैकाले ने खुद एक

स्मारक लिखा था कि "भारत में स्वतंत्र सरकार नहीं हो सकती, लेकिन उसके पास अगली सबसे अच्छी चीज हो सकती है, एक दृढ़ और निष्पक्ष निरंकुशता।"

मैकाले ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए अंग्रेजी शिक्षा की प्रभावकारिता और उसकी शक्ति के बारे में अपने दिमाग में बहुत स्पष्ट थे। लोक शिक्षा की सामान्य समिति के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने भारतीय संस्कृति के स्थान पर पश्चिमी संस्कृति को स्थापित करने की वकालत की और शिक्षा का लक्ष्य ऐसे भारतीयों का एक वर्ग तैयार करना था, जो "रक्त और रंग में भारतीय होंगे लेकिन स्वाद, विचारों में अंग्रेज होंगे।

उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को एक उपयुक्त माध्यम के रूप में अनुशंसित किया; प्राच्य भाषाओं और साहित्य की उपयोगिता पर सवाल उठाया कहा कि इस पर खर्च करना उपयुक्त नही है।

मैकाले : अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर और संस्कृत शिक्षा के आलोचक के रूप में

मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत की कड़ी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि कोई भी प्राच्यविद "इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक भी शेल्फ भारत और अरब के पूरे मूल साहित्य के बराबर था"। उनका मानना था कि संस्कृत की शिक्षा से विद्वानों की ऐसी पीढ़ी पैदा हुई, "जिन्होंने अपनी शिक्षा को बोझ और दाग समझा" क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी और "उन्हें या तो भूखा मरना पड़ता था या जीवन भर जनता के भरोसे जीना पड़ता था"।

स्पष्ट है कि मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को भारतीय समाज में ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाने के उपकरण के रूप में देखते थे। उनके मिनट को 1835 में बेंटिक द्वारा स्वीकृति मिली, जिसने अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता देने और भारतीय भाषाओं और संस्कृत को दरकिनार करने का मार्ग प्रशस्त किया। उनके फैसले के कुछ मुख्य बिंदु निम्नवत् वर्णित है–

- अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान का भारतीयों में प्रसार सरकार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।
- शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी ही होना चाहिए।
- भारतीय शिक्षा प्रणाली के पारंपरिक विषयों को धीरे–धीरे कम महत्व दिया जाना चाहिए और उन पर कोई अतिरिक्त धन खर्च नहीं किया जाना चाहिए।
- प्राच्य ग्रंथों के प्रकाशन पर कोई सरकारी धन खर्च नहीं किया जाना चाहिए।

मैकाले का मिनट अंग्रेजी शिक्षा को भारत में प्राथमिक शिक्षा पद्धति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्न के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों से कीजिए।

4. अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर और संस्कृत का आलोचक किये माना जाता है ?

....

....

5.9 : अधोमुखी निस्यन्दन सिद्धांत (डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी)

ईस्ट इंडिया कंपनी की शिक्षा नीति ने बड़े पैमाने पर आम जनता की शिक्षा की पूरी तरह से अवहेलना की। यह कहना गलत नहीं होगा कि आधुनिक और उच्च शिक्षा संस्थान खोलने पर जोर दिया जाना गलत नहीं था। कम से कम प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए बड़ी संख्या में स्कूलों

और कॉलेजों की आवश्यकता थी। लेकिन उच्च शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ आम जनता की शिक्षा को भी प्राथमिकता देनी चाहिए थी।

जबकि, सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वह शिक्षा पर मामूली राशि ही खर्च करना चाहती थी। शिक्षा पर कम खर्च को सही ठहराने के लिए, अधिकारियों ने " अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत " (डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी) का सहारा लिया। इस सिद्धांत के अनुसार, शिक्षित वर्ग के लोग अपने स्वयं के प्रयासों से ज्ञान को आम जनता तक पहुँचाएंगे। चूंकि आवंटित धन केवल कुछ ही भारतीयों को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त था, इसलिए इसका प्रयोग उच्च तथा मध्यम वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षित करने में करने का फैसला किया गया। इन शिक्षित लोगों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे आम जनता को शिक्षित करने और उनके बीच आधुनिक विचारों को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार शिक्षा और आधुनिक विचारों का ऊपरी वर्गों से नीचे की ओर प्रसार होना था।

इस सिद्धांत का समर्थन मिशनरियों ने भी किया था। उनका मानना था यदि उच्च जातियों के हिंदुओं को शिक्षा के माध्यम से ईसाई बनाया जाता है, तो अन्य निम्न जाति के लोग स्वतः ही उनका अनुसरण करेंगे। मैकाले ने भी इस विचार का समर्थन किया और ऐसे वर्ग की स्थापना की वकालत की जो सरकार और जनता के बीच दुभाषिया का काम कर सके। बाद में इस सिद्धांत को त्यागना पड़ा।

5.10 : मार्च, 1835 का आदेश पत्र

लॉर्ड विलियम बैन्टिक द्वारा मार्च 1835 में जारी किया गया आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा थी। इस आदेश पत्र ने भारत में शिक्षा की दिशा, विषयवस्तु और माध्यम को निर्धारित किया। भारत में पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य का प्रसार इसी आदेश के परिणामस्वरूप हुआ। आदेश पत्र के मुख्य बिंदु को निम्नवत् वर्णित किया गया है

1. ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देने से था। शिक्षा के लिए निर्धारित धन का उपयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने में ही किया जाना चाहिए।
2. जबकि, सरकार की इच्छा किसी भी मौजूदा भारतीय शिक्षण संस्थान को बंद करने का नहीं था।
3. भविष्य में प्राचीन भारतीय ग्रंथों के मुद्रण पर कोई धन खर्च नहीं किया जाएगा।

5.11 : एडम की रिपोर्ट : शिक्षा व्यवस्था पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण

1818 में एक धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए एडम, राजा राममोहन राय के संपर्क में आकर संस्कृत और बंगाली भाषा सीखते हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था में उनकी रुचि ज्यादा थी और वे 1829 और 1834 में बंगाल प्रांत में शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करते हैं।

सर्वेक्षण और रिपोर्टें

गवर्नर जनरल द्वारा ₹1000 प्रति माह के वेतन पर नियुक्त, एडम 1835, 1836 और 1838 में तीन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, बंगाल में 4 करोड़ की आबादी के लिए 1 लाख स्कूल थे, यानी 400 लोगों पर एक स्कूल। आंकड़े अविश्वसनीय लगते हैं, क्योंकि पारिवारिक स्कूल भी शामिल हो सकते हैं।

शिक्षा व्यवस्था पर एडम के विचार

- जनशिक्षा का समर्थन करते हैं और अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का विरोध करते हैं।
- "नीचे से ऊपर" इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली पर बल देते हैं।
- देशी शिक्षा व्यवस्था को उपयोगी मानते हैं और सुधार का सुझाव देते हैं।
- भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक प्रशिक्षण, वेतन वृद्धि, कृषि शिक्षा, मातृभाषा शिक्षा माध्यम और निरीक्षण व्यवस्था की सिफारिश करते हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्न के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों से कीजिए।

5. मार्च 1835 का आदेश पत्र किसने जारी किया ?

....

6. एडम भारत कब और किस कार्य के लिए आए ?

....

7. एडम के दो विचारों को लिखिए।

....

5.12 : लॉर्ड ऑकलैंड की शैक्षिक नीति

लॉर्ड ऑकलैंड ने लॉर्ड बेंटिक के बाद भारत के गवर्नर–जनरल का पद गृहण किया। पूर्वी शिक्षा के समर्थकों ने उन्हें मैकाले की घोषणा का विरोध करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। लॉर्ड ऑकलैंड इस बात से सहमत थे कि प्राच्य शिक्षा पर वित्तीय प्रतिबंध अत्यधिक उपयुक्त नहीं थे। । परिणामस्वरूप, उन्होंने प्राच्यविदों के लिए शिक्षा अनुदान में वृद्धि की, प्राच्य अध्ययनों को प्राथमिकता दी, इन अध्ययनों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि की और प्राच्य ग्रंथों के मुद्रण और प्रकाशन की व्यवस्था की। जबकि, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए एक लाख रुपये से अधिक खर्च करने की भी अनुमति दी। लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल के दौरान, एडम, जिन्हें लॉर्ड बेंटिक ने भारतीय शिक्षा पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया था, ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। यह एक व्यापक दस्तावेज था, जिसमें भारत में पुनर्जागरण लाने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव दिए गए थे।

5.13 : चार्ल्स वुड डिस्पैच, 1854

वुड के डिस्पैच में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई सिफारिशें प्रस्तावित की गई थीं। सिफारिशों के अनुसार, यह घोषित किया गया था कि सरकार की नीति का उद्देश्य पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना है। अपने डिस्पैच में, उन्होंने यूरोप की कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य की शिक्षा पर जोर दिया।

संक्षेप में, यूरोपीय ज्ञान का प्रचार वुड के डिस्पैच का आदर्श वाक्य था। डिस्पैच के अनुसार, उच्च शिक्षा के लिए, शिक्षा का मुख्य माध्यम अंग्रेजी होगा। जबकि, स्थानीय भाषा के महत्व पर भी कम जोर नहीं दिया गया क्योंकि वुड का मानना था कि स्थानीय भाषा के माध्यम से यूरोपीय ज्ञान आम जनता तक पहुँच सकता है। वुड के डिस्पैच में सबसे निचले स्तर पर गाँवों में कई स्थानीय प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव था।

- इसके अलावा, जिला स्तर पर एंग्लो–वर्नाकुलर हाई स्कूल और एक संबद्ध कॉलेज होना चाहिए।
- वुड्स डिस्पैच ने शिक्षा के क्षेत्र में निजी उद्यम को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए अनुदान सहायता की एक प्रणाली की सिफारिश की। अनुदान सहायता इस शर्त पर दी गई थी कि संस्थान योग्य शिक्षकों को नियुक्त करेगा और शिक्षण के उचित मानकों को बनाए रखेगा।
- वुड का 1854 का प्रेषण इसे 'भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्नाकार्टा' के रूप में भी जाना जाता है, यह भारत में सामूहिक शिक्षा की परिकल्पना करने वाली पहली व्यापक योजना थी।इसने सरकार को शिक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित किया और निजी उद्यमों को शिक्षा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सहायता अनुदान का सुझाव दिया।

- गांवों में प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

5.14 : लॉर्ड स्टैनली का 1859 का प्रेषण

लॉर्ड स्टैनली भारत के राज्य सचिव थे। यह पद 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता को क्राउन को हस्तांतरित किए जाने पर बनाया गया था। लॉर्ड स्टैनली वुड के प्रेषण के समर्थक थे। वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि शिक्षा किस सीमा तक विद्रोह के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने एक प्रेषण जारी किया जिसमें उन्होंने उस समय तक उपेक्षित प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अनुदान–सहायता प्रणाली को कोई महत्व नहीं दिया, जो उनकी राय में प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा के लिए जिम्मेदार थी। इसलिए उन्होंने अपने प्रेषण में आग्रह किया कि सरकार स्वयं प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी ले और इसके खर्च के एक हिस्से को पूरा करने के लिए स्थानीय कर लगाए। वह वुड के विचारों और उस समय ग्रेट ब्रिटेन में लागू शिक्षा नीति से प्रभावित थे। उस समय ग्रेट ब्रिटेन में पब्लिक स्कूल सिस्टम स्थानीय करों की मदद से विकसित किया जा रहा था। स्टैनली चाहते थे कि भारत में भी यही नीति अपनाई जाए। उन्होंने शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

स्टैनली के प्रेषण के कारण प्रांतीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा के लिए जिम्मेदार बना दी गईं। 1871 तक शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान प्रांतीय सरकारों को स्वयं शिक्षा पर खर्च करने का अधिकार दिया गया। लॉर्ड लिटन ने इस शक्ति को और बढ़ा दिया। अब प्रांतीय सरकारों को न्यायालयों और सिंचाई विभागों से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने का अधिकार दिया गया। इन विकासों से शिक्षा के स्वरूप में ज्यादा अंतर नहीं पड़ सका क्योंकि यह केंद्र सरकार की शिक्षा नीति द्वारा नियंत्रित होता था जिसके पास 1882 तक यह शक्ति थी।

5.15 : भारतीय शिक्षा पर हंटर आयोग (1882)

हंटर आयोग 3 अप्रैल, 1882 में भारत में शिक्षा की स्थिति की जांच करने और इसके सुधार के लिए सिफारिशें करने के लिए गठित एक आयोग था। इसकी अध्यक्षता विलियम विल्सन हंटर ने की थी और इसमें लॉर्ड डफ़रिन और सर जॉन स्ट्रेची जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। आयोग का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत में शिक्षा की स्थिति की जांच करना और इसके सुधार के लिए उपाय सुझाना था। इसका दूसरा नाम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था। 1883 में प्रकाशित आयोग की रिपोर्ट में भारत में शिक्षा की स्थिति की बहुत आलोचना की गई थी और इसके सुधार के लिए कई सिफारिशें की गई थीं। आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक भारत में उच्च शिक्षा के विकास की देखरेख के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की स्थापना थी। न्ळ८ की स्थापना 1953 में हुई थी और इसने भारत में उच्च शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आयोग ने ब्रिटिश भारत के हर जिले में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना और मानकों को बनाए रखने के लिए परीक्षाओं की एक प्रणाली स्थापित करने की भी सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को लागू किया गया और भारत में माध्यमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ। हंटर आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, और इसकी सिफारिशों ने आज भारत में मौजूद शिक्षा प्रणाली को आकार देने में मदद की।

- इसने स्थानीय भाषाओं के माध्यम से जनशिक्षा में सुधार के लिए अधिक सरकारी प्रयासों की सिफारिश की।
- प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण नए जिला और नगरपालिका बोर्डों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
- प्रेसीडेंसी शहरों के बाहर भी महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- माध्यमिक शिक्षा को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए–
  - ➢ साहित्यिक (प्रवेश परीक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालय की ओर जाता है)
  - ➢ व्यावसायिक (व्यावसायिक नौकरियों के लिए)

5.16 : लॉर्ड हार्डिंग की घोषणा, 1882

तत्कालीन गवर्नर–जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा की कि कंपनी के संगठन में केवल उन्हीं लोगों को सम्मिलित किया जाएगा जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है। परिणामस्वरूप, अंग्रेजी शिक्षा में वृद्धि हुई और शिक्षा आजीविका से जुड़ गई। 1844 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की घोषणा के बाद अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव और मजबूत हो गया। उन्होंने कहा कि केवल आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान से शिक्षित उम्मीदवारों को ही सरकारी नौकरियों में शामिल किया जाएगा। इससे अंग्रेजी का ज्ञान अच्छी नौकरी पाने के लिए जरूरी हो गया।

इस घोषणा के बाद भारत सरकार, खासकर बंगाल में, तेजी से हरकत में आई। 1835 के मैकाले मिनट के आधार पर स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया गया।

- 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई।
- 1836 में मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले हुगली कॉलेज की स्थापना हुई।
- 1835 से पहले 14 स्कूलों और कॉलेजों का प्रभार संभालने वाली लोक शिक्षा समिति 1837 में 48 संस्थानों की देखरेख करने लगी।
- 1842 में लोक शिक्षा की सामान्य समिति को एक अधिक शक्तिशाली निकाय, शिक्षा परिषद द्वारा बदल दिया गया।
- अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव बॉम्बे और मद्रास पर भी पड़ा।
- बॉम्बे में 1835 में एल्फिंस्टोन संस्थान की स्थापना हुई।
- 1840 में बॉम्बे में शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई।
- 1845 में बॉम्बे में ग्रांट मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई।
- अगले वर्ष, एल्फिंस्टोन संस्थान ने विज्ञान की उच्च शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना शुरू किया।
- मद्रास प्रेसीडेंसी में 1837 में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना हुई। कुछ ही वर्षों में कई ईसाई मिशनरी संगठनों ने कई स्कूल स्थापित किए।
- इस बीच, 1847 में रुड़की में भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्न के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों से कीजिए।

8. वुड का घोषणा पत्र किस सन् में बना ?

....

9. हंटर आयोग का गठन कब हुआ ?

....

10. कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई ?

....

5.17 : सारांश

भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश औपनिवेशिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, इसकी प्रगति सीमित रही और भारतीय जनता की प्रगति की दृष्टि से इसका स्वरूप असंतोषजनक रहा। शुरुआत से ही, सरकार ने शहरी उच्च और मध्य वर्ग को शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे जन शिक्षा की उपेक्षा हुई।

एक सदी से अधिक के ब्रिटिश शासन के बाद, 1911 में 94 प्रतिशत और 1931 में 92 प्रतिशत भारतीय जनता अनपढ़ थी। द्वितीय विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर भारत में प्राथमिक स्तर पर नामांकन प्रतिशत 31 प्रतिशत था, जबकि अधिकांश विकसित देशों में यह 100 प्रतिशत था। स्वतंत्रता के समय साक्षरता लगभग 15 प्रतिशत थी। यह औपनिवेशिक काल से भारत को मिली सबसे बड़ी कमियों में से एक थी।

औपनिवेशिक युग में शिक्षा गुणात्मक रूप से भी खराब थी। इसमें मुख्य रूप से साहित्यिक पूर्वाग्रह था। स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण का बहुत कम प्रावधान था, और कॉलेजों में मानविकी में नामांकित छात्रों की संख्या विज्ञान या तकनीकी पाठ्यक्रमों की तुलना में बहुत अधिक थी। योग्य और उच्च प्रशिक्षित भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर बहुत कम थे, क्योंकि सरकार ने सभी विभागों में उच्च पदों पर यूरोपीय लोगों की नियुक्ति की।

भारतीय राष्ट्रवादियों ने शिक्षा पर अपर्याप्त व्यय के लिए सरकार की आलोचना की। शिक्षा पर सरकारी व्यय राष्ट्रीय आय और कुल सरकारी बजट दोनों के संदर्भ में कम था। जबकि कुल राज्य राजस्व का एक तिहाई औसतन सेना पर खर्च किया जाता था, शिक्षा को एक मामूली राशि आवंटित की गई थी। इस छोटी राशि में से, एक असमान राशि उच्च शिक्षा पर खर्च की गई थी। इस इकाई में मिशनरी से लेकर स्वतंत्रता से पूर्व तक में शिक्षा व्यवस्था पर समुचित प्रकाश डाला गया है।

5.18 : अभ्यास के प्रश्न

1. चार्ल्स ग्रांट और उसकी शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए।
2. 1813 के चार्टर अधिनियम का वर्णन कीजिए।
3. मैकाले मिनट का वर्णन कीजिए।
4. अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत की विवेचना कीजिए।
5. लॉर्ड हार्डिंग के घोषणा पत्र का वर्णन कीजिए।

5.19 : चर्चा के बिन्दु

1. अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत पर चर्चा कीजिए।
2. पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा कीजिए।

5.20 : बोध प्रश्नों के उत्तर

1. रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने।
2. 1783 में।
3. पांच सूत्रीय योजना, निम्नवत वर्णित है–
   - भारत में विद्यालयों की स्थापना
   - अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा
   - अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा
   - पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रसार

- ईसाई धर्म का प्रचार

4. मैकाले को
5. लॉर्ड विलियम बैंटिक
6. 1818 ई0 में धर्म के प्रचार के लिए
7. एडम के विचार
   - जनशिक्षा का समर्थन करते हैं और अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का विरोध करते हैं।
   - "नीचे से ऊपर" इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली पर बल देते हैं।
8. 1854
9. 1882
10. 1835 में

5.21 : कुछ उपयोगी पुस्तकें

- **गुप्ता एस0 पी0** : (2004) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
- **त्यागी गुरसरन दास** : (2008/2009) भारतीय शिक्षा का परिदृष्य समस्याएँ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–7
- **पाठक पी0 डी0** : (2010/2011) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2
- **मदान पूनम** : (2016/2017) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2
- **पाठक एवं जौहरी** : (2008/2009) भारतीय शिक्षा का इतिहास, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2
- **लाल, रमन बिहारी** : (2005/2006) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ
- **सारस्वत मालती एवं गौतम एस0 एल0** : भारतीय शिक्षा का विकास, आलोक पब्लिकेशन्स, लखनऊ

इकाई–06 : बीसवीं सदी के प्रारम्भ में शिक्षा

इकाई की संरचना

6.1 प्रस्तावना

6.2 इकाई के उद्देश्य

6.3 शिमला सम्मेलन (1901)

6.4 रैले आयोग (1902)

6.5 शिक्षा नीति–1904 सम्बंधी सरकारी प्रस्ताव

6.5.1 शिक्षा नीति–1904 के सम्बन्ध में सरकारी प्रस्ताव हेतु प्रमुख सुझाव

6.6 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम–1904

6.6.1 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम–1904 के प्रमुख प्रावधान

6.6.2 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का प्रभाव

6.7 शिक्षा पर राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव

6.8 गोखले अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए गोखले का शिक्षा विधेयक

6.9 शिक्षा नीति (1913)

6.9.1 शिक्षा नीति के मुख्य प्रावधान

6.10 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग के प्रमुख सुझाव

6.11 राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन (1920–22)

6.12 द्वैध शासन में शिक्षा (1921–1937)

6.12.1 भारतीय शिक्षा मंत्रियों द्वारा किए गए सकारात्मक कार्य

6.12.2 द्वैध शासन काल में शिक्षा के क्षेत्र की चुनौतियाँ

6.13 हार्टोग समिति (1929)

6.13.1 हार्टोग समिति की रिपोर्ट

6.14 भारत सरकार अधिनियम (1935)

6.14.1 शिक्षा विषय का विभाजन

6.15 एबट–वुड रिपोर्ट (1937)

6.15.1 एबट–वुड रिपोर्ट के मुख्य भाग

6.15.2 एबट वुड रिपोर्ट के महत्वपूर्ण सुझाव

6.16 बेसिक शिक्षा (1935)

6.16.1 वर्धा शिक्षा सम्मेलन (1937)

6.16.2 योजना का कार्यान्वयन

6.16.3 पाठ्यक्रम और समय सारणी

6.17 खेर समिति (1938) की रिपोर्ट

6.17.1 खेर समिति की मुख्य सिफारिशें

6.18 द्वितीय खेर समिति (1940) की रिपोर्ट

16.18.1 द्वितीय खेर समिति (1940) की महत्वपूर्ण सिफारिशें
6.19 सार्जेंट योजना (1944)
6.19.1 सार्जेंट योजना की प्रमुख विशेषताएँ
6.20 सारांश
6.21 अभ्यास के प्रश्न
6.22 चर्चा के बिन्दु
6.23 बोध प्रश्नों के उत्तर
6.24 कुछ उपयोगी पुस्तकें

6.1 प्रस्तावना

19वीं शताब्दी के अंत में, भारत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। कुछ लोगों का मत था कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा, पश्चिमी ज्ञान तक पहुंच प्रदान करती है, जबकि अन्य लोगों का विचार था कि यह भारतीय संस्कृति को नष्ट एवं समाप्त कर रही है। इसी समय सन् 1899 ई0 में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बनकर आए। हालांकि, कर्जन की शिक्षा नीति विवादों के द्वंद्व में घिरी हुई थी। भारतीयों ने इस नीति को राजनीति से प्रेरित बताया और इसका पुरजोर विरोध किया। जनमानस का मानना था कि कर्जन उच्च शिक्षा पर नियंत्रण करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर और निष्क्रिय करना चाहते थे।

6.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई में अध्ययन के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि –

1. शिमला सम्मेलन के सम्बन्ध में अपने विचार अभिव्यक्त कर सकेंगे।
2. शिक्षा पर राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रभाव को बता सकेंगे।
3. सैडलर आयोग की प्रमुख संस्तुतियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
4. बेसिक शिक्षा योजना की विशेषताओं को स्पष्ट कर सकेंगे।
5. सार्जेन्ट योजना के महत्व को समझ सकेंगे।

6.3 शिमला सम्मेलन (1901)

लॉर्ड कर्जन 1899 में भारत के वायसराय बने थे। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए वे प्रयत्नशील थे। इसी उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने सितंबर 1901 में शिमला में शिक्षा सम्मेलन का आयोजन सुनिश्चित किया, इसे शिमला सम्मेलन या शिमला शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जानते है। शिमला शिक्षा सम्मेलन 15 दिनों तक लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में चला इस सम्मेलन में सभी प्रांतों के जन शिक्षा निदेशकों और ईसाई मिशनरियों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया था।

इस सम्मेलन में भारतीय स्कूलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया था जिसके कारण भारतीय बहुत अप्रसन्न थे और उनके अंदर बहुत आक्रोश भी था उन्हें इस बात का भी खेद था की इस सम्मेलन को लॉर्ड कर्जन द्वारा गोपनीय रखा गया। गोपनीयता और भारतीय प्रतिनिधियों को सम्मेलन में आमंत्रित नहीं करने के कारण भारतीयों ने कर्जन और उनकी शिक्षा योजनाओं पर संदेह व्यक्त करना प्रारम्भ कर दिया।

6.4 रैले आयोग (1902)

वायसराय कर्जन का मत था कि उच्च शैक्षिक संस्थान क्रांतिकारी विचारधारा वाले छात्रों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां हैं। लॉर्ड कर्जन ने भारत में संपूर्ण विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आयोग का गठन किया। भारत में विश्वविद्यालयों की शैक्षिक स्थिति की जांच करने तथा शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार के लिए 27 जनवरी 1902 को सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में रैले आयोग का गठन किया। रैले आयोग की सिफारिश

के कारण 1904 में विश्वविद्यालय का अधिनियम बना। आयोग को प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सिफारिश करने से रोक दिया गया था। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा की स्थिति व उसकी प्रणाली में सुधार करने से सम्बन्धित था।

विश्वविद्यालय शिक्षा के उन्नयन एवं विकास के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के सुझाव दिए गए जो निम्नवत् हैं–

- विश्वविद्यालयों को शिक्षण कर्मचारियों सहित स्वयं के कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया।
- विश्वविद्यालय के फेलो की संख्या 50 से 100 के बीच सीमित थी। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालयों के लिए निर्वाचित फेलो की संख्या 20 और अन्य के लिए 15 निर्धारित की गई थी।

गवर्नर–जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएँ निश्चित करने तथा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बीच संबद्धता निश्चित करने का अधिकार दिया गया था। विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने के बाद कॉलेजों की संख्या में कमी आई लेकिन इसके बाद भी छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई।

6.5 शिक्षा नीति 1904 सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव

लॉर्ड कर्जन ने शिमला में आयोजित शिक्षा सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के आधार पर मार्च 1904 में शिक्षा नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव को प्रकाशित किया था । इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारतीय शिक्षा में मौजूद कमियों का विश्लेषण करना और शिक्षा के विभिन्न पक्षों में सुधार के लिए सुझाव देने से सम्बन्धित था।

6.5.1 शिक्षा नीति 1904 के सम्बन्ध में सरकारी प्रस्ताव हेतु प्रमुख सुझाव

प्राथमिक शिक्षा– प्राथमिक शिक्षा का सक्रिय विस्तार करना राज्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

माध्यमिक शिक्षा– माध्यमिक विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा गुणवत्ता पूर्ण व मजबूत हो। इसमें विद्यालयों की आवश्यकता, वित्तीय स्थिरता, प्रबंध समिति, पाठ्यक्रम, शिक्षण, अनुशासन, शिक्षकों की योग्यता और शुल्क आदि बिंदुओं पर अधिक ध्यान आकृष्ट किया गया था।

धार्मिक शिक्षा– धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में प्रस्ताव दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में केवल धर्मनिरपेक्ष शिक्षा ही उपलब्ध कराई जाएगी

उच्च शिक्षा– उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में 1904 की शिक्षा नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव में वे ही सुझाव व सिफारिशें समाहित की गई थी जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 हेतु प्रस्तावित किए गए थे।

6.6 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904)

लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए भारतीय विश्ववि‌द्यालय अधिनियम 1904 में पारित प्रस्तावों को कैसे लागू करना है इस बात पर प्रकाश डाला था।

6.6.1 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के प्रमुख प्रावधान

विश्वविद्यालयों के कार्य क्षेत्र का विस्तार करना –

- विश्वविद्यालयों को परीक्षा आयोजन के साथ ही शिक्षण कार्य कराने का अधिकार दिया गया।
- विश्वविद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति, अनुसंधान, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं के प्रबन्ध के साथ विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए योजनाएं इत्यादि को बनाने का कार्य करेंगे।

सीनेट का गठन –

- सीनेट सदस्यों की संख्या 50 से 100 तक होगी।
- सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होगा।

- सीनेट के कुछ सदस्यों का चयन सीनेट के सदस्यों द्वारा और कुछ सदस्यों का मनोनयन सरकार द्वारा किया जाएगा।

सिंडिकेट का गठन –

- विश्वविद्यालयों के सिंडिकेट को कानूनी मान्यता प्राप्त थी।
- सिंडिकेट में प्रोफेसरों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

सरकारी नियंत्रण –

- सरकार को विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए गए नियमों को मान्यता प्रदान करना तथा उसमें संशोधन देने का अधिकार प्राप्त था।
- सरकार के पास महाविद्यालयों को मान्यता देने के नियम बनाने का भी अधिकार सुरक्षित था।

क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण –

विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाओं को निर्धारित करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था।

6.6.2 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का प्रभाव

अधिनियम को दो वर्गों में विभेदित करते हुए उसका उल्लेख किया गया।

सकारात्मक प्रभाव

- भारतीय विश्वविद्यालय केवल परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाएं तक सीमित नहीं रह गई अपितु कार्य करने की संस्थाएँ भी बनी।
- शिक्षा के स्तर में अधिकाधिक सुधार दृष्टिगोचर होने लगे।

नकारात्मक प्रभाव

- शिक्षा में सरकार की दखलअंदाजी का बढ़ना।
- गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किए गए शिक्षा के प्रयासों को हतोत्साहित किया गया।
- उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट का आना

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्न के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों से कीजिए।

1. शिमला शिक्षा सम्मेलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था ?

   ....

2. रैले आयोग का गठन कब हुआ था ?

   ....

3. भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना ?

   ....

शिक्षा पर राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव

1857 के प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन से ही भारतवासियों में स्वतंत्रता की भावना जागृत हो गई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और स्वतंत्रता पाने के लिए सरकार से संघर्ष शुरू हो गया । ब्रिटिश शिक्षा नीति से अधिकांश भारतीय असंतुष्ट थे। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया, जिसके कारण भारतीयों में असंतोष और बढ़ गया। 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय और आक्रोशित हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने जन मानस के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध और असंतोष पैदा कर दिया। 1905 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू करने का निर्णय लिया।

इस आंदोलन के चार प्रमुख स्तम्भ थे

- स्वराज्य प्राप्ति की भावना
- स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने पर जोर
- विदेशी वस्तुओं का पूर्ण रूपेण बहिष्कार
- राष्ट्रीय शिक्षा की मांग को पूरे जोश के साथ लागू करने पर प्रतिबद्धता।

सीमित संख्या में भारतीयों ने पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की थी बेरोजगारी और अंग्रेजों से खराब स्थिति होने के कारण असंतुष्ट थे। परंपरागत शिक्षित वर्ग भी परंपरागत पाठशालाओं, मदरसों और अन्य शिक्षा संस्थानों के बंद होने से परेशान थे। परंपरावादी बुद्धिजीवी वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। कई देशभक्तों, राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के पाश्चात्यीकरण का पुरजोर विरोध किया।

महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में भारतीय शिक्षा के विदेशी स्वरूप पर प्रहार करते हुए इसमें चार अवगुण बताएः

- अन्यायपूर्ण शासन का होना।
- शिक्षा व्यवस्था का विदेशी संस्कृति पर आधारित होना तथा भारतीय संस्कृति का सर्वथा अभाव का परिलक्षित होना।
- हस्तशिल्प का शिक्षा में अभाव।
- अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का विस्तारीकरण करना।

राष्ट्रीय नेताओं और शिक्षाविदों ने गहन विचार– मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा के लिए कुछ आधारभूत महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए। जो निम्नानुसार वर्णित है–

1. शिक्षा पर भारतीयों का नियन्त्रण

अंग्रेजों द्वारा शिक्षा पर सम्पूर्ण नियंत्रण को अनुचित करार देते हुए, राष्ट्रीय नेताओं ने कहा कि शिक्षा पर भारतीयों का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए अर्थात शिक्षा प्रणाली का संचालन और नियंत्रण भारतीयों के हाथों में होना चाहिए।

2. शिक्षा के आदर्श मूल्य

राष्ट्रीय शिक्षा भारतीय आदर्श मूल्यों– भक्ति, ज्ञान और नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए। इसके अन्तर्गत भारतीयों में आर्थिक और धार्मिक भावनाओं का भी समावेश होना चाहिए।

3. राष्ट्र प्रेम

पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के माध्यम से दी जा रही राष्ट्रभक्ति की शिक्षा को गलत मानते हुए कहा गया कि छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे उनके मन मस्तिष्क में अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम और सम्मान की भावना जागृत हो।

4. शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय चरित्र का विकास

देश के नेताओं एवं विद्वतजन का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय चरित्र का विकास किया जाना चाहिए।

5. शिक्षा में भारतीय भाषाओं पर जोर

भारतीयों ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा में भारतीय भाषाओं के अध्ययन पर जोर दिया जाना चाहिए और अंग्रेजी शिक्षा के महत्व को कम किया जाना चाहिए।

6. व्यावसायिक शिक्षा पर जोर

राष्ट्रीय आन्दोलन ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहित किया तथा, राष्ट्रीय नेताओं ने व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया।

7. पाश्चात्य ज्ञान पर बल

वैज्ञानिक युग के महत्व को समझते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थकों ने राष्ट्रीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों को उचित स्थान देने के पक्षधर थे। राष्ट्रीय आंदोलन के समय छात्रों ने शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया। देशभक्त छात्रों की शिक्षा का उचित प्रबंधन करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अनेक राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई।

6.8 गोखले अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए गोखले का शिक्षा विधेयक

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप शिक्षा के महत्व पर बल दिया जा रहा था। अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग की थी। इस दिशा गोपाल कृष्ण गोखले ने उल्लेखनीय कार्य किया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य रह चुके भी रह चुके थे।

1. गोपाल कृष्ण गोखले के शिक्षा विधेयक का प्रस्ताव

1910 में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए प्रस्ताव रखा।

गोखले विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

- शिक्षा में अनिवार्यता को धीरे–धीरे लागू करने का प्रस्ताव।
- केवल नगरपालिका या जिला परिषदों द्वारा घोषित क्षेत्रों में लागू करने का सुझाव।
- इसके लिए प्रांतीय सरकार की अनुमति आवश्यक।
- प्रारम्भ में केवल लड़कों के लिए तथा बाद में लड़कियों के लिए भी लागू करने का प्रस्ताव।
- आयु सीमा 6 से 10 वर्ष होनी चाहिए।
- सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव।

2. गोखले के विधेयक का विरोध

सरकार ने गोखले के विधेयक का विरोध किया और विरोध के लिए निम्नलिखित तर्क दिएः

- प्रांतीय सरकारें और शिक्षित वर्ग विरोध में था।
- देश अनिवार्य शिक्षा के लिए तैयार नहीं था।
- जनता की मांग नहीं थी।
- प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी।

- स्थानीय संस्थाएं कर लगाने को तैयार नहीं थी।

3. गोखले विधेयक का अस्वीकार होना

सन् 1912 ई0 में गोखले के विधेयक को 38–13 मतों से अस्वीकार कर दिया गया था।

4. गोखले का दृढ़ संकल्प

निराश न होते हुए भी गोखले ने अपने सम्बोधन में कहा कि असफलता से भी राष्ट्र की सेवा की जा सकती है जिसके कारण धीरे–धीरे शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी और परिणामस्वरूप अनेक प्रांतों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया।

6.9 शिक्षा की नीति (1913)

1913 में, भारत सरकार ने शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को सम्मिलित किया गया था। यह प्रस्ताव गोखले के विधेयक को निरस्त करने के बाद पारित किया गया था, जिसने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था।

6.9.1 शिक्षा नीति के मुख्य प्रावधान

1. प्राथमिक शिक्षा के विस्तार से संबंधित प्रावधान

- निम्न प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाय तथा कला, ग्राम मानचित्र, प्राकृतिक अध्ययन और शारीरिक शिक्षा सहित बुनियादी विषयों की शिक्षा प्रदान की जाय।
- आवश्यकतानुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाय तथा निम्न प्राथमिक विद्यालयों को अद्यतन किया जाय।

➢ **स्थानीय संस्थाओं को प्रोत्साहित करना**

व्यक्तिगत सहायता प्राप्त विद्यालयों के स्थान पर स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों को बढ़ावा देना चाहिए।

➢ **मकतबों और पाठशालाओं का समर्थन करना**

इन पारंपरिक शिक्षा केंद्रों को उदार सहायता प्रदान करना।

➢ **निजी विद्यालयों का पर्यवेक्षण**

निजी स्कूलों के निरीक्षण और प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए।

➢ **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम**

- शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण निर्धारित करना तथा एक वर्षीय प्रशिक्षण को अनिवार्य करना।
- प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए अवकाश के दिनों में पुनर्बोधन पाठ्यक्रम आयोजित कराए जाय।

➢ **छात्र–शिक्षक अनुपात**

कक्षा में प्रत्येक शिक्षक के लिए छात्रों की संख्या को 30 से 40 के बीच सीमित करना चाहिए।

2. माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रावधान

➢ **विद्यालयों में सुधार के सम्बन्ध में सुझाव**

- मिडिल और माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति में सुधार करना और उनकी संख्या को बढ़ाना चाहिए।
- विद्यालयों को स्वच्छ, खुले स्थान पर तथा कम खर्चीले भवनों में स्थापित करना चाहिए।

➢ **महिला शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव**

- महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए।
- महिला शिक्षिकाओं और निरीक्षिकाओं की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए।

➢ **राजकीय संस्थाओं के सम्बन्ध में सुझाव**

- माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की पूर्ण भूमिका को समाप्त नहीं करना चाहिए।
- भविष्य में राजकीय संस्थाओं की स्थापना बंद करनी चाहिए।
- मौजूदा राजकीय संस्थाओं को आदर्श संस्था के रूप से संचालित करना चाहिए।
- निजी संस्थाओं को उचित सहायता अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

3. उच्च शिक्षा हेतु प्रावधान

➢ **विश्वविद्यालय शिक्षा के विस्तार से सम्बन्धित सुझाव**

- देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयी शिक्षा का विस्तार करना चाहिए।
- प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रयास होना चाहिए।

➢ **विश्वविद्यालयों और हाई स्कूलों के कार्यों का पृथक्करण सम्बन्धित सुझाव**

- विश्वविद्यालयों और हाई स्कूलों को अलग–अलग कार्य सौंपना चाहिए।
- हाई स्कूलों को मान्यता देने का दायित्व विश्वविद्यालयों से मुक्त करना चाहिए और उन्हें प्रांतीय सरकार के अधीन रखना चाहिए।

➢ **शिक्षण और परीक्षा कार्यों का पृथक्करण से सम्बन्धित सुझाव**

- शिक्षण कार्य और परीक्षा कार्यों को अलग करने पर जोर देना चाहिए।
- शिक्षण विश्वविद्यालयों की स्थापना करना चाहिए।

➢ **पाठ्यक्रम में बदलाव के सम्बन्ध में सुझाव**

- औद्योगिक महत्व के विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए।
- अनुसंधान करने के इच्छुक छात्रों को सुविधाएं प्रदान करना चाहिए।

1913 के शिक्षा नीति प्रस्ताव का उद्देश्य भारतीय शिक्षा में सुधार करके उसे उन्नत बनाना था। प्राथमिक शिक्षा में गैर–सरकारी प्रयासों को प्रोत्साहन, माध्यमिक शिक्षा में सुधार, महिला शिक्षा पर जोर, और प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय खोलने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

6.10 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग के प्रमुख सुझाव

आयोग का मुख्य उद्देश्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना और भारतीय उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देने से सम्बन्धित था। आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव निम्नवत वर्णित हैं –

- शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए।

- प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड स्थापित किए जाने चाहिए।
- बीए पाठ्यक्रम तीन वर्ष का होना चाहिए।
- इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालयों से अलग होनी चाहिए।
- ढाका में एक आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए ।
- विश्वविद्यालयों में विद्या परिषद, प्रतिनिधि अदालत और कार्यकारिणी परिषद जैसी संस्थाएं बनाई जानी चाहिए।
- विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को कम किया जाना चाहिए ।
- शिक्षकों को प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- बी0ए0 में शिक्षा विषय सम्मिलित किया जाए और इंटरमीडिएट स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जानी चाहिए।
- कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्त्री शिक्षा के लिए एक विशेष बोर्ड बनाया जाए और पर्दा स्कूल स्थापित किए जाने चाहिए।

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने भारतीय उच्च शिक्षा के परिदृश्य में एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई। आयोग ने न केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया, बल्कि समग्र भारतीय उच्च शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे।

6.11 राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन (1920–22)

20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक दौर में भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। शिक्षा प्रणाली में भी राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए गए। 1920 से 1922 तक राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन चलता रहा। इस आन्दोलन के मुख्य बिंदु निम्नवत है –

- 1905 में स्वदेशी आंदोलन के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा के लिए आवाज बुलन्द होने लगी।
- बंग–विभाजन और मॉट–फोर्ड सुधारों ने जनता में राष्ट्रीय भावना को जागृत कर दिया।
- 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया।

राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन की मुख्य विशेषताएं

- शिक्षा प्रणाली पर भारतीयों का नियंत्रण एवं आधिपत्य होना चाहिए।
- छात्रों में राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना विकसित की जानी चाहिए।
- भारतीय शिक्षा प्रणाली में भारतीय संस्कृति और मूल्यों को महत्व दिया जाना चाहिए और पश्चिमी शिक्षा से परहेज करना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन के कर्मठ भारतीय नागरिक

- महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष किया ।
- श्रीमती एनी बेसेंट ने राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धांतों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।
- कई राष्ट्रीय नेताओं जैसे गोखले, तिलक, और मदन मोहन मालवीय ने भी राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का जमकर समर्थन किया।

प्रभाव

राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों का गठन : अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना इस समयावधि में हुई ।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन : इस समय शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं, संस्कृति और मूल्यों को अधिक महत्ता प्रदान की जाने लगी।

1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन थोड़े समय के लिए ही चला, लेकिन इसका भारतीय शिक्षा प्रणाली पर स्थायी प्रभाव पड़ा। यह आंदोलन भारतीय शिक्षा को स्वदेशी, आत्मनिर्भर और राष्ट्रीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

6.12 द्वैध शासन में शिक्षा (1921–1937)

पहले विश्व युद्ध के बाद की अशांत राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सन 1919 में भारत सरकार ने अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत में द्वैध शासन की स्थापना की। द्वैध शासन प्रणाली में प्रांतीय विषयों को दो वर्गो में वर्गीकृत किया गया था –

1. आरक्षित विषय।
2. हस्तांतरित विषय।

द्वैध शासन प्रणाली में शिक्षा को एक हस्तांतरित विषय बनाया गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षा का प्रशासन निर्वाचित भारतीय मंत्रियों के हाथों में आ गयी। इस परिवर्तन से शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक पहल की शुरुआत हुई।

6.12.1 भारतीय शिक्षा मंत्रियों द्वारा किए गए सकारात्मक कार्य

- भारतीय शिक्षा मंत्रियों ने शिक्षा का बहुत अधिक प्रसार किया उनके इन्हीं प्रयासों से शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर नामांकन में वृद्धि हुई।
- कुछ राज्यों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए विधेयक भी पारित किए गए।
- कौशल युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए औद्योगिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए भी कई रचनात्मक कार्यक्रम शुरू किए गए थे।
- वयस्क साक्षरता दर को सुधारने एवं बढ़ाने के लिए भी कार्यक्रम संचालित किए गए थे।

6.12.2 द्वैध शासन काल में शिक्षा के क्षेत्र की चुनौतियाँ

द्वैध शासन प्रणाली में शिक्षा के क्षेत्र में कई सकारात्मक कार्य किए गए थे परंतु इसके अतिरिक्त कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था।

- शिक्षा विभाग से संबंधित वित्तीय मामलों पर प्रांतीय गवर्नर का नियंत्रण था। इसी कारण से शिक्षा मंत्री उन्हीं धनराशियों का उपयोग कर पाते थे, जो गवर्नर द्वारा निर्धारित की जाती थीं। द्वैत शासन प्रणाली के दौरान केंद्रीय सरकार ने भी शिक्षा के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद कर दी।
- केंद्र सरकार की उदासीन कार्यप्रणाली के द्वारा शिक्षा के लिए आर्थिक मदद बंद करने से शिक्षा प्रणाली के विकास में अवरोध उत्पन्न हुआ था ।

6.13 हार्टोग समिति (1929)

भूमिका – भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा द्वैत शासन प्रणाली का विरोध और अधिक स्वायत्तता की मांग के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारतीय राजनीतिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया। शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए, साइमन आयोग ने सर फिलिप हार्टोग

की अध्यक्षता में एक सहायक समिति का गठन किया।

6.13.1 हार्टोग समिति की रिपोर्ट

1929 में प्रस्तुत, हार्टोग समिति की रिपोर्ट ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया और सुधार के लिए व्यापक सिफारिशें कीं। रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें निम्नवत् है –

❖ **प्राथमिक शिक्षा के लिए सुझाव**

- गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विस्तार पर रोक लगाना चाहिए।
- प्राथमिक शिक्षा के लिए न्यूनतम 4 वर्ष की अवधि होनी चाहिए।
- प्राथमिक शिक्षा के लिए उदार पाठ्यक्रम को अपनाया जाना चाहिए।
- प्राथमिक शिक्षा में मौसम और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्कूल अवधि और छुट्टिया निश्चित होनी चाहिए।
- प्राथमिक शिक्षा की प्रारंभिक कक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधों को कम करना चाहिए।
- प्राथमिक शिक्षा में अधिक निरीक्षक होने चाहिए ।
- प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य शिक्षा को धीरे–धीरे लागू करना चाहिए ।
- प्राथमिक शिक्षा में अध्यापकों के लिए अच्छे प्रशिक्षण और वेतनमान की व्यवस्था होनी चाहिए।

❖ **माध्यमिक शिक्षा के लिए सुझाव**

- माध्यमिक शिक्षा में औद्योगिक और व्यावसायिक विकल्प लागू होने चाहिए ।
- माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विविधता अधिक होनी चाहिए।
- माध्यमिक शिक्षा में अध्यापक प्रशिक्षण और सेवा शर्तों में सुधार होना चाहिए।

❖ **उच्च शिक्षा के लिए सुझाव**

- उच्च शिक्षा में शिक्षा के लिए कड़े प्रवेश मानदंड अपनाए जाने चाहिए।
- उच्च शिक्षा में बेहतर शिक्षा स्तर, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की व्यवस्था होनी चाहिए।
- उच्च शिक्षा में बेरोजगारी से निपटने के लिए औद्योगिक शिक्षा के अध्ययन पर बल देना चाहिए।
- उच्च शिक्षा हेतु रोजगार कार्यालय स्थापित किए जाने चाहिए ।

हार्टोग समिति की रिपोर्ट ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिपोर्ट की सिफारिशों ने प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने, माध्यमिक शिक्षा में विविधता लाने और उच्च शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्न के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों से कीजिए।

4. राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन (1920–22) के मुख्य बिन्दुओं को लिखिए।

....

5. हार्टोग समिति का गठन कब हुआ ?

....

6.14 भारत सरकार अधिनियम (1935)

1935 में लागू भारत सरकार अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, जिसका परिणाम था कि शिक्षा सहित कई विषयों पर प्रांतीय मंत्रिमंडल निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे।

6.14.1 शिक्षा विषय का विभाजन

अधिनियम के द्वारा शैक्षिक विषय को दो भागों में विभाजित किया गया था।

1. केंद्रीय विषय : इसमें इम्पीरियल पुस्तकालय कलकत्ता, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता, इम्पीरियल युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, रक्षा बलों में शिक्षा, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण, पुरातत्व और केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में शिक्षा सम्मिलित किए गए थे।

2. प्रांतीय विषय : इसमें शिक्षा के सभी अन्य पक्ष सम्मिलित थे, जिन पर प्रांतीय मंत्रिमंडल स्वायत्त रूप से निर्णय ले सकते थे।

प्रांतीय मंत्रिमंडलों की भूमिका

प्रांतीय मंत्रिमंडलों को शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। वे पाठ्यक्रम का निर्धारण, शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूलों और विश्वविद्यालयों की स्थापना, और शिक्षा के लिए धन आवंटित कर सकते थे।

परिवर्तनों का प्रभाव

भारत सरकार अधिनियम (1935) ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सकारात्मक परिवर्तन किए । प्रांतीय मंत्रिमंडलों को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अधिकार देने से शिक्षा के प्रसार और गुणवत्ता में सुधार हुआ। शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को अधिक महत्व दिया जाने लगा जबकि, इस अधिनियम को कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि अधिनियम ने केंद्र सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम शक्ति प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा प्रणाली में असमानताएं बढ़ सकती थीं।

6.15 एबट–वुड रिपोर्ट (1937)

1936 में, भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों के लिए दो ब्रिटिश शिक्षा विशेषज्ञों एबट और एस.एच. वुड को भारत आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने 1937 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे एबट–वुड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है।

6.15.1 एबट–वुड रिपोर्ट के मुख्य भाग

रिपोर्ट को दो भागों में वर्गीकृत किया गया था

1. **सामान्य शिक्षाः** इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा सम्मिलित थी।
2. **व्यावसायिक शिक्षाः** इसमें औद्योगिक और कृषि से सम्बन्धित शिक्षा सम्मिलित थी।

6.15.2 एबट–वुड रिपोर्ट के महत्वपूर्ण सुझाव

1. **सामान्य शिक्षा**

- प्राथमिक शिक्षा की अवधि 4 वर्ष, निम्न माध्यमिक 4 वर्ष, उच्च माध्यमिक 4 वर्ष और स्नातक शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए।
- शिशु कक्षाओं में प्रशिक्षित महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा बच्चों की रुचियों और गतिविधियों पर आधारित होनी चाहिए।
- ग्रामीण माध्यमिक स्कूलों का पाठ्यक्रम बच्चों के वातावरण से अनुकूल होना चाहिए।
- हाई स्कूल स्तर तक मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए।
- ललित कला शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
- प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए पूर्व–सेवा प्रशिक्षण 3 वर्ष का होना चाहिए।

2. **व्यावसायिक शिक्षा और औद्योगिक विकास**

- व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार देश के औद्योगिक विकास से सम्बन्धित होना चाहिए।
- सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा को अलग नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के पूरक के रूप में देखकर इसे बढ़ावा देना चाहिए।
- व्यावसायिक स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले विषयों की शुरुआत सामान्य स्कूलों में ही होनी चाहिए।
- व्यावसायिक शिक्षा को उचित सामान्य शिक्षा पर आधारित होना चाहिए।
- व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को पहले बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिए।
- व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए।
- कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्रों को जूनियर व्यावसायिक स्कूलों में प्रवेश दिया जाना चाहिए।
- उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त छात्रों को सीनियर व्यावसायिक स्कूलों में प्रवेश दिया जाना चाहिए।
- कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्रों के लिए 3 वर्षीय जूनियर व्यावसायिक स्कूल पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए।
- कक्षा 11 उत्तीर्ण छात्रों के लिए सीनियर व्यावसायिक स्कूलों में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए।
- अंशकालिक स्कूल खोले जाने चाहिए जो कामकाजी युवाओं को सतत शिक्षा प्रदान कर सके।
- कुछ हाई स्कूलों में व्यावसायिक विषयों की शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए।
- सरकार को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालय को स्थापित करना चाहिए। इसका मुख्य

उद्देश्य छात्रों को व्यावसायिक अध्ययन के क्षेत्र में कौशलयुक्त शिक्षा प्रदान करना था जो उन्हें रोजगार प्राप्त करने में मदद कर सके।

- ऐसे महाविद्यालयों का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने से सम्बन्धित था।

एबट–वुड रिपोर्ट ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों की सिफारिश की। इसने व्यावसायिक शिक्षा के साथ सामान्य शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की। एबट–वुड रिपोर्ट ने तकनीकी शिक्षा को उद्योगों और कृषि से जोड़ने पर भी बल दिया। जबकि, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रिपोर्ट की सिफारिशों पर पूरी तरह से लागू नहीं हो सका। इसके बाद भी, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में एबट–वुड रिपोर्ट को एक महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। यह रिपोर्ट तकनीकी शिक्षा को सामान्य शिक्षा से अलग नहीं मानता था बल्कि इसे शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना था।

6.16 बेसिक शिक्षा (1935)

1935 में भारत सरकार अधिनियम के लागू होने के बाद, शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता महसूस हुई। महात्मा गांधी ने इसी समय "बेसिक शिक्षा" नामक एक क्रांतिकारी शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी ।

1. गांधी जी के दृष्टिकोण में शिक्षा

गांधी जी का ऐसा मत था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना नहीं, बालकों को सफलता प्राप्त करने के लिए कौशल युक्त शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए इस शिक्षा के द्वारा द्वारा बालकों में कौशल का विकास होता है।

2. बेसिक शिक्षा की विशेषताएं

आत्मनिर्भरता की शिक्षा : इसके अंतर्गत स्कूल के छात्रों एवं अन्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचकर स्कूली शिक्षा की आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए।

हस्तशिल्प केंद्रितः भारत की शिक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा के माध्यम के रूप में हस्तशिल्प जैसे कताई, बुनाई इत्यादि होनी चाहिए।

सर्व–ग्राही विकासः शिक्षा के द्वारा बालकों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाना चाहिए।

मातृभाषा माध्यमः इस व्यवस्था के द्वारा बालकों की शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जाती थी

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षाः इस व्यवस्था में 7 वर्ष तक की शिक्षा सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य होती थी।

शिक्षकों के वेतन का उचित भुगतानः सम्मेलन ने शिक्षकों के वेतन में वृद्धि और बेहतर सेवा शर्तों की मांग की गई थी।

6.16.1 वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937

अक्टूबर 1937 में आयोजित वर्धा शिक्षा सम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन था, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित करने से और एक नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए विचार–विमर्श से संबंधित था। वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत की। सम्मेलन ने इस योजना को स्वीकार करते हुए कुछ महत्वपूर्ण थे सुझाव भी दिए थे ।

वर्धा शिक्षा सम्मेलन के बाद, जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे "वर्धा योजना" या "बेसिक शिक्षा योजना" के नाम से जाना जाता है। इस योजना में 7 साल के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, हस्तशिल्प प्रशिक्षण, और शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करने पर बल दिया गया वर्धा शिक्षा सम्मेलन के बाद, जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसने बेसिक शिक्षा योजना की विस्तृत रूपरेखा तैयार की।

6.16.2 योजना का कार्यान्वयन

कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार कर लिया था, लेकिन 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण इसका कार्यान्वयन प्रभावित हुआ। 1938 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्धा योजना को स्वीकार कर लिया और इसे पूरे देश में लागू करने का का दृढ़ संकल्प लिया।

6.16.3 पाठ्यक्रम और समय सारणी

बेसिक शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम में हस्तशिल्प कला से संबंधित कार्य (कताई, बुनाई, लकड़ी का काम, बागवानी, चर्मशिल्प आदि) के साथ मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, कला, संगीत और हिंदी विषय सम्मिलित थे। बालकों के शिक्षण हेतु निर्धारित 5.5 घंटे की स्कूल अवधि को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया था:

- ❖ शिल्प कला के लिए 3 घंटा 20 मिनट निर्धारित किया गया था।
- ❖ संगीत, कला और गणित विषय के लिए 40 मिनट निर्धारित किया गया था।
- ❖ मातृभाषा के शिक्षण हेतु 40 मिनट निर्धारित किया गया था।
- ❖ सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान विषय के लिए 30 मिनट की कक्षाएँ चलायी जायेगी।
- ❖ शारीरिक शिक्षा के लिए 10 मिनट का समय देने का सुझाव दिया गया था।
- ❖ अल्पावकाश के लिए 10 मिनट निर्धारित किया गया था।

बेसिक शिक्षा योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी थी। फिर भी इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसने शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, जीवनोपयोगी और ग्रामीण आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्न के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों से कीजिए।

6. वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब लागू हुआ ?

....

....

7. बेसिक शिक्षा किसकी देन है ?

....

6.17 खेर समिति (1938) की रिपोर्ट

जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद 1938 में, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने बेसिक शिक्षा योजना पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए श्री बी.जी. खेर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।

6.17.1 खेर समिति की मुख्य सिफारिशें

खेर समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नवत वर्णित है–

1. क्रमिक कार्यान्वयन:

- बेसिक शिक्षा योजना को पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए।

2. लचीलापन

- प्रवेश हेतु आयु 6–14 वर्ष होनी चाहिए परन्तु 5 वर्षीय बालकों को भी प्रवेश दिया जा सकता है।
- 5वीं कक्षा के बाद, बालकों को अन्य स्कूलों में जाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

3. मातृभाषा में शिक्षा

- बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए।
- हिंदुस्तानी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाना चाहिए, जिसे उर्दू और हिंदी दोनों लिपियों में लिखा जा सकता है।

4. व्यावहारिक शिक्षा

- छोटी कक्षाओं में गतिविधि–आधारित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
- बड़ी कक्षाओं में, गतिविधियों को एक केंद्रीय शिल्प से जोड़ा जाना चाहिए जिसके उत्पादों को बेचकर स्कूल का खर्च निकाला जा सके।
- सांस्कृतिक विषयों का शिक्षण अलग से कराया जाना चाहिए।

5. शिक्षकों का सशक्तिकरण

- शिक्षकों के प्रशिक्षण और स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए।
- महिला शिक्षकों को विद्यालयों में किया जाना चाहिए जिससे उनको सशक्त किया जा सके।

6. योजनाबद्ध विकास

- पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षक की उपलब्धि पर ही स्कूल खोले जाने चाहिए।
- पाठ्यक्रम को अनुभव एवं आवश्यकतानुसार ही संशोधित किया जाना चाहिए।

7. अंग्रेजी की स्थिति

- पाठयक्रम में अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय के रूप में रखा जाना चाहिए।

8. धार्मिक शिक्षा

- सरकार धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देगी परन्तु समुदायों को अपनी पसंद के अनुसार धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति प्राप्त होगी।

9. मूल्यांकन कार्य

- बाहरी परीक्षा पर प्रतिबन्ध का सुझाव।
- आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

10. उच्च शिक्षा तक पहुंच

- 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी बच्चों को अन्य विद्यालयों में प्रवेश का अधिकार प्राप्त होगा।

11. पदोन्नति के सम्बन्ध में

- पदोन्नति आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित होगी।

6.18 द्वितीय खेर समिति (1940) की रिपोर्ट

1940 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने बेसिक शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा में इसके समन्वय और कार्यान्वयन से संबंधित प्रकरणों की जांच के लिए श्री बी.जी. खेर की अध्यक्षता में एक और समिति का गठन किया जिसे द्वितीय खैर समिति के नाम से जाना जाता है।

6.18.1 द्वितीय खेर समिति (1940) की महत्वपूर्ण सिफारिशें

1. पूर्व–बेसिक शिक्षा

- नर्सरी और शिशु विद्यालयों में पूर्व–बेसिक शिक्षा प्रदान करना वांछनीय है।
- आर्थिक संसाधनों और प्रशिक्षित महिला शिक्षिकाओं की कमी के कारण इसे अनिवार्य रूप से लागू करना व्यावहारिक नहीं है।
- प्रांतीय सरकारों को आदर्श शिशु विद्यालय और नर्सरी स्कूल स्थापित करने, शिशु विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित महिला शिक्षकों की संख्या को बढ़ाने, अनिवार्य उपस्थिति के लिए न्यूनतम आयु से कम बच्चों को प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करने और स्वैच्छिक संस्थाओं को पूर्व–बेसिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

2. बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम

- 6–14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 8 वर्षीय बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाए जाय।
- बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम दो स्तरों में विभाजित किया जाना चाहिए–
  - ❖ जूनियर बेसिक स्तर 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए।
  - ❖ सीनियर बेसिक स्तर 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए।

3. उच्च प्राथमिक शिक्षा

- बेसिक शिक्षा के निम्न स्तर के बाद, बच्चों को विभिन्न प्रकार की उच्च प्राथमिक शिक्षा में जाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।
- सीनियर बेसिक स्कूलों के अतिरिक्त, अन्य प्रकार के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 11–17 वर्ष आयु वर्ग के बालकों के लिए विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- इन पाठ्यक्रमों को सांस्कृतिक क्रियाकलापों से सम्बन्धित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए रूपरेखा तैयार किया जाना चाहिए जिससे बच्चे उद्योगों, व्यवसायों और विश्वविद्यालय के लिए तैयार हो सकें।
- इन स्कूलों में प्रवेश के लिए, छात्रों को बेसिक स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा।

4. लड़कियों के लिए शिक्षा

- उच्च बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम, जिसमें भोजन पकाना, धुलाई, सिलाई, गृह कला, बच्चों की देखभाल और प्राथमिक चिकित्सा जैसे विषय सम्मिलित होने चाहिए।
- अन्य विषयों को गृह विज्ञान पाठ्यक्रम और बेसिक शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

6.19 सार्जेंट योजना (1944)

सन् 1944 में, जब ब्रिटेन में शिक्षा से संबंधित "बटलर शिक्षा अधिनियम" पारित किया जा रहा था, उसी समय भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने युद्धोत्तर शिक्षा विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार की। इस

योजना को भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट के नाम पर सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है।

6.19.1 सार्जेंट योजना की प्रमुख विशेषताएं

सार्जेंट योजना का लक्ष्य भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को तैयार करने से था जो पूर्ण रूपेण भारतीय हो और वह कम से कम खर्च में निश्चित समय सीमा में शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।

1. निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था

- शिशुशालाओं में नामांकन अनिवार्य नहीं करना चाहिए परन्तु अभिभावकों को इस हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- शिशुओं को सामाजिक अनुभव और शिष्टाचार सिखाना चाहिए।
- केवल प्रशिक्षित महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- इस हेतु अनुमानित वार्षिक व्ययः ₹3.18 करोड निर्धारित किया जाना चाहिए।

2. बेसिक शिक्षा की व्यवस्था

- 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
- 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
- सीनियर बेसिक स्कूलों का उन्नयनएवं संवर्धन करना चाहिए।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण, नियुक्ति और सेवा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए ।
- महिला शिक्षिकाओं की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए ।
- इस हेतु अनुमानित वार्षिक व्ययः ₹200 करोड रुपए निर्धारित किया जाना चाहिए।

3. हाईस्कूल स्तर की शिक्षा व्यवस्था

- 6 वर्ष की अवधि, 11 वर्ष की आयु में प्रवेश।
- चयनित प्रवेश, 5 में से 1 बच्चे को प्रवेश दिया जाना चाहिए ।
- इस स्तर पर दो प्रकार के विषयों– साहित्यिक और तकनीकी का ज्ञान दिया जाना चाहिए ।
- निर्धन छात्रों के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए ।
- अनुमानित वार्षिक व्ययः ₹50 करोड़ निर्धारित होनी चाहिए ।

4. विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था

- वर्तमान शिक्षा प्रणाली अपर्याप्त है ।
- इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम समाप्त, हाईस्कूल में शामिल।
- विश्वविद्यालय प्रवेश कठोर होने चाहिए।
- 3 वर्षीय स्नातक डिग्री लागू किया जाना चाहिए।
- ट्यूटोरियल प्रणाली का विस्तार किया जाना चाहिए ।
- स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

- शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए।
- भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया जाना चाहिए ।
- विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए अनुमानित वार्षिक व्ययः ₹70 लाख रुपए निर्धारित होना चाहिए।

5. तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था

- उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी प्रणाली बनाई जानी चाहिए।
- एबट–युड रिपोर्ट की सिफारिशों पर ध्यान देना चाहिए।
- तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर अनुमानित वार्षिक व्ययः ₹10 करोड़ होना चाहिए।

6. प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था

- निरक्षरता उन्मूलन हेतु 20 वर्षीय आंदोलन प्रारम्भ किया जाना चाहिए ।
- प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योग्य शिक्षकों तथा विशेष रूप से महिलाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए ।
- राज्य द्वारा उत्तरदायित्व, स्वैच्छिक संगठनों से सहायता प्राप्त करनी चाहिए ।
- प्रौढ़ शिक्षा हेतु अनुमानित वार्षिक व्ययः ₹3 करोड़ निर्धारित होना चाहिए ।

7. शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था

- नवीन प्रशिक्षण महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग को स्थापित करके शिक्षकों की बढ़ती मांग को पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए ।
- शिक्षक प्रशिक्षण हेतु योग्य लड़के और लड़कियों का चयन किया जाना चाहिए ।
- व्यावहारिक और स्कूलों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए ।
- प्रशिक्षण विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए तथा निर्धन छात्रों को सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ।
- सभी प्रकार के शिक्षकों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित कराए जाने चाहिए। ।
- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शोध की सुविधा सुलभ कराई जानी चाहिए।
- कुछ उत्कृष्ट शिक्षकों को विदेशों में शैक्षिक विधियों का अध्ययन करने के लिए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अनुमानित वार्षिक व्यय ₹4.5 करोड़ निर्धारित किया जाना चाहिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्न के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों से कीजिए।

8. लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में खैर समिति की एक सिफारिश को लिखिए।

....

9. प्रथम एवं द्वितीय खैर समिति का गठन कब हुआ ?

....

10. सार्जेंट योजना की दो विशेषताओं को लिखिए।

....

6.20 सारांश

20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुए। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया और सरकारी नियंत्रण को बढ़ाने का कार्य किया। 1902 में गठित रैले आयोग ने विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए कई सिफारिशें कीं, जिनमें सीनेट और सिंडिकेट का पुनर्गठन, शिक्षण कार्य का शुभारंभ और छात्रवृत्तियां सम्मिलित थीं। इन सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन ने शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। नेताओं ने भारतीय आदर्शों और भाषाओं पर आधारित शिक्षा की मांग की, जिस पर भारतीयों का नियंत्रण हो। गोपालकृष्ण गोखले ने 1910 और 1911 में प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। 1913 में लागू सरकारी प्रस्ताव में निरक्षरता उन्मूलन और प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देने पर बल दिया गया। 1917 में गठित सैडलर आयोग ने स्नातक पाठ्यक्रम को तीन साल का बनाने, सीनेट और सिंडिकेट के स्थान पर छोटे प्रतिनिधि सभा और कार्यकारी परिषद बनाने तथा प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड स्थापित करने की सिफारिशें कीं। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन ने शिक्षा पर भारतीय नियंत्रण, मातृभाषा शिक्षा और पाश्चात्य नकल का विरोध करने की मांग की। 1929 में गठित, इस समिति ने प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकता घोषित किया और इसका दायित्व सरकार पर सौंपने की सिफारिश की। इसने विश्वविद्यालयों में प्रवेश नियमों को कठोर बनाने का भी सुझाव दिया। 1937 में प्रस्तुत एबट–वुड रिपोर्ट में सामान्य और तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं।

6.21 अभ्यास के प्रश्न

1. शिमला शिक्षा सम्मेलन का वर्णन कीजिए।
2. भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की विवेचना कीजिए।
3. द्वैत शासन का वर्णन कीजिए।
4. हार्टोग समिति की संस्तुतियों को लिखिए।
5. एबट वुड रिपोर्ट 1937 की विवेचना कीजिए।
6. बेसिक शिक्षा का विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए।
7. सार्जेंट योजना का वर्णन कीजिए।

6.22 चर्चा के बिन्दु

1. खैर समिति प्रथम और द्वितीय के द्वारा दिए गए सुझावों पर चर्चा कीजिए।
2. गोखले के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा विधेयक के पक्ष पर चर्चा कीजिए।

6.23 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. 1901 में लॉर्ड कर्जन के अध्यक्षता में चली।
2. 1902 में
3. 1904

4. राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन (1920–22) के मुख्य बिन्दु –

- 1905 में स्वदेशी आंदोलन के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा के लिए आवाज बुलन्द होने लगी।
- बंग–विभाजन और मॉट–फोर्ड सुधारों ने जनता में राष्ट्रीय भावना को जागृत कर दिया।
- 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया।

5. 1929

6. 1937

7. महात्मा गांधी

- 8. उच्च बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम, जिसमें भोजन पकाना, धुलाई, सिलाई, गृह कला, बच्चों की देखभाल और प्राथमिक चिकित्सा जैसे विषय सम्मिलित होने चाहिए।
- अन्य विषयों को गृह विज्ञान पाठ्यक्रम और बेसिक शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

9. 1938 एवं 1940

10. (i) सार्जेंट योजना का लक्ष्य भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को तैयार करने से था जो पूर्ण रूपेण भारतीय हो और वह कम से कम खर्च में निश्चित समय सीमा में शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।

    (ii) निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था।

6.24 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1 **गुप्ता एस0 पी0** : (2004) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याऍं, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद

2 **त्यागी गुरसरन दास** : (2008/2009) भारतीय शिक्षा का परिदृष्य समस्याऍं, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–7

3 **पाठक पी0 डी0** : (2010/2011) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याऍं, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2

4 **मदान पूनम** : (2016/2017) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2

5 **पाठक एवं जौहरी** : (2008/2009) भारतीय शिक्षा का इतिहास, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2

6 **लाल, रमन बिहारी** : (2005/2006) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याऍं, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ

7 **सारस्वत मालती एवं गौतम एस0 एल0** : भारतीय शिक्षा का विकास, आलोक पब्लिकेशन्स, लखनऊ

इकाई–7 : ब्रिटिश कालीन भारत के प्रमुख आयोग

इकाई की संरचना

7.1 प्रस्तावना

7.2 इकाई के उद्देश्य

7.3 वुड का आदेश पत्र

7.4 वुड के आदेश पत्र का उद्देश्य

7.5 वुड के आदेश पत्र में शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सिफारिशें

7.6 वुड के आदेश पत्र में शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रस्तुत योजना

7.7 शिक्षा के माध्यम सम्बन्धी विवाद हेतु डिस्पैच का निष्कर्ष

7.8 वुड के आदेश पत्र के गुण और दोष

7.8.1 वुड के आदेश पत्र के गुण

7.8.2 वुड के आदेश पत्र के दोष

7.9 हंटर आयोग (1882–1883)

7.10 हंटर कमीशन का गठन

7.11 हंटर शिक्षा आयोग के कार्यक्षेत्र का पुनर्लेखन

7.12 हंटर आयोग का प्रतिवेदन

7.13 हंटर शिक्षा आयोग के सुझाव और सिफारिशें

7.14 हंटर आयोग की सिफारिशों का प्रभाव

7.15 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर आयोग 1917)

7.16 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के उद्देश्य

7.17 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन

7.18 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें

7.19 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का मूल्यांकन

7.19.1 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सफलताएं

7.19.2 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की कमियां

7.20 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या रैले आयोग (1902)

7.21 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन

7.22 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का उद्देश्य

7.23 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग द्वारा जांच के प्रमुख मुद्दे

7.24 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का कार्यकाल और प्रतिवेदन

7.25 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के सुझावों का विस्तृत विश्लेषण

7.26 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के सुझावों का प्रभाव

7.26.1 सकारात्मक प्रभाव

7.26.2 नकारात्मक प्रभाव
7.27 सारांश
7.28 अभ्यास के प्रश्न
7.29 चर्चा के बिन्दु
7.30 बोध प्रश्नों के उत्तर
7.31 कुछ उपयोगी पुस्तकें

7.1 प्रस्तावना

ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत के समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। औपनिवेशिक शासन के दौरान, ब्रिटिश सरकार ने भारत की विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने और अपने शासन को सुदृ ढ़ करने के उद्देश्य से अनेक आयोगों का गठन किया। इन आयोगों ने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन किया और व्यापक सुधारों की सिफारिश की।

इन आयोगों में से कुछ ने भारत के आधुनिकीकरण में विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने शिक्षा, रेलवे, प्रशासन आदि जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि, इन आयोगों की सिफारिशों का पूर्णरूप से कार्यान्वयन नहीं हुआ और कई मामलों में, ये सुधार औपनिवेशिक हितों के अनुकूल ही रहे।

इन आयोगों ने अपने–अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं, जिनका प्रभाव ब्रिटिश भारत के विकास पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन आयोगों के कार्यों और निष्कर्षों का विस्तृत अध्ययन भारतीय इतिहास की गहन समझ के लिए आवश्यक है।

इस संदर्भ में, वुड्स डिस्पैच, हंटर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग और सैडलर आयोग विशेष उल्लेखनीय हैं। इन आयोगों ने क्रमशः शिक्षा के विकास और शिक्षा के पुनर्गठन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इन आयोगों के कार्यों और निष्कर्षों का विस्तृत अध्ययन भारत के आधुनिक इतिहास को समझने के लिए आवश्यक है।

7.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप इस योग्य हो जाएंगे की

1. स्वतंत्रता पूर्व गठित आयोगों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
2. ब्रिटिश कालीन भारत के शिक्षा आयोगों की सिफारिशों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
3. स्वतंत्रता पूर्व गठित शिक्षा आयोगों के मध्य अंतः सम्बन्ध स्थापित कर सकेंगे।
4. स्वतंत्रता के पूर्व गठित विभिन्न शिक्षा आयोगों के मध्य अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे।
5. स्वतंत्रता पूर्व गठित विभिन्न आयोगों की शैक्षिक उपयोगिता एवं उनकी प्रासंगिकता को समझ सकेंगे।

7.3 वुड का आदेश पत्र

1833 से 1853 तक की अवधि को भारतीय शिक्षा के इतिहास में "अंग्रेजीकरण काल" के रूप में जाना जाता है। 1835 में, बैटिक की "विज्ञप्ति" ने अंग्रेजी शिक्षा को सरकार की शिक्षा नीति के रूप में स्थापित किया। इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए, "लोक शिक्षा समिति" ने अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों का निर्माण किया। 1833 के "आदेश पत्र" ने भारत के द्वार सभी देशों के मिशनरियों के प्रवेश हेतु खोल दिए, जिसके परिणामस्वरूप भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए मिशन स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना हुई।

1853 में, जब कंपनी का चार्टर फिर से विचार और नवीनीकरण के लिए भारत आया, तब एक स्थायी और व्यापक शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस की गई।

गहन विचार–विमर्श के बाद, समिति ने घोषणा की कि भारत में शिक्षा का प्रसार कंपनी के हितों के लिए हानिकारक नहीं है। उस समय कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष चार्ल्स वुड थे, जिन्होंने 19 जुलाई, 1854 को शिक्षा के संबंध में अपनी घोषणा पत्र प्रकाशित की। इसे वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इन प्रयासों के फलस्वरूप, 1853 तक भारत में अंग्रेजी शिक्षा का वर्चस्व स्थापित हो चुका था।

7.4 वुड के आदेश पत्र का उद्देश्य

1853 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के "चार्टर एक्ट" के नवीनीकरण का समय आ गया था। इस अवसर पर, ब्रिटिश संसद ने यह जरूरी समझा कि भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं के निस्तारण की आवश्यकता है। इस विचार से प्रेरित होकर, संसद ने एक "जांच समिति" नियुक्त की और उसे भारतीय शिक्षा के संबंध में अपनी सिफारिशें देने का निर्देश दिया गया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, कंपनी के निदेशकों ने 19 जुलाई, 1854 को एक आदेश पत्र जारी किया जिसमें उनकी भारतीय शिक्षा नीति का विवरण दिया गया था। उस समय, सर चार्ल्स वुड कंपनी के "बोर्ड ऑफ कंट्रोल" के अध्यक्ष थे। इसलिए, इस आदेश पत्र को "वुड का आदेश पत्र" के नाम से भी जाना जाता है। यह 100 अनुच्छेदों का एक विस्तृत प्रतिवेदन था जो भारतीय शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर विचार से सम्बन्धित था। 1854 में सर चार्ल्स वुड द्वारा तैयार किया गया शिक्षा विभाग का डिस्पैच, जिसे "भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा" भी कहा जाता है, जो मैकाले की भाषा और शिक्षा नीति की समीक्षा भी करता है।

डिस्पैच ने माना कि पूर्वी शिक्षा प्रणाली में गंभीर त्रुटियां थीं और आधुनिक खोजों और सुधारों के संबंध में बहुत कमजोर व पिछड़ी थी। इसने घोषणा की: "हम स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा को देखना चाहते हैं उसका उद्देश्य यूरोप की उन्नत कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का प्रसार करना है संक्षेप में, कह सकते हैं कि वह यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है।"

7.5 वुड के आदेश पत्र में शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सिफारिशें

1. शिक्षा का कर्तव्य एवं दायित्व से सम्बन्धित सुझाव

- आदेश पत्र में स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा का प्रसार करने का कर्तव्य एवं दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी।
- इसे एक पवित्र एवं पुनीत कार्य मानते हुए कहा गया है कि "शिक्षा अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती है और यह हमारे सबसे पवित्र कर्तव्यों में से एक है।"

2. शिक्षा का उद्देश्य से सम्बन्धित सुझाव

भारतीयों की शिक्षा के चार मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए जो निम्नवत् है :

1. मानसिक और चारित्रिक उन्नति से सम्बन्धित।
2. पाश्चात्य ज्ञान से अवगत कराकर भौतिक समृद्धि विकसित करने से सम्बन्धित।
3. राजपदों के लिए योग्य बनाने से सम्बन्धित।
4. देश को समृद्ध बनाने में सहायता प्रदान करने से सम्बन्धित।

3. पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सुझाव

- अरबी, फारसी और संस्कृत को उपयोगी मानते हुए उन्हें पाठ्यक्रम में समाहित किया जाय।
- भारतीयों के लिए यूरोपीय कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य को अधिक उपयोगी बताया गया और उन्हें पाठ्यक्रम में विशेष स्थान प्रदान किया गया, इस सम्बन्ध में निम्न बातें कही गयी—"हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह है यूरोपीय ज्ञान।"

4. शिक्षा के माध्यम से सम्बन्धित सुझाव

- अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान रखने वालों के लिए अंग्रेजी और अन्य के लिए मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया गया।
- "हम अंग्रेजी भाषा और भारत की देशी भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में साथ–साथ देखने की आशा करते हैं।"

5. शिक्षा विभागों की स्थापना के सम्बन्ध में सुझाव

- प्रांतीय बोर्डों और शिक्षा समितियों को भंग करके भारत के पांच प्रांतों में एक–एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश की गई।
- विभाग के संचालन का भार लोक शिक्षा निदेशक पर होगा।
- सहायता के लिए उप–निदेशक, विद्यालय निरीक्षक और सहायक विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति होगी।

6. विश्वविद्यालयों की स्थापना से सम्बन्धित सुझाव

भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्देश दिया गया। इन विश्वविद्यालयों का संगठन लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर आधारित होना चाहिए, जो उस समय केवल एक परीक्षा संस्था थी।

से सम्बन्धित सुझाव से सम्बन्धित सुझाव

7. क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना से सम्बन्धित सुझाव

- पूरे भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की योजना बनाने पर बल दिया गया था।
- इन संस्थाओं का स्वरूप निम्नानुसार निश्चित किया गया था–
  - ❖ विश्वविद्यालय
  - ❖ कॉलेज
  - ❖ हाईस्कूल
  - ❖ मिडिल स्कूल
  - ❖ देशी प्राथमिक विद्यालय

8. जन–शिक्षा का विस्तार से सम्बन्धित सुझाव

- इस अवधारणा में यह स्वीकार किया गया कि कंपनी ने "निस्यन्दन सिद्धान्त" का अनुसरण करके जनसाधारण की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की थी।
- सरकार को प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय करने, प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना करने, देशी विद्यालयों में सुधार करने और मेधावी एवं निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई थी।

9. सहायता अनुदान–प्रणाली से सम्बन्धित सुझाव

- भारत में जन–शिक्षा–कार्य को सफल बनाने के लिए शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए "सहायता अनुदान–प्रणाली" को प्रचलित करने का सुझाव दिया गया था।
- भवन–निर्माण, छात्रवृत्तियों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, अध्यापकों के वेतन आदि के लिए अलग–अलग अनुदान दिए जाने की सिफारिश की गई थी।

"हमने भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया है, जो इस देश (इंग्लैंड) में अत्यधिक सफलता से संपादित की गई है।"

10. अध्यापकों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित सुझाव

- विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया गया था।
- शिक्षा के व्यवसाय को आकर्षक बनाने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण–काल में छात्रवृत्तियां और शिक्षकों को बेहतर वेतन प्रदान करने की सिफारिश की गई थी।

11. व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव

भारत में ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की सिफारिश की गई जहाँ छात्र विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा को सरलता के साथ प्राप्त कर सकें।

12. स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव

- स्त्री शिक्षा को उदारतापूर्वक सहायता अनुदान देकर प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई थी।
- स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए धन देने वालों की सराहना व उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए।

13. मुसलमानों की शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव

- अयोग ने स्वीकार किया कि मुसलमानों की शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई थी।
- कंपनी के अधिकारियों को मुसलमानों की शिक्षा का विस्तार करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया था।

14. प्राच्य साहित्य और देशी भाषाओं को प्रोत्साहन सम्बन्धी सुझाव

- प्राच्य साहित्य और देशी भाषाओं को प्रोत्साहित करने की इच्छा व्यक्त की गई थी ।
- देशी भाषाओं में पुस्तकों की रचना, लेखकों को अच्छा पारिश्रमिक प्रदान करना।
- पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाने की सिफारिश की गई।

15. शिक्षा और रोजगार के अवसर सुलभ कराने से सम्बन्धित सुझाव

- अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया था।
- कंपनी के संचालकों की इच्छा "यदि सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की अन्य योग्यताएं समान हों, तो उस व्यक्ति को वरीयता दी जाए जिसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, भले ही उसने अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा प्राप्त न की हो।" शब्दों में व्यक्त किया गया था।

7.6 वुड के आदेश पत्र में शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रस्तुत योजना

1. शिक्षा का उद्देश्य

- बौद्धिक, चारित्रिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से सम्बन्धित था।

2. शिक्षा का माध्यम

- छोटी कक्षाओं में स्थानीय भाषा के प्रयोग पर बल दिया गया था।
- अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी अनिवार्य रुप से कराने पर बल दिया गया था।

3. शिक्षा का प्रबंधन

- सरकारी संस्थाओं के स्थान पर सहायता अनुदान प्रणाली को बढ़ावा देने से सम्बन्धित योजना बनाना।
- धीरे–धीरे सरकारी शिक्षण संस्थाओं को बंद करना या इसकी जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को देने से सम्बन्धित योजना बनाना।

4. धार्मिक शिक्षा

- सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक होगी अनिवार्य नही।

7.7 शिक्षा के माध्यम सम्बन्धी विवाद हेतु डिस्पैच का निष्कष

(1) उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।

(2) माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषाओं दोनों के माध्यम से दी जानी चाहिए।

(3) आधुनिक भारतीय भाषाओं को समय के साथ उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए माध्यम बनाने के लिए अभिप्रेरित किया जाना चाहिए।

डिस्पैच का उद्देश्य अंग्रेजी को देश की स्थानीय भाषाओं के स्थान पर लागू करने से सम्बन्धित नहीं था और यह सुनिश्चित किया गया था कि जहां भी मांग हो वहां अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए। इस प्रकार, डिस्पैच अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के समर्थकों के बीच मौजूद मूल तनाव को हल करने में विफल रहा। जबकि शास्त्रीय भाषाओं की पारंपरिक भूमिका को मान्यता दी गई थी।

7.8 वुड के आदेश पत्र के गुण और दोष

7.8.1 वुड के आदेश पत्र के गुण

- वुड के आदेश पत्र ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। पत्र में शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय, बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास पर भी जोर दिया गया।
- वुड के आदेश पत्र में प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का सुझाव दिया गया। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर शिक्षा संस्थानों की स्थापना पर अधिक ध्यान देने की बात कही गई थी।
- वुड के आदेश पत्र ने निःशुल्क शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए, सभी नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने की बात पर बल दिया।
- वुड के आदेश पत्र ने भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दिया। इससे स्थानीय भाषाओं और संस्कृतिक भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा।
- वुड के आदेश पत्र ने भारतीय साहित्य को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा। ऐसा करने से छात्रों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने का अवसर प्राप्त होगा।
- वुड के आदेश पत्र में शिक्षा विभागों, प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। ऐसा करने से शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और संगठित किया जा सकता है।
- वुड के आदेश पत्र में व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। ऐसा करने से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
- वुड के आदेश पत्र ने स्त्री शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया। इससे समाज में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा।

- वुड के आदेश पत्र में सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा गया। इससे शिक्षा को अधिक सुलभ और सस्ती बनाने में मदद मिलेगी।

7.8.2 वुड के आदेश पत्र के दोष

1. शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए इसके परिणामस्वरूप सदियों से चली आ रही स्वतंत्र शिक्षा प्रणाली समाप्त हो गई। सरकार ने शिक्षा संस्थानों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया और पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और शिक्षकों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करने लगी।
2. आदेश पत्र ने अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का प्रावधान किया।
3. शिक्षा का उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना निर्धारित कर दिया। शिक्षा केवल भौतिक लाभ प्राप्त करने का साधन बनकर रह गई थी।
4. भारतीय शिक्षा को पूरी तरह से विदेशी बना दिया गया और भारतीयों को उसे अपनाने के लिए मजबूर किया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीयों का अपनी शिक्षा प्रणाली से लगाव व जुड़ाव कम हो गया और वे अपनी सांस्कृतिक पहचान खोने लग थे।
5. अंग्रेजी को उच्च और माध्यमिक शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था । भारतीय विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करना कठिन था, जिसके कारण वे शिक्षा से वंचित होने लगे।
6. आदेश पत्र द्वारा अनुमोदित शिक्षा प्रणाली में परीक्षाओं को अत्यधिक महत्व दिया गया। छात्रों का मुख्य लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति नहीं, बल्कि परीक्षा को उत्तीर्ण करना हो गया था। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से शिक्षार्थियों में रटकर परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रवृत्ति बढ़ी और शिक्षा का स्तर गिर गया।
7. आदेश पत्र ने भारतीय विश्वविद्यालयों को लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर संगठित करने का निर्देश दिया। भारतीय शिक्षा प्रणाली अपनी मौलिकता खोकर पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का अनुकरण करने लगी।
8. अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने से भारतीय छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनके लिए अंग्रेजी के माध्यम से सभी विषयों की गहन समझ प्राप्त करना असंभव था।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्न के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों से कीजिए।

1. वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ ?

....

2. शिक्षा के माध्यम सम्बन्धी विवाद हेतु डिस्पैच के निष्कर्ष को लिखिए।

....

3. वुड के आदेश पत्र के दो गुणों को लिखिए।

....

4. वुड के आदेश पत्र के दो दोषों को लिखिए।

....

7.9 हंटर आयोग (1882–1883)

1854 के वुड के डिस्पैच के बाद भारतीय शिक्षा में व्यापक परिवर्तन परिलक्षित हुए। लोक शिक्षा विभागों की स्थापना, अनुदान प्रणाली और छात्रवृत्तियां जैसी योजनाएं लागू हुईं। 1857 में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हुई। लेकिन 1857 का विद्रोह भारतीय शिक्षा के विकास में बाधक बन गया। 1858 में ब्रिटिश शासन में परिवर्तन हुआ, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया। वुड के डिस्पैच के निर्देशों को अनदेखा किया गया और भारत में शिक्षा का प्रसार नहीं हो सका इस स्थिति से इंग्लैंड और भारत दोनों में असंतोष फैल गया।

7.10 हंटर कमीशन का गठन

साल 1882 में, भारत सरकार ने डब्ल्यू.डब्ल्यू. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद से देश में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए किया गया था। आयोग को गठित करने का एक अन्य कारण इंग्लैंड में मिशनरियों द्वारा चलाया गया प्रचार था। उनका दावा था कि भारत की शिक्षा प्रणाली वुड्स डिस्पैच में निर्धारित नीति के अनुसार नहीं चल रही है।

आयोग को नियुक्त करने वाले प्रस्ताव में अध्यक्ष को निर्देश दिया गया था कि "आयोग की जांच का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत साम्राज्य में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति की जांच करना और इसे विस्तारित और सुधारने के तरीकों का सुझाव देना था।"

आयोग में आठ भारतीय सदस्य भी शामिल थे। आयोग के सभी सदस्यों ने सभी प्रांतों का दौरा किया और 200 से अधिक प्रस्ताव पारित किए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्न के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों से कीजिए।

5. हंटर आयोग का गठन कब हुआ ?

....

....

6. हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य सम्मिलित थे ?

....

....

7.11 हंटर शिक्षा आयोग के कार्यक्षेत्र का पुनर्लेखन

हंटर शिक्षा आयोग को निम्नलिखित विषयों का गहन अध्ययन करने और उन पर अपने सुझाव एवं सिफारिशें प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी–

1. प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा – आयोग को इस बात की जांच करनी थी कि क्या सरकार उच्च और माध्यमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हुए प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा कर रही है।

2. प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और सुधार – आयोग को प्राथमिक शिक्षा की मौजूदा स्थिति का मूल्यांकन करना था और इसके सुधार और विकास के लिए आवश्यक उपाय बताने थे।

3. माध्यमिक शिक्षा का प्रसार – आयोग को माध्यमिक शिक्षा की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करना था और इसके प्रसार के लिए उपयुक्त विधियों को बताने से सम्बन्धित था।

4. राजकीय विद्यालयों की भूमिका – आयोग को देश की शिक्षा प्रणाली में राजकीय विद्यालयों की भूमिका का आकलन करना था और यह निर्धारित करना था कि उनकी आवश्यकता है या नहीं।

5. मिशन स्कूलों का स्थान – आयोग को देश की शिक्षा व्यवस्था में मिशन स्कूलों के योगदान का मूल्यांकन करना था।

6. निजी प्रयासों को बढ़ावा – आयोग को शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीति के बारे में सुझाव देना था।

7.12 हंटर आयोग का प्रतिवेदन

आयोग ने पूरे देश का भ्रमण किया, विभिन्न शिक्षाविदों से मुलाकात की और शिक्षा से संबंधित सरकारी दस्तावेजों का अध्ययन किया। मार्च 1883 में आयोग ने 600 पृष्ठों का एक विस्तृत प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया।

7.13 हंटर शिक्षा आयोग के सुझाव और सिफारिशें

हंटर शिक्षा आयोग ने भारतीय शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया और कई महत्वपूर्ण सुझाव एवं सिफारिशें प्रस्तुत कीं। हंटर आयोग की शिक्षा नीति से संबंधित इन सुझावों पर विस्तार पूर्वक चर्चा निम्नानुसार की जा रही है–

1. राजकीय विद्यालयों की भूमिका में परिवर्तन

- आयोग का मानना था कि सरकार को राजकीय विद्यालयों की स्थापना की गति को धीरे–धीरे कम करना चाहिए और इन विद्यालयों के प्रत्यक्ष प्रबंधन से अपने को अलग कर लेना चाहिए।
- सरकार को निजी संस्थाओं को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

2. निजी प्रयासों को आगे बढ़ाना

- आयोग ने सरकार से सहायता अनुदान के नियमों को अधिक उदार एवं सरल बनाने का सुझाव दिया जिससे निजी क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश कर सकें।
- सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए।

3. स्थानीय निकायों की भूमिका

- आयोग का मानना था कि प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को सौंप देना चाहिए।
- इससे स्थानीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी।

4. माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रबंधन

- आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों का प्रबंधन कुशल निजी संस्थाओं को सौंप दिया जाना चाहिए।
- इससे इन संस्थानों का कुशलतापूर्वक संचालन हो सकेगा।

5. सहायता अनुदान पर आधारित संस्थानों को बढ़ाने का प्रयास

- आयोग ने भविष्य में केवल सहायता अनुदान पर आधारित माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया।
- इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और शिक्षा के क्षेत्र में विविधता आएगी।

❖ प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव

हंटर शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार–विमर्श किया और कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन सुझावों का वर्णन निम्नवत किया जा रहा है–

1. प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य और कार्य क्षेत्र

सभी के लिए शिक्षा

आयोग ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों, विशेष रूप से आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को शिक्षित करने से सम्बन्धित होना चाहिए।

शिक्षा का प्रसार

सरकार को प्राथमिक शिक्षा का व्यापक प्रसार करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

2. प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन

स्थानीय निकायों को जिम्मेदारी: आयोग ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन और संचालन जिला परिषदों, नगरपालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाना चाहिए। इससे स्थानीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

3. प्राथमिक शिक्षा के लिए वित्तीय व्यवस्था

अलग कोष: स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के लिए एक अलग कोष बनाना चाहिए।

सरकारी सहायता: राज्य सरकारों को प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए इस कोष में आर्थिक मदद करनी चाहिए।

4. प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम

प्रायोगिक विषय: पाठ्यक्रम में कृषि, विज्ञान, स्वास्थ्य, गणित और हस्तशिल्प जैसे व्यावहारिक विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

एकरूपता: पूरे राष्ट्र में एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, लेकिन स्थानीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

5. शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना

नॉर्मल स्कूल: प्रत्येक शिक्षा क्षेत्र में एक नॉर्मल स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए, जहां शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

6. सरकार की भूमिका

सरकार को प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसके प्रसार और सुधार के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए।

❖ माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव

हंटर शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर गहनता के साथ विचार–विमर्श किया और कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन सुझावों को निम्नवत वर्णित किया गया है–

1. माध्यमिक शिक्षा का प्रसार:

सहायता अनुदान: आयोग ने सुझाव दिया कि सरकार को माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए निजी संस्थाओं को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान करनी चाहिए।

सरकारी दखल कम: सरकार को इस प्रक्रिया में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए।

2. माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रमः

माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का समावेशः माध्यमिक शिक्षा अब तक पूरी तरह से शैक्षणिक थी और इसमें व्यावसायिक शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए आयोग ने सिफारिश की कि हाई स्कूलों की उच्च कक्षाओं में दो विभाग होने चाहिए।

साहित्यिक पाठ्यक्रमः विश्वविद्यालय जाने वाले छात्रों के लिए साहित्यिक पाठ्यक्रमों को समाहित किया जाए।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमः व्यापार या अन्य व्यवसायों में जाने वाले छात्रों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सुविधा होनी चाहिए।

पाठ्यक्रम में परिवर्तनः आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार के लिए कई सुझाव दिए।

3. शिक्षा के स्तर ऊंचा उठाने के प्रयास

शिक्षक प्रशिक्षणः आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अधिक से अधिक संस्थान खोलने की सिफारिश की थी।

शिक्षण पद्धतिः शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

4. शिक्षा का माध्यम

मातृभाषाः आयोग ने सुझाव दिया कि मिडिल स्कूलों में मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए।

शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजीः आयोग की शिक्षा के माध्यम से संबंधित सिफारिशें अंग्रेजी के पक्ष में थीं। इसने आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा देने या अंग्रेजी के प्रभुत्व को कम करने के लिए कोई सिफारिश नहीं की।

5. सरकारी नियंत्रण में कमीः आयोग ने सिफारिश की कि सरकार को धीरे–धीरे माध्यमिक और महाविद्यालयी शिक्षा के प्रत्यक्ष प्रबंधन तन्त्र से हट जाना चाहिए।

6. महिला शिक्षा की प्रगतिः हंटर आयोग ने प्रेसीडेंसी शहरों के बाहर महिला शिक्षा के लिए अपर्याप्त सुविधाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया और इसके प्रसार के लिए सिफारिशें कीं।

❖ कॉलेज शिक्षा संबंधी सुझाव

हंटर शिक्षा आयोग ने कॉलेज शिक्षा के विभिन्न बिन्दुओं और मुद्दों पर भी विचार–विमर्श किया और कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अयोग के प्रमुख सुझाव निम्नवत हैं –

1. कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से सम्बन्धित सुझाव

आवश्यकता के आधार पर धनः कॉलेजों को दी जाने वाली आर्थिक मदद उनकी जरूरतों, शिक्षकों की संख्या, काम करने के ढंग और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर तय की प्रदान की जानी चाहिए।

अन्य आवश्यकताओं के लिए धनः कॉलेजों को फर्नीचर, पुस्तकालय, भवन निर्माण आदि के लिए भी आर्थिक मदद दी जानी चाहिए।

2. शिक्षकों की नियुक्ति से सम्बन्धित सुझाव

विदेशी शिक्षित भारतीयः कॉलेजों में शिक्षक नियुक्त करते समय विदेशों, खासकर यूरोप से शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

3. पाठ्यक्रम में विविधता से सम्बन्धित सुझाव

छात्रों की रुचिः छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार विषय चुनने का अवसर मिलना चाहिए।

पाठ्यक्रम का विस्तारः कॉलेजों के पाठ्यक्रम को और अधिक विस्तृत किया जाना चाहिए।

4. छात्रों का सर्वांगीण विकास से सम्बन्धित सुझाव

नैतिक मूल्यः छात्रों को नैतिक मूल्यों और धर्म के बारे में सिखाया जाना चाहिए।

नागरिक कर्तव्यः छात्रों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना चाहिए।

व्याख्यानमालाः कॉलेजों में समय–समय पर व्याख्यानमालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।

5. छात्रवृत्ति और शुल्क से सम्बन्धित सुझाव

छात्रवृत्तिः गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

शुल्क संरचनाः निजी कॉलेजों की तुलना में सरकारी कॉलेजों में कम शुल्क लिया जाना चाहिए।

6. सरकार की भूमिका से सम्बन्धित सुझाव

निजी कॉलेजों में वृद्धि : सरकार को निजी कॉलेजों की संख्या बढ़ानी चाहिए।

सरकारी कॉलेजों को कम करना : सरकार को सरकारी कॉलेजों की संख्या कम करनी चाहिए।

सरकार की सीमित भूमिकाः सरकार को कॉलेज शिक्षा में सीमित भूमिका निभानी चाहिए।

❖ **विशिष्ट शिक्षा सम्बन्धी सुझाव**

हंटर शिक्षा आयोग ने कुछ विशेष समूहों, जैसे मुसलमानों, महिलाओं और धार्मिक शिक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। सुझाव निम्नवत है–

1. मुसलमानों की शिक्षा सम्बन्धी सुझाव

विद्यालयों को प्रोत्साहनः मुस्लिम विद्यालयों को आर्थिक मदद और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

मुस्लिम शिक्षकः मुस्लिम विद्यालयों में मुस्लिम शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

छात्रवृत्तिः मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए।

विशिष्ट स्कूलः मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मुस्लिम स्कूल खोले जाने चाहिए।

शिक्षक प्रशिक्षणः मुस्लिम शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष संस्थान खोले जाने चाहिए।

2. स्त्री शिक्षा सम्बन्धी सुझाव

आर्थिक मददः बालिका शिक्षा के लिए विद्यालयों को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए।

महिला शिक्षकः बालिका विद्यालयों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

छात्रवृत्तिः बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए।

सरल पाठ्यक्रमः बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम बनाए जाने चाहिए।

घर पर शिक्षाः घर पर रहने वाली लड़कियों को घर पर ही शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

महिला प्रशिक्षणः महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान खोले जाने चाहिए।

3. धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव

- सरकारी स्कूलों में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए।
- निजी स्कूलों में प्रबंधन के फैसले पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।

7.14 हंटर आयोग की सिफारिशों का प्रभाव

1. प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण

हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के नियंत्रण को नवगठित जिला और नगरपालिका बोर्डों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की। स्थानीय बोर्डों को शिक्षा के उद्देश्य के लिए उपकर लगाने का अधिकार दिया गया था। यह व्यवस्था शिक्षा में विकेंद्रीकरण लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था।

2. माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक धारा का समावेश

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में एक कमी की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई का अभाव था। इस कमी को दूर करने के लिए, आयोग ने सिफारिश की कि हाई स्कूलों की उच्च कक्षाओं में दो विभाग होने चाहिए। एक विभाग पारंपरिक शैक्षणिक शिक्षा प्रदान करता रहे, जो विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराए। दूसरा विभाग अधिक व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करे, जो युवाओं को व्यावसायिक और गैर–साहित्यिक क्षेत्रों के लिए तैयार करेगा। यह सिफारिश शिक्षा प्रणाली में व्यावहारिक कौशल के विकास को बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम कार्य करेगा।

3. सरकारी नियंत्रण में कमी और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने सम्बन्धित

आयोग ने सुझाव दिया कि सरकार को धीरे–धीरे माध्यमिक और महाविद्यालयी शिक्षा के प्रत्यक्ष प्रबंधन से पीछे हट जाना चाहिए। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना था। वहीं, यह भी सिफारिश की गई कि सरकार जरूरत पड़ने पर पिछड़े क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालय स्थापित कर सकती है। साथ ही अनुदान सहायता प्रणाली के विस्तार और उदारीकरण के लिए भी सिफारिश की गई जिससे निजी संस्थानों को शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

4. महिला शिक्षा को प्रोत्साहन

हंटर आयोग ने प्रेसीडेंसी शहरों के बाहर महिला शिक्षा की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और इसके प्रसार के उपाय बताए। ये सुझाव महिला शिक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थीं।

5. अंग्रेजी को महत्व और भारतीय भाषाओं की उपेक्षा करना

आयोग की शिक्षा के माध्यम के संबंध में सिफारिशें विवादास्पद रहीं। आयोग ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया और आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इससे भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हुई और अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहा। 1854 के वुड्स डिस्पैच में निर्धारित नीति के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य अंग्रेजी के ज्ञान का प्रसार करना था, न कि अंग्रेजी के माध्यम से यूरोपीय ज्ञान का निम्न स्तर का प्रसार करना। जबकि, व्यवहार में ठीक इसका उल्टा हो रहा था। अंग्रेजी का माध्यमिक शिक्षा में वर्चस्व लगातार बढ़ता गया। यहां तक कि छात्रों को अपनी मातृभाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू कर दी जाती थी। इससे छात्रों को शिक्षा के माध्यम और परीक्षाओं में अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

6. भारतीय भाषाओं की उपेक्षा

अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने से भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हुई। 1882 के हंटर आयोग की सिफारिशों ने भी अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा दिया और आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए।

7. देशी शिक्षा प्रणाली का पतन

दूसरी ओर, 1880 के दशक से देश में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए। इन प्रयासों में मिशनरियों, सरकारी शिक्षा विभाग और प्रगतिशील भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जबकि, इनमें से भारतीय निजी क्षेत्र का शिक्षा के प्रसार में सबसे बड़ा योगदान था।

8. नए शिक्षण संस्थानों का उदय

1901–02 के दौरान, पूरे देश में कई संप्रदायिक संस्थान खुल गए। पश्चिमी ज्ञान के साथ–साथ भारतीय और प्राच्य अध्ययनों में भी रुचि जगी। इस अवधि का एक अन्य महत्वपूर्ण विकास शिक्षण–सह–परीक्षा विश्वविद्यालयों की स्थापना थी। उदाहरण के लिए, पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना अक्टूबर 1882 में हुई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सितंबर 1887 में हुई।

9. देशी स्कूल प्रणाली का अंत

19वीं सदी के अंत तक स्वदेशी स्कूल प्रणाली का तेजी से पतन हुआ। इसके दो मुख्य कारण थेः

(1) राज्य से वित्तीय सहायता में कमी

(2) केवल नए स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले ही रोजगार के पात्र थे। यहां तक कि निजी नियोक्ता भी उन्हें ही प्राथमिकता देते थे।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्न के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों से कीजिए।

7. हंटर आयोग के प्रमुख दो सुझावों को लिखिए।

....

8. स्वदेशी स्कूल प्रणाली के पतन के कारण लिखिए।

....

7.15 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर आयोग 1917)

1916 में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई और जिसके कारण कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हो गई। 14 सितंबर, 1917 को, लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति डा0 माइकेल सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था।

आयोग के सदस्य डा. ग्रेगरी, प्रो. फिलिप हटांग, प्रो. रैग्सेक्योर, सर आशुतोष मुखर्जी, डी. पी. आई. बंगाल, डा. जियाउद्दीन अहमद प्रमुख रहे।

7.16 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के उद्देश्य

- कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना और सुधार के लिए सुझाव देना।
- अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना और समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए सुझाव प्रदान करना।
- विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध इंटरमीडिएट कक्षाओं को उच्च शिक्षा से पृथक करने की संभावनाओं की तलाश हेतु अध्ययन करना।

7.17 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन

- आयोग ने लगभग डेढ़ वर्ष के अध्ययन के बाद मई, 1919 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
- प्रतिवेदन में उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा पर विस्तृत

सुझाव प्रस्तुत किए गए थे।

- आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार से पहले माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना अति आवश्यक है।

7.18 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने भारतीय शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार–विमर्श किया और कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कुछ प्रमुख सुझावों को निम्नवत वर्णित किया जा रहा है–

1. माध्यमिक शिक्षा हेतु कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव

उच्च शिक्षा से लगाव – आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा का आधार मानते हुए सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों में केवल इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

अलग इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना – इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से अलग करके स्वतंत्र इंटरमीडिएट कॉलेज स्थापित करने का सुझाव दिया गया था।

भारतीय भाषाओं का माध्यमः इंटरमीडिएट शिक्षा में भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाने पर बल दिया गया था।

शिक्षा बोर्ड का गठन – प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड बनाने का सुझाव दिया गया जिससे शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

2. कलकत्ता विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का सुझाव

नए विश्वविद्यालयः ढाका में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया ताकि छात्रों की संख्या को कम किया जा सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

कलकत्ता विश्वविद्यालय का पुनर्गठनः कलकत्ता विश्वविद्यालय के कॉलेजों को पुनर्गठित करके नए विश्वविद्यालय बनाने का सुझाव दिया गया था।

3. भारतीय विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव

स्वायत्तता से सम्बन्धित सुझाव : विश्वविद्यालयों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की गई थी।

पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सुझाव : पाठ्यक्रम में विविधता लाने के लिए 'ऑनर्स कोर्स' प्रारम्भ करने का सुझाव दिया गया था।

व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित सुझाव : कृषि, कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाने के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया था।

शारीरिक शिक्षा से सम्बन्धित सुझाव : छात्रों के स्वास्थ्य के लिए शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर बल दिया गया था।

4. स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव

पर्दा स्कूलः मुस्लिम लड़कियों के लिए 'पर्दा स्कूल' स्थापित करने का सुझाव दिया गया था जिससे वे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

विशिष्ट परिषदः कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्त्री शिक्षा के लिए एक विशेष परिषद बनाने का सुझाव दिया गया था।

7.19 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का मूल्यांकन

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधारों का सुझाव दिया था। आयोग का मुख्य उद्देश्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान करना था, लेकिन उसने भारतीय विश्वविद्यालयों की समग्र स्थिति का गहन अध्ययन किया और कई व्यापक सुझाव दिए।

7.19.1 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सफलताए

इस आयोग की सफलताएं निम्नवत् वर्णित है–

शिक्षण और अनुसंधानः आयोग ने विश्वविद्यालयों को केवल परीक्षा केंद्रों से परिवर्तित करके शिक्षण और अनुसंधान केन्द्र के रूप में कार्य करने पर विशेष ध्यान देने की बात कही थी।

व्यापक सुधारः आयोग के सुझावों को भारत सरकार ने स्वीकार किया और विश्वविद्यालयों में कई प्रकार के सुधार किए गए थे।

7.19.2 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की कमियां

इस आयोग की कमियां निम्नवत् वर्णित है–

आवासीय विश्वविद्यालयः भारत जैसे गरीब देश में आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव व्यावहारिक नहीं था।

माध्यमिक शिक्षा बोर्डः माध्यमिक शिक्षा बोर्डों को नियंत्रण सौंपने का निर्णय सफल नहीं रहा और इंटरमीडिएट कॉलेजों के परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं प्राप्त हुए थे।

आयोग का महत्वः

आयोग के सुझावों में कुछ कमियां होने के बावजूद, उन्होंने भारतीय उच्च शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोग के प्रतिवेदन को अगले 30 वर्षों तक शिक्षा सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज व सन्दर्भ के रूप में देखा गया था।

अर्थर मेहा ने आयोग के प्रतिवेदन को "सुझाव और जानकारी का एक अनंत स्रोत" बताया। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में इस प्रतिवेदन का महत्व अत्यधिक है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्न के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों से कीजिए।

9. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष का नाम लिखिए।

   ....

   ....

10. सैडलर आयोग के पाँच सुझावों को लिखिए।

    ....

    ....

11. सैडलर आयोग के सफलता के कारण लिखिए।

    ....

    ....

12. सैडलर आयोग कमियों को लिखिए।

    ....

    ....

7.20 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या रैले आयोग (1902)

सन् 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के गठन के पीछे दो प्रमुख कारण थे जो निम्नवत् वर्णित है—

1. **उच्च शिक्षा में कमियां** : सन् 1857 में स्थापित भारतीय विश्वविद्यालयों में कई कमियां उत्पन्न हो गयी थी। इन विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया था और 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग ने भी इस मुद्दे पर भी ध्यान नहीं दिया था।

2. **लंदन विश्वविद्यालय का पुनर्गठनः** लंदन विश्वविद्यालय, जो भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करता था, का 1898 में पुनर्गठन किया गया था। इसने भारत में उच्च शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता को सबके सम्मुख प्रस्तुत किया था।

7.21 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन

थॉमस रैले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में दो भारतीय सदस्य भी शामिल थे।

7.22 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का उद्देश्य

आयोग का मुख्य उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति का मूल्यांकन करना और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देना था। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है।

7.23 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग द्वारा जाँच के प्रमुख मुद्दे

आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के विभिन्न मुद्दों का गहन अध्ययन किया, जिनमें निम्नलिखित मुद्दे सम्मिलित थे—

विश्वविद्यालयों की स्थिति का मूल्यांकनः ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर विचार विमर्श करना।

सुधार हेतु प्रस्तावः विश्वविद्यालयों के संविधान और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सुझावों अथवा दिए जा सकने वाले प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर अपनी राय को प्रस्तुत करने से सम्बन्धित था।

शिक्षण मानकों की गुणवत्ता में सुधारः गवर्नर—जनरल को ऐसे उपायों की सिफारिश करना जो विश्वविद्यालय शिक्षण के स्तर को उच्च स्तर का बना सकें और अधिगम को प्रभावी बना सकें।

परीक्षा प्रणालीः परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना और छात्रों के मूल्यांकन के लिए अधिक प्रभावी तकनीकी को विकसित करने सम्बन्धी सुझाव देना।

वित्तीय स्थितिः विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना और उनके वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपाय बताना

7.24 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का कार्यकाल और प्रतिवेदन

रैले आयोग ने भारत के विभिन्न राज्यों का दौरा किया और विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन तथा विश्लेषण किया। लगभग छह महीने के अध्ययन के बाद, आयोग ने जून 1902 में सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यह प्रतिवेदन और सरकार की टिप्पणियां अक्टूबर, 1902 में प्रकाशित हुईं।

7.25 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के सुझावों का विस्तृत विश्लेषण

रैले आयोग ने भारतीय उच्च शिक्षा में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इन सुझावों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना था।

संस्थागत सुधारः आयोग ने विश्वविद्यालयों की सीनेट और सिंडिकेट जैसी संस्थाओं में सुधार का सुझाव दिया। सीनेट के सदस्यों की संख्या कम करने और सिंडिकेट में अधिक प्रतिनिधित्व देने पर बल दिया गया।

शिक्षण पर ध्यानः आयोग ने विश्वविद्यालयों को शिक्षण कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए सुझाव दिया।

अध्यापकों का प्रतिनिधित्वः अध्यापकों को विश्वविद्यालय के निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने पर विशेष बल दिया गया।

कॉलेजों का निरीक्षणः कॉलेजों के नियमित निरीक्षण से शिक्षण गुणवत्ता में सुधार लाने का सुझाव दिया गया।

छात्र कल्याणः छात्रों के लिए छात्रावास और छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिए गए थे।

पाठ्यक्रम में परिवर्तन : मैट्रिक परीक्षा का स्तर उच्च कोटि का करने और बी0ए0 पाठ्यक्रम को तीन वर्ष का करने का सुझाव दिया गया था।

कॉलेज प्रबंधनः प्रत्येक कॉलेज में एक प्रबंध समिति बनाने का सुझाव दिया गया था।

7.26 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के सुझावों का प्रभाव

इस आयोग के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव का वर्णन निम्नानुसार किया गया है–

7.26.1 सकारात्मक प्रभाव

- विश्वविद्यालयों का प्रशासन अधिक व्यवस्थित हुआ।
- शिक्षण गुणवत्ता में सुधार हुआ।
- छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ीं।

7.26.2 नकारात्मक प्रभाव

- भारतीयों ने कई सुझावों का विरोध किया।
- पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी विषयों को शामिल नहीं किया गया।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्न के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों से कीजिए।

13. रैले आयोग का गठन कब हुआ ?

....

....

14. रैले आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे ?

....

....

15. रैले आयोग के सकारात्मक प्रभावों को लिखिए।

....

....

16. रैले आयोग की कमियों को लिखिए।

....

....

7.27 सारांश

भारत में स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा के स्वरूप और दिशा को निर्धारित करने में कई प्रमुख आयोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन आयोगों ने समय–समय पर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और सुधार के लिए सिफारिशें कीं। वुड्स डिस्पैच (1854) ने औपनिवेशिक भारत में शिक्षा की नींव रखी। इसने शिक्षा को व्यवस्थित करने, स्थानीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा, और विश्वविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया। हालांकि, यह अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता देने के कारण आलोचना का भी शिकार हुआ। हंटर आयोग (1882) ने प्राथमिक शिक्षा की दशा पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इसने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान देने और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार की सिफारिश की। रैले आयोग (1902) ने उच्च शिक्षा, विशेषकर विश्वविद्यालय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। इसने व्यावसायिक शिक्षा, अनुसंधान और भारतीय संस्कृति के अध्ययन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। सैडलर आयोग (1917) ने भारतीय शिक्षा प्रणाली का व्यापक मूल्यांकन किया। इसने शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने, माध्यमिक शिक्षा के स्तर को उन्नत करने और तकनीकी शिक्षा पर जोर देने की सिफारिश की। इन आयोगों ने भारतीय शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हालांकि उनकी सिफारिशों का पूर्ण कार्यान्वयन नहीं होने के कारण भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई चुनौतियां बनी रहीं। इन आयोगों के सुझावों ने बाद के शिक्षा सुधारों के लिए आधार तैयार किया।

7.28 अभ्यास के प्रश्न

1. वुड के आदेश पत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए।
2. हंटर आयोग की विवेचना कीजिए।
3. सैडलर आयोग की संस्तुतियों का वर्णन कीजिए।
4. रैले आयोग के गुण तथा दोषों के आधार पर उसकी विवेचना कीजिए।
5. हंटर आयोग एवं सैडलर आयोग की विशेषताओं को लिखिए।

7.29 चर्चा के बिन्दु

1. सैडलर आयोग की संस्तुतियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए।
2. हंटर आयोग के गुण दोषों को समझते हुए उस पर चर्चा कीजिए।

7.30 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. 19 जुलाई, 1954

2. शिक्षा के माध्यम सम्बन्धी विवाद हेतु डिस्पैच का निष्कर्ष

(1) उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। (2) माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषाओं दोनों के माध्यम से दी जानी चाहिए।

(3) आधुनिक भारतीय भाषाओं को समय के साथ उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए माध्यम बनाने के लिए अभिप्रेरित किया जाना चाहिए।

3. वुड के आदेश पत्र के गुण

- वुड के आदेश पत्र ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। पत्र में शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय, बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास

पर भी जोर दिया गया।

- वुड के आदेश पत्र में प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का सुझाव दिया गया। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर शिक्षा संस्थानों की स्थापना पर अधिक ध्यान देने की बात कही गई थी।

4. वुड के आदेश पत्र के दोष

1. आदेश पत्र ने अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का प्रावधान किया।
2. शिक्षा का उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना निर्धारित कर दिया। शिक्षा केवल भौतिक लाभ प्राप्त करने का साधन बनकर रह गई थी।

5. 1882

6. 8 भारतीय सदस्य

7. आयोग ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों, विशेष रूप से आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को शिक्षित करने से सम्बन्धित होना चाहिए।

आयोग ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन और संचालन जिला परिषदों, नगरपालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाना चाहिए। इससे स्थानीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

8. स्वदेशी स्कूल प्रणाली का तेजी से पतन हुआ। इसके दो मुख्य कारण थे–

(1) राज्य से वित्तीय सहायता में कमी

(2) केवल नए स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले ही रोजगार के पात्र थे। यहां तक कि निजी नियोक्ता भी उन्हें ही प्राथमिकता देते थे।

9. डा0 माइकेल सैडलर

10. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने कुछ प्रमुख सुझाव दिए–

- आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा का आधार मानते हुए सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों में केवल इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से अलग करके स्वतंत्र इंटरमीडिएट कॉलेज स्थापित करने का सुझाव दिया गया था।
- इंटरमीडिएट शिक्षा में भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाने पर बल दिया गया था।

11. इस आयोग की सफलताएं निम्नवत् वर्णित है–

शिक्षण और अनुसंधानः आयोग ने विश्वविद्यालयों को केवल परीक्षा केंद्रों से परिवर्तित करके शिक्षण और अनुसंधान केन्द्र के रूप में कार्य करने पर विशेष ध्यान देने की बात कही थी।

व्यापक सुधारः आयोग के सुझावों को भारत सरकार ने स्वीकार किया और विश्वविद्यालयों में कई प्रकार के सुधार किए गए थे।

12. इस आयोग की कमियां निम्नवत् वर्णित है–

आवासीय विश्वविद्यालयः भारत जैसे गरीब देश में आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव व्यावहारिक नहीं था।

माध्यमिक शिक्षा बोर्डः माध्यमिक शिक्षा बोर्डों को नियंत्रण सौंपने का निर्णय सफल नहीं रहा और

इंटरमीडिएट कॉलेजों के परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं प्राप्त हुए थे।

13. सन् 1902 में

14. 2 भारतीय सदस्य

15. सकारात्मक प्रभावः

- विश्वविद्यालयों का प्रशासन अधिक व्यवस्थित हुआ।
- शिक्षण गुणवत्ता में सुधार हुआ।
- छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ीं।

16. आयोग की कमियां–

- भारतीयों ने कई सुझावों का विरोध किया।
- पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी विषयों को शामिल नहीं किया गया।

7.31 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- गुप्ता एस0 पी0 : (2004) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
- त्यागी गुरसरन दास : (2008 / 2009) भारतीय शिक्षा का परिदृष्य समस्याएँ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–7
- पाठक पी0 डी0 : (2010 / 2011) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2
- मदान पूनम : (2016 / 2017) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2
- पाठक एवं जौहरी : (2008 / 2009) भारतीय शिक्षा का इतिहास, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2
- लाल, रमन बिहारी : (2005 / 2006) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ
- सारस्वत मालती एवं गौतम एस0 एल0 : भारतीय शिक्षा का विकास, आलोक पब्लिकेशन्स, लखनऊ

इकाई–8 : ब्रिटिश शिक्षा की विशेषताएँ एवं कमियाँ

इकाई की संरचना

8.1 प्रस्तावना

8.2 इकाई के उद्देश्य

8.3 ब्रिटिश शिक्षा की विशेषताएँ

8.3.1 शिक्षा के उद्देश्य से सम्बन्धित विशेषताएँ

8.3.2 शैक्षिक ढांचे से सम्बन्धित विशेषताएँ

8.3.3 पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विशेषताएँ

8.3.4 शिक्षण विधियों से सम्बन्धित विशेषताएँ

8.3.5 परीक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित विशेषताएँ

8.3.6 शिक्षकों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित विशेषताएँ

8.3.7 व्यवसाय और प्रौद्योगिकी के उन्नयन से सम्बन्धित विशेषताएँ

8.3.8 बुनियादी शिक्षा योजना से सम्बन्धित विशेषताएँ

8.3.9 महिलाओं के विकास से सम्बन्धित विशेषताएँ

8.3.10 गुरु शिष्य सम्बन्धों में परिवर्तनों से सम्बन्धित विशेषताएँ

8.3.11 शिक्षा के वित्तीय स्वरूप से सम्बन्धित विशेषताएँ

8.4 ब्रिटिश शिक्षा की कमियाँ

8.4.1 ब्रिटिश कालीन शिक्षा के अस्पष्ट उद्देश्य

8.4.2 ब्रिटिश कालीन शिक्षा में साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण

8.4.3 ब्रिटिश कालीन शिक्षा में अधोमुखी निस्यन्दन सिद्धांत

8.4.4 स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं की उपेक्षा

8.4.5 राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के प्रतिकूल प्रभाव

8.4.6 शिक्षा पर सरकार का अधिक नियन्त्रण

8.5 सारांश

8.6 अभ्यास के प्रश्न

8.7 चर्चा के बिन्दु

8.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

8.1 प्रस्तावना

लगभग दो सौ वर्षों तक भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा। इस अवधि में अंग्रेजों ने भारत में अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म का प्रसार करने के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में प्रयोग किया। अपने धर्म का प्रचार करने तथा अपनी शासन व्यवस्था को चलाने व उसे सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने शिक्षा का सहारा लिया। भारत में पाश्चात्य प्रकार की शिक्षा का प्रारम्भ मिशनरियों ने किया था। ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने शिक्षा

प्रसार के कार्य में उन्हें सहयोग दिया था।

सन् 1813 का आज्ञापत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दौर था। इस आज्ञापत्र के साथ ही भारत में आधुनिक शिक्षा का बीजारोपण हुआ और यह सिलसिला 1947 तक लगातार चलता रहा। इस लंबे समय के दौरान भारतीय शिक्षा में अनेक उतार–चढ़ाव के साथ कई प्रकार के बदलाव हुए। ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा में कई सकारात्मक प्रभाव जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, सामाजिक जागरूकता में वृद्धि, राष्ट्रीय चेतना का जागरण आदि और इसके विपरीत अनेक प्रकार के नकारात्मक प्रभाव भी पड़े जैसे भारतीय ज्ञान और संस्कृति का अवमूल्यन, सामाजिक असमानता में वृद्धि, भारतीयों में हीन भावना का पैदा होना, भारतीय भाषाओं के उन्नयन में गिरावट आदि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के पीछे अंग्रेजों के विशिष्ट उद्देश्य थे, जो उनकी शासन नीतियों से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए थे।

ब्रिटिश काल में भारत की शिक्षा व्यवस्था को व्यापकता में समझने के लिए, उस समय की शिक्षा की मुख्य विशेषताओं को जानना बेहद ज़रूरी है। ये विशेषताएँ हमें इस बात को समझने में मदद करती हैं कि ब्रिटिश शासन ने भारतीय शिक्षा को किस तरह से प्रभावित किया और इसके क्या परिणाम हुए। प्रस्तुत इकाई में हम ब्रिटिश शिक्षा की विशेषताओं एवं कमियों का वर्णन करेंगे।

8.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जाएंगे कि

1. ब्रिटिश शिक्षा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर उसे अभिव्यक्त कर सकेंगे।
2. ब्रिटिश शिक्षा की विशेषताओं को समझ कर उसे आत्मसात कर सकेंगे।
3. ब्रिटिश शिक्षा की कमियों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।
4. ब्रिटिश शिक्षा की विशेषताओं और कमियों के मध्य अन्तर को स्पष्ट कर सकेंगे।
5. भारतीय शिक्षा पर ब्रिटिश शिक्षा के प्रभाव को अभिव्यक्त कर सकेंगे।

8.3 ब्रिटिश शिक्षा की विशेषताएँ

ब्रिटिश शिक्षा की विशेषताओं को उनके उद्देश्य, शिक्षण संस्थानों की संरचना, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, परीक्षा प्रणाली, अध्यापक प्रशिक्षण, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा का विकास, बुनियादी शिक्षा योजना, नारी शिक्षा, छात्र अध्यापक सम्बन्ध, शिक्षा का वित्तीय स्वरूप के आधार पर वर्णित किया गया है जो निम्नवत है –

8.3.1 शिक्षा के उद्देश्य से सम्बन्धित विशेषताएँ

क. भारतीयों का बौद्धिक और नैतिक विकास

अंग्रेज यह प्रदर्शित करना चाहते थे कि वे भारतीयों का बौद्धिक और नैतिक विकास करना चाहते हैं। लॉर्ड मैकाले जैसे कई शासको ने इस सम्बन्ध में जोर दिया कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान और मूल्यों से परिचित कराया जाएगा, जिससे वे अधिक तार्किक और नैतिक बन सके वास्तव में उनका मत यह था क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को पश्चिमी विचारों, शोध, नवाचार आदि से परिचित कराया था।

ख. पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान का विस्तार

अंग्रेजों का ऐसा मत एवं विश्वास था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली बहुत प्राचीन और अपर्याप्त है। इसलिए, उन्होंने भारतीयों को यूरोपीय साहित्य और विज्ञान से परिचित कराने पर बल दिया। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को आधुनिक विज्ञान और तकनीक से अवगत करने का कार्य किया था

ग. अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित विकास

अंग्रेजों ने यह बताना चाहा कि वे भारत का आर्थिक विकास करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें शिक्षित लोगों की आवश्यकता है जब कि उस समय भारत का आर्थिक विकास तो हुआ, लेकिन यह पूरी तरह से ब्रिटिश लोगों के लाभ के लिए था। भारतीय उद्योगों को दबाया एवं नष्ट किया गया और कच्चे माल का निर्यात बढ़ाया गया।

शिक्षित भारतीयों को मुख्य रूप से अंग्रेजों की शासन प्रणाली में नौकरियां मिलती थीं, परन्तु उद्योगों में उनके लिए इसके अवसर प्राप्त नहीं थे।

घ. ब्रिटिश शासन व्यवस्था का अनुसरण एवं उनको मजबूत बनाना

यह ब्रिटिश शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अंग्रेज चाहते थे कि शिक्षित भारतीय नागरिक उनके शासन में सहयोग करें और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाय जो ब्रिटिश शासन को समझे और उसका जमकर समर्थन करें।

8.3.2 शैक्षिक ढांचे से सम्बन्धित विशेषताएँ

ब्रिटिश राज में भारत में शिक्षा व्यवस्था को एक संरचित रूप दिया गया। इस काल में शिक्षा को तीन मुख्य स्तरों में वर्गीकृत किया गया थाः प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। अंग्रेजों द्वारा शिक्षा व्यवस्था के प्रत्येक स्तर के लिए अलग–अलग प्रकार की संस्थाएं स्थापित की गईं थीं।

1. प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित

प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना था। इसमें पढ़ना, लिखना के साथ अंकगणित जैसे विषय के ज्ञान सम्मिलित थे। प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूल स्थापित किए गए थे। इन स्कूलों में अधीनस्थ शिक्षण स्थानीय भाषाओं में होता था।

2. माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित

माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार करना था। माध्यमिक स्तर पर छात्रों को विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। माध्यमिक शिक्षा के लिए मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज स्थापित किए गए थे। इन स्कूलों में अंग्रेजी भाषा के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था।

3. उच्च शिक्षा से सम्बन्धित

उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। इन संस्थाओं में छात्रों को स्नातक और परास्नातक की उपाधि प्रदान की जाती थी। 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ ही भारत में आधुनिक शिक्षा का एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ। इन विश्वविद्यालयों ने भारत में उच्च शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।

8.3.3 पाठ्यक्रम से सम्बन्धित

ब्रिटिश काल का पाठ्यक्रम भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारत को आधुनिक शिक्षा के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की जबकि, यह पाठ्यक्रम पूरी तरह से भारतीय जन मानस की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था फिर भी इसकी कुछ विशेषताएं रही जो निम्नवत वर्णित है –

- ब्रिटिश प्रशासकों का मत था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था प्राचीन, अव्यावहारिक और अपर्याप्त है। इसलिए, उन्होंने ऐसे पाठ्यक्रम की वकालत की जिसमें यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को प्रमुखता प्रदान की। भारतीय इतिहास और संस्कृति को उन्होंने पाठ्यक्रम में गौण कर दिया।
- माध्यमिक और उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को ही प्राथमिकता प्रदान की।
- पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, गणित, सामाजिक विज्ञान, कृषि आदि विषय सम्मिलित थे। जबकि, इन विषयों की भी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाती थी।
- प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा थी इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़ना था जिससे वे तथ्यों एवं विषय वस्तु को आसानी से सीख सकें।

8.3.4 शिक्षण विधियों से सम्बन्धित विशेषताएँ

ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षण विधियों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिला अधिकांश

शिक्षण पद्धतियाँ प्राचीन और मध्यकालीन भारत की शिक्षण विधियों के समान व उनसे ही प्रेरित थीं कुछ प्रमुख शिक्षण विधियों का वर्णन निम्नानुसार किया जा रहा है –

- व्याख्या विधि द्वारा शिक्षण कार्य तथा शिष्य कक्षा में शिक्षक द्वारा बताए गए तथ्यों को लिखते थें।
- पाठ्यपुस्तकों को शिक्षण का मुख्य आधार माना जाता था। छात्रों को पाठ्यपुस्तकों में दिए गए अध्यायों को याद करना पड़ता था।
- रटने की अध्ययन पद्धति पर विशेष बल दिया जाता था। समझने की पद्धति पर कम बल दिया जाता था।
- विज्ञान विषयों का शिक्षण कार्य प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रयोग द्वारा सिखाए जाते थे। यह शिक्षण विधि थोड़ी आधुनिक एवं विकसित थी।

ब्रिटिश शासकों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में पश्चिमी शिक्षा के तत्वों को सम्मिलित किया, परन्तु स्कूलों में संसाधनों की कमी के कारण शिक्षक नए–नए शिक्षण विधियों का कक्षा में प्रयोग करने में असमर्थ थे।

8.3.5 परीक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित विशेषताएँ

ब्रिटिश शासन के साथ ही भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ गई। इसी के साथ औपचारिक शिक्षा प्रणाली का भी सूत्रपात हुआ। इस प्रणाली में छात्रों के सीखे गए ज्ञान और कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षा हेतु एक व्यवस्थित ढांचा स्थापित किया गया और उसके माध्यम से शिक्षार्थियों के प्रगति का मूल्यांकन किया जाता था।

1. **मौखिक, लिखित और क्रियात्मक परीक्षाओं का आयोजन** बालकों के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए मौखिक, लिखित और क्रियात्मक तीनों प्रकार की परीक्षाएं आयोजित कराई जाती थी। मौखिक परीक्षाओं के अंतर्गत छात्रों से प्रश्न पूछे जाते थे जबकि लिखित परीक्षाओं में उन्हें उत्तर स्वयं लिखने होते थे इसके साथ ही क्रियात्मक परीक्षाओं में उनके व्यावहारिक कौशल के मूल्यांकन के लिए उनका परीक्षण किया जाता था।
2. **अंकीय मूल्यांकन** छात्रों के अध्ययन का मूल्यांकन अंकों के आधार पर किया जाता था। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता था।
3. **श्रेणियों में विभाजन** उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि श्रेणियों में परिणाम प्रदान किए जाते थे। यह प्रणाली आज भी कई शिक्षण संस्थानों में प्रचलन में है।
4. **पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षाएं** छात्रों की परीक्षाओं का निर्धारण पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट विषयों और पाठ्य सामग्री के आधार पर संपन्न कराई जाती थी।

इस परीक्षा प्रणाली ने आधुनिक शिक्षा को भारत में विस्तृत रूप में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा प्रतिस्पर्धा का वातावरण छात्रों के बीच उत्पन्न किया। जबकि, इस प्रणाली की अपनी कुछ सीमाएं भी थीं। आज भी हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में इस आधुनिक प्रणाली का प्रभाव देखा जा सकता है।

8.3.6 शिक्षकों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित विशेषताएँ

ब्रिटिश शासन के समय भारत में शिक्षा व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया गया। इस शिक्षा व्यवस्था के द्वारा अध्यापकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाने लगा। इस अवधि में अध्यापकों को अच्छे शिक्षण के लिए कौशलयुक्त ज्ञान प्रदान करने के लिए कई प्रयास किए गए।

औपचारिक प्रशिक्षण: ब्रिटिश काल में अध्यापकों को औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। इससे पहले अध्यापकों को कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था।

शिक्षण विधियाँ: अध्यापकों को नवीन शिक्षण विधियों के बारे में प्रशिक्षित किया जाता था जिससे वे छात्रों को अच्छे ढंग से पढ़ा व सिखा सकें।

शिक्षा मनोविज्ञानः अध्यापकों को शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाता था जिससे वे छात्रों के मनोविज्ञान को समझ सकें और उनके अनुसार शिक्षण कर सकें।

विद्यालय प्रशासनः अध्यापकों को विद्यालय प्रशासन के विषय में भी जानकारी प्रदान की जाती थी जिससे वे विद्यालय के व्यवस्था में सहयोग प्रदान कर सकें।

8.3.7 व्यवसाय और प्रौद्योगिकी के उन्नयन से सम्बन्धित विशेषताएँ

ब्रिटिश शासनकाल में भारत में औद्योगिक विकास और आधुनिकीकरण के साथ ही व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया। इस अवधि में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिनके कारण देश में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का आधार तैयार हुआ।

- ब्रिटिश काल में इंजीनियरिंग कॉलेज, तकनीकी शिक्षा संस्थान और कृषि कॉलेज जैसे कई संस्थानों की स्थापना की गई। इन संस्थानों में छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान किए जाते थे।
- मिडिल और हाई स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी तकनीकी और व्यावसायिक विषयों को सम्मिलित किया गया। इससे छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के बारे में जानकारी मिलती थी और वे अपने भविष्य के लिए अच्छा निर्णय ले सकते थे।
- ब्रिटिश शासकों ने व्यावसायिक शिक्षा को इस तरह से तैयार किया कि यह औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसका उद्देश्य कुशल श्रमिकों को तैयार कर उसकी आपूर्ति कर सकें।
- व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं की स्थापना की गई। छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ–साथ व्यावहारिक कौशल भी सिखाए जाते थे।

व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा ने भारत में औद्योगिक विकास को गति दिया और देश को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

8.3.8 बुनियादी शिक्षा योजना से सम्बन्धित विशेषताएँ

सन् 1937 में जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देश के कई प्रांतों में सरकारें बनीं, तो भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दौर आया। इसी समय वर्धा में आयोजित एक शिक्षा सम्मेलन में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा योजना को स्वीकृति मिली। यह योजना गांधी जी की शिक्षा के बारे में विचारों का ही परिणाम थी, जिन्हें उन्होंने कई वर्षों से 'हरिजन' पत्रिका के माध्यम से प्रस्तुत किया था। इस की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नवत् वर्णित की जा रही है

- इस योजना का मूल आधार किसी उत्पादक शिल्पकला के माध्यम से शिक्षा देना था। इसका अर्थ था कि छात्रों को पढ़ाई के साथ–साथ कोई उत्पादक काम भी सिखाया जाए, जैसे बुनाई, कुम्हार का काम, या खेती अथवा अन्य कार्य।
- इस योजना में इस बात पर बल दिया गया था कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए तथा स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाना इस योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था।
- इस योजना का उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना था। शिल्पकला के माध्यम से उत्पादन करके अध्यापकों का वेतन दिया जाय।
- इस योजना का लक्ष्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को संतुलित बनाने से था।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना इस योजना का उद्देश्य था।

इस योजना को वृहद रूप से लागू करने में कई चुनौतियां आईं। फिर भी, इस योजना ने भारतीय शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। बुनियादी शिक्षा हमें अंग्रेजी शासन काल के दौरान ही प्राप्त हुई इसका सूत्रपात करने वाले भारतीय थें परन्तु ये अंग्रेजो के ही सांस्कृतिक आघात के कारण हमें प्राप्त हुई।

8.3.9 महिलाओं के विकास से सम्बन्धित विशेषताएँ

ब्रिटिश शासनकाल में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, परन्तु नारी शिक्षा के मामले में शुरुआती वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति देखने को नहीं मिली। महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी और इसे लगभग उपेक्षित रखा गया था।

- ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक वर्षों में महिलाओं की शिक्षा को लेकर कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। समाज में महिलाओं को घर के काम–काज तक सीमित रखने का प्रचलन था
- कुछ मिशनरी संस्थाओं ने महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रयास शुरू किए और लड़कियों के लिए स्कूल इत्यादि स्थापित किए गए।
- धीरे–धीरे ब्रिटिश सरकार ने भी महिला शिक्षा के महत्व को समझना प्रारंभ किया और कुछ नीतिगत बदलाव भी महिलाओं की प्रगति के लिए किए गए।

महिला उत्थान के संबंध में लिए गए निर्णय के कारण समाज के एक बड़े वर्ग ने महिला शिक्षा का विरोध किया और इसे सामाजिक मूल्यों के विपरीत माना। इन सब के बाद भी नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश शासकों ने कई प्रयास किए

- महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए कई कन्या विद्यालयों की स्थापना की गई।
- सरकार ने महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतियां बनाईं।

राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान व उन्हें शिक्षित बनाने के लिए अथक प्रयास किए थे।

8.3.10 गुरु–शिष्य सम्बन्धों में परिवर्तन से सम्बन्धित विशेषताएँ

ब्रिटिश शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन के लिए योग्य बनाना था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक कठोर और औपचारिक शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में गुरु–शिष्य के बीच जो घनिष्ठ और स्नेहपूर्ण संबंध होते थे, वे ब्रिटिश काल में काफी सीमा तक औपचारिक हो गए। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से ज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया जाता था। गुरु–शिष्य के बीच जो आध्यात्मिक संबंध होता था, वह लगभग समाप्त हो गया। शिक्षक को केवल ज्ञान देने वाला माना जाने लगा, न कि मार्गदर्शक।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्न के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों से कीजिए।

1. ब्रिटिश शासन काल में शिक्षा को कितने स्तरों में वर्गीकृत किया गया था ?

....

....

2. ब्रिटिश शासन काल की शिक्षा व्यवस्था में प्रयुक्त प्रमुख शिक्षण विधियों को लिखिए।

....

....

3. महिला शिखा को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश शासकों द्वारा किए प्रयासों को बताइए।

....

....

8.3.11 शिक्षा के वित्तीय स्वरूप से सम्बन्धित विशेषताएँ

ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन हुए, जिनमें वित्तीय व्यवस्था में आए परिवर्तन भी सम्मिलित थे। प्राचीन वित्तीय साधनों के साथ नए साधनों को जोड़कर शिक्षा के बढ़ते व्यय को पूरा करने का प्रयास किया गया। इस काल में शिक्षा की अर्थव्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, स्थायी और वैज्ञानिक बनाने के प्रयास किए गए।

वित्तीय स्रोतों में परिवर्तन

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाएं और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाएं शिक्षा के लिए धनराशि प्रदान करती थीं।
- धार्मिक संस्थाएं और व्यक्तिगत दानदाता भी शिक्षा के लिए धनराशि प्रदान करते थे, जबकि यह स्रोत पहले की तुलना में कम महत्वपूर्ण हो गया।
- छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क भी एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत था।

8.4 ब्रिटिश शिक्षा की कमियाँ

ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली में वृहद परिवर्तन हुए, परन्तु इन परिवर्तनों के पीछे के उद्देश्य हमेशा अस्पष्ट थे। ब्रिटिश शासकों का मुख्य लक्ष्य भारत में अपने शासन को मजबूत करना और अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। शिक्षा को इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक साधन के रूप में देखा गया। यही कारण है कि ब्रिटिश काल की शिक्षा में अनेक दोष परिलक्षित होते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख दोष निम्नवत प्रस्तुत किए गए है

8.4.1 ब्रिटिश कालीन शिक्षा के अस्पष्ट उद्देश्य

- ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आने का मुख्य उद्देश्य व्यापार था। शिक्षा को केवल व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए एक माध्यम के रूप में देखा गया था ।
- ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों को शिक्षित करके उन्हें अपने शासन में सहयोगी बनाने की कोशिश की। परन्तु यह शिक्षा भारतीयों के पक्ष में नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन के पक्ष में ज्यादा थी।
- ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों का अधिक से अधिक शोषण करने का प्रयास किया। शिक्षा को इस शोषण को वैध ठहराने का एक साधन बनाया गया।
- भारत में शिक्षा का प्रसार ब्रिटिश शासकों की एक राजनीतिक मजबूरी थी। उन्हें भारतीयों को शिक्षित करने के लिए विवश होना पड़ा ताकि वे अपने शासन को स्थायी बना सकें।

ब्रिटिश काल में शिक्षा के अस्पष्ट उद्देश्यों के कारण भारतीय शिक्षा प्रणाली को गंभीर नुकसान पहुंचा। ब्रिटिश शासकों ने भारतीय शिक्षा को अपने स्वार्थ के अनुरूप बना लिया था जिसके परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति और मूल्यों में गिरावट आई। स्वतंत्रता के बाद भारत को अपनी शिक्षा प्रणाली को पुनर्निर्माण करने और भारतीय मूल्यों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता महसूस हुई।

8.4.2 ब्रिटिश कालीन शिक्षा में साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण

ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा प्रणाली को लागू करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से भारत पर अपने शासन को मजबूत करना था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसी शिक्षा नीति अपनाई जो पूरी तरह से साम्राज्यवादी थी।

साम्राज्यवादी नीति के प्रमुख लक्षणः

- ब्रिटिश प्रशासकों ने भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों से अवगत कराने पर बल दिया। इसका उद्देश्य भारतीयों में अपनी संस्कृति के प्रति अनास्था पैदा करना और ब्रिटिश संस्कृति को उत्कृष्ट सिद्ध करना था।
- अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाकर ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों को ब्रिटिश संस्कृति और साहित्य से जोड़ने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में नौकरियां देकर उन्हें अपने प्रति वफादार बनाना था।
- ब्रिटिश शासकों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को कमतर आंका और पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को ही बेहतर माना। उन्होंने भारतीय भाषाओं और संस्कृत को कम महत्व दिया।
- ब्रिटिश शासकों ने व्यावसायिक शिक्षा पर कम ध्यान दिया और अधिकतर शिक्षा को प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयार करने पर अधिक केंद्रित किया।
- ब्रिटिश शासकों ने शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को अपने अधीनस्थ बनाने का प्रयास किया। भारतीयों को केवल क्लर्क और निम्न स्तर के अधिकारी के रूप में तैयार किया गया।

8.4.3 ब्रिटिश कालीन शिक्षा में अधोमुखी निस्यन्दन सिद्धांत

ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का प्रसार मुख्यतः ब्रिटिश शासन के राजनीतिक और आर्थिक लाभों से प्रेरित था। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत इसी तथ्य का एक उदाहरण है। इस सिद्धांत का यह मत था कि यदि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाए तो वे अपने ज्ञान को धीरे–धीरे निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंचा देंगे। इस तरह शिक्षा स्वतः ही समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाएगी। मैकाले का मत था कि इस तरह शिक्षा का लाभ उठाकर उच्च वर्ग ब्रिटिश शासन में सहयोग करेगा और निम्न वर्ग को नियंत्रित करने में मदद करेगा।

- इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था, न कि भारतीय जनता का कल्याण करने से सम्बन्धित था।
- शिक्षित उच्च वर्ग ब्रिटिश संस्कृति और जीवनशैली को आत्मसात करने लगा और उच्चवर्ग, निम्न वर्ग से दूर हो गए।
- भारत में व्याप्त सामाजिक असमानता के कारण शिक्षा का लाभ मुख्यतः उच्च जातियों तक ही सीमित हो गया था।
- अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, जिससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिए शिक्षा प्राप्त करना कठिन कार्य हो गया था।

8.4.4 स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं की उपेक्षा

ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का स्वरूप पूरी तरह से ब्रिटिश लाभों से प्रेरित था। ब्रिटिश शासकों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को अपने नियंत्रण में रखने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए। इनमें से एक महत्वपूर्ण कदम था स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं की उपेक्षा करना ।

स्वदेशी शिक्षा संस्थाएं

स्वदेशी शिक्षा संस्थाएं वे संस्थाएं थीं जो भारतीयों द्वारा स्थापित की गई थीं और जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों को आगे बढ़ाती थीं। इन संस्थाओं का उद्देश्य भारतीयों को उनकी अपनी भाषा और संस्कृति में शिक्षित करना था।

8.4.5 राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के प्रतिकूल प्रभाव

ब्रिटिश काल में भारत में संचालित की गई शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसी शिक्षा नीति अपनाई जो भारतीय राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के विपरीत थी। ब्रिटिश काल में शिक्षा प्रणाली धर्मनिरपेक्ष थी लेकिन यह धर्मनिरपेक्षता वास्तव में धार्मिक सहिष्णुता के विरुद्ध थी। इसने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को क्षति पहुंचाई और राष्ट्रीय एकता को कमजोर किया।

8.4.6 शिक्षा पर सरकार का अधिक नियंत्रण

ब्रिटिश काल में शिक्षा प्रणाली की एक मुख्य कमी सरकार का शिक्षा पर अत्यधिक नियंत्रण करना था। ब्रिटिश सरकार में शिक्षा व्यवस्था केंद्रीयकृत थी और इसका हर कार्य सरकार के अधीन था। पाठ्यक्रम निर्धारण, शिक्षण विधियों का चयन, शिक्षकों की नियुक्ति और वेतन निर्धारण सभी का निर्णय सरकार द्वारा ही लिया जाता था।

सरकार के अत्यधिक नियंत्रण के कारण शिक्षा प्रणाली में जकड़न पैदा हो गई थी। शिक्षा को स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार सुव्यवस्थित करने की कोई सम्भावना नहीं थी। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने भारतीय शिक्षा को पूरी तरह से पाश्चात्य बना दिया था। भारतीय भाषाओं और संस्कृति को कमतर आंका गया और अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा को ही उत्कृष्ट माना गया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज भी भारत में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को कमजोर किया। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं किया। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया। शिक्षा का लाभ मुख्यतः उच्च जातियों और अमीर लोगों तक ही सीमित रहा।

8.5 सारांश

ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का प्रारंभ मुख्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की सुविधा और ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से हुआ था। 1835 में लॉर्ड मैकाले के विवरण–पत्र ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा नीति की आधारशिला रखी। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश शासन के लिए तैयार करना, यूरोपीय साहित्य और विज्ञान से परिचित कराना तथा भारतीयों का आर्थिक विकास करना था।

मैकाले ने 'अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत' दिया जिसके अनुसार उच्च वर्ग को शिक्षित करके ज्ञान को निम्न वर्ग तक पहुंचाया जाएगा। ब्रिटिश काल में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर की शिक्षा संस्थाएं स्थापित हुईं। पाठ्यक्रम में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को प्रमुखता दी गई और अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। शिक्षण विधि मुख्यतः व्याख्यान पर आधारित थी। परीक्षा प्रणाली औपचारिक थी और छात्रों को अंकों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता था।

जबकि ब्रिटिश काल में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई, लेकिन इस प्रणाली में कई कमियां भी थीं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश शासन के लिए तैयार करना था, जिसके कारण भारतीय संस्कृति और मूल्यों को कम महत्व दिया गया। उदाहरण के लिए लॉर्ड मैकाले का विवरण–पत्रः इस पत्र में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की वजह से भारतीय भाषाओं को कम महत्व दिया गया। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने से भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया। शिक्षा का लाभ मुख्यतः उच्च वर्ग तक ही सीमित रहा और जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा हुई इसे अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत से समझा जा सकता है।।

ब्रिटिश काल की शिक्षा प्रणाली ने भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को प्रभावित किया। इस प्रणाली ने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को क्षति पहुंचाई और राष्ट्रीय चेतना को कमजोर किया।

8.6 अभ्यास के प्रश्न

1. ब्रिटिश शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
2. ब्रिटिश शिक्षा की कमियों की विवेचना कीजिए।
3. ब्रिटिश शिक्षा की विशेषताओं और कमियों के आधार पर अपने मत को लिखिए।

8.7 चर्चा के बिन्दु

1. भारतीय शिक्षा प्रणाली और ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में से कौन सी प्रणाली ज्यादा उपयुक्त है? इस पर चर्चा कीजिए।

8.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. तीन प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा
2. व्याख्यान विधि, रटने पर बल, प्रयोगशाला विधि
3. महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए कई कन्या विद्यालयों की स्थापना की गई।

   सरकार ने महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतियां बनाईं।

8.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. गुप्ता एस0 पी0 : (2004) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
2. त्यागी गुरसरन दास : (2008 / 2009) भारतीय शिक्षा का परिदृष्य समस्याएँ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–7
3. पाठक पी0 डी0 : (2010 / 2011) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2
4. मदान पूनम : (2016 / 2017) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2
5. पाठक एवं जौहरी : (2008 / 2009) भारतीय शिक्षा का इतिहास, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2
6. लाल, रमन बिहारी : (2005 / 2006) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ
7. सारस्वत मालती एवं गौतम एस0 एल0 : भारतीय शिक्षा का विकास, आलोक पब्लिकेशन्स, लखनऊ

खण्ड – 03 : स्वतंत्रोत्तर काल में शिक्षा

खण्ड परिचय

इस खण्ड के अन्तर्गत स्वतंत्रोत्तर काल में शिक्षा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। आजादी के बाद भारतीय आवश्यकतानुसार शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी इसके लिए भारतीय संविधान की संरचना इसके अनुरूप बनाई गयी तथा उसमें संशोधन एवं परिमार्जन हेतु समय–समय पर विभिन्न आयोगों, समितियों एवं शिक्षा नीतियों का गठन किया गया। प्रस्तुत खण्ड – 03 को चार इकाईयों क्रमशः इकाई–09, इकाई–10, इकाई–11 एवं इकाई–12 में वर्गीकृत किया गया है।

इकाई–09 : भारतीय संविधान और शिक्षा

किसी भी राष्ट्र के लिए शिक्षा ही एक सशक्त माध्यम है। यह जीवन पर्यान्त चलने वाली प्रक्रिया है। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को उसके मूल अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भोजन अनिवार्य रूप से प्राप्त होना चाहिए। इस इकाई के अन्तर्गत देश की प्रगति एवं उन्नयन के लिए अपने संविधान में शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गये है। प्रस्तुत इकाई में इसी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए विस्तृत चर्चा की गई है।

इकाई–10 : महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्र की अवधारणा, आवश्यकता एवं व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करने की आवाज तेजी से उठने लगी। क्यों कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था भारतीय जन–मानस के अनुरूप नहीं थी। अतः समय–समय पर शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन एवं परिमार्जन की आवश्यकता महसूस हुई। इसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने समय–समय पर जैसी आवश्यकता महसूस हुयी उसी के दृष्टिगत विभिन्न आयोगों का गठन किया जिन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु अपनी सिफारिशे सरकार को सौंपी। प्रस्तुत इकाई में विभिन्न आयोगों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

इकाई–11 : महत्वपूर्ण शिक्षा समितियाँ

स्वतन्त्र भारत में शिक्षा को भारतीय जन–मानस के अनुरूप बनाने हेतु बुद्धिजीवी वर्ग ने आवश्यकता महसूस की प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा की व्यवस्था में सुधार एवं परिमार्जन की आवश्यकता थी। इसी के दृष्टिगत समय–समय पर सरकार द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया और विभिन्न समितियों के रिर्पोट के आधार पर शिक्षा में बदलाव किए गये। प्रस्तुत इकाई में समय–समय पर गठित विभिन्न समितियों एवं उनकी संस्तुतियों का विस्तृत विवेचना की गई है।

इकाई–12 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968

शिक्षा के माध्यम से ही किसी राष्ट्र की प्रगति सम्भव होती है। प्रगति का मूल आधार शिक्षा ही है। अतः इसमें सुधार हेतु समय–समय पर विभिन्न आयोगों का गठन किया गया और आयोगों की संस्तुतियों के आधार पर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जाता है। सन 1966 में गठित कोठरी कमीशन ने शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के निर्धारण पर प्रकाश डाला। कोठारी आयोग के संस्तुती एवं सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूप रेखा तैयार करने के लिए सन 1964 में एक संसदीय समिति का गठन किया गया और आयोग को इस कार्य को पूर्ण करने का दायित्व दिया गया। इस प्रतिवेदन के आधार पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 7 सिद्धान्तों को सम्मिलित करने की सहमति बनी। इस इकाई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का वृहद विवेचन किया गया है।

इकाई–09 भारतीय संविधान और शिक्षा

इकाई की संरचना

9.1 प्रस्तावना
9.2 इकाई के उद्देश्य
9.3 सभी के लिए शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी प्रावधान
9.4 निःशुल्क एवं अनिर्वाय प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान
9.5 अल्पसंख्यक समुदाय हेतु शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान
9.6 समान शैक्षिक अधिकार सम्बन्धी प्रावधान
9.7 अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दुर्बल वर्ग हेतु शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान
9.8 धर्म आधारित शिक्षा प्राप्त करने की स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधान
9.9 मातृभाशा में शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान
9.10 हिन्दी भाशा का विकास सम्बन्धी प्रावधान
9.11 महिलाओं एवं पिछड़े समूह वर्ग की शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान
9.12 केन्द्र और राज्य के शिक्षा सम्बन्धी अधिकार एवं प्रावधान
9.13 सारांश
9.14 अभ्यास के प्रश्न
9.15 चर्चा के बिन्दु
9.16 बोध प्रश्नों के उत्तर
9.17 कुछ उपयोगी पुस्तके

9.1 प्रस्तावना

किसी भी राश्ट्र की प्रगति और उत्थान के लिए शिक्षा ही एक प्रबल माध्यम है। इसलिए विष्व के विकसित राश्ट्रो ने देष की प्रगति के लिए अपने–अपने संविधान में शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों को सुनिष्चित किया है। **15 अगस्त, 1947** को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पष्चात भारत ने **26 जनवरी, 1950** को अपना संविधान लागू किया। भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण धाराएँ एवं उपबन्ध है जिसका परोक्ष व अपरोक्ष रुप से शिक्षा से सीधा सम्बन्ध है। इसके साथ ही भारत के संविधान में केन्द्र तथा राज्यों के शैक्षिक उत्तरदायित्व एवं महत्व को स्पष्ट रुप से उल्लिखित किया गया है।

भारतीय संविधान की उद्देषिका इसकी मूल भावना को परिलक्षित करती है जो निम्नानुसार है– ''हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा अपने समस्त नागरिकों हेतु न्याय–सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, स्वतन्त्र विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, समता–प्रतिश्ठा और अवसर की, बधुता–व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिष्चित करने के लिए हर संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।

Preamble of Indian constitution -

We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic and to secure to all its citizens:

Justice, social, economic and political;

Liberty of thought, expression, belief, faith and worship;

Equality of status and of opportunity and to promote among them all; Fraternity assuring dignity of the individual and the [unity and integrity of the Nation];

In our constituent assembly this twenty-sixth day of November,1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution.

उद्देशिका में परिलक्षित भावों की स्पष्टता मूल अधिकारों में वर्णित है। शुरुआत में इस संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए **7** मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी परन्तु कालान्तर में **1979** के **44वें** संशोधन में सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर उसे कानूनी अधिकार की सूची में स्थान दिया गया। संशोधनोपरान्त भारतीय नागरिकों

को संविधान के आधार पर अब केवल **6** मूल अधिकार ही प्राप्त है।

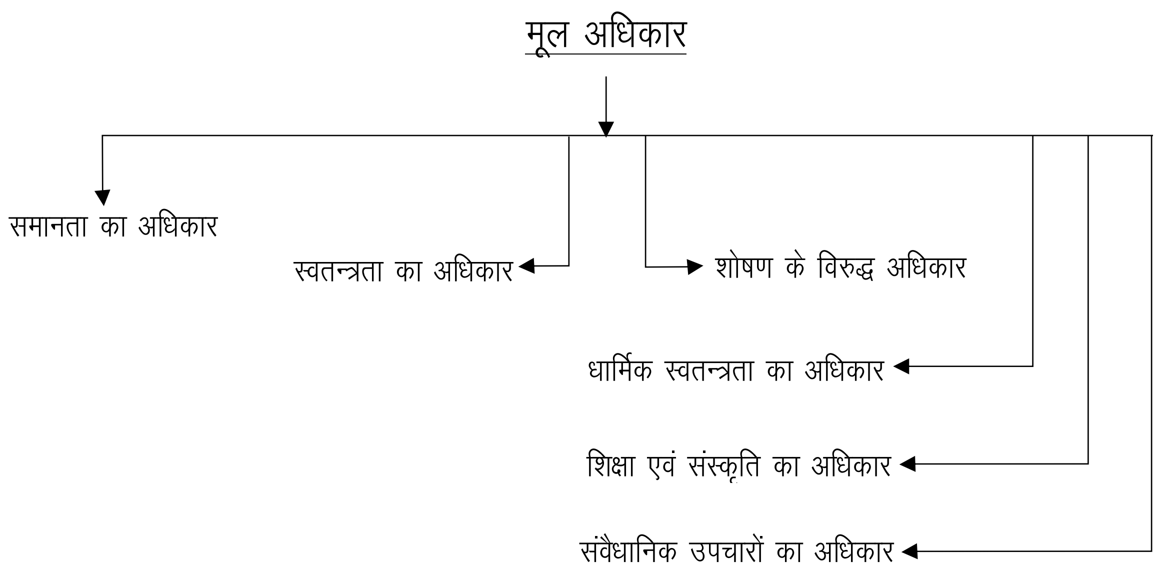

निष्कर्ष स्वरुप कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं, महिलाओं, वैज्ञानिक शोध, धार्मिक शिक्षा की स्वतन्त्रता, भाषाओं के विकास इत्यादि हेतु समुचित प्रावधान किए गये है।

9.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेगें कि –

- भारतीय संविधान के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेगें।
- भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकारों के विषय में जागरूक हो सकेगें।

- भारतीय संविधान की उद्देषिका के महत्व का वर्णन कर सकेगें।
- भारतीय संविधान में शिक्षा सम्बन्धी प्रावधानों से अवगत हो सकेगें।
- भारतीय संविधान के अनुसार केन्द्र और राज्य के लिए प्रदत्त शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों के सम्बन्ध में भेद कर सकेगें।

9.3 सभी के लिए शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी प्रावधान

भारतीय लोकतन्त्र में व्यक्ति के उत्कृष्ट एवं पूर्ण विकास के लिए जाति, धर्म, पंथ में विभेद किए बिना लाभ प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। इन मूलभूत आवश्कताओं को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद **29** में सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद **29 (2)** में दिए गये व्यवस्थानुसार किसी भी जाति,धर्म, और भाषा के नागरिकों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेष से वंचित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में यह नियम वित्तविहीन मान्यता प्राप्त तथा पब्लिक स्कूलों पर भी समान रुप से लागू है।

इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान अनुच्छेद **19** में अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। अभिव्यक्ति का अधिकार भी किसी न किसी रुप में शिक्षा के अधिकार की ओर ही इंगित करती है। किसी भी प्रकार के अभिव्यक्ति के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। अतः परोक्ष रुप से यह भी शिक्षा के अधिकार के अर्न्तगत ही निहित है।

9.4 निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान

भारतीय लोकतन्त्र के ढ़ाचे को मजबूत करने के लिए तथा लोकतन्त्र की संरचना की सफलता के लिए संविधान निर्माताओं ने विचार किया कि भारत में प्राचीन शिक्षा का प्रसार करने की अत्यधिक आवश्यकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद **45** में विहित व्यवस्थानुसार निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का दायित्व राज्य सरकारों को दिया गया है। अनुच्छेद **45** में स्पष्ट रुप से वर्णित किया गया है कि राज्य इस संविधान के लागू होने के **10** वर्श के भीतर **14** आयु वर्ग के सभी बच्चों के जिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का पूर्ण प्रयास करेगा।

The State shall endeavor to provide with in a period of ten Years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.

बोध प्रश्न

टिप्पणी (क) नीचे दिए हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए।

(ख) इकाई के अन्त में दिए गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. भारतीय संविधान की उद्देश्यिका को लिखिए ?

....

....

....

2. समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने का अधिकार किस अनुच्छेद के अन्तर्गत है ?

....

....

3. अनुच्छेद 45 में किस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है ?

....

....

9.5 अल्पसंख्यक समुदाय हेतु शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान

भारतीय निर्माताओं ने संविधान के अन्तर्गत शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए विशेष व्यवस्था की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद **30 (1 व 2)** के अनुसार अल्पसंख्य समुदाय को यह अधिकार प्रदान किए गये है कि वे अपनी पसन्द व इच्छानुसार धर्म व भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थाएँ स्थापित कर उन्हें संचालित कर सकते है। राज्य की सरकारें किसी भी प्रकार का अनुदान देते समय इस आधार पर विभेद नही करेगी कि अल्पसंख्यओं द्वारा स्थापित संस्थाएँ विशेष नियमों के अन्तर्गत संचालित हो रही है। इस अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि धर्म या भाषा के आधार पर संस्थाएँ चलाने के लिए पूर्णतया स्वतन्त्र होगी।

9.6 समान शैक्षिक अधिकार सम्बन्धी प्रावधान

लोकतन्त्र में जाति, धर्म या स्तर में अन्तर किए बिना सभी नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए सभी को समान अधिकार प्रदान किए गये है। लोकतन्त्र में अनुच्छेद **29 (2)** के अन्तर्गत सभी के लिए समान रुप से शैक्षिक अवसर प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस अनुच्छेद के आधार पर राज्य सरकार द्वारा या सहायता प्राप्त संस्थान द्वारा संचालित किसी भी शैक्षिक संस्थान में किसी भी व्यक्ति को प्रजाति, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर प्रवेष से वंचित नहीं किया जा सकता।

9.7 अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दुर्बल वर्ग हेतु शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद **46** में स्पष्ट रुप से वर्णित है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दुर्बल वर्ग के नागरिकों की शैक्षिक एवं आर्थिक हितो के रक्षा करने या आगे बढ़ाने की बात कही गयी है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसे लोगों की शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य राज्य सरकारों का है।

इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कमजोर वर्गों के विशेष रुप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और उनकी सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा।

बोध प्रश्न

टिप्पणी (क) नीचे दिए हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए।

(ख) इकाई के अन्त में दिए गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. किस अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि, धर्म या भाषा के आधार पर संस्थाएँ चलाने का अधिकार प्राप्त है ?

....
....
....
....

2. अनुच्छेद **29** (**2**) में क्या व्यवस्था दी गई है ?

....
....
....
....

3. अनुच्छेद 46 में किसके अधिकारों की चर्चा की गई है ?

....
....
....
....

9.8 धर्म आधारित शिक्षा प्राप्त करने की स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधान

भारतीय संविधान में सभी धर्मों के लिए समान रुप से शिक्षा व्यवस्था की गई है। निष्कर्ष स्वरुप कह सकते है कि सर्वधर्म समभाव सम्मत शिक्षा व्यवस्था की कल्पना हमारे संविधान में की गई है। इसका स्पष्ट प्रावधान अनुच्छेद **28 (1, 2 एवं 3)** में वर्णित किया गया है।

- अनुच्छेद **28 (1)** के अनुसार राज्य द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में धर्म आधारित शिक्षा नहीं दी जा सकती।
- अनुच्छेद **28 (2)** के अनुसार कोई ऐसी संस्था जिसका प्रशासन राज्य करता हो परन्तु उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के द्वारा की गई है और उस संस्थाओं में धार्मिक क्रिया–कलाप संचालित होते है। ऐसी स्थिति में उन धार्मिक संस्थाओं में धर्म आधारित शिक्षा दी जा सकती है।
- अनुच्छेद **28 (3)** में वर्णित किया गया है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाए धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए किसी भी नागरिक को बाध्य नहीं कर सकती है।

  उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कहा जा सकता है कि अनुच्छेद **28** भारत में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी (क) नीचे दिए हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए।

(ख) इकाई के अन्त में दिए गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

4. धर्म आधारित शिक्षा शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं दी जा सकती। किस अनुच्छेद में वर्णित है ?

....

....

....

5. प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था के लिए अनच्छेद **350– I** में क्या कहॉ गया है ?

....

....

....

6. किस अनुच्छेद में वर्णित है कि हिन्दी भाषा का प्रसार एवं विकास की जिम्मेदारी केन्द्र की होगी ?

....

....

....

9.9 मातृभाषा में शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान

मातृभाषा के महत्व को स्वीकार करते हुए प्राथमिक स्तर की शिक्षा वयवस्था के लिए अनुच्छेद **350– I** में कहॉ कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा सुलभ कराने का दायित्व राज्यों का तथा स्थानीय निकायों का होगा।

9.10 हिन्दी भाषा का विकास सम्बन्धी प्रावधान

भारतीय संविधान में राष्ट्र भाषा की प्रगति, विकास, एवं प्रचार प्रसार की समुचित व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद **351** में इस बात पर बल दिया गया है कि हिन्दी के प्रसार, संवर्धन एवं समुचित ढंग से इस भाषा को विकसित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होगी इसके साथ ही केन्द्र को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भारत की एकता में अनेकता की मिली जुली संस्कृति के अभिव्यक्ति का माध्यम हिन्दी के प्रसार, संवर्धन, विकास एवं भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम हिन्दी भाषा बने, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्र का होगा।

9.11 महिलाओं तथा पिछड़े समूह वर्ग की शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान

संविधान में महिलाओं तथा पिछड़े समूह वर्ग के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। अनुच्छेद **15 (3 एवं 4)** में महिलाओं और सामाजिक तथा शैक्षिक रुप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए कोई प्रावधान लागू करने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। इससे स्पष्ट है कि महिलाअें और पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान और शिक्षा के लिए राज्य जो भी व्यवस्था या सुविधा प्रदान करना चाहें, उसके लिए संविधान उसे पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करता है।

9.12 केन्द्र और राज्य के शिक्षा सम्बन्धी अधिकार एवं प्रावधान

भारतीय अनुच्छेद के **246** में केन्द्र व राज्य सरकारों के कार्यों, उत्तरदायित्व व अधिकारों का स्पष्ट विभाजन करते हुए उनके अधिकारों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसके लिए संविधान में तीन सूचियों का प्रावधान किया गया है जो निम्नवत है–

(1) संघ सूची (2) राज्य सूची (3) समवर्त्ती सूची

1. <u>संघ सूची या केन्द्रीय सूची</u>

इस सूची में सम्मिलित शैक्षिक विषयों का विवरण निम्नवत है–

- **<u>प्रविष्टि–13</u>** – अन्तर्राष्ट्रीय सभाओं, संघो तथा अन्य संस्थाओं में सहयोगिता एवं वहॉ लिये गये निर्णियों का कार्यान्वयन।
- **<u>प्रविष्टि–62</u>** – ऐसी संस्थाएॅ जो भारतीय संविधान के प्रभावी होने के समय जैसे– राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, युद्ध संग्रहालय इत्यादि नामों से अपनी पहचान बनाती है, और इसी प्रकार की अन्य संस्थाएॅ जो पूर्णरुप से या आंशिक रुप से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित हो। ऐसी सभी संस्थाएॅ संसद से कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित की जाये।
- **<u>प्रविष्टि–63</u>** – ''इस संविधान के जारी होन पर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अनुच्छेद **371–ई** के अनुसार स्थापित विश्वविद्यालय तथा संसद द्वारा अथवा उसकी बनाई विधि के अन्तर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की उच्च शिक्षा संस्थाएॅ।''
- **<u>प्रविष्टि–64</u>** – भारत सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा आंशिक रुप से वित्त पोषित और संसद द्वारा विधिक रुप से घोषित राष्ट्रीय महत्व के वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थान।
- **<u>प्रविष्टि–65</u>** – संघीय समीकरण और विभिन्न संस्थाओं के लिए व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान तथा विशिष्ट अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान को प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धन।
- **<u>प्रविष्टि–66</u>** – उच्च शिक्षा अथवा अनुसंधान के विभिन्न संस्थानों एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थानों के मानकों का निर्धारण और समन्वय करना।

2. <u>राज्य सूची</u>

इस सूची में सम्मिलित शैक्षिक विषयों का विवरण निम्नवत है–

- **<u>प्रविष्टि–12</u>** – ऐसी संस्थाएॅ जो राष्ट्रीय महत्व के घोषित नहीं किये गये है तथा राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित पुस्तकालय संग्रहालय और ऐतिहासिक स्मारक आदि।

3. <u>समवर्ती सूची</u>

समवर्ती सूची में सम्मिलित शैक्षिक विषयों का उल्लेख निम्नवत है–

- **<u>प्रविष्टि–20</u>** – आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन।

- **प्रविष्टि–25** – संघ सूची की प्रविश्टि **63, 64, 65** एवं **66** के उपबन्धों के अधिन रहते हुए शिक्षा जिसमें तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं विश्वविद्यालय आते है, श्रमिकों का व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रषिक्षण।

बोध प्रश्न

टिप्पणी (क) नीचे दिए हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए।

(ख) इकाई के अन्त में दिए गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा हेतु किस अनुच्छेद में प्रावधान है ?

....

....

....

2. महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षिक प्रगति हेतु संविधान के अनुसार किसे अधिकार प्राप्त है ?

....

....

....

3. अनुच्छेद **246** में क्या वर्णित है ?

....

....

....

4. संघ सूची के विभिन्न प्रविष्टियों को लिखिए ?

....

....

....

5. राज्य सूची की प्रविष्टि–12 में क्या कहॉ गया है ?

....

....

....

6. समवर्ती सूची के प्रविष्टि–20 में किस बात का उल्लेख है ?

....

....

....

9.13 सांराश

आजादी प्राप्त करने के उपरांत एवं भारत के संविधान में संविधानवेत्ताओं ने विचारोपरान्त शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक प्रावधान किए। शिक्षा के अधिकार के लिए अनुच्छेद **21**, निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुच्छेद **45** में उत्तरदायित्व सुनिश्चित किए गये। इसके अलावा अनुच्छेद **30** में अल्पसंख्यकों की शिक्षा, शिक्षा के समान अवसर हेतु अनुच्छेद **29** में वर्णन किया गया। इसके साथ ही इस इकाई में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा की स्वतन्त्रता, मातृभाषा में शिक्षा, हिन्दी भाषा का विकास, महिला शिक्षा, एवं

केन्द्र तथा राज्यों के शैक्षिक अधिकार हेतु विभिन्न अनुच्छेद में प्राविधान निहित है उसका उल्लेख किया गया है। जिसका सार संविधान उद्देश्यिका में स्पष्ट रुप से परिलक्षित होता है।

9.14 अभ्यास के प्रश्न

1. भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए कौन–कौन से प्रावधान किए गये है। इसकी व्याख्या कीजिए ?
2. मातृभाषा में शिक्षा के लिए क्या सुविधाए है, लिखिए ?
3. निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए ?
4. अनुच्छेद **28 (1, 2 एवं 3)** में किसके लिए प्रावधान किया गया है, संक्षेप में लिखिए ?
5. केन्द्र तथा राज्य के शिक्षा सम्बन्धी कौन से प्रावधान संविधान में किए गये है। विवेचना कीजिए ?

9.15 चर्चा के बिन्दु

1. शिक्षा के लिए भारतीय संविधान में वर्णित विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा कीजिए।

9.16 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. ''हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा अपने समस्त नागरिकों हेतु न्याय–सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, स्वतन्त्र विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, समता–प्रतिष्ठा और अवसर की, बधुता–व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने के लिए हर संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।
2. अनुच्छेद–29
3. निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का दायित्व राज्य सरकारों को दिया गया है।
4. 30 (1 व 2)
5. सभी के लिए समान रुप से शैक्षिक अवसर प्राप्त हो इसकी व्यवस्था की गई है।
6. अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दुर्बल वर्ग के लोगों हेतु शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के रक्षा करने की व्यवस्था की गई है।
7. अनुच्छेद–28 (1)
8. अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी मात्रृभाषा में शिक्षा सुलभ कराने का दायित्व राज्यों का तथा स्थानीय निकायों का होगा।
9. अनुच्छेद–351
10. अनुच्छेद–15 (3 व 4)
11. राज्य सरकार को।
12. केन्द्र तथा राज्य सरकार के शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों एवं उत्तरदायित्व का वर्णन है।
13. प्रविष्टि– 13, 62, 63, 64, 65 एवं 66
14. ऐसी संस्थाएँ जो राष्ट्रीय महत्व के घोषित नहीं किए गये है तथा राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तपोशित पुस्तकालय, संग्रहालय एवं ऐतिहासिक स्मारक आदि।
15. आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन।

9.17 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- **गुप्ता एस0 पी0** : (2004) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याऍ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
- **त्यागी गुरसरन दास** : (2008/2009) भारतीय शिक्षा का परिदृश्य समस्याऍ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–7
- **पाठक पी0 डी0** : (2010/2011) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याऍ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2
- **मदान पूनम** : (2016/2017) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2
- **पाठक एवं जौहरी** : (2008/2009) भारतीय शिक्षा का इतिहास, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2
- **लाल, रमन बिहारी** : (2005/2006) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याऍ, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ
- **सारस्वत मालती एवं गौतम एस0 एल0** : भारतीय शिक्षा का विकास, आलोक पब्लिकेशन्स, लखनऊ

इकाई–10 : महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग

इकाई की संरचना

10.1 प्रस्तावना

10.2 इकाई के उद्देश्य

10.3 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

10.4 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

10.5 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन

10.6 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की संस्तुतियाँ एवं सुझाव

- 10.6.1 विश्वविद्यालयी शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य से सम्बन्धित आयोग के सुझाव
- 10.6.2 विश्वविद्यालयी शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त से सम्बन्धित आयोग का सुझाव
- 10.6.3 उच्च शिक्षा के संरचनात्मक संगठन से सम्बन्धित आयोग का सुझाव
- 10.6.4 शिक्षा का माध्यम सम्बन्धी आयोग का सुझाव
- 10.6.5 पाठ्यक्रम सम्बन्धी आयोग का सुझाव
- 10.6.6 शिक्षण के स्तर से सम्बन्धित आयोग का सुझाव
- 10.6.7 शिक्षण वर्ग के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव
- 10.6.8 शिक्षार्थी से सम्बन्धित आयोग का सुझाव
- 10.6.9 व्यवसायिक शिक्षा सम्बन्धित आयोग का सुझाव
- 10.6.10 स्नातकोत्तर, प्रशिक्षण और अनुसंधान से सम्बन्धित आयोग का सुझाव
- 10.6.11 परीक्षा और मूल्यांकन से सम्बन्धित आयोग का सुझाव
- 10.6.12 ग्रामीण विश्वविद्यालय से सम्बन्धित आयोग का सुझाव
- 10.6.13 छात्रवृत्ति, परीक्षा, छात्रावास और अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित आयोग का सुझाव
- 10.6.14 विश्वविद्यालय का विधान, संगठन और नियंत्रण के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव
- 10.6.15 अनुशासन व्यवस्था से सम्बन्धित आयोग का सुझाव

10.7 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गुण और दोष

10.8 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों का शिक्षा पर प्रभाव

- 10.8.1 सकारात्मक प्रभाव
- 10.8.2 नकारात्मक प्रभाव

10.9 माध्यमिक शिक्षा आयोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (मुदालियर आयोग 1952)

10.10 माध्यमिक शिक्षा आयोग के उदे्श्य

10.11 माध्यमिक शिक्षा आयोग के कार्यक्षेत्र

10.12 माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन

10.13 माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव

- 10.13.1 माध्यमिक शिक्षा में सुधार के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव

10.13.2 माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव
10.13.3 माध्यमिक शिक्षा के संगठन के सम्बन्ध में आयोग के सुझाव
10.13.4 माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव
10.13.5 माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यचर्या के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव
10.13.6 शिक्षण विधियों के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव
10.13.7 माध्यमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव
10.13.8 माध्यमिक स्तर पर चरित्र निर्माण एवं अनुशासन के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव
10.13.9 माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आयोग के सुझाव
10.13.10 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति, वेतनमान एवं सेवाशर्तों के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव
10.13.11 माध्यमिक स्तर की परीक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग के सुझाव
10.13.12 माध्यमिक स्तर की व्यवसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव
10.13.13 स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव
10.13.14 माध्यमिक स्तर पर धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव
10.13.15 माध्यमिक स्तर पर स्वाथ्य शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव
10.14 माध्यमिक शिक्षा आयोग का मूल्यांकन
10.14.1 सकारात्मक प्रभाव
10.14.2 नकारात्मक प्रभाव
10.15 संस्कृत आयोग (1956–57)
10.16 संस्कृत शिक्षा
10.17 संस्कृत अनुसंधान
10.18 पाण्डुलिपियाँ
10.19 संस्कृत विश्वविद्यालय
10.20 संस्कृत के विस्तार व विकास के लिए आयोग की सिफारिशें
10.21 शिक्षा आयोग का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (कोठारी आयोग 1964)
10.22 भारत सरकार द्वारा शिक्षा आयोग की स्थापना के कारण
10.23 शिक्षा आयोग का उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र
10.24 आयोग का प्रतिवेदन
10.25 शिक्षा आयोग के प्रमुख सुझाव एवं सिफारिशें
10.25.1 शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग का सुझाव
10.25.2 शिक्षा की संरचना एवं स्तर के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग का सुझाव
10.25.3 अध्यापक की स्थिति के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग का सुझाव
10.25.4 अध्यापक शिक्षा आयोग के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग का सुझाव
10.25.5 छात्र संख्या एवं जनशक्ति के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग का सुझाव

10.25.6 शिक्षा के अवसरों की समानता के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग का सुझाव
10.25.7 विद्यालय शिक्षा के विस्तार के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग का सुझाव
10.25.8 विद्यालय पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग का सुझाव
10.25.9 शिक्षण विधियॉ, निर्देशन और मूल्यांकन के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग का सुझाव
10.25.10 उच्च शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षा आयोग के सुझाव
10.25.11 बलिका शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग के सुझाव
10.25.12 वयस्क शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग के सुझाव
10.25.13 विज्ञान शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग के सुझाव
10.25.14 कृषि शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग के सुझाव
10.25.15 व्यवसायिक, प्राविधिक और इंजीनियरिंग शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग के सुझाव
10.26 शिक्षा आयोग का मूल्यांकन
10.27 राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (1983–85)
10.28 राष्ट्रीय शिक्षक आयोग प्रथम
10.29 राष्ट्रीय शिक्षक आयोग प्रथम के महत्वपूर्ण सुझाव
10.30 राष्ट्रीय शिक्षक आयोग द्वितीय
10.31 राष्ट्रीय शिक्षक आयोग द्वितीय का गठन और उनके कार्य
10.32 राष्ट्रीय शिक्षक आयोग द्वितीय के सुझाव
10.33 राष्ट्रीय शिक्षक आयोग द्वितीय के रिर्पोट का प्रभाव
10.34 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005)
10.35 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन की आवश्यकता
10.36 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य
10.37 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की कार्यप्रणाली
10.38 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की संस्तुतियॉ और सुझाव
10.39 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मूल्यांकन
10.40 सारांश
10.41 अभ्यास के प्रश्न
10.42 चर्चा के बिन्दु
10.43 बोध प्रश्नों के उत्तर
10.44 कुछ उपयोगी पुस्तकें

10.1 प्रस्तावना

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की शैक्षिक व्यवस्था पर पाश्चात्य संस्कृति की झलक पूर्णतया परिलक्षित होती थी। स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में शासन की सत्ता भारतीय लोगों के हाथ में आ गई इस समय तक जो शिक्षा व्यवस्था संचालित थी वह अंग्रेजों की आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरुप थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात

अंग्रेजों द्वारा लागू की गई शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन की मांग हेतु आवाज उठने लगी। भारतीय शिक्षा प्रणाली का गठन इस प्रकार किया जाए कि वह भारतीय जनमानस की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात भारत सरकार ने राष्ट्र की आवश्यकताओं, सुविधाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के पुनर्गठन हेतु सन् 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित किया गया इसके बाद 1952 में माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग को गठित किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन जिन उद्देश्यों के निमित्त किया गया था, वे संपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएं तथा मुदलियार शिक्षा आयोग ने भी तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की कमियों को दृष्टिगत रखते हुए उनको दूर करने के कई सिफारिशें की। इन सुझावों के बाद भी शिक्षा में कुछ ना कुछ कमियां नजर आती रहीं क्योंकि दोनों आयोग शिक्षा के एक पक्ष की ओर ही ध्यान देने वाले थे इसको दृष्टिगत रखते हुए एक ऐसे आयोग के गठन की मांग होने लगी जो शैक्षिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर देश की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा सम्बन्धी नीतियों एवं शिक्षा के सभी पक्षों में विकास कर सके। इन सब पहलुओं पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने समान शिक्षा नीति संपूर्ण भारत में एक समान लागू हो इसके लिए कोठारी आयोग के गठन की मंजूरी प्रदान की। इसी तरह अध्यापक शिक्षा आयोग प्रथम, अध्यापक शिक्षा आयोग द्वितीय तथा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन भी शिक्षा की स्थिति में सुधार हेतु समय–समय पर किया गया। प्रस्तुत इकाई में स्वतंत्रता के बाद गठित शिक्षा अयोगो की कार्य प्रणाली एवं संस्तुतियों के विषय में चर्चा की गई है।

10.2 इकाई के उद्देश्य

1. इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप इस योग्य हो जाएंगे की
2. स्वतंत्रता के बाद गठित आयोगों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
3. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गठित शिक्षा आयोगों की सिफारिशों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
4. स्वतंत्रता पूर्व गठित शिक्षा आयोगों के मध्य अंतः सम्बन्ध स्थापित कर सकेंगे।
5. स्वतंत्रता के बाद गठित विभिन्न शिक्षा आयोगों के मध्य अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे।
6. स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता के बाद गठित विभिन्न आयोगों की शैक्षिक उपयोगिता एवं उनकी प्रासंगिकता को समझ सकेंगे।

10.3 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (राधाकृष्णन आयोग 1948–49)

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्वविद्यालयी शिक्षा का विकास हो रहा था, लेकिन उस समय की शिक्षा व्यवस्था भारतीय जनमानस के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसका प्रमुख कारण विश्वविद्यालयों में छात्रो की बढ़ती संख्या और शिक्षा का स्तर निम्न कोटि का था। इन कमियों को समाप्त करने और भारत की आवश्यकताओं के सापेक्ष उच्च शिक्षा का पुनर्गठन करने के उदेश्य से अन्तर्विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार के सम्मुख अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को नियुक्त करने का सुझाव दिया। सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 4 नवम्बर, 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का अध्यक्ष डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया तथा सचिव के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के कला संकाय के प्रमुख श्री निर्मल कुमार सिद्धान्त, की नियुक्ति की गई।

10.4 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन का उद्देश्य और आयोग का कार्यक्षेत्र

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन कर उसके प्रतिवेदन को भारत सरकार को प्रस्तुत करना तथा राष्ट्र की उच्च शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए सुझाव देना था।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र विश्वविद्यालयों की वर्तमान परिस्थिति का गहनता के साथ अध्ययन करना तथा उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देने से सम्बन्धित था।

1. विश्वविद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति का अध्ययन कर उसमें निहित दोषों को पहचानना।
2. विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक एवं वित्तिय व्यवस्थाओं के विषय में सुझाव देना।
3. सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रशासनिक, वित्तिय, और शैक्षणिक गतिविधियों के साथ परीक्षा के स्तर में सुधार के लिए सुझाव देना।
4. उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति, वेतन, और सेवा शर्तों के लिए सुझाव प्रदान करना।
5. छात्रों के अन्दर व्याप्त अनुशासनहीनता को समाप्त करना। छात्रों के विकास एवं कल्याण हेतु योजना बनाना।

निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का उद्देश्य विश्वविद्यालयों के शैक्षिक विकास एवं उन्नयन के लिए सुझाव देना था। आयोग ने इस कार्य को एक वर्ष से भी कम समय में पूर्ण करके 25 अगस्त, 1949 को उच्च शिक्षा के निमित्त निर्मित प्रतिवेदन को सरकार के पास प्रेषित कर दिया।

10.5 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन

आयोग ने तत्कालीन विश्वविद्यालयी शिक्षा की स्थिति, उसमे व्याप्त समस्याओं तथा समस्याओं के समाधान के लिए प्रश्नावली तैयार की और इस प्रश्नावली को शिक्षा जगत में कार्य कर रहे लगभग 1000 व्यक्तियों के पास प्रेषित किया। प्रश्नावलियों से प्राप्त उत्तर के आधार पर आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करके उनका विवरण तैयार किया। आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, प्राध्यापकों और छात्रों से भेंट किया तथा उनकी समस्याओं और कठिनाई के स्तर को समझ कर उनकी मांगों और सुधार संबंधी उनके विचारों को जानने का प्रयत्न किया।

आयोग ने इन आंकड़ों और विद्धतजनों के विचारों के आधार पर अपना विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया। प्रतिवेदन के प्रथम खण्ड में 15 से भी अधिक अध्याय तथा पृष्ठों की संख्या 747 थी। प्रतिवेदन के द्वितीय खण्ड में 1156 पृष्ठ थे। इस विस्तृत प्रतिवेदन को 25 अगस्त, 1949 को भारत सरकार को आयोग ने सौंप दिया।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

1. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सरकार को सौंपा ?

....

....

2. प्रतिवेदन के प्रथम खण्ड में कितने पृष्ठ थे ?

....

....

10.6 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) की संस्तुतियाँ एवं सुझाव

आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा की समस्याओं का वृहद् अध्ययन एवं विवेचना किया और पूरे राष्ट्र का भ्रमण करके शिक्षकों और छात्रों के साक्षात्कार के आधार पर अपना प्रतिवेदन तैयार किया। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कुछ बिन्दु निम्नवत वर्णित है –

10.6.1 विश्वविद्यालयी शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य से सम्बन्धित आयोग के सुझाव

विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए जो उद्देश्य निश्चित किए थे उनके अन्तर्गत व्यक्तिगत और राष्ट्रीय हितों एवं सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया। आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य नए विचारों को जन्म देना और नई मान्यताओं एवं परम्पराओं के मध्य सामान्जस्य स्थापित कर्ना बताया। आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालयों को ऐसे नागरिकों को तैयार करना चाहिए जो राजनीति, प्रशासन, उद्योग आदि क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान कर सकें तथा यह भी कहा कि शिक्षा के माध्यम से ऐसे गुणों का विकास करना चाहिए, जो बालकों को भविष्य में अच्छे व्यक्ति बनने और राष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाने में मदद कर सकें।

10.6.2 विश्वविद्यालयी शिक्षा का प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित सुझाव

उच्च शिक्षा के प्रशासनिक और वित्तीय विषयों के सम्बन्ध में आयोग ने जो सुझाव दिए, वो निम्नवत् वर्णित है –

1. **समवर्ती सूची में शामिल करना** : उच्च शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था को समवर्ती सूची में रखना चाहिए। केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना चाहिए और राज्य की सरकारों को सम्बन्धित नीति के अनुसार अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।
2. **आंतरिक प्रशासन** : प्रत्येक विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया जाए, समितियों के अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट रूप से सुनिश्चित होंने चाहिए।
3. **महाविद्यालय प्रशासन** : महाविद्यालयों के प्रशासन का उत्तराधिकार उनकी प्रबन्धन समितियों को सौंप दिया जाना चाहिए।
4. **वित्त से सम्बन्धित** : उच्च शिक्षा विकास हेतु वित्तीय भार केन्द्र और राज्य सरकारों संयुक्त रूप से उठाना चाहिए।
5. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** : अध्यापकों के वेतन और अन्य आवश्यक और उपयोगी कार्यों के लिए अनुदान देने तथा कालेजों और विश्वविद्यालयों में एकरूपता बनाये रखनें हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए।
6. **आर्थिक सहायता से सम्बन्धित** : शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने वालों को आयकर में छूट प्रदान करनी चाहिए।
7. **धनराशि की व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान** : आगामी पंचवर्षीय योजना में दस करोड़ रुपये तक की धनराशि का प्रावधान किया जाना चाहिए, जिसका उच्च शिक्षा में विकास हेतु व्यय किया जाए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

3. विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन और वित्त के सम्बन्ध में दिए गये दो सुझाव को लिखिए।

....

....

10.6.3 उच्च शिक्षा के संरचनात्मक संगठन से सम्बन्धित आयोग का सुझाव

उच्च शिक्षा के संरचनात्मक संगठन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा दिये गये सुझाव निम्नवत् वर्णित है –

1. **उच्च शिक्षा के तीन स्तर** : उच्च शिक्षा की व्यवस्था को तीन स्तरों पर संगठित किया जाए – स्नातक, परास्नातक और अनुसंधान (शोध)।

2. **पाठ्यक्रम की अवधि** : स्नातक कार्यक्रम की अवधि 3 वर्ष और परास्नातक कार्यक्रम की अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए। अनुसंधान कार्य के लिए न्यूनतम अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए।

3. **शिक्षा का वर्गीकरण** : उच्च शिक्षा को तीन वर्गों में विभक्त किया जाना चाहिए – 1–कला, 2–विज्ञान 3–व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा। इन वर्गों अथवा विषयों के लिए अलग–अलग शिक्षा विभाग स्थापित किए जाने चाहिए।

4. **व्यवसायपरक और तकनीकी शिक्षा** : व्यवसायपरक और प्रद्यौगिकी शिक्षा को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया जाए– (i) कृषि (ii) वाणिज्य (iii) इंजीनियरिंग (iv) कानून (v) चिकित्सा (vi) शिक्षक–प्रशिक्षण।

5. **स्वतंत्र महाविद्यालय** : कृषि, वाणिज्य, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और शिक्षक प्रशिक्षण युक्त शिक्षा हेतु स्वतंत्र सम्बद्ध महाविद्यालय स्थापित किये जाए।

6. **कृषि विश्वविद्यालय** : कृषि में शिक्षा प्राप्त करने हेतु तथा अनुसन्धान हेतु कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए।

7. **ग्रामीण विश्वविद्यालय** : ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षा हेतु ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए और उनसे सम्बद्ध महाविद्यालय भी स्थापित किए जाने चाहिए।

10.6.4 शिक्षा का माध्यम सम्बन्धी आयोग के सुझाव

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा स्तर पर हिंदी को प्रभावी, सरल और समृद्ध बनाने एवं हिन्दी भाषा के विकास के लिए मान्य क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने का प्रयास एवं कार्य किया। उच्च शिक्षा में प्रयुक्त अंग्रेजी माध्यम के स्थान पर भारतीय भाषा को प्रतिस्थापित किए जाने पर बल दिया तथा आयोग ने उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को तीन भाषाएँ – 1– प्रादेशिक भाषा, 2– संघीय भाषा और 3–अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए इस पर राज्य सरकारों को आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा। माध्यमिक कक्षाओं में अंग्रेजी भाषा का शिक्षण पूर्व की भाँति लागू रहने पर बल दिया।

10.6.5 पाठ्यक्रम सम्बन्धी आयोग का सुझाव

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुधार के साथ माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुधार एवं परिवर्तन के लिए सुझाव दिए तथा दोनों स्तरों के पाठ्यक्रम हेतु वृहद पाठ्यक्रम योजना प्रस्तुत की जो निम्नवत वर्णित है –

- स्नातक पाठ्यक्रम की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए तथा कला एवं विज्ञान संकायों में उन छात्रों को प्रवेश दिया जाए, जिन्होंने 12 वीं तक की शिक्षा या इसके समकक्ष शिक्षा किसी अन्य विद्यालय में सफलतापूर्वक प्राप्त की हो।

- स्नातक स्तर पर सभी वर्गों – क्रमशः कला, विज्ञान और व्यावसाय में सामान्य शिक्षा और इसके साथ धार्मिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।

- बी.ए. और बी.ए. ऑनर्स के पाठ्यक्रमों में अन्तर स्पष्ट होना चाहिए।

- परास्नातक स्तर पर प्रवेश परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर होना चाहिए और यह पाठ्यक्रम स्नातक उत्तीर्ण छात्रों हेतु 2 वर्ष का और ऑनर्स पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों हेतु 1 वर्ष का होना चाहिए।

- परास्नातक स्तर पाठ्यक्रम में किसी भी एकल विषय का गहन अध्ययन कराया जाना चाहिए। जिसमें विषय की शोध विधियों का ज्ञान और प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।

- पी–एच.डी.(शोध) उपाधि हेतु निम्नतम दो वर्ष या उससे अधिक समय तक अनुसन्धान कार्य करना आवश्यक होना चाहिए। शोध कार्य उन्हीं छात्रों से कराया जाए जिनकी उसमें रुचि हो या बौद्धिक क्षमता हो।

10.6.6 शिक्षण स्तर से सम्बन्धित आयोग का सुझाव

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षण के स्तर को बेहतर बनाने हेतु प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट पास तथा न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य में उपयुक्त शिक्षण के लिए इंटरमीडिएट विद्यालय अधिक से अधिक संख्या में स्थापित किये जाने चाहिए। स्नातक कक्षा में इंटरमीडिएट पास शिक्षार्थियों में से केवल योग्य शिक्षार्थियों को ही प्रवेश दिया जाए। शिक्षार्थियों की अत्यधिक संख्या को रोकने के लिए विश्वविद्यालयों के कला और विज्ञान संकायों में शिक्षार्थियों की अधिकतम संख्या 3000 और सम्बद्ध महाविद्यालयों में 1500 निर्धारित की जानी चाहिए। विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों का शिक्षण सत्र, (परीक्षा अवधि को छोड़कर) न्यूनतम 180 कार्य दिवसों का होना चाहिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

4. उच्च शिक्षा के संरचनात्मक संगठन से सम्बन्धित आयोग के दो सुझावों का उल्लेख कीजिए।

   ....

   ....

5. पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के दो सुझाव को लिखिए।

   ....

   ....

6. शिक्षण से सम्बन्धित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के एक सुझाव को लिखिए।

   ....

   ....

10.6.7 शिक्षक वर्ग के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों के पदों को चार श्रेणियों में विभाजित किया–

- प्रोफेसर
- रीडर
- लेक्चरर
- इंस्ट्रक्टर या फैलोज
- अनुसंधान अभिसदस्य

कनिष्क पदों (लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर) एवं वरिष्ठ पदों (प्रोफेसर और रीडर) का अनुपात सामान्यतया 2:1 के होने की बात कही तथा यह भी सुझाया कि सेवानिवृत्ति की आयु सामान्यतया 60 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन प्रोफेसर के लिए 64 वर्ष तक आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है फिर कहा कि अध्यापकों को एक सप्ताह में अधिकतम 18 घंटे का अध्यापन कार्य दिया जाना चाहिए, जिसमें ट्यूटोरियल कार्य भी सम्मिलित हो। परास्नातक कक्षाओं और शोध छात्रों के निर्देशन के लिए 12 से 15 घंटे निर्धारित होने चाहिए।

10.6.8 शिक्षार्थी से सम्बन्धित आयोग का सुझाव

आयोग ने सुझाया कि उच्च शिक्षा उन शिक्षार्थियों को ग्रहण करनी चाहिए जो उसके योग्य हो। साधन विहिन और गरीब परन्तु प्रतिभावान शिक्षार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने की बात कही तथा प्रत्येक संस्थान में शिक्षार्थियों के विकास के लिए एन. सी. सी. की स्थापना की बात कही और प्रत्येक विश्वविद्यालय में 'छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड' की स्थापना की भी बात कही तथा इन्हें छात्र कल्याण सम्बंधी योजनाएँ बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में सहयोग प्रदान करने के लिए सुझाव दिया। 'प्रोक्टोरियल बोर्ड' के गठन की बात कही, जिसके द्वारा छात्रों को प्रशासनिक कार्यों में प्रशिक्षित व शैक्षणिक संस्थानों में व्याप्त अनुशासनहीनता को कड़ाई से समाप्त करने की दिशा में कार्य कर सकें।

10.6.9 व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धित आयोग के सुझाव

- स्नातक स्तर पर कृषि शिक्षा का पाठ्यक्रम सामान्यतः 3 वर्ष का होना चाहिए, परन्तु यदि पशुपालन के साथ शिक्षार्थी स्नातक करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसकी अवधि 4 वर्ष की होनी चाहिए।
- छात्रों को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी कृषि शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
- ग्रामीण अंचल में नए कृषि महाविद्यालय खोले जाने चाहिए और इन्हें ग्रामीण विश्वविद्यालयों से संबद्ध किया जाना चाहिए।
- कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की सहायता प्राप्त करनी चाहिए।
- छात्रों के लिए वाणिज्य विषय की स्नातक कक्षाओं की व्यवस्था महाविद्यालयों में उपलब्ध करानी चाहिए।
- छात्रों के लिए परास्नातक कक्षाओं का प्रबंधन विश्वविद्यालयों में किया जाना चाहिए।
- तीसरे वर्ष में छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु किसी फर्म या कम्पनी में प्रशिक्षणार्थी के रूप में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- देश में अभियान्त्रिकी और प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाली संस्था का अभाव है, इसलिए नई संस्थाएँ खोली जानी चाहिए।
- चिकित्सिकीय कॉलेजों में एक सत्र में 190 से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक छात्र के अधीन 10 से अधिक रोगी नहीं होने चाहिए।
- भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सिकीय प्रणालियों का विकास करना चाहिए और इनके अंतर्गत अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- कानून में स्नातक उपाधि की शिक्षा ग्रहण करने हेतु न्यूनतम अर्हता स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए।
- कानून के कॉलेजों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और विधि में स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष की अवधि का होना चाहिए। विधि शिक्षा में प्रथम दो वर्ष सैद्धान्तिक ज्ञान और तीसरे वर्ष में केवल व्यावहारिक ज्ञान के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- पाठ्यक्रम के सैद्धान्तिक पक्ष के लिए गोष्ठियाँ और प्रायोगिक कार्य के लिए कानून के छात्रों के दल को आपसी न्यायालय का प्रयोग करना चाहिए।
- विधि के पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषयों के साथ संविधान, विधिशास्त्र, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, कानून की धाराएँ, न्यायशास्त्र और हिन्दू एवं मुस्लिम लॉ आदि विषय को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक कार्य दिवसों पर सभी शिक्षण संस्थाओं में आत्मचिंतन के बाद ही अध्ययन कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए।

- स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष के छात्रों को धर्म के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले मनिषियों की जीवनियाँ पढ़ाई जानी चाहिए, जैसे स्वामी दयानंद, शंकराचार्य, विवेकानन्द, महात्मा गाँधी आदि।
- आयोग ने स्त्री शिक्षा के लिए सुझाव दिया कि स्त्रियों को सुगृहिणी और सुयोग्य बनाने के लिए स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम में गृह प्रबंधन, गृह अर्थशास्त्र और पोषण से सम्बन्धित पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

7. व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले कृषि शिक्षा के सुधार हेतु आयोग की प्रमुख संस्तुतियों को लिखिए।

....

....

10.6.10 स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और शाध से सम्बन्धित आयोग के सुझाव

- प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए विभिन्न समयों पर अलग–अलग परीक्षा आयोजित कराये जाने से छात्रों पर बोझ बढ़ता है और उन्हें कई परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती है। यदि अखिल भारतीय स्तर की प्रवेश परीक्षा एक साथ आयोजित की जाए तो यह छात्रों के लिए उपयोगी एवं सुविधाजनक होगी और मेधा वाले छात्रों को अच्छे अवसर मिलेंगे।
- पी–एच.डी. की परीक्षा में केवल शोध प्रबंध जमा करने पर ही ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। शोध कार्य में मौखिक परीक्षा को भी सम्मिलित करने से यह मालूम होता है कि छात्र ने अपने शोध कार्य को कितने गहनता से समझा है और ऐसी स्थिति में ही वे उसका प्रभावी ढंग से संचार कर सकता है।
- विश्वविद्यालयों द्वारा अनुबंधित विद्यालयों में अनुसंधान विभाग खोलने का प्रस्ताव शोध को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे न केवल शोध गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि शोध सुपरवाइजर और शोधार्थी को भी शोध में भाग लेने का अच्छा अवसर मिलेगा।

10.6.11 परीक्षाएं और मूल्यांकन से सम्बन्धित आयोग का सुझाव

परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए गठित आयोग की संस्तुतियों का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक निष्पक्ष, विश्वसनीय और छात्र–केन्द्रित बनाना था जिसके लिए आयोग ने बाह्य परीक्षाओं की संख्या को कम करके आंतरिक मूल्यांकन को अधिक महत्व देने की बात की तथा तीन वर्षीय उपाधि कार्यक्रम पाठ्यक्रम की परीक्षाएं अंतिम वर्ष में नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ष के अंत में आयोजित करायी जाएं इस बात पर बल दिया और प्रत्येक वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो ये कहा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्रमशः 70%, 55% और 40% हो ऐसा सुझाव दिया। आयोग ने कृपा अंक पद्धति को समाप्त करने से सम्बन्धित सुझाव भी दिए और आगे कहा कि छात्रों की परीक्षाओं में लिखित, प्रयोगात्मक और मौखिक तीनों प्रकार की परीक्षाएं सम्मिलित होनी चाहिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

8. परीक्षा और मूल्यांकन से सम्बन्धित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रमुख सुझाव को लिखिए।

....

....

10.6.12 ग्रामीण विश्वविद्यालय से सम्बन्धित आयोग का सुझाव

आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना, राज्य स्तर पर 'ग्रामीण शिक्षा परिषद' और केंद्र स्तर पर 'अखिल भारतीय ग्रामीण शिक्षा परिषद' के गठन की सिफारिश की।

10.6.13 छात्रवृत्ति परीक्षा, छात्रावास और अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित आयोग का सुझाव

- ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की सिफारिश विश्वविद्यालय आयोग ने की। छात्रों को छात्रवृत्तियां उनकी योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिए।
- शिक्षार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण खण्डों में कराया जाना चाहिए।
- छात्रावास के प्रत्येक खंड में 50 से अधिक छात्रों को रहने की अनुमति होनी चाहिए।
- छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए खेल के मैदान और उनके सर्वांगीण विकास के लिए अन्य सुविधाए उपलब्ध होनी चाहिए।

10.6.14 विश्वविद्यालयों का विधान, संगठन और नियंत्रण से सम्बन्धित में आयोग का सुझाव

विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए, विश्वविद्यालय आयोग ने विधान, संगठन और नियंत्रण के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये । जो निम्नवत वर्णित है –

- विश्वविद्यालय शिक्षा को केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य समान जिम्मेदारी देने के लिए इसे समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- केंद्र सरकार को सभी विश्वविद्यालयों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशासनिक मानकों को तैयार करना चाहिए।
- राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षणों से सम्बन्धित कार्यो के लिए सुविधाए सुलभ कराने का समर्थन किया जाना चाहिए।
- विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के कक्षा–कक्ष शिक्षण के शैक्षिक संकाय की नियुक्ति होनी चाहिए।
- सभी विश्वविद्यालयों को शिक्षण और संबद्धता प्रदान करने सम्बन्धी कार्यों को करने में सक्षम होना चाहिए। पूर्णरूपेण संबद्ध विश्वविद्यालयों की व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए।
- विश्वविद्यालयों को वित्तीय अनुदान प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय अनुदान आयोग का गठन किया जाना चाहिए।
- विश्वविद्यालय अधिकारी के सम्बन्ध में सुझाव –
  - i. राष्ट्रपति : आगंतुक (विजिटर) होंगे।
  - ii. राज्यपालः कुलपति (चांसलर) होंगे।
  - iii. उपकुलपति (वाइस चांसलर): विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी की नियुक्ति श्री राज्यपाल के माध्यम से होनी चाहिए।

iv. सीनेट : विश्वविद्यालय की प्रशासनिक और शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित निर्णय लेने के लिए 100 से भी ज्यादा सदस्यों वाला संगठन बनाया जाना चाहिए।

v. सिंडीकेट : विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् में 20 से 25 सदस्य होने चाहिए।

vi. अध्ययन परिषद : विभिन्न संकायों के पाठ्यक्रम, अनुसंधान, परीक्षा और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों पर निर्णय लेने के लिए अध्ययन परिषद् गठित किया जाना चाहिए।

10.6.15 अनुशासन व्यवस्था से सम्बन्धित आयोग का सुझाव

विश्वविद्यालयों में सभी प्रकार के अनुशासन बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अनुशासनात्मक प्रणाली को छात्रों के अन्दर ऐसी भावना का विकास करने की बात कही जिससे की छात्र संस्था के प्रत्येक गतिविधि में अनुशासित हो कर कार्य करें।

10.7 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गुण एवं दोष

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गुणो एवं दोषों का वर्णन निम्नवत किया गया है –

(अ) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गुण

i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

ii. आयोग ने शिक्षा में सुधार के लिए कई सुझाव दिए – जैसे कि तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, सामान्य शिक्षा की अनिवार्यता, ट्यूटोरियल सिस्टम, और शिक्षकों के लिए पद के अनुरूप वेतन और सेवा शर्तें को लागू किया जाना चाहिए।

iii. आयोग को शिक्षार्थियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं एवं क्रिया–कलापों जैसे छात्र कल्याण बोर्ड, खेलकूद की सुविधाएं, छात्रावास, और मध्याह भोजन की व्यवस्था कर छात्र का सर्वोत्तम विकास व कल्याण करना चाहिए।

iv. आयोग ने कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया।

v. आयोग ने निबंधात्मक परीक्षाओं के साथ ही वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के आयोजन कराने का सुझाव दिया

vi. आयोग ने महिला शिक्षा को बढाने के सुझाव के साथ ही सह–शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयत्न किया।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

9. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के दो गुणों को लिखिए।

....

....

(ब) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के दोष

i. आयोग द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य में व्यापकता अधिक है। इसके साथ ही यह अधिक आर्दश पर आधारित है जिसके कारण लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है। शिक्षा के उद्देश्य में व्यवहारिकता का सर्वथा अभाव पाया गया।

ii. शिक्षकों की स्थिति में सुधार के लिए वेतन और सेवा शर्तो के लिए बनाये गये नियम पर्याप्त नहीं थे। इस प्रकार की व्यवस्था से अध्यापकों को पद के अनुरूप सम्मान व लाभ को प्राप्त करना कठिन था।

iii. आयोग द्वारा धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का सुझाव धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत था।

iv. शिक्षा के माध्यम को लेकर आयोग के सुझाव के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही गयी, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी शिक्षा को भी प्रदान किये जाने का सुझाव दिया गया था। अतः कहा जा सकता है शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में आयोग के सुझाव में अस्पष्टता थी।

v. आयोग ने शिक्षकों को पॉच श्रेणियों में विभक्त करने और श्रेणी के अनुसार वेतन दिये जाने के सुझाव अप्रासंगिक सिद्ध हुए और यह समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त के विपरीत था।

vi. ग्रामीण कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए धन की कमी और संसाधन के अभाव के कारण आयोग के सुझाव व्यवहारिक नहीं थे।

vii. महिलाओं को केवल गृहिणी बनाने हेतु शिक्षित करने पर आयोग ने बल दिया था। आयोग का स्त्री शिक्षा के प्रति रवैया रूढ़िवादी था।

10.8 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों का शिक्षा पर प्रभाव

10.8.1 (अ) सकारात्मक प्रभाव :

i. आयोग की सिफारिशों के उपरान्त भारत में तेजी से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना करने की दिशा में तीव्रता आई।

ii. विश्वविद्यालय अनुदान समिति (1953) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में परिवर्तित कर दिया गया और 1956 में इसे स्वायत्त संस्था के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई।

iii. ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना 1954 में ग्रामीण शिक्षा के विकास, उत्थान एवं प्रगती के लिए की गयी थी।

iv. स्नातक पाठ्यक्रम को तीन वर्षीय कर दिया गया, 1959 में राष्ट्रीय सेवा योजना और 1963 में नेशनल कैडेट् कोर की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से की गई थी

v. विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक विषयों की शिक्षा के लिए अलग–अलग महाविद्यालयों की स्थापना की गई थी।

vi. विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे की संरचना का गठन आयोग के सुझावों के आधार पर किया गया था।

vii. महाविद्यालयी और विश्वविद्यालयीय शिक्षकों के वेतनमानों में वृद्धि के साथ उनकी सेवा शर्तों में सुधार किया गया था।

10.8.2 (ब) नकारात्मक प्रभाव :

i. आयोग की सिफारिशों एवं सुझावों के बाद भी शिक्षा को 1976 तक समवर्ती सूची में स्थान प्रदान नहीं किया गया था।

ii. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मध्य शिक्षा प्रणाली में असमानता व्याप्त रही।

iii. शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में कमी आई। इस कमी को दृष्टिगत रखते हुए कई प्रकार के सुझाव दिये गये।

10.9 माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर आयोग, 1952) का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 1948 में विश्वविद्यालयों शिक्षा आयोग का गठन हुआ। इसी वर्ष माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए ताराचंद समिति का भी गठन हुआ। ताराचंद समिति ने माध्यमिक शिक्षा के लिए कई सुझाव दिए जो अपूर्ण और अस्पष्ट थे।

1951 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने ताराचंद समिति के सुझावों को अपूर्ण और अस्पष्ट बताया और बोर्ड ने 1951 में माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव सरकार के सम्मुख रखा। इसे दृष्टिगत रखते हुए 23 सितंबर, 1952 को डॉ0 लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गयी। इसे मुदालियर आयोग के नाम से भी पुकारते है। इस आयोग के अन्य सदस्यों में डॉ0 के. एल. श्रीमाली, श्री के. जी. सैयदेन, श्रीमती हंसा मेहता, श्री जॉन क्राइस्ट और श्री कैनथ रस्ट विलियम्स के नाम प्रमुख थे।

10.10 माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य

इस आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत में माध्यमिक शिक्षा का मूल्यांकन करना और उसके पुनर्गठन के लिए सुझाव देने से सम्बन्धित था।

10.11 माध्यमिक शिक्षा आयोग के कार्यक्षेत्र

माध्यमिक शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र अत्यधिक वृहद था, जिसे निम्नवत वर्णित किया गया है –

- देश के सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था के प्रशासनिक तथा संगठनात्मक संरचना में सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव देना।
- माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम और शिक्षक के स्तर का अध्ययन करके उनमें सुधार के लिए सुझाव देना।
- माध्यमिक शिक्षा से सम्बंधित सभी समस्याओं का अध्ययन करना और उनके समाधान के उपयुक्त उपाय बताना।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

10. माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था ?

....

....

11. माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का नाम लिखिए।

....

....

10.12 माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भारत के विभिन्न राज्यों में माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से दो माध्यम अपनाए –

1. **प्रश्नावली के द्वारा** : उन्होंने अध्यापक, प्राचार्य, विद्वतजनो इत्यादि को शिक्षा से जुड़ी हुई प्रश्नों की सूची भेजी और उनके द्वारा प्राप्त उत्तरों के आधार पर विश्लेषण किया।
2. **भ्रमण और साक्षात्कार के द्वारा** : आयोग के सदस्यों द्वारा स्कूलों का दौरा किया गया तथा अध्यापकों, प्राचार्यो और विद्वतजनो से बातचीत करके उनके विचारों को रिकॉर्ड किया गया।

आकड़ों से मिली जानकारी के आधार पर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा के सभी बिंदुओं पर विचार किया और अंत में अपनी रिपोर्ट 29 अगस्त, 1953 को भारत सरकार को प्रेषित की। यह प्रतिवेदन 244 पृष्ठ का था, जिसमें माध्यमिक शिक्षा से संबंधित 14 प्रकरणों को सम्मिलित किया गया था।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

12. आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रेषित किया ?

....

....

13. आयोग का प्रतिवेदन कितने पृष्ठों का था ?

....

....

10.13 माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा की अनेक कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया और उनमें सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। कुछ सुझावों का वर्णन निम्नवत किया जा रहा है–

10.13.1 माध्यमिक शिक्षा में सुधार के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव

1. शिक्षा के उद्देश्य से सम्बन्धित सुझाव

शिक्षा का उद्देश्य केवल विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए प्रवेश करना मात्र नहीं होना चाहिए बल्कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में चरित्र निर्माण, सहयोग, नेतृत्व, अनुशासन और जीवन के लिए आवश्यक कौशल विकसित करना भी होना चाहिए।

2. पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सुझाव

- पाठ्यक्रम को व्यवहारिक और जीवनोपयोगी होना चाहिए।
- पाठ्यक्रम में विविध विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे छात्र अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विषयों का चयन कर अपने रूचि के अनुसार अध्ययन कर सके।
- अंग्रेजी की अनिवार्यता को हटा कर इसमें क्षेत्रीय भाषाओं को स्थान दिया जाना चाहिए।

3. **शिक्षण विधियों से सम्बन्धित सुझाव**

- कक्षा कार्य में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों को आधुनिक और प्रभावी बनाया जाना चाहिए जिससे छात्र सरलता से विषय वस्तु को सीख सकें।
- शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे छात्रों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहित की जा सके।
- स्कूलों में पाठ्य सहगामी गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए।

4. **परीक्षा प्रणाली से सम्बन्धित सुझाव**

- छात्रों के ज्ञान और कौशल के वास्तविक मूल्यांकन के लिए परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी एवं गुणवत्तायुक्त बनाया जाना चाहिए।
- रटने पर आधारित परीक्षाओं के स्थान पर व्यावहारिक तथा वस्तुनिष्ठ आधारित परीक्षाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

10.13.2 माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त के सम्बन्ध में आयोग के सुझाव

(क) प्रशासनिक संरचना से सम्बन्धित सुझाव

- प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन ऐसे स्थानों पर करना चाहिए जहाँ ये नही है।
- प्रांतीय शिक्षा निदेशक पदेन अध्यक्ष होंगे तथा शिक्षा निदेशक का कार्य शिक्षा मंत्री को शिक्षा के सम्बन्ध में जानकारी तथा उचित परामर्श देना। यह पद कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी के समकक्ष होना चाहिए।
- निजि विद्यालयों का प्रबंधन कंपनीज अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रबंध समितियों के द्वारा होना चाहिए।
- प्रत्येक राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन होना चाहिए और इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निर्देशन में कार्य करना चाहिए।

(ख) वित्त व्यवस्था से सम्बन्धित सुझाव

- केंद्र की सरकार राज्य सरकारों को माध्यमिक शिक्षा के विकास, उन्नयन एवं सर्वधन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- माध्यमिक स्कूलों को जो धनराशि दान स्वरूप प्राप्त होती है, उसे आयकर से मुक्त होना चाहिए।
- सरकार को माध्यमिक स्कूलों के स्थापना के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- माध्यमिक विद्यालयों द्वारा खरीदी गई सामग्री कस्टम टैक्स से मुक्त होनी चाहिए।।

10.13.3 माध्यमिक शिक्षा के संगठन के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव

(क) शिक्षा के स्वरूप से सम्बन्धित सुझाव

- माध्यमिक शिक्षा 11 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होनी चाहिए और 17 वर्ष की उम्र तक जारी रहनी चाहिए।
- माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 साल होगी जिसे दो भागों में विभक्त किया जाएगा –

(i) 3 साल तक सीनियर बेसिक

(ii) 4 साल तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

- बारहवीं कक्षा को अब डिग्री कोर्स का भाग माना जाना चाहिए।

(ख) विद्यालयों के प्रकार से सम्बन्धित सुझाव

- **बहुउद्देशीय विद्यालय** : बहुउद्धेशीय विद्यालयों को सामान्य शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम की भी शिक्षा जैसे कताई, बुनाई, सिलाई, क्राफ्ट, कृषि आदि की शिक्षा भी प्रदान करनी होगी।
- **कृषि शिक्षा विद्यालय** : कृषि शिक्षा विद्यालय ग्रामीण अंचलो में अवस्थित किए जाएंगे तथा छात्रों को कृषि, बागवानी, पशुपालन इत्यादि से संबंधित शिक्षा प्रदान करेंगे।
- **पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना** : पालिटेक्निक कॉलेज बड़े शहरों में खोले जाएंगे और ये क्षेत्रीय उद्योगों के लिए कुशल कर्मचारी प्रदान करने में सहायता प्रदान करेंगे।
- **आवासीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना** : यह विद्यालय ऐसे क्षेत्रों में खोले जाएंगे जहां पर माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की न्यूनता होगी।
- **आवासीय दिवस विद्यालय** : इस प्रकार के विद्यालयों में बच्चे सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक शिक्षा ग्रहण करेंगे और उन्हें विद्यालय में ही मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था की जायेगी।
- **विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय** : इस प्रकार के विद्यालयों में विकलांग बालकों को उनकी सुविधा एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- **बालिका विद्यालय की व्यवस्था** : लड़कियों के लिए अलग विद्यालय खोले जाएं विषम परिस्थिति में सामान्य माध्यमिक विद्यालयों में सह–शिक्षा प्रारम्भ करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

10.13.4 माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य से सम्बन्धित शिक्षा आयोग के सुझाव

मुदालियर आयोग ने 1953 में माध्यमिक शिक्षा को "उद्देश्यहीन" बताया था क्योंकि यह बालकों को वास्तविक एवं व्यवहारिक जीवन यापन करने के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी इसके अतिरिक्त आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए चार मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए थे जो निम्नवत हैं–

1. शिक्षार्थियों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास से सम्बन्धित सुझाव

- शिक्षार्थियों के अन्दर समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। छात्रों को बिना किसी भेदभाव के रहने, स्वतंत्र रूप से सोचने और उसे व्यक्त करने, दूसरों के प्रति प्रेम रखने, न्याय पूर्ण व्यवहार करने, वर्गभेद से दूर रहने तथा सांप्रदायिक दंगों से हमेशा दूर रहने की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।

2. व्यावसायिक कुशलता के विकास से सम्बन्धित सुझाव

- आयोग का ऐसा मत था कि माध्यमिक शिक्षा को एक पूर्ण इकाई होनी चाहिए जो बालकों को जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करेंगे।

3. व्यक्तित्व के विकास से सम्बन्धित सुझाव

- इसमें छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवहार, सांस्कृतिक मूल्यों, रुचियों, नैतिकता, चरित्र और आध्यात्मिक विकास से सम्बन्धित ज्ञान प्रदान करने के उपाय होने चाहिए।

4. नेतृत्व के विकास से सम्बन्धित सुझाव

- आयोग का ऐसा मत था कि छात्रों को भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए तथा जनतंत्र की सफलता के लिए कुशल नेतृत्व क्षमता विकसित की जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

10.13.5 माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या के सम्बन्ध में आयोग के सुझाव

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए चार प्रमुख सिद्धांतों पर बल दिया जो निम्नवत हैं–

1. पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि वे छात्रों को वास्तविक जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान कर सकें।
2. पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों का समावेश होना चाहिए जिससे शिक्षार्थी अपनी रुचि तथा क्षमता के अनुसार विषयों का चयन कर सकें।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

14. माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग के दो सुझाव को लिखिए ?

....

....

10.13.6 शिक्षण विधियों के सम्बन्ध में आयोग के सुझाव

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने उस समय प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों की कड़ी आलोचना की और सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये –

- शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल तथ्यों को रटाना नहीं सीखाया जाना चाहिए बल्कि उन्हें उसे समझने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बालकों को स्वयं सोच समझ कर ज्ञान प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।
- छात्रों को स्वयं कार्य करने और स्वयं निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जिससे उनके अन्दर संकल्प की भावना बढ़ सके। अवसर प्रदान करने चाहिए।
- सामूहिक गतिविधियों और परियोजनाओं के द्वारा से शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए।

10.13.7 माध्यमिक स्तर की पाठ्य–पुस्तकों के सम्बन्ध में आयोग के सुझाव

पाठ्य पुस्तक समिति छात्रोपयोगी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए नियमों का निर्धारण करेंगी। केंद्र सरकार के स्तर से पाठ्य पुस्तकों के लिए चित्र बनाने के प्रशिक्षण हेतु एक स्वतंत्र संस्था का गठन करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में कोई ऐसा प्रसंग या उदाहरण नहीं होना चाहिए जिनसे, किसी वर्ग विशेष या धर्म को आहत लगती हो। पाठ्य पुस्तकों को शीघ्रता के साथ नही परिवर्तित करना चाहिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

15. माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक के सम्बन्ध में आयोग के सुझाव लिखिए ?

....

....

10.13.8 माध्यमिक स्तर पर चरित्र निर्माण एवं अनुशासन के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव

आयोग ने माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों के चरित्र निर्माण और अनुशासन पर विशेष ध्यान देने और उनके उचित विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए जो निम्नवत वर्णित है –

- बालकों के चरित्र निर्माण और अनुशासन का पूरा दायित्व उनके शिक्षकों पर होना चाहिए।
- बालकों में स्व–अनुशासन के विकास के लिए स्व–शासन का निर्माण किया जाना चाहिए।
- छात्रों की रुचियां एवं अभिवृत्तियों के मार्ग दर्शन के लिए विद्यालयों में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- विद्यालयों में खेलकूद, स्काउटिंग, प्राथमिक चिकित्सा, रेड क्रॉस और एनसीसी आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

10.13.9 माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव

- माध्यमिक विद्यालयों के लिए दो प्रकार के शिक्षक होने चाहिए (i) निम्न माध्यमिक (i) उच्च माध्यमिक इनके लिए अलग से शिक्षक–प्रशिक्षण विद्यालय और महाविद्यालय का गठन होना चाहिए।
- निम्न माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण विद्यालय राज्य शिक्षा विभाग से सम्बद्ध होना चाहिए और इसके लिए न्यूनतम प्रवेश की आहर्ता हायर सेकेंडरी होनी चाहिए।
- माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण महाविद्यालय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध होने चाहिए तथा इसके लिए न्यूनतम प्रवेश अहर्ता स्नातक होनी चाहिए।
- इस प्रशिक्षण महाविद्यालयों में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए और प्रशिक्षणार्थियों को राज्य सरकार छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करनी चाहिए।
- इन महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए पूर्ण वेतन के साथ अवकाश अनुमन्य किया जाना चाहिए।
- शिक्षक–प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इनमें प्रायोगिक प्रशिक्षण और शोध कार्य के लिए प्रदर्शन स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए।

10.13.10 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति, वेतनमान एवं सेवा शर्तों के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव

1. शिक्षकों की नियुक्ति से सम्बन्धित सुझाव

प्रत्येक गैर सरकारी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन होना चाहिए जिसमें पदेन सदस्य के रूप में विद्यालय के प्रधानाचार्य होंगे।

2. **शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों सम्बंधी सुझाव**

शिक्षकों के वेतनमान निश्चित करने के लिए एक विशेष समिति होनी चाहिए जो समय–समय पर महंगाई को ध्यान में रखकर विभिन्न स्तर के शिक्षकों के वेतनमान निर्धारित करेगी। शिक्षकों को पूर्णकालिक प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स और शैक्षिक संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाना चाहिए। योग्य एवं स्वस्थ शिक्षकों को 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए।

10.13.11 माध्यमिक स्तर की परीक्षा के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग का सुझाव

- माध्यमिक शिक्षा समाप्त होने के उपरान्त ही बाह्य परीक्षाएं कराई जानी चाहिए।
- माध्यमिक शिक्षा के समाप्त हो जाने के पश्चात् अंतिम मूल्यांकन के लिए केवल बाह्य परीक्षा पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें छात्रों के नियमित कार्यों और आंतरिक परीक्षाओं के परिणाम को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- संचयी अभिलेख का प्रयोग छात्रों के प्रगति का रिकार्ड रखने के लिए किया जाना चाहिए।
- परीक्षा में परिणाम प्रतिशत के आधार पर न देकर ग्रेड पद्धति के माध्यम से दिया जाना चाहिए।
- बाह्य परीक्षा में किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

10.13.12 माध्यमिक स्तर की व्यवसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग का सुझाव

- माध्यमिक विद्यालयों में हस्त कला की शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान कराई जानी चाहिए।
- माध्यमिक विद्यालयों में तकनीकी, वाणिज्य और कृषि से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की प्रधानता होनी चाहिए।
- माध्यमिक स्कूलों को बहुउद्देशीय स्कूलों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जहां पर छात्रों के लिए विभिन्न हस्तकौशलों की शिक्षा की सुलभता हो।

10.13.13 स्त्री शिक्षा के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग का सुझाव

- बालकों की तरह बालिकाओं को भी प्रत्येक वर्ग एवं प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर और समान अधिकार होना चाहिए।
- माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। जिसमें बालिकाएं सुविधा पूर्ण ढ़ग से शिक्षा प्राप्त कर सकें।

10.13.14 माध्यमिक स्तर पर धार्मिक शिक्षा के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग का सुझाव

माध्यमिक विद्यालयों में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए तथा अभिभावकों की स्वीकृति के आधार पर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए पर यह शिक्षा स्कूल कार्य प्रारंभ होने से पहले अथवा उसके समाप्त होने के बाद ऐच्छिक रूप से ही प्रदान की जानी चाहिए।

10.13.15 माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग का सुझाव

- सभी राज्यों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना प्रारम्भ करायी जानी चाहिए।
- स्कूली छात्रों का वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाना चाहिए।
- शिक्षकों को छात्रों के अंदर शरीर को स्वस्थ्य रखने और स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

10.12 माध्यमिक शिक्षा आयोग का मूल्यांकन

(अ) सकारात्मक प्रभाव

- प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्डों और माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव दिया था।
- लोकतांत्रिक नागरिकता, नेतृत्व और व्यावसायिक कुशलता के विकास पर बल दिया गया था।
- छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया गया था।
- वास्तविकता, व्यापकता, उपयोगिता और सहसम्बन्ध पर आधारित पाठ्यचर्या का निर्माण करने का सुझाव दिया गया था।
- सह पाठ्यचर्या गतिविधियों को अनिवार्य करने पर बल दिया गया था।
- मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने तथा चरित्र निर्माण एवं अनुशासन पर बल दिया गया था।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण नियुक्ति वेतनमान और सेवा शर्तों में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे।

(ब) नकारात्मक प्रभाव

- आयोग ने 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा का प्रस्ताव दिया लेकिन 6 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की भी व्यवस्था की गई।
- बोझिल पाठ्यचर्या बनाई गई जिसमें माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं और आठ विषयों का अध्ययन करने का सुझाव दिया गया।
- आयोग ने सभी स्कूलों को बहुउद्देशीय स्कूलों में बदलने का सुझाव दिया जो की अत्यधिक व्ययसाध्य था।
- धार्मिक और नैतिक शिक्षा के बारे में अनुपयुक्त सुझाव दिया गया जिसमें यह केवल अभिभावकों की इच्छा से ही दिए जाने पर बल दिया गया था।
- 5+6+3 शिक्षा संरचना का असफल क्रियान्वयन इस प्रकार की शैक्षिक संरचना से अनावश्यक जटिलता पैदा हुई।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

16. माध्यमिक शिक्षा आयोग के दो सकारात्मक प्रभावों को लिखिए।

....

....

17. माध्यमिक शिक्षा आयोग के दो नकारात्मक प्रभावों को लिखिए।

....

....

10.15 संस्कृत आयोग (1956–57)

संस्कृत शिक्षा, संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थिति, संस्कृत पाण्डुलिपियों के रख रखाव तथा संस्कृत भाषा में शोध कार्य सम्बन्धी विभिन्न ज्वलन्त प्रकार के विषयों पर गहन विचार करने के लिए भारत सरकार ने अक्टूबर, 1956 में संस्कृत आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष डा० सुनीति कुमार चटर्जी अध्यक्ष, विधान परिषद पश्चिम बंगाल थे। तथा आयोग में 7 सदस्य सम्मिलित थें।

संस्कृत भाषा, शिक्षण उपयोग तथा संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर विचार–विमर्श करने के लिए डा० सुनीति कुमार चटर्जी की अध्यक्षता में गठित इस आयोग को निम्न दो प्रमुख कार्य सौंपे गये थे

(1) विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों में संस्कृत शिक्षा के लिए उपलब्ध संसाधनों का सर्वेक्षण करके शोध सहित संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रस्ताव व सुझाव देना।

(2) आधुनिक शिक्षा में संस्कृत को प्रभावी ढंग से समाहित किये जा सकने वाली विशेषताओं को जानने एवं समझने की दृष्टि से संस्कृत शिक्षा की परम्परागत प्रणाली के परीक्षण से सम्बन्धित।

10.16 संस्कृत शिक्षा से सम्बन्धित सुझाव

(1) सभी विद्यालयों में संस्कृत शिक्षण की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

(2) विद्यालय स्तर पर हिन्दी को चतुर्थ भाषा के रूप में नहीं पढ़ाकर मातृभाषा व संस्कृत के ज्ञान के आधार पर कालेज स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए।

(3) सामाजिक अध्ययन के अन्तर्गत भी संस्कृत में अभिव्यक्त एवं वर्णित विचार, संस्कृति व साहित्य की प्रस्तुतियों को सम्मिलित करना चाहिए।

(4) संस्कृत शिक्षा व उच्च अध्ययन की परम्परागत पाठशाला प्रणाली को न केवल अनवरत जारी रखा जाये बल्कि अन्य प्रकार की शिक्षा प्रणाली के समान मान्यता प्राप्त प्रणाली के समान स्वीकार भी किया जाना चाहिए।

(5) भारत के सभी विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग अथवा संस्कृत पीठ स्थापित होना चाहिए।

(6) संस्कृत पाठशाला व्यवस्था तथा संस्कृत शिक्षा की विश्वविद्यालयी व्यवस्था में समन्वय करना उचित नहीं है परन्तु दोनों व्यवस्थाओं को परस्पर सहयोग से कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जाना चाहिए।

(7) संस्कृत की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखकर स्कूल स्तर पर संस्कृत शिक्षा में कुछ रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हुए उसकी अनुमति दी जानी चाहिए।

(8) संस्कृत पाठशालाओं का अध्ययन–क्रम अधिक वृहद एवं व्यापक होना चाहिए।

10.17 संस्कृत अनुसंधान के सम्बन्ध में सुझाव

- संस्कृत पाठशालाओं से उत्तीर्ण होने वाले स्नातक छात्रों के लिए विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की सुविधाएं सुलभ कराई जानी चाहिए।
- विश्वविद्यालयों के संस्कृत विभागों को अनुसंधान कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।
- विभिन्न विश्वविद्यालयों में किए गए संस्कृत अनुसंधान के परिणामों को प्रकाशित करने की समुचित तथा उत्कृष्ट व्यवस्था होनी चाहिए।
- सरकार को केंद्रीय भारतीय अध्ययन संस्थान स्थापित करना चाहिए।
- संस्कृत और भारतीय अध्ययन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

10.18 पाण्डुलिपियाँ

- संस्कृत अनुसंधान का आधार मुख्य रूप से पांडुलिपियों में निहित ज्ञानरूपी सामग्री है।
- भारत सरकार को पूरे भारत में फैली एवं बिखरी हुई संस्कृत पांडुलिपियों के संरक्षण, सर्वधन और रखरखाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

10.19 संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सुझाव

- संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालयों को स्थापित किया जाना चाहिए।
- देश के विभिन्न प्रदेशों में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए। इन संस्कृत विश्वविद्यालयों का उद्देश्य भारतीय संस्कृत शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और विकसित करने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए।
- संस्कृत विश्वविद्यालयों को संस्कृत पाठशालाओं और संस्कृत महाविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने, उनके पाठ्यक्रमों का संचालन और निरीक्षण करने, और परीक्षाएं आयोजित करने का कार्य दिया जाना चाहिए।

10.20 संस्कृत के विस्तार व विकास के लिए आयोग का सुझाव

(1) हिंदी और अंग्रेजी के साथ अतिरिक्त कार्यालयी भाषा के रूप में संस्कृत को भी रखा जाना चाहिए।

(2) विभिन्न प्रयोजनों पर, विभिन्न पदों पर शपथ लेने, शपथ पत्र दाखिल करने, राष्ट्रीय सम्मानों की प्रस्तुति और विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों में संस्कृत का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल दिया जाना चाहिए।

(3) नैतिक और धार्मिक शिक्षा के लिए संस्कृत साहित्य के अर्थ और स्रोतों, विशेष रूप से श्लोकों और सुभाषितों का उपयोग स्कूलों और महाविद्यालयों में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(4) देवनागरी लिपि का उपयोग करते हुए छात्रों को संस्कृत का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए।

(5) संस्कृत साहित्य, भारतीय विचारों तथा दर्शन में वेदों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, मौखिक परंपरा को संरक्षित करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(6) अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा और विदेश सेवा के प्रशिक्षण में संस्कृत विचारों और भारतीय संस्कृति के ज्ञान पर व्याख्यान इत्यादि आयोजित कराए जाने चाहिए।

(7) भारत सरकार को यथा शीघ्र केंद्रीय संस्कृत परिषद स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का प्रयत्न करना चाहिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

18. संस्कृत आयोग का गठन कब हुआ ?

....

....

19. संस्कृत आयोग के अध्यक्ष का नाम लिखिए।

....

....

20. संस्कृत के विस्तार के सम्बन्ध में आयोग के दो सुझाव लिखिए।

....

....

10.21 शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग, 1964) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1964 में शिक्षा आयोग की स्थापना से पूर्व, भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। 1948 में राधाकृष्णन आयोग और 1952 में मुदालियर आयोग की स्थापना शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न मुद्दों एवं पक्षों का मूल्यांकन करने, उनमें सुधार के लिए की गई थी। इन आयोगों ने शिक्षा के लगभग सभी बिंदुओं पर अनेकों महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, जिनमें से कई सुझावों को सरकार द्वारा क्रियान्वित भी किया गया था।

10.22 भारत सरकार द्वारा शिक्षा आयोग की स्थापना के कारण

भारत सरकार ने 14 जुलाई, 1964 को शिक्षा आयोग की स्थापना कई कारणों से की थी। इनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नवत वर्णित है–

1. शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

भारत सरकार ने शिक्षा प्रणाली को सशक्त एवं आधुनिक बनाने तथा शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने की आवश्यकता महसूस की थी। शिक्षा प्रणाली में अनेक कमियां थीं जैसे 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अभाव, जनसाधारण में निरक्षरता, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रमों का अभाव, शिक्षकों के वेतन और कार्य परिस्थितियों में सुधार की आवश्यकता, इत्यादि।

2. शिक्षा का राष्ट्रीय विकास में महत्व

भारत सरकार का मत था कि शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति और कल्याण का माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से ही देश और समाज का विकास किया जा सकता है।

3. शिक्षा प्रणाली का समग्रता में मूल्यांकन

सरकार का मत था कि शिक्षा प्रणाली के सभी पक्षों का एक साथ मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। पिछले आयोगों और समितियों ने शिक्षा के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों का ही अध्ययन किया था।

4. शिक्षा के लिए धन का निवेश

सरकार शिक्षा पर अधिक धन का निवेश करने के लिए तत्पर थी शिक्षा आयोग को शिक्षा के लिए आवश्यक धनराशि की मांग का अनुमान लगाने और सरकार को उचित धन आवंटन के लिए सिफारिशें करने का भी काम दिया गया था।

5. शिक्षा व्यवस्था में निरंतरता और समन्वयता

राधाकृष्णन और मुदालियर आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने में कुछ कठिनाइयों का अनुभव हो रहा था। शिक्षा आयोग का इन सिफारिशों की समीक्षा करने, उनमें निरंतरता लाने और उन्हें लागू करने के लिए एक व्यावहारिक योजना तैयार करने का भी काम सौंपा गया था।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

21. शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई ?

....

....

10.23 शिक्षा आयोग का उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र

(अ) आयोग का उद्देश्य :

- पूर्व शिक्षा प्रणाली का सर्वेक्षण करना।
- शिक्षा में सुधार के लिए नीति निर्माण करना।
- पूरे देश के लिए एक समान शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव रखना था जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में उपयोगी व सहायक हो सके।
- शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार के उपायों की खोज करना और सरकार को सलाह देना था।

(ब) आयोग की कार्यप्रणाली :

निरीक्षण और साक्षात्कार – आयोग ने कार्यकारी दलों का गठन किया। जिन्होंने देश भर का भ्रमण कर, शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया। छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों से वार्तालाप तथा, और शिक्षाविदों से परामर्श प्राप्त किया।

प्रश्नावली – आयोग ने शिक्षा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के 5000 लोगों को सुझाव प्राप्त करने से सम्बन्धित प्रश्नावली को भेजा और उनसे प्राप्त 2400 उत्तरों का विश्लेषण भी किया।

10.24 आयोग का प्रतिवेदन

आयोग ने 29 जून, 1966 को "शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति" नामक 692 पृष्ठों का एक विस्तृत प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया। यह प्रतिवेदन तीन खंडों में वर्गीकृत था।

प्रथम खंडः शिक्षा व्यवस्था के पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय लक्ष्यों, शिक्षा के स्वरूप, संरचनात्मक पुनर्गठन, शिक्षकों, विद्यालयों में प्रवेश और समान अवसरों पर चर्चा से सम्बन्धित थी।

द्वितीय खंडः विभिन्न स्तरों और वर्गों की शिक्षा (विद्यालयी, उच्च, कृषि, तकनीकी, व्यावसायिक और प्रौढ़ शिक्षा) से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने से सम्बन्धित व्योरा इसमे निहित था।

तृतीय खंडः शिक्षा आयोजन और प्रशासन और अर्थ व्यवस्था पर चर्चा से सम्बन्धित तथ्य इसमें निहित थे।

10.25 शिक्षा आयोग के प्रमुख सुझाव और सिफारिशे

10.25.1 शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग का सुझाव

आयोग का मत था कि शिक्षार्थियों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो व्यक्तियों के जीवन की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकें। शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का एक सशसक्त माध्यम बनाया जाना चाहिए जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके।

(अ) पंचमुखी कार्यक्रम

शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आयोग ने एक "पंचमुखी कार्यक्रम" का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जो निम्नवत है–

आयोग ने शिक्षा को राष्ट्र के विकास का आधार माना और शिक्षा के 5 मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य या कार्य निर्धारित किए, जिन्हें "पंचमुखी कार्यक्रम" कहा जाता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक कार्य भी निश्चित किए गए थे।

(i) **शिक्षा के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि :**

- विज्ञान शिक्षा को प्रथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक के छात्रों के लिए अनिवार्य बनाया जाय तथा इसका उपयोग उत्पादन कार्यों में किया जाना चाहिए।
- कार्यानुभव को स्कूली शिक्षा का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।
- माध्यमिक स्तर तक कि व्यवसाय केन्द्रित शिक्षा को व्यवसाय परक बनाया जाना चाहिए।
- उच्च शिक्षा में कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर विशेष रुपसे ध्यान दिया जाना चाहिए।
- विश्वविद्यालयों में विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को विकसित किया जाना चाहिए।

(ii) **शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं राश्ट्रीय एकता को सशक्त करना :**

- सामान्य स्कूलों की स्थापना की जाए जिनमें सबके लिए समान रूप से शिक्षा सर्वसुलभ हो।
- शिक्षा के सभी क्षेत्रों में समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा कार्य को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- सभी संघीय भाषाओं का विकास किया जाए और राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास के लिए अलग से विशेष प्रयास किया जाय।

(iii) **लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में शिक्षा का कार्य :**

- 6 से 14 वर्ष तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था बच्चों के लिए होनी चाहिए।
- माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का समुचित विकास के साथ इन स्तरों पर बालाकों को कुशल नेतृत्व का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए।
- विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिनसे बालकों में जनतान्त्रिक मूल्यों में आस्था उत्पन्न हो सके तथा उसमें मनुष्य एवं अपने व्यवहार का प्रदर्शन कर सके।
- प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जानी चाहिए।

(iv) **राष्ट्र के आधुनिकीकरण में शिक्षा का महत्व**

- विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा की उच्च स्तर पर उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- स्वतंत्र चिन्तन, मनन और निर्णय लेने की शक्ति का विकास किया जाना चाहिए।

(v) **शिक्षा के द्वारा विभिन्न मूल्यों का विकास :**

- सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था सभी शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध करायी जाए।
- प्राथमिक स्तर पर बालाकों को इन मूल्यों की शिक्षा रोचक कहानियों एवं कविताओंके माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए।
- माध्यमिक स्तर पर शिक्षक–शिक्षार्थी आपस में विचार–विमर्श करें और अपने लिए अच्छे मूल्यों का स्वतः चयन करें।
- विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में मूल्यों के सुदृढ़ीकरण प्रयास किया जाना चाहिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

22. पंचमुखी कार्यक्रम क्या है ?

....

....

10.25.2 शिक्षा की संरचना एवं स्तर के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग का सुझाव :

आयोग ने पूरे राष्ट्र के लिए एक समान शिक्षा संरचना का प्रस्ताव दिया जो निम्नवत है –

1. पूर्व प्राथमिक शिक्षा :

अवधि : पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधि 1 से 3 वर्ष होनी चाहिए।

उद्देश्य : इस शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को स्कूली वातावरण से परिचित कराना और उनके अन्दर बुनियादी कौशल विकसित करना।

2. निम्न प्राथमिक शिक्षा :

अवधिः निम्न प्राथमिक शिक्षा की अवधि 4 से 5 वर्ष होनी चाहिए।

उद्देश्यः इस शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसे आवश्यक विषयों का ज्ञान विकसित करना। कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयुः 6 वर्ष होनी चाहिए।

3. उच्च प्राथमिक शिक्षा :

अवधि : उच्च प्राथमिक शिक्षा की अवधि 4 या 3 वर्ष (दो चरणों में) होनी चाहिए।

उद्देश्य : इस शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में बुनियादी ज्ञान और कौशल को मजबूत करना और उन्हें माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार करना होना चाहिए।

4. माध्यमिक शिक्षा : माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षा कि अवधि निम्नानुसार होनी चाहिए।

(क) सामान्य वर्गः की शिक्षा के लिए 2 वर्ष निश्चित होनी चाहिए।

(ख) व्यावसायिक वर्गः की शिक्षा के लिए 2 या 3 वर्ष की अवधि निश्चित होनी चाहिए।

उद्देश्य : इस शिक्षा में छात्रों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना और उन्हें उच्च शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए तैयार करना।

5. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा :

(क) सामान्य वर्गः कि लिए 2 वर्ष की अवधि निर्धारित होनी चाहिए जबकि **व्यावसायिक वर्गः** की शिक्षा के लिए 2 या 3 वर्ष की अवधि निर्धारित की जानी चाहिए।

उद्देश्य : उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के द्वारा छात्रों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार विस्तृत एवं गहन शिक्षा प्रदान करना चाहिए और उन्हें स्नातक स्तर की शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए तैयार करना चाहिए।

6. स्नातक शिक्षा : स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए अध्ययन अवधि की रेखा निम्नानुसार होनी चाहिए।

(क) कला, विज्ञान, वाणिज्य : वर्ग की शिक्षा के लिए अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए।

(ख) इंजीनियरिंग और मेडिकल : वर्ग की शिक्षा के लिए अवधि 3 या 4 वर्ष होनी चाहिए।

उद्देश्य: स्नातक शिक्षा के लिए छात्रों को उनके चुने हुए विषय में विशेषज्ञता प्रदान करना चाहिए और उन्हें परास्नातक अध्ययन या रोजगार के लिए तैयार करना चाहिए।

7. स्नातकोत्तर शिक्षा :

(सभी विभाग): स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा के सभी वर्गो के लिए शिक्षा की अवधि 2 या 3 वर्ष होनी चाहिए।

उद्देश्य: स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को उनके चुने हुए विषय में गहन ज्ञान और अनुसंधान कौशल प्रदान करना उनका समुचित विकास करना चाहिए।

8. अनुसंधान कार्य :

अवधि: इसकी अवधि 2 या 3 वर्ष होनी चाहिए।

उद्देश्य: अनुसंधान कार्य हेतु छात्रों को स्वतंत्र रूप से अनुसंधान करने और उनके चुने हुए क्षेत्र में ज्ञान के योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना करते हुए सहायता पहुँचानी चाहिए।

आयोग के अन्य महत्वपूर्ण सुझाव :

- सामान्य शिक्षा (प्राथमिक और माध्यमिक) की कुलअवधि 10 वर्ष होनी चाहिए।
- विद्यालय संकुलों (School Complexes) का यथा शीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए। एक संकुल में एक माध्यमिक विद्यालय और उसके निकटवर्ती सभी प्राथमिक विद्यालय सम्मिलित किए जाने चाहिए।
- पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा पूरी करने पर आयोजित की जानी चाहिए।

10.25.3 अध्यापक की स्थिति के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग का सुझाव

आयोग ने शिक्षकों की करुणा जनक स्थिति पर विचार किया और यह विचार व्यक्त किया की जब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं किया जायेगा, तब तक प्रतिभाशाली युवा शिक्षण व्यवसाय की ओर समर्पित नही होगें इसलिए "आयोग" ने शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति को बेहतर बनाने और शिक्षण को एक आकर्षक पेशा बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। सुझावों का विवरण निम्नवत है –

- भारत सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि सभी शिक्षकों के लिए न्यूनतम वेतनमान निर्धारित होना चाहिए।
- सरकारी और गैर–सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को समान वेतनमान मिलना चाहिए।
- शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता इत्यादि मिलना चाहिए।
- शिक्षकों के वेतनमान प्रत्येक 5 वर्ष में पुनर्मूल्यांकित किए जानें चाहिए।
- शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों को कुशलतापूर्वक, कर्तव्यनिष्ठा तथा ईमानदारी के साथ कार्य करने के लिए शिक्षकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- शिक्षकों को व्यावसायिक विकास के सम्पूर्ण अवसर उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
- सभी स्तरों की शिक्षा के लिए महिला शिक्षकों की नियुक्ति को बढ़ावा दिया चाहिए।
- महिला शिक्षकों के उत्थान व प्रगति के लिए पत्राचार शिक्षा सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिला शिक्षकों को प्रोत्साहित करने तथा उस परिस्थिति में रहकर शिक्षण कार्य करने के लिए विशेष भत्ते दिए जाने चाहिए।

10.25.4 अध्यापक शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग का सुझाव

आयोग ने अध्यापक शिक्षा के निम्न दोष को देखा–

- प्रशिक्षण संस्थाओं, सुविधाओं और शैक्षिक संसाधनों की बहुत कमी है।
- प्रशिक्षण संस्थाओं में कुशल, अनुभवी और योग्य शिक्षकों का अभाव है।
- पाठ्यक्रम में नवीनता, प्रासंगिकता और व्यावहारिकता का सर्वथा अभाव दिखाई देता है।

शिक्षा आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं उन्नयन के लिए अध्यापक शिक्षा को महत्वपूर्ण एवं प्रभावी माना। आयोग ने अध्यापक शिक्षा में व्यापक कमियों एवं त्रुटि पूर्ण प्रावधानों पर ध्यान आकृष्ट करते हुऐ सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं–

- **शिक्षा विभागों की स्थापना** : विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभागों की स्थापना व निर्माण करके शिक्षा में अनुसंधान और विकास को तीव्रगति के साथ बढ़ाना चाहिए।
- **प्रसार सेवा विभाग** : प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रसार सेवा विभाग को स्थापित करके शिक्षा को समुदाय के साथ जोड़ने की आवश्यकता है।
- **मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण अभ्यास** : अध्यापकों को अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ही किया जाना चाहिए।
- **व्यापक महाविद्यालयों की स्थापना** : प्रत्येक राज्य में व्यापक महाविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए तथा शिक्षा के सभी स्तरों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- **राज्य शिक्षक शिक्षा परिषद** : प्रत्येक राज्य में शिक्षक शिक्षा परिषद का गठन करते हुए सभी स्तरों पर प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

23. अध्यापक शिक्षा के प्रमुख दोष को बताइए।

....

....

24. अध्यापक शिक्षा में सुधार के लिए दो सुझाव बताइए।

....

....

10.25.5 छात्र संख्या एवं जनशक्ति के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग के सुझाव

शिक्षा आयोग ने छात्र संख्या और जनबल के दो मुख्य बिन्दुओं पर विचार किया है जो निम्नवत है–

1. छात्र संख्या की राष्ट्रीय नीति –

आयोग का मत है कि आगामी 20 वर्षों में छात्र संख्या के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति में निम्नलिखित लक्ष्य होने चाहिए–

- निम्न माध्यमिक शिक्षा का अधिकतम संभव विस्तार करना चाहिए।
- गरीब छात्रों को माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- कृषि और उद्योगों की प्रगति एवं विकास के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार करना चाहिए।
- वयस्क शिक्षा और निरंतर शिक्षा के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए।

2. माध्यमिक और उच्च शिक्षा में छात्र संख्या नीतियां –

इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य छात्रों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में आयोग का विचार है कि–

i. विगत पंचवर्षीय योजनाओं में, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए जनता की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है इसलिए, हाई स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए "चयनात्मक प्रवेश नीति" को अपनाना आवश्यक है।

ii. पिछले समय में धन, योग्य शिक्षकों, शिक्षण सामग्री आदि की कमी के बाद भी माध्यमिक और उच्च शिक्षा का तेजी से विस्तार किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप, शिक्षा का स्तर गिरा इसलिए देश के हित को सर्वोपरि रखते हुए भविष्य में इसका पालन नहीं किया जाना चाहिए।

10.25.6 शिक्षा के अवसरों की समानता के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग का सुझाव

शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानताओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया इनमें लिंग आधारित असमानता, सामाजिक–आर्थिक असमानता और जातिगत भेदभाव सम्मिलित थे। इन असमानताओं को दूर करने के लिए आयोग ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिनमें प्रमुखता के साथ निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया–

1. निःशुल्क शिक्षा की सुविधा :

i. प्राथमिक शिक्षा को चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक और निम्न माध्यमिक शिक्षा को पांचवीं योजना के अंत तक निःशुल्क प्रदान किया जाना चाहिए।

ii. 10 वर्षों की अवधि में उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा को योग्य और गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क बनाया जाना चाहिए।

2. शिक्षा के खर्च में कमी :

i. प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और लेखन सामग्री उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

ii. माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए पुस्तक बैंक स्थापित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

3. छात्रवृत्ति :

i. शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को बढ़ाना चाहिए।

ii. छात्रों को एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुँचने पर छात्रवृत्ति से वंचित नहीं करना चाहिए।

4. छात्रवृत्ति योजनाएं :

i. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का विस्तार और विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए।

ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ करनी चाहिए।

iii. विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी शिक्षार्थियों के लिए इस योजना अनिवार्य होनी

चाहिए।

iv. प्रत्येक वर्ष 500 असाधारण प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए।

v. इन सुधारों के अलावा आयोग ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रमों और सुविधाओं की भी सिफारिश की है।

10.25.7 विद्यालय शिक्षा के विस्तार के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग का सुझाव

शिक्षा आयोग ने 1966 में अपने प्रतिवेदन में विद्यालय शिक्षा के विभिन्न मुद्दों के विस्तार पर बल दिया था जो निम्नवत वर्णित है –

1. **पूर्व–प्राथमिक शिक्षा** :

i. प्रत्येक राज्य में पूर्व–प्राथमिक शिक्षा के विस्तार एवं उन्नयन के लिए राज्य स्तरीय केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।

ii. जिला स्तर पर केंद्र स्थापित किए जाएं जो शिक्षकों को प्रशिक्षण दें, तथा उनका पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए तथा नए पाठ्यक्रमों का आयोजन भी आयोजित कराये जाने चाहिए।

iii. शिशु केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों से जोड़ा जाना चाहिए।

2. **प्राथमिक शिक्षा** :

i. अपव्यय और अवरोधन को कम किया जाना चाहिए।

ii. 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो 7वीं कक्षा पास करने के बाद आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं।

iii. विद्यालयों की स्थापना घरों से 1–3 मील की दूरी पर स्थित होने चाहिए।

iv. ऐसे बच्चे जो आगे की शिक्षा नहीं प्राप्त करना चाहते उन्हें अल्पकालीन शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

3. **माध्यमिक शिक्षा** :

i. माध्यमिक शिक्षा के अवसरों में समानता ध्यान में रखकर इनको स्थापित करना चाहिए।

ii. बालिकाओं, जनजातियों और अछूत वर्ग के जातियों के लिए विशेष शिक्षा की योजनाएँ बनाई जानी चाहिए।

iii. केवल योग्य छात्रों को ही माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश जाना चाहिए।

iv. निम्न और उच्च माध्यमिक स्तरों पर पूर्णकालीन और अल्पकालीन व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जानी चाहिए।

4. **उच्चतर माध्यमिक स्तर** :

i. **छात्रों की संख्या** : 1986 तक, उच्चतर माध्यमिक स्तर के 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

ii. **विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा** : विभिन्न उद्योगों से संबंधित पूर्णकालीन और अल्पकालीन पाठ्यक्रमों की शिक्षा के लिए इनका समुचित आयोजन किया जाना चाहिए।

iii. **पत्राचार पाठ्यक्रम** : विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले नागरिकों के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किए जाने का सुझाव दिया गया।

iv. **अल्पकालीन पाठ्यक्रम** : कृषि और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में ज्ञान नवीनीकरण के लिए अल्पकालीन सघन पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान करने की सुविधा सुलभ करायी जानी चाहिए।

10.25.8 विद्यालय पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग के सुझाव?

शिक्षा आयोग (1966) ने विद्यालय पाठ्यक्रम में अनेक कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए, विभिन्न कक्षाओं के लिए नए पाठ्यक्रमों के निर्माण का प्रस्ताव जिनका उद्देश्य शिक्षा को व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख बनाना था।

- संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मातृभाषा के बाद महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए।
- छात्रों के लिए अंग्रेजी का ज्ञान उपयोगी है। अंग्रेजी शिक्षा 5 वीं कक्षा से पहले प्रारम्भ नहीं होनी चाहिए।
- तीन भाषाओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त स्तर निम्न माध्यमिक स्तर है।
- निम्न प्राथमिक स्तर पर छात्रों को केवल अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन करना चाहिए।
- उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को दो भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए – उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा और उनकी राज्य की राजभाषा या सह–राजभाषा।
- निम्न प्राथमिक स्तर पर छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए – उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, उनकी राज्य की राजभाषा या सह–राजभाषा, और एक आधुनिक भारतीय भाषा।
- उच्च शिक्षा संस्थानों में किसी भी भाषा का अध्ययन अनिवार्य नहीं होना चाहिए।

10.25.9 शिक्षण विधियाँ, निर्देशन और मूल्यांकन के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग का सुझाव

यह अभिलेख़ शिक्षा प्रणाली में शिक्षण विधियों, पाठ्यपुस्तकों, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर निर्देशन और मूल्यांकन व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सिफारिशें प्रदान करता है।

1. शिक्षण विधियों में सुधार :

i. **प्रौद्योगिकी का एकीकरणः** शिक्षण को पूरक बनाने के लिए मल्टीमीडिया संसाधनों, शैक्षिक ऐप्स और ऑनलाइन सहयोगी प्लेटफार्मों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

ii. **कौशल विकास पर ध्यान** : पाठ्यक्रम और शिक्षण रणनीतियों को डिजाइन करें जो महत्वपूर्ण सोच, संचार, सहयोग, समस्या–समाधान और अन्य आवश्यक जीवन कौशल विकसित कर सके।

iii. **विविधता को ध्यान में रखेंः** विभेदित निर्देश, विभिन्न प्रारूपों में शिक्षण सामग्री प्रदान करके और व्यक्तिगत सहायता प्रदान करके विभिन्न छात्रों की आवश्यकताओं और सीखने की शैलियों को पूरा करने में सहायता कर सके।

iv. **निरंतर सीखना और व्यावसायिक विकासः** शिक्षकों को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और नई शिक्षण विधियों और शैक्षिक रुझानों के बारे में अद्यतन रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

v. **पाठ्य–पुस्तकों का स्पष्ट और संक्षिप्त प्रस्तुतिः** पाठ्यपुस्तकों को अच्छी तरह से व्यवस्थित, आकर्षक और छात्रों की आयु और समझ के स्तर के अनुरूप स्पष्ट, संक्षिप्त भाषा में लिखा जाना चाहिए।

vi. **सीखने की कठिनाइयों की शीघ्र पहचानः** सीखने की अक्षमताओं या संभावित मुद्दों एवं चुनौतियों को जल्दी से पहचानने के लिए रणनीति बनाने चाहिए, जिससे समय पर हस्तक्षेप और समर्थन मिल सके।

2. निर्देशन :

i. माध्यमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों को सेवाकाल या प्रशिक्षणकाल में निर्देशन से संबंधित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए।

ii. माध्यमिक विद्यालयों के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी चाहिए।

3. मूल्यांकन :

i. मूल्यांकन की नवीन अवधारणा के अनुसार लिखित परीक्षाओं में सुधार किया जाना चाहिए जिससे वे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का विश्वसनीय ढंग से मूल्यांकन कर सकें।

ii. छात्रों की उपलब्धियों का माप, जिसका लिखित परीक्षाओं द्वारा नहीं किया जा सकता, उनका मापन करने के लिए किसी अन्य विधियों का विकास किया जाना चाहिए।

iii. बाह्य परीक्षाओं के प्रश्न–पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करने पर बल दिया जाना चाहिए।

iv. आंतरिक मूल्यांकन को अत्यधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए जिससे छात्रों के सभी पहलुओं का मूल्यांकन आसानी से किया जा सके।

v. मूल्यांकन की नवीन विधियों को क्रियान्वित करने के लिए प्रयोगात्मक विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए और उन्हें कक्षा 10 के छात्रों का मूल्यांकन करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

10.25.10 उच्च शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षा आयोग के सुझाव

- देश की कला, कृषि, विज्ञान, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी एवं अन्य व्यवसायों के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए।
- नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की सहमति के बिना नहीं करनी चाहिए।
- नवीन विश्वविद्यालय सामान्य रूप से उस स्थान पर स्थापित नहीं किए जाने चाहिए, जहाँ पूर्व से ही कोई विश्वविद्यालय कार्य कर रहा हो।
- जिन स्थानों पर अनेक स्नातकोत्तर कॉलेज कार्य कर रहे हैं, उनको संगठित करके विश्वविद्यालयों का रूप प्रदान किया जाना चाहिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

25. उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय के दो लक्ष्यों को लिखिए ।

....

....

- वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के व्यय का भार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को वहन करना चाहिए।
- उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कॉलेजों को 'स्वायत्त कॉलेज' का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे उन्हें शैक्षणिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सके।
- विश्वविद्यालय और कॉलेज समय–समय पर विभिन्न विषयों के प्रसिद्ध विद्वानों और वैज्ञानिकों को आमंत्रित करके सेमिनार और अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं।

- व्याख्यान के बाद छात्रों को 45 मिनट का समय दिया जाना चाहिए ताकि वे विषय सामग्री को समझ सकें और उसे लिख सके।
- एक परीक्षक को एक वर्ष में 500 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए।
- जब तक प्रवेश–संबंधी नई विधियों का विकास नहीं हो जाता, तब तक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को प्रवेश का आधार बनाया जाना चाहिए।

10.25.11 बलिका शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग के सुझाव

- भारतीय संविधान में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बालिकाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा का अधिकाधिक विस्तार किया जाना चाहिए।
- बालिकाओं के उच्च शिक्षा के लिए अलग विद्यालयों, छात्रावासों और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था होनी चाहिए।
- बलिकाओं को कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानव–शास्त्र आदि विषयों की शिक्षा उनकी रुचि के अनुसार अध्ययन करने के लिए सुलभ करानी चाहिए।
- कक्षा 10 तक के बालकों और बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। उन्हें केवल कार्य–अनुभव या भाषा में अलग से चयन करने का विकल्प दिया जाना चाहिए।
- गृह विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य नहीं, अपितु विकल्प के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। कला एवं संगीत की शिक्षा को आकर्षक बनाना चहिए। विज्ञान एवं गणित के अध्ययन हेतु उनको प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

'शिक्षा आयोग' हंसा मेहता समिति के विचारों का समर्थन करता है और बालकों तथा बालिकाओं के लिए समान शिक्षा प्रदान करने पर बल देता है।

10.25.12 वयस्क शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग का सुझाव

- 20 वर्षों में निरक्षरता को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए।
- दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वयस्कों को शिक्षित करने के उपाय बनाये जाने चाहिए।
- वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों में विश्वविद्यालयों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।
- वयस्क शिक्षा में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना चाहिए।
- शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा परिषद का गठन किया जाना चाहिए।

10.25.13 विज्ञान शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग का सुझाव

आयोग का मत है कि विज्ञान शिक्षा भारत की प्रगति, सुरक्षा और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। विज्ञान शिक्षा जिसमें गणित और प्रौद्योगिकी भी शामिल है, को बढ़ावा देने के लिए, आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं

- आधुनिक शिक्षा प्रणाली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करना चाहिए।
- विज्ञान शिक्षा को देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास से जोड़ना चाहिए।
- विज्ञान और गणित शिक्षा के लिए उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए।
- विदेशी वैज्ञानिकों को भारत में विषय विशेषज्ञ के रूप मे आमंत्रित करना चाहिए।

10.25.14 कृषि शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग के सुझाव

आयोग ने भारत में कृषि शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

- प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए।
- कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार कार्यक्रमों को मजबूत करना चाहिए।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा हेतु 1000 एकड़ भूमि का फार्म होना चाहिए।
- नए कॉलेजों की स्थापना नहीं करनी चाहिए, बल्कि पुराने कॉलेजों को संसाधन युक्त बनाना चाहिए।
- प्रत्येक कॉलेज के पास 200 एकड़ भूमि का फार्म अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
- हर 5 साल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कॉलेजों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करना चाहिए।
- प्रत्येक राज्य में मैट्रिक के बाद कृषि–पॉलीटेक्निक को स्थापित किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी प्राथमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।
- विद्यालय स्तर पर कृषि को कार्य अनुभव का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

10.25.15 व्यावसायिक, प्राविधिक और इंजीनियरिंग शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग का सुझाव

आयोग का मत है कि भारत के औद्योगिकीकरण के लिए कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता है।

1. व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षा से सम्बन्धित

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार किया जाना चाहिए।
- पत्राचार, अल्पकालिक और संक्षिप्त सघन पाठ्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- औद्योगिक क्षेत्रों में नए पॉलिटेक्निक कालेज स्थापित किए जाने चाहिए।
- ग्रामीण पॉलिटेक्निक में कृषि शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

26. शिक्षा आयोग द्वारा व्यवसायिक शिक्षा के लिए दिये गये दो सुझाव लिखिए ।

....

....

2. इंजीनियरिंग शिक्षा से सम्बन्धित सुझाव

- वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को विविधतापूर्ण बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए।
- विमान विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, रासायनिक प्रौद्योगिकी आदि विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

10.26 शिक्षा आयोग का मूल्यांकनः एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण

शिक्षा आयोग में देश–विदेश के प्रसिद्ध विद्वान और शिक्षाविद सम्मिलित थे, जिनके पास विशाल अनुभव और अत्यधिक ज्ञान था। उन्होंने भारतीय शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए अद्वितीय और अभिनव सुझाव दिए। इनमें विज्ञान शिक्षा पर जोर, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक शिक्षा का विकास, समान शिक्षा अवसर, त्रिभाषा सूत्र में संशोधन, प्राथमिक स्तर से निर्देशन की आवश्यकता, प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान और शिक्षकों की स्थिति में सुधार जैसे महत्वपूर्ण सुझाव शामिल थे। इन सभी सुझावों को प्रसंशनीय मानते हुए, यदि हम थोड़ा गहराई से विचार करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें सरलता के बजाय जटिलता और व्यावहारिकता के बजाय आदर्शवाद अधिक है।

10.27 राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (1983–85)

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 1983 में दो राष्ट्रीय शिक्षक आयोगों का गठन किया। इस आयोग की स्थापना का उद्देश्य, शिक्षकों की स्थिति एवं शिक्षा व्यवस्था इत्यादि के सम्बन्ध में गहन अध्ययन करने से सम्बन्धित था। यह आयोग शिक्षकों के कल्याण से सम्बन्धित अपना प्रतिवेदन सरकार को हस्तगत करती है जिसके आधार पर शिक्षकों की शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर उनके कल्याणार्थ योजनाएं इत्यादि बनाई गई।

10.28 राष्ट्रीय शिक्षक आयोग प्रथम

इनमें से प्रथम आयोग का गठन विद्यालय स्तर के शिक्षकों से सम्बंधित सुझाव के लिए किया गया था और इस आयोग को शिक्षक आयोग प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डी पी चट्टोपाध्याय थे।

आयोग ने 1985 में अपनी रिपोर्ट "शिक्षक और समाज (The Teachers and Society)" भारत सरकार को सौंप दी थी। आयोग का मत था कि राष्ट्र के शिक्षकों के कल्याण में सुधार करने का संकल्प करना चाहिए और शिक्षकों को अपने कर्तव्यों और अपनी व्यावसायिक योग्यता बढ़ाने के लिए समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए।

10.29 राष्ट्रीय शिक्षक आयोग प्रथम के महत्वपूर्ण सुझाव

राष्ट्रीय लक्ष्यों को शिक्षा के द्वारा प्राप्त करने में शिक्षकों का महत्व अत्यधिक होता है। शिक्षकों को शिक्षा के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए समर्पण और सत्यनिष्ठता के साथ कार्य करना चाहिए। शिक्षकों की स्थिति के सम्बन्ध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए–

- शिक्षकों का वेतन समान रूप में और पद के अनुरूप होना चाहिए शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता होता है अतः उच्च वेतन मान दिया जाना चाहिए जिससे वह पारिवारिक, व्यावसायिक एवं सामाजिक दायित्वों का अच्छे ढंग से निर्वहन कर सके।
- पूर्व–सेवा और सेवा के दौरान शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक सशक्त किया जाना चाहिए।
- शिक्षकों के उन्नयन के लिए आचार संहिता को अच्छे ढंग से सभी बिंदुओं के आलोक में तैयार करना चाहिए।
- शिक्षकों के कल्याण, उनकी उचित मांगों एवं अन्य सुविधाओं तथा उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए शिक्षक संघ का गठन किया जाना चाहिए और शिक्षक संघ की भूमिका मजबूत होनी चाहिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

27. आयोग ने ''शिक्षक और समाज'' नामक रिपोर्ट सरकार को कब प्रदान की ?

....

....

10.30 राष्ट्रीय शिक्षक आयोग द्वितीय

उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के उन्नयन एवं उनकी स्थितियों इत्यादि के सम्बन्ध में गहन विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक आयोग द्वितीय प्रोफेसर रईस अहमद की अध्यक्षता में गठित हुआ था।

10.31 राष्ट्रीय शिक्षक आयोग द्वितीय का गठन और उनके कार्य

- इस आयोग के अध्यक्ष के पद पर प्रोफेसर रईस अहमद एवं सदस्य सचिव के रूप में श्री किरीट जोशी का मनोनयन किया गया था।
- स्कूली शिक्षा के लिए गठित आयोग के समान ही इस आयोग का कार्य उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षकों की सेवा शर्तों, प्रशिक्षण, नियुक्ति, पदोन्नति और शिक्षक की भूमिका को मजबूत करने से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना था।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

28. राष्ट्रीय शिक्षक आयोग द्वितीय के अध्यक्ष कौन थे ?

....

....

10.32 राष्ट्रीय शिक्षक आयोग द्वितीय के सुझाव

आयोग ने मार्च 1985 को अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रेषित किया जिसे सरकार ने 1987 में प्रकाशित किया था। प्रतिवेदन में शिक्षकों की स्थिति और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई प्रभावी और महत्वपूर्ण संस्तुतियों के आधार पर उनकी सिफारिश की गई जैसे–

- शिक्षकों को नए शिक्षण विधियों एवं तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वे समाज, राष्ट्र व सरकार के कार्यों में सहयोगी की भूमिका के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।
- वर्तमान समय में अध्यापन कार्य की तरफ लोगों का रुझान कम है अतः सम्मानजनक वेतन संरक्षण और बेहतर सेवा शर्तों को लागू कर इस कार्य की तरफ लोगों के आकर्षण को बढ़ाया जाना चाहिए तथा इस व्यवसाय के स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए।
- शिक्षकों के रहने, कार्य करने की स्थिति, आवासीय तथा चिकित्सकीय सुविधा इत्यादि प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

10.33 राष्ट्रीय शिक्षक आयोग द्वितीय के रिपोर्ट का प्रभाव

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग के प्रतिवेदन को लगभग ठंडे बस्ते में डालते हुए उसका प्रकाशन दो वर्षों तक नही किया गया था। इस आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया गया। केंद्र सरकार द्वारा

शिक्षकों के लिए आयोगों का गठन केवल हाथ में झुनझुना पकड़ाने जैसा था शिक्षकों के हित के लिए सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सिफारिश को लागू करने में निर्णय क्षमता का सर्वथा अभाव दिखा।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

29. राष्ट्रीय शिक्षक आयोग द्वितीय के सुझावों को लिखिए।

....

....

10.34 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005)

21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए 2005 में, भारत सरकार ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, सुलभता और समानता लाने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। यह शिक्षा आयोग नहीं था, बल्कि यह उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए संरचना तैयार करने के दृष्टि से उस पर केन्द्रित था। 13 जून 2005 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया था।

10.35 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन की आवश्यकता

- **वैश्वीकरण का प्रभाव** वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत को ज्ञान आधारित शिक्षा के द्वारा शिक्षित समाज को बनाने की आवश्यकता थी।
- **शिक्षा में विषमताएं** शिक्षा तक पहुंचने में और गुणवत्ता में अत्यधिक असमानताएं थीं, विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, गरीब और अमीर, और विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच इस प्रकार की असमानताएं व्याप्त थीं।
- **अनुसंधान और विकास की कमी** अनुसंधान और विकास की गतिविधियों में अपेक्षित निवेश की कमी के कारण अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में हम बहुत पीछे थे।
- **शिक्षा प्रणाली की अप्रासंगिकता** जो शिक्षा प्रणाली चलन में थी वह शिक्षा व्यवस्था उद्योग और समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित न होने के कारण अप्रासंगिक थी।

10.36 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य

- भारत को एक वैश्विक ज्ञान शक्ति के रूप में 2030 तक विकसित करना
- शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी, कृषि, उद्योग और ई–गवर्नेंस में आवश्यक सुधार के लिए नीतियां तैयार करना इत्यादि
- शिक्षा में गुणवत्ता, सुलभता और समानता सुनिश्चित करना।
- अनुसंधान और विकास के कार्यों को बढ़ावा देना।
- शिक्षा प्रणाली को उद्योग और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप संरचित करना।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कार्यकाल

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कार्यकाल 2 अक्टूबर, 2005 से 2 अक्टूबर, 2008 तक तीन वर्ष का था।

सदस्यों की संख्या

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में एक अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या 6 निर्धारित थी। अध्यक्ष श्री सैम पित्रोदा, प्रसिद्ध विशेषज्ञ, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं जबकि छह सदस्य, विभिन्न तकनीकी और अनुसंधान संस्थानों से सम्बन्ध रखते हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

30. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ।

....

....

31. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का था ?

....

....

10.37 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की कार्यप्रणाली

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रमुख लक्ष्य भारत को एक ज्ञान–आधारित जीवंत एवं सजीव समाज में परिवर्तित करना था इसके लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार, शोध और नवाचार को आगे बढ़ाना, ज्ञान के उपयोग के लिए प्रोत्साहन देना और उसे सुविधायुक्त बनाना तथा सूचना एवं संचार तकनीकों का अधिक से अधिक प्रयोग हेतु सुझाव देना था।

10.38 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की संस्तुतियाँ और सुझाव

1. शिक्षा का अधिकार के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 68वें संविधान संशोधन के अनुसार लागू करना चाहिए तथा उसी के अनुसार वित्तीय प्रावधानों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- शिक्षा के अधिकार हेतु अतिरिक्त धन का ज्यादातर योगदान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान करना।

2. स्कूल शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- सर्व शिक्षा अभियान के साथ अन्य केंद्र की योजनाओं में सुधार किया जाना चाहिए।
- अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में सुधार और उनका विनियमन करना चाहिए।
- पारदर्शिता के साथ जवाबदेही की सुनिश्चितता हेतु अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल को स्थापित और विकसित करना।
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या में सुधार करना चाहिए।
- संसाधनों तथा नई तकनीकों का प्रभावी उपयोग के साथ पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

3. उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- उच्च शिक्षा की उपाधि, एक स्वतंत्र विनियामक निकाय (IRAHE) के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए अतः उच्च शिक्षा में इसकी स्थापना करनी चाहिए।

- 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए तथा गुणवत्ता सुनिश्चियन के लिए पाठ्यक्रम में सुधार किए जाने चाहिए।

4. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- दूरस्थ शिक्षा तक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना चाहिए।
- आईसीटी आधारित राष्ट्रीय प्रणाली बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए।
- उपयुक्त और अच्छी सामग्री का निर्माण तथा वैश्विक मुक्त अधिगम संसाधनों का लाभ उठाना चाहिए।

5. पेशेवर शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- पेशेवर शिक्षा में स्वायत्तता को बढ़ाना, परीक्षा प्रणाली में सुधार एवं पाठ्यचर्या मे विकास के उपाय बताना।
- प्रतिभाशाली संकाय, वेतन विसंगति, व्यावसायिक अवसरों, परामर्श सेवाओं पर अधिक ध्यान देना।
- उन्नत विधिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना करने हेतु सुझाव देना।
- चिकित्सा शिक्षा में जनस्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के सम्बन्ध में सुझाव देना।
- प्रबन्धन शिक्षा की सामाजिक प्रासंगिकता को बढ़ाने के सुझाव बताना।

6. व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- सामान्य शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक लचीला बनाने हेतु सुझाव देना।
- नवाचारों के माध्यम से क्षमता का विस्तार करने हेतु सुझाव देना।

7. पुस्तकालय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- ज्ञान के आदान–प्रदान के लिए पुस्तकालयों का नेटवर्क सुव्यवस्थित करने पर बल।
- आईसीटी का उपयोग, सूचीकरण, डिजिटलीकरण, ई–पत्रिकाएं की सुविधा सुलभ कराई जानी चाहिए।

8. अंग्रेजी भाषा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- उच्च शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अवसरों के लिए अंग्रेजी भाषा महत्वपूर्ण है।
- बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से ही अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए।

9. अनुवाद के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- ज्ञान को सभी तक पहुंचाने के लिए अनुवाद महत्वपूर्ण है।
- साहित्यिक कार्यों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अनुवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की स्थापना की जानी चाहिए।
- मिशन का काम अनुवादकों को प्रशिक्षण देना, डिजिटल उपकरण बनाना, वेब पोर्टल बनाना, अनुसंधान को बढ़ावा देना आदि होगा।

10. ज्ञान नेटवर्क के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- देश के सभी शिक्षण संस्थानों को इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ा जाना चाहिए।
- संसाधनों का आदान–प्रदान और सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

11. स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क बनाया जाना चाहिए।
- नेटवर्क में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थान शामिल होने चाहिए।
- सभी के लिए एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाया जाना चाहिए।

12. पोर्टल के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- जल, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि क्षेत्रों में राष्ट्रीय वेब पोर्टल बनाए जाने चाहिए।
- इन पोर्टल का प्रबंधन बहु–हितधारक समूहों द्वारा किया जाना चाहिए।

13. बौद्धिक संपदा अधिकार के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- बौद्धिक संपदा अधिकार कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।
- शिक्षा संस्थानों में बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- पारंपरिक ज्ञान की रक्षा और नए तकनीकी क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा अधिकार मुद्दों की पहचान के लिए तंत्र विकसित किए जाने चाहिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

32. बौद्धिक सम्पदा अधिकार के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सुझाव लिखिए।

....

....

14. सरकारी वित्तपोषित शोध के लिए विधिक तन्त्र के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- **पेटेंट अधिकार** विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को उनके द्वारा किए गए सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न आविष्कारों के लिए पेटेंट अधिकार या स्वामित्व प्रदान किया जाएगा।
- **स्वामित्व** विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को यह तय करने का अधिकार होगा कि वे पेटेंट अधिकारों का उपयोग कैसे करना चाहते हैं, जैसे कि उन्हें लाइसेंस देना या बेचना।
- **आय का उपयोग** विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान पेटेंट अधिकारों से प्राप्त आय का उपयोग भविष्य के अनुसंधान को निधि देने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने या अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कर सकते हैं।
- **जनहित की रक्षा** अपवादात्मक स्थितियों में, सरकार जनहित की रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे कि जब सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा खतरे में हो।

15. राष्ट्रीय विज्ञान और समाज विज्ञान प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

ज्ञान एक अथाह शक्ति है जो मानव प्रगति और विकास का आधार है। इस शक्ति का सदुपयोग करने के लिए, राष्ट्रीय विज्ञान और समाज विज्ञान प्रतिष्ठान की स्थापना की जानी चाहिए जिसका उद्देश्य प्राकृतिक, भौतिक, कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक विज्ञानों के सभी क्षेत्रों में नए ज्ञान के सृजन और प्रयोगों में भारत को नेतृत्व प्रदान

करना होगा।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों कीजिए।

33. राष्ट्रीय विज्ञान और समाज विज्ञान प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सुझाव लिखिए।

....

....

16. पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मान्यता देना और उन्हें बेहतर बनाना। उच्च शिक्षा और अनुसंधान में निवेश बढ़ाना।
- जड़ी–बूटियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करना।
- नैदानिक परीक्षणों को प्रोत्साहित करना।
- विनिर्माण, प्रयोगशाला, नैदानिक, कृषि और संग्रह प्रथाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाना।
- पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (TKDL) का विस्तार करना।

17. ई–अधिकारिता को मजबूत करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- सरलता, पारदर्शिता, उत्पादकता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को फिर से इंजीनियर करें। अधिकारिता को नागरिक–केंद्रित बनाएं।
- ई–अधिकारिता के लिए सामान्य मानक विकसित करें।
- ई–आधिकारिता कार्यान्वयन के साथ नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों (जैसे भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) शुरू करें। वेब–इंटरफेस सहित नागरिक–केंद्रित सेवाएं प्रदान करें।

18. गणित और विज्ञान में अधिक प्रतिभाशाली छात्रों को आकर्षित करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- शिक्षण कला, शिक्षक प्रशिक्षण, मूल्यांकन और पाठ्यचर्या में सुधार। प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग।
- विज्ञान में नए कैरियर अवसरों का विकास। मौजूदा कैरियर को अधिक आकर्षक बनाना।
- उद्योग, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
- सरकारी–निजी भागीदारी के माध्यम से वित्तपोषण के स्रोतों का विस्तार करना।

19. इंजीनियरिंग शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- इंजीनियरिंग शिक्षा की सुलभता को बढ़ाना अधिक संस्थानों और कार्यक्रमों की स्थापना करना। अनुसंधान संस्कृति को मजबूत करना।
- अनुसंधान और पेशेवर विकास के अवसर प्रदान करना।
- अनुसंधान अनुदान और फेलोशिप में वृद्धि करना।

- तकनीकी प्रगति और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम को विकसित करना।
- नई प्रौद्योगिकियों और कौशलों को शामिल करना। रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने की अनुमति देना।

20. कृषि में ज्ञान अनुप्रयोग के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- वर्षापोषित कृषि, जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य, कार्बनिक खेती, खाद्य प्रसंस्करण और बागवानी पर ध्यान केंद्रित करना।
- सरकारी अनुसंधान और विस्तार प्रणाली को अन्य हितधारकों से अलग करना।
- संस्थानगत सुधारों का सुझाव देना। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली को फिर से डिजाइन करना।
- कृषि में अधिक विकेंद्रीकरण, भागीदारी और स्थानीय संवेदनशीलता को बढ़ावा देना।
- छोटे किसानों को सशक्त बनाना उनकी लाभकारी बाजारों तक पहुंच को बेहतर बनाना।

21. उद्यमिता को बढ़ावा देने से सम्बन्धित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
- उद्यमियों के लिए बाधाओं की पहचान करना और उन्हें दूर करना।

10.39 सारांश

स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कई शिक्षा आयोगों और समितियों का गठन किया। इन आयोगों ने शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का विस्तृत अध्ययन किया और विस्तृत सुझाव दिए। इन सुझावों ने स्वतंत्र भारत में शिक्षा के विकास को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1949) की अध्यक्षता डॉ. राधाकृष्णन ने की थी। इस आयोग ने शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षक कल्याण, शिक्षा के स्तर, उच्च शिक्षा, अनुसंधान, शिक्षा के माध्यम, परीक्षा प्रणाली, धार्मिक शिक्षा, छात्र कल्याण, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना, महिला शिक्षा और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को प्रेषित किए।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) की अध्यक्षता डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर ने की थी। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनमें माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना, त्रिभाषा सूत्र, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, परीक्षा प्रणाली, शिक्षकों की सेवा शर्तें, निरीक्षण और न्यूनतम कार्य दिवस सम्मिलित था।

संस्कृत आयोग (1956–57) की अध्यक्षता डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी ने की थी। इस आयोग ने संस्कृत भाषा और शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया और संस्कृत शिक्षा, संस्कृत शिक्षण, संस्कृत अनुसंधान, पांडुलिपियां, संस्कृत विश्वविद्यालय और सामान्य शिक्षा जैसे छह शीर्षकों में महत्वपूर्ण संस्तुतियां सरकार को प्रस्तुत की थी

कोठारी आयोग (1964–66) की अध्यक्षता डॉ. दौलत सिंह कोठारी ने की थी। इस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों का अध्ययन किया और राष्ट्रीय विकास में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने के लिए राष्ट्रीय उद्देश्य निर्धारित किए। आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक समानता, स्कूली शिक्षा के विस्तार, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और निरीक्षण, उच्च शिक्षा के उद्देश्यों और कार्यक्रमों, विश्वविद्यालयों के प्रशासन, कृषि तकनीकी, व्यावसायिक और इंजीनियरिंग शिक्षा, अनुसंधान, प्रौढ़ शिक्षा, योजना और प्रशासन, और शैक्षिक वित्त प्रबंधन जैसे मुद्दों पर विस्तृत सुझाव सरकार को दिया।

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (प्रथम) (1983–85) की अध्यक्षता प्रो. डी.पी. चट्टोपाध्याय ने की थी। इस आयोग ने विद्यालय स्तर के शिक्षकों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया और शिक्षण व्यवसाय के उद्देश्यों, शिक्षक सम्मान, शिक्षक प्रशिक्षण, आचार संहिता, शिक्षक कल्याण और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को शिक्षण कार्य में आकर्षित करने के लिए भारत सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (द्वितीय) (1983–85) की अध्यक्षता प्रो. रईस अहमद ने की थी। इसने तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के लिए समस्याओं का अध्ययन किया और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षकों की सेवा शर्तों, प्रोन्नति प्रावधानों और प्रशिक्षण से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस इकाई में स्वतंत्रता के बाद गठित महत्वपूर्ण आयोगों की कार्य पद्धति और सिफारिशों का वर्णन किया गया है।

2005 में भारत को 21वीं सदी की ज्ञान चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए गठित किया गया था, जो प्रधानमंत्री सचिवालय के अधीन कार्य करता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली और ज्ञान प्रणाली का विश्लेषण किया। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में नवाचार एवं महत्वपूर्ण सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह्न् करता है। 11वीं योजना में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति प्रदान करती हैं।

10.40 अभ्यास के प्रश्न

1. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के कार्यक्षेत्र एवं उनके द्वारा दिये गये सुझावों का वर्णन कीजिए।
2. माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों का वर्णन कीजिए।
3. संस्कृत आयोग का सविस्तार वर्णन कीजिए।
4. कोठारी आयोग के स्थापना के कारणों पर प्रकाश डालिए।
5. राष्ट्रीय शिक्षक आयोग प्रथम एवं द्वितीय की विवेचना कीजिए।
6. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सविस्तार वर्णन कीजिए।

10.41 चर्चा के बिन्दु

1. राधाकृष्णन आयोग का गठन क्यों किया गया इस पर चर्चा कीजिए।
2. मुदालियर और कोठारी आयोग के महत्वपूर्ण सुझावों को समझ कर उसकी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए।

10.42 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. 25 अगस्त, 1949
2. 747 पृष्ठ
3. (i) **आंतरिक प्रशासन** : प्रत्येक विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया जाए, समितियों के अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट रूप से सुनिश्चित होंने चाहिए।

   (ii) **समवर्ती सूची में शामिल करना** : उच्च शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था को समवर्ती सूची में रखना चाहिए। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना चाहिए और राज्य की सरकारों को उस नीति के अनुसार अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए

4. (i) **उच्च शिक्षा के तीन स्तर** : उच्च शिक्षा की व्यवस्था को तीन स्तरों पर संगठित किया जाए – स्नातक, परास्नातक और अनुसंधान (शोध)।

   (ii) **पाठ्यक्रम की अवधि** : स्नातक कार्यक्रम की अवधि 3 वर्ष और परास्नातक कार्यक्रम की अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए। अनुसंधान कार्य के लिए न्यूनतम अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए।

5. (i) स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिए तथा कला एवं विज्ञान संकायों में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाए, जिन्होंने 12 वीं तक की शिक्षा या इसके समकक्ष शिक्षा किसी अन्य विद्यालय में

सफलतापूर्वक प्राप्त की हो।

(ii) स्नातक स्तर पर सभी वर्गों – क्रमशः कला, विज्ञान और व्यावसाय में सामान्य शिक्षा और इसके साथ धार्मिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।

6. विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट पास तथा न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य में उपयुक्त शिक्षण के लिए इंटरमीडिएट विद्यालय अधिक से अधिक संख्या में स्थापित किये जाने चाहिए।

7. **व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले कृशि शिक्षा के सुधार हेतु आयोग की प्रमुख संस्तुतियां**

- स्नातक स्तर पर कृषि शिक्षा का पाठ्यक्रम सामान्यतः 3 वर्ष का होना चाहिए, परन्तु यदि पशुपालन के साथ शिक्षार्थी स्नातक करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसकी अवधि 4 वर्ष की होनी चाहिए।
- छात्रों को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी कृषि शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

8. आयोग ने बाह्य परीक्षाओं की संख्या को कम करके आंतरिक मूल्यांकन को अधिक महत्व देने की बात की तथा तीन वर्षीय उपाधि कार्यक्रम पाठ्यक्रम की परीक्षाएं अंतिम वर्ष में नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ष के अंत में आयोजित करायी जाएं इस बात पर बल दिया और प्रत्येक वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो ये कहा।

9. **(अ) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गुण**

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
2. आयोग ने शिक्षा में सुधार के लिए कई सुझाव दिए – जैसे कि तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, सामान्य शिक्षा की अनिवार्यता, ट्यूटोरियल सिस्टम, और शिक्षकों के लिए पद के अनुरूप वेतन और सेवा शर्तें को लागू किया जाना चाहिए।

10. 23 सितम्बर, 1952

11. डॉ. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर

12. 29 अगस्त, 1953

13. 244 पृष्ठों की

14. (i) पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि वे छात्रों को वास्तविक जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान कर सकें।

(ii) पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों का समावेश होना चाहिए जिससे शिक्षार्थी अपनी रुचि तथा क्षमता के अनुसार विषयों का चयन कर सकें।

15. पाठ्य पुस्तक समिति छात्रोपयोगी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए नियमों का निर्धारण करेंगी। केंद्र सरकार के स्तर से पाठ्य पुस्तकों के लिए चित्र बनाने के प्रशिक्षण हेतु एक स्वतंत्र संस्था का गठन करना चाहिए।

16. **सकारात्मक प्रभाव**

- आयोग ने व्यवस्थित प्रशासनिक रूपरेखा बनाकर
- माध्यमिक शिक्षा में केंद्र सरकार की भागीदारी अधिक हो इस पर बल दिया था।

17. **नकारात्मक प्रभाव**

- आयोग ने 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा का प्रस्ताव दिया लेकिन 6 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की भी

व्यवस्था की गई।

- बोझिल पाठ्यचर्या बनाई गई जिसमें माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं और आठ विषयों का अध्ययन करने का सुझाव दिया गया।

18. अक्टूबर, 1956

19. डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी

20. (i) हिंदी और अंग्रेजी के साथ अतिरिक्त कार्यालयी भाषा के रूप में संस्कृत को भी रखा जाना चाहिए।

    (ii) विभिन्न प्रयोजनों पर, विभिन्न पदों पर शपथ लेने, शपथ पत्र दाखिल करने, राष्ट्रीय सम्मानों की प्रस्तुति और विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों में संस्कृत का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल दिया जाना चाहिए।

21. 14 जुलाई, 1964

22. **पंचमुखी कार्यक्रम :**

शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आयोग ने एक "पंचमुखी कार्यक्रम" का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जो निम्नवत है–

आयोग ने शिक्षा को राष्ट्र के विकास का आधार माना और शिक्षा के 5 मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य या कार्य निर्धारित किए, जिन्हें "पंचमुखी कार्यक्रम" कहा जाता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक कार्य भी निश्चित किए गए थे।

23. अध्यापक शिक्षा के दोष :

- प्रशिक्षण संस्थाओं, सुविधाओं और शैक्षिक संसाधनों की बहुत कमी है।
- प्रशिक्षण संस्थाओं में कुशल अनुभवी और योग्य शिक्षकों का अभाव है।

24. अध्यापक शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव :

- **शिक्षा विभागों की स्थापना** : विष्वविद्यालयों में शिक्षा विभागों की स्थापना व निर्माण करके शिक्षा में अनुसंधान और विकास को तीव्रगति के साथ बढ़ाना चाहिए।
- **प्रसार सेवा विभाग** : प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रसार सेवा विभाग को स्थापित करके शिक्षा को समुदाय के साथ जोड़ने की आवष्यकता है।

25. विश्वविद्यालयों के लक्ष्य :

- देश की कला, कृषि, विज्ञान, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी एवं अन्य व्यवसायों के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए।
- नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की सहमति के बिना नहीं करनी चाहिए।

26. व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षा से सम्बन्धित

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार किया जाना चाहिए।
- पत्राचार, अल्पकालिक और संक्षिप्त सघन पाठ्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

27. 1985 ई० में

28. प्रो0 रईस अहमद।

29. **राष्ट्रीय शिक्षक आयोग द्वितीय के सुझाव–**

- शिक्षकों को नए शिक्षण विधियों एवं तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वे समाज, राष्ट्र व सरकार के कार्यों में सहयोगी की भूमिका के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।
- वर्तमान समय में अध्यापन कार्य की तरफ लोगों का रुझान कम है अतः सम्मानजनक वेतन संरक्षण और बेहतर सेवा शर्तों को लागू कर इस कार्य की तरफ लोगों के आकर्षण को बढ़ाया जाना चाहिए तथा इस व्यवसाय के स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए।

30. 13 जून, 2005 ई0 में

31. 2 अक्टूबर, 2005 से 2 अक्टूबर, 2008 तक

32. बौद्धिक संपदा अधिकार के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव

- बौद्धिक संपदा अधिकार कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।
- शिक्षा संस्थानों में बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

33. राष्ट्रीय विज्ञान और समाज विज्ञान प्रतिष्ठान की स्थापना की जानी चाहिए जिसका उद्देश्य प्राकृतिक, भौतिक, कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक विज्ञानों के सभी क्षेत्रों में नए ज्ञान के सृजन और प्रयोगों में भारत को नेतृत्व प्रदान करना होगा।

10.43 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. गुप्ता एस0 पी0 : (2004) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
2. त्यागी गुरसरन दास : (2008 / 2009) भारतीय शिक्षा का परिदृष्य समस्याएँ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–7
3. पाठक पी0 डी0 : (2010 / 2011) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2
4. मदान पूनम : (2016 / 2017) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2
5. पाठक एवं जौहरी : (2008 / 2009) भारतीय शिक्षा का इतिहास, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2
6. लाल, रमन बिहारी : (2005 / 2006) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ
7. सारस्वत मालती एवं गौतम एस0 एल0 : भारतीय शिक्षा का विकास, आलोक पब्लिकेशन्स, लखनऊ

इकाई–11 : महत्वपूर्ण शिक्षा समितियाँ

इकाई की संरचना

11.1 प्रस्तावना

11.2 इकाई के उद्देश्य

11.3 आचार्य नरेन्द्र देव समिति (1952–1953)

11.3.1 आचार्य नरेन्द्र देव समिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

11.3.2 आचार्य नरेन्द्र देव समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

(क) पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में

(ख) तकनीकी विद्यालयों के सम्बन्ध में

(ग) परामर्श के सम्बन्ध में

(घ) माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के सम्बन्ध में

(ङ) विद्यालय प्रबन्धन के सम्बन्ध में

(च) पाठ्य पुस्तक के सम्बन्ध में

11.4 दुर्गाबाई देशमुख समिति (1957–1959)

11.4.1 दुर्गाबाई देशमुख समिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

11.4.2 दुर्गाबाई देशमुख समिति के प्रस्तावित लक्ष्य

11.4.3 दुर्गाबाई देशमुख समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

11.5 श्री प्रकाश समिति (1959)

11.5.1 श्री प्रकाश समिति के प्रस्तावित लक्ष्य

11.5.2 श्री प्रकाश समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

11.6 डॉ0 सम्पूर्णानन्द समिति (1961)

11.6.1 डॉ0 सम्पूर्णानन्द समिति के प्रस्तावित लक्ष्य

11.6.2 डॉ0 सम्पूर्णानन्द समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

11.7 हंसा मेहता समिति (1961–1964)

11.7.1 हंसा मेहता समिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

11.7.2 हंसा मेहता समिति गठन की तिथि एवं सदस्य संख्या

11.7.3 हंसा मेहता समिति के प्रस्तावित लक्ष्य

11.7.4 हंसा मेहता समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

11.8 10+2+3 राष्ट्रीय समिति (1973)

11.8.1 10+2+3 राष्ट्रीय समिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

11.8.2 10+2+3 राष्ट्रीय समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

11.9 ईश्वर भाई पटेल समिति (1977)

11.9.1 ईश्वर भाई पटेल समिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

11.9.2 ईश्वरभाई पटेल समिति के प्रस्तावित लक्ष्य

11.9.3 ईश्वरभाई पटेल समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

11.9.4 विभिन्न कक्षा स्तर पर प्रस्तावित सिफारिशें

11.9.5 कक्षा 8, 9 एवं 10 की कक्षाओं हेतु समिति द्वारा निर्धारित उद्देश्य

11.10 आदिशेषैया समिति (1977–1978)

11.10.1 आदिशेषैया समिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

11.10.2 आदिशेषैया समिति के प्रस्तावित लक्ष्य

11.10.3 आदिशेषैया समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

11.11 ज्ञानम समिति (1987)

11.11.1 ज्ञानम समिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

11.11.2 ज्ञानम समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

11.12 प्रो0 यशपाल समिति (1992–1993)

11.12.1 प्रो0 यशपाल समिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

11.12.2 प्रो0 यशपाल समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

11.13 प्रो0 यशपाल (उच्च शिक्षा का पुनरोद्धार एवं नवजीवन समिति–2009)

11.13.1 प्रो0 यशपाल समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

11.14 सारांश

11.15 अभ्यास के प्रश्न

11.16 चर्चा के बिन्दु

11.17 बोध प्रश्नों के उत्तर

11.18 कुछ उपयोगी पुस्तकें

11.1 प्रस्तावना

भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात, भारतीय जन–मानस अंग्रेजों द्वारा प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में अपने को समायोजित नहीं कर पा रहा था। अंग्रेजों द्वारा दी गई शिक्षा व्यवस्था में पश्चिमीकरण का प्रभाव ज्यादा परिलक्षित हो रहा था। उस शिक्षा व्यवस्था में भारतीयता की न झलक थी, न ही भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था। इसको देखते हुए स्वतन्त्र भारत में पूर्व में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हेतु जन–आन्दोलन होने लगे। विद्वतजन, समाज सुधारक एवं भारतीय नेताओं द्वारा समय–समय पर अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हेतु जन–आन्दोलन होने लगे। इसको दृष्टिगत रखते हुए भारतीय शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन की माँग उठने लगी जिससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप भारतीय जनमानस के आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित किया जा सके। भारत सरकार ने जनभावनाओं के आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए उनके अनुरूप भारतीय शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकतानुसार उपयोगी बनाने की दृष्टि से समय–समय पर अनेक समितियों का गठन किया गया। इन समितियों ने भारत में शैक्षिक विकास एवं शिक्षा के उन्नयन हेतु विभिन्न स्तरों पर शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं को दूर करने हेतु भारत सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिससे भारतीय शिक्षा प्रणाली एवं व्यवस्थाओं में सुधार हो सके। प्रस्तुत इकाई में स्वतन्त्रता के बाद गठित विभिन्न समितियों के प्रस्ताव, लक्ष्य एवं उनकी संस्तुतियों के विषय में व्यापक चर्चा की गई है।

11.2 इकाई के उद्देश्य

1. स्वतंत्रता के पश्चात गठित शैक्षिक समितियों की प्रासंगिकता से अवगत हो सकेंगे।
2. आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुतियों से परिचित हो सकेंगे।
3. दुर्गाबाई देशमुख समिति द्वारा लड़कियों की शिक्षा में सुधार के लिए दिए गए सुझावों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
4. श्री प्रकाश समिति एवं डॉ सम्पूर्णानन्द समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मध्य में अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे।
5. हंसा मेहता एवं आदिशेषैया समिति के गठन के औचित्य पर प्रकाश डाल सकेंगे।
6. ईश्वर भाई पटेल एवं 10+2+3 समिति की संस्तुतियों के बारे में अपनी अभिव्यक्ति कर सकेंगे।
7. प्रोफेसर यशपाल समिति 1992 एवं 2009 की महत्वपूर्ण संस्तुतियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
8. ज्ञानम समिति की संस्तुतियों का मूल्यांकन कर सकेंगे।

11.3 आचार्य नरेन्द्र देव समिति गठन (1952–1953)

11.3.1 आचार्य नरेन्द्र देव समिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने सन् 1948 में माध्यमिक शिक्षा के सुधार हेतु एक प्रांतीय शिक्षा योजना की शुरुआत की। जबकि, आर्थिक समस्याओं और माध्यमिक शिक्षा के तीव्र गति से विकास के कारण यह योजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सकी। शिक्षा की इस स्थिति के सुधार हेतु मार्च, 1952 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति का गठन हुआ। इस समिति को आचार्य नरेंद्र देव समिति (द्वितीय) के नाम से भी जाना जाता है।

स्वतंत्रता से पहले, 1937 में, कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) में एक मंत्रिमंडल का गठन किया था, जिसने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया था जिसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1939 में प्रस्तुत की और इस समिति को आचार्य नरेंद्र देव समिति (प्रथम) कहा जाता है।

1952 में गठित दूसरी समिति ने उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का गहन अध्ययन किया और मई 1953 में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की। इसमें पाठ्यक्रम, तकनीकी शिक्षा, परीक्षा प्रणाली, और स्कूल प्रबंधन के विभिन्न पक्षों पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

11.3.2 आचार्य नरेन्द्र देव समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियां

(क) पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में

1. संस्कृत को माध्यमिक स्तर पर हिंदी के साथ छात्रों को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए।
2. माध्यमिक स्तर पर हिंदी के अलावा एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा अथवा आधुनिक विदेशी भाषा को अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए।
3. गणित को अनिवार्य विषय के रूप में कक्षा 9 व 10 में रखना चाहिए, जबकि कक्षा 11 और 12 में इसे वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने की छूट होनी चाहिए।
4. कक्षा 9 और 10 में बालिकाओं के लिए गणित वैकल्पिक विषय होना चाहिए, लेकिन इस स्तर पर लड़कों के लिए गृहविज्ञान को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
5. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रमों में सुधार कर माध्यमिक शिक्षा के साथ इनकी एकरूपता और समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

(ख) तकनीकी विद्यालयों के सम्बन्ध में

1. तकनीकी विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ सामान्य शिक्षा भी देनी चाहिए।
2. एक बोर्ड का गठन उद्योगों तथा शिक्षा विभाग में समन्वय स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए।
3. तकनीकी संस्थान खोलते समय भौगोलिक वातावरण की उपयुक्तता और अन्य आवश्यक बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
4. कम से कम एक पॉलिटेक्निक कालेज प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाना चाहिए।
5. निःशुल्क तकनीकी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

(ग) परामर्श के सम्बन्ध में

1. एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण का निर्माण छात्रों को विषय चयन में मार्गदर्शन देने हेतु तैयार करना चाहिए।
2. कम से कम एक मनोवैज्ञानिक केंद्र प्रत्येक जिले में खोला जाना चाहिये।
3. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक जांच एवं ज्ञान के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
4. शिक्षार्थियों का संचयी लेख रखा जाए और उनकी रुचि को भी ध्यान में रखकर उसका अध्ययन किया जाना चाहिए।
5. इलाहाबाद में स्थापित मनोवैज्ञानिक ब्यूरो को और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(घ) माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के सम्बन्ध में

1. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9, 10 और 11 में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम रखे जाने चाहिए।
2. 16 वर्ष से कम आयु के शिक्षार्थियों को उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए।
3. कक्षा 12 को उच्च शिक्षा के साथ शामिल कर तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम कर देना चाहिए।
4. कम से कम 200 दिन शिक्षण कार्य हेतु विद्यालय में निर्धारित किए जाने चाहिए।
5. एक शिक्षक संरक्षक की नियुक्ति भी प्रत्येक 20 से 30 शिक्षार्थियों पर होनी चाहिए।
6. छात्रों और अध्यापकों के संबंध को घनिष्ठ बनाए जाने चाहिए।

(ङ) विद्यालय प्रबन्धन के सम्बन्ध में

1. सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधन तन्त्र को सुधारा जाना चाहिए।
2. एक सरकारी प्रशासक की नियुक्ति अयोग्य प्रबंधन समितियों को समाप्त करके किया जाना चाहिए।
3. प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के प्रतिनिधि को प्रबंधन समिति में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
4. प्रबंधन समिति में अधिकतम 12 सदस्य हों जिनका चयन तीन–तीन वर्ष में होना चाहिए।
5. वरिष्ठता के क्रम में अध्यापक प्रतिनिधि हर साल परिवर्तित किए जाने चाहिए।

(च) पाठ्य पुस्तक के सम्बन्ध में

1. केवल पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाये। प्रधानाध्यापक व विषय अध्यापक से निर्देशन प्राप्त कर विद्यालयों हेतु उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों का चयन किया जाना चाहिये।
2. पाठ्यपुस्तकों के चयन हेतु शिक्षा विभाग सहायता व निर्देशन प्रदान करे जिसके अन्तर्गत उसे

पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना चाहिये।

3. कम से कम तीन साल तक एक बार चयनित पुस्तकों का उपयोग किया जाना चाहिये।

4. सरकार स्वयं पुस्तकों को प्रकाशित न करे, लेकिन उच्च स्तरीय पुस्तकों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाए।

आचार्य नरेन्द्रदेव समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। समिति के कई सुझावों को तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया, जिससे उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक प्रगति हुई।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए

1. आचार्य नरेन्द्र देव समिति की पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में दी गई किन्ही दो संस्तुतियों को लिखिए।

....

....

11.4 दुर्गाबाई देशमुख समिति (1957—1959)

11.4.1 दुर्गाबाई देशमुख समिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जुलाई 1957, में योजना आयोग के शैक्षिक दल ने सुझाव दिया कि बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न पक्षों की समीक्षा करने हेतु एक समिति का गठन किया जाए। इस समिति का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या वर्तमान शिक्षा व्यवस्था बालिकाओं को प्रसन्नतायुक्त और उपयोगी जीवन जीने में मदद कर रही है। सितम्बर 1957, में राज्य शिक्षा मंत्रियों की संगोष्ठी ने इस सुझाव का समर्थन किया और कहा कि बालिकाओं की शिक्षा के मुद्दों पर विचार करने हेतु एक विशेष समिति बनाई जानी चाहिए। इसके बाद भारत सरकार ने श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में महिलाओं की शिक्षा पर एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया। जिसका नाम अध्यक्ष के नाम पर दुर्गाबाई देशमुख समिति पड़ा।

11.4.2 दुर्गाबाई देशमुख समिति के प्रस्तावित लक्ष्य

इस समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए थे–

1. प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर बालिकाओं की शिक्षा को आगे ले जाने के सुझाव देना।
2. बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था में अपव्यय व अवरोधन की समस्या की समीक्षा करनी चाहिए।
3. जिन महिलाओं ने बहुत कम शिक्षा प्राप्त की है या उनमें दोबारा अशिक्षा व्याप्त हो गई है उन प्रौढ़ महिलाओं की समस्याओं की समीक्षा करके उन्हें पुनः शिक्षित करना चाहिये।
4. महिला शिक्षा से जुड़े हुए स्वैच्छिक संगठनों के कार्यों व गतिविधियों की समीक्षा करनी चाहिये।
5. महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें व्यवसायिक क्षेत्रों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिये।

11.4.3 दुर्गाबाई देशमुख समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

1. लड़कियों की शिक्षा को लंबे समय तक एक बड़ी और विशिष्ट समस्या के रुप में देखना चाहिए।
2. महिलाओं की शिक्षा हेतु अति शीघ्र राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए।

3. राज्य की सरकारों को भी ऐसी राज्य परिषदें बनानी चाहिए।
4. योजना आयोग को समय–समय पर महिलाओं की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना चाहिए।
5. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निर्धन अभिभावकों को अपनी लड़कियों को शिक्षा दिलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
6. जिन गाँवों में लड़कियों का नामांकन और उपस्थिति अधिक हो, उन गाँवों को सम्मानित किये जाने की योजना चलाई जानी चाहिए।
7. मिडिल विद्यालयी स्तर पर अधिक से अधिक सह–शिक्षा संस्थान खोले जाने चाहिए।
8. माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेषकर ग्रामीणांचलों में अलग विद्यालय खोले जाने चाहिए।
9. सभी बालिकाओं को मिडिल स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क दी जानी चाहिए।
10. लड़कियों के लिए मिडिल और माध्यमिक स्कूलों में आने के लिए मुफ्त या सहायक यातायात सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
11. प्राथमिक स्तर पर बालक व बालिकाओं के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, लेकिन बालिकाओं के लिए चित्रकला, सिलाई, कढ़ाई, संगीत एवं पाक कला आदि को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
12. मिडिल स्कूल और विशेष रुप से माध्यमिक स्तर पर बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में भिन्नता होनी चाहिए।
13. शिक्षिकाओं हेतु प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए।
14. शहरी शिक्षिकाओं को ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षण कार्य स्वीकार करने के लिए आवास और ग्रामीण भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए।
15. शिक्षण व्यवसाय में शिक्षिकाओं के प्रवेश की अधिकतम आयु में छूट प्रदान करनी चाहिए।
16. महिलाओं को अल्पावधि के रोजगार भी प्रदान किये जाने चाहिए।
17. बालिकाओं को चिकित्सा, अभियांत्रिकी, वाणिज्य एवं कृषि की शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए छात्रवृत्तियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
18. कार्यालयों तथा संगठनों में महिलाओं को काम करने के लिए सुविधाजनक वातावरण तैयार करने हेतु जन जागरुकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
19. प्रौढ़ महिलाओं हेतु मिडिल स्कूल तथा हाई स्कूल की परीक्षाओं की तैयारी के लिए सघन पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए।
20. अनुदान देने की शर्तें बालिकाओं की शिक्षण संस्थाओं के मामले में सरल होनी चाहिए।
21. प्राथमिक स्तर में अवरोधन को दूर करने के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए –
    - सभी प्रवेश सत्र के प्रारंभ में किए जाने चाहिए।
    - उपस्थिति बनाए रखने हेतु अध्यापक को विशेषरुप से उत्तरदायी बनाना चाहिए।
    - प्रवेश आयु बढ़ाकर 6 कर देनी चाहिए।
    - शिक्षा के स्तर व गुणवत्ता को ऊँचा उठाया जाना चाहिए।
    - छात्रों की उपस्थिति बढ़ाई जानी चाहिए।
    - शिक्षण के स्तर को उन्नत करना चाहिए।

- आंतरिक परीक्षा प्रणाली लागू करनी चाहिए।
- गरीब बच्चों को किताबें और अन्य शैक्षिक उपकरण प्रदान करने चाहिए।

उपरोक्त सुझावों से स्पष्ट होता है कि दुर्गाबाई देशमुख समिति ने बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता, महत्व, अपव्यय और अवरोधन, अध्यापक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम तथा प्रशासन, अध्यापकों के वेतन–भत्तों और अन्य लाभों के संबंध में महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ प्रस्तुत कीं। इन सिफारिशों के फलस्वरुप कई सरकारी योजनाएं और नीतियां बनाई गईं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए

2. दुर्गाबाई देशमुख समिति के दो प्रस्तावित लक्ष्यों को लिखिए।

....

....

11.5 श्री प्रकाश समिति (1959)

1959 ई० में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में श्री प्रकाश के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना की। इस समिति का मुख्य उद्देश्य धार्मिक और नैतिक शिक्षा के मुद्दों पर विचार करना था। इसे **'श्री प्रकाश समिति'** के नाम से भी जाना जाता है।

11.5.1 श्री प्रकाश समिति के प्रस्तावित लक्ष्य

1. शिक्षण संस्थाओं में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा को बढ़ावा देने पर विचार करना चाहिए।
2. अगर संभव और वांछनीय हो तो

   (अ) शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा सम्मिलित कर पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए।

   (ब) सामान्य पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने पर विचार करना चाहिए।

11.5.2 श्री प्रकाश समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

1. शिक्षण संस्थानों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को सिखाने के लिए धार्मिक विभूतियों के जीवन और उनके उपदेशों एवं विचारों का अध्ययन कराना चाहिए।
2. नीति शास्त्रों और दार्शनिक विचारधाराओं को भी समझाना चाहिए। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि बढ़ाने के लिए शैक्षिक वार्ताएं आयोजित की जानी चाहिए।
3. शिक्षा के हर स्तर पर अच्छे संस्कार, समाज सेवा, और देशभक्ति को बढ़ावा देना चाहिए।
4. जनसंचार साधनों जैसे पोस्टर, वार्ता, रेडियो, सिनेमा, और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से घरों के भौतिक और मानसिक वातावरण की कमियों को बताना चाहिए।
5. प्रत्येक शिक्षण संस्थान में प्रारम्भिक प्रार्थना से मौन ध्यान की प्रथा शामिल करनी चाहिए। इसमें किसी देवता को सम्बोधित न करते हुए स्व–अनुशासन और आदर की भावना सीखायी जानी चाहिए।
6. प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय सभी स्तर तक उपयुक्त पुस्तकें तैयार की जानी चाहिए जिनमें सभी धर्मों के विचारों को समझाया जाए और धार्मिक विभूतियों, सन्तों और दार्शनिकों के जीवन और उपदेशों को

समाहित किया जाना चाहिए।

7. अनुभवी व्यक्तियों को अंतर–धार्मिक समझ के बारे में व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाना चाहिए।

8. सभी स्तरों पर किसी भी प्रकार की शारीरिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।

9. श्रम के प्रति आदर और समाज सेवा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

समिति ने विभिन्न धर्मों, दर्शनों और आचार्यों की समझदारी वाली शिक्षा देने का सुझाव दिया। इससे स्पष्ट है कि समिति किसी विशेष धार्मिक शिक्षा की पक्षधर न होकर चरित्र निर्माण और समर्पित नागरिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा देने की पक्षधर थी।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए

3. श्री प्रकाश समिति का गठन कब हुआ था ?

....

....

11.6 डॉ. सम्पूर्णानंद समिति (1961)

नवम्बर 1960, में शिक्षा मंत्रियों की एक कॉन्फ्रेंस में विचार किया गया कि देश में हो रही विभाजक गतिविधियों को रोकना बहुत जरुरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसे कम करने के लिए शिक्षा का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके आलोक में मई 1961, में भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने डा० सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में संवेगात्मक एकता पर समिति की स्थापना की।

11.6.1 डॉ0 सम्पूर्णानन्द समिति के प्रस्तावित लक्ष्य

1. शिक्षा की भूमिका राष्ट्रीय जीवन में संवेगात्मक एकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। अतः इसके समक्ष आने वाली बाधाओं को जानना।

2. युवाओं और छात्रों के लिए संवेगात्मक एकता को मजबूत करने के लिए हमे सकारात्मक कार्यक्रमों का सुझाव देना।

11.6.2 डॉ0 सम्पूर्णानन्द समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

1. पाठ्यक्रमों में पाठ्यसहगामी क्रियाओं का विशेष महत्व होता है जो छात्रों का सर्वांगीण विकास में मदद करती हैं। ये कार्यक्रम भाई–चारे की भावना, दया सहनशीलता आदि को बढ़ाते हैं जिसके लिए त्योहार व राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं का मिलजुल कर आयोजन करना, खेल –कूद, शैक्षिक भ्रमण, एनसीसी, स्काउटिंग, छात्र शिविर, वाद–विवाद, नाटक आदि पर विशेष बल दिया गया है। श्रव्य दृश्य साधन जैसे फिल्म, रेडियो आदि के प्रयोग का भी सुझाव दिया गया।

2. शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक अध्ययन को आवश्यक माना जाना चाहिए जिसमें देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को समझाया जा सके। पाठ्यक्रमों में सुधार करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तथ्यों को सही और संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया जाए।

3. पाठ्यक्रमों को धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर, कहानियों, कविताओं, लोकगीतों, राष्ट्रीय और अन्य सांस्कृतिक गीतों को समझाया जाना चाहिए जिससे बच्चें अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को समझ सकें।

माध्यमिक स्तर पर, भाषा, साहित्य, सामाजिक अध्ययन, नैतिकता और धार्मिक शिक्षा के साथ–साथ पाठ्यसहगामी क्रियाएं भी शामिल होनी चाहिए। इससे छात्रों का सम्पूर्ण विकास हो सके और उन्हें समाज में सही मानवीय मूल्यों की समझ प्राप्त हो सकें।

विश्वविद्यालय स्तर पर, विभिन्न सामाजिक विज्ञान विषयों, भाषाओं का अध्ययन, साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र में विस्तृत ढ़ंग से अध्ययन किया जाना चाहिए। ये विषय छात्रों को विशाल दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा समाज में सकारात्मक योगदान के लिए तैयार करता है।

4. पाठ्य पुस्तकों में सुधार करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये संवेगात्मक एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेषरूप से इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को तैयार करते समय, यह ध्यान देना चाहिए कि तथ्यों को सही और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सके। अत्यधिक या गलत तरीके से तथ्यों को प्रस्तुत करने से समाज में भिन्नता उत्पन्न हो सकती है।

   प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों और उद्धरणों का उपयोग करना चाहिए जिससे बच्चों का ध्यान अधिक से अधिक पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो सके और वे विषयवस्तु का आसानी से समझ सकें।

5. देवनागरी लिपि में हाई स्कूल स्तर पर हिंदी को पढ़ाया जाना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी को विश्वविद्यालय स्तर पर दो सम्पर्क भाषाओं के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए।

6. बच्चों को अनुशासित ढंग से खड़े रहने व एक स्वर में राष्ट्रगान गाने की शिक्षा दी जानी चाहिए। राष्ट्रगान के अर्थ को भी बताना चाहिए।

7. बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के विषय में भी जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

8. राष्ट्रीय दिवस जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को स्कूलों में छात्रों, अध्यापकों और समुदाय के साथ धूमधाम से मनाया जाना चाहिए।

9. राष्ट्रीय एकता से संबंधित समय–समय पर वार्ताएँ करानी चाहिए।

10. शिक्षार्थियों को वर्ष में कम से कम दो बार स्वयं से राष्ट्र और अन्य कर्तव्य भावना की शपथ लेने की भावना विकसित की जानी चाहिए। शपथ का प्रारूप निम्नलिखित प्रकार से हो सकता हैः

    'भारत मेरा देश है। सभी भारतीय मेरे भाई और बहिन हैं। मैं अपने देश को प्यार करता हूँ और मुझे इसकी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। मैं हमेशा इसके योग्य बनने का प्रयास करूँगा। मैं अपने माता–पिता, अध्यापकों और सभी बुजुर्गों का सम्मान करूँगा और सभी के साथ सहयोग से बात करूँगा। मैं पशुओं के प्रति दयालु रहूँगा। मैं अपने देश और जनता के प्रति समर्पित रहूँगा। उनके सुख और समृद्धि में ही मेरी संतुष्टि है।'

11. राज्यों में अध्ययनरत शिक्षार्थियों हेतु अन्य राज्यों में शैक्षिक पर्यटन करने के लिए कार्यक्रम बनाना चाहिए।

12. विद्यालय परिसर की सफाई के कार्यों में बच्चों का सहयोग लिया जाना चाहिए।

13. शिक्षण संस्थाओं में बच्चों के प्रवेश में जाति को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए

4. सम्पूर्णानन्द समिति के प्रस्तावित लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए।

....

....

11.7 हंसा मेहता समिति (1961–1964)

11.7.1 हंसा मेहता समिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् ने 10 मई, 1961 के अपनी बैठक में इस बात पर ध्यान दिया कि वह बालिकाओं की शिक्षा के सभी स्तरों में पाठ्यक्रम की समस्या पर गहन विचार–विमर्श करने हेतु एक समिति का गठन करें। इसी को ध्यान में रखते हुए हंसा मेहता समिति को गठित किया गया।

11.7.2 हंसा मेहता समिति गठन की तिथि एवं सदस्य संख्या

महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित और संवैधानिक रूप से संरक्षित करने के उद्देश्य से 1 नवंबर, सन् 1961 को शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् की अध्यक्षा श्रीमती द्राक्षा सरन द्वारा हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति को हंसा मेहता समिति कहा जाता है। हंसा मेहता समिति में कुल 11 सदस्य थे।

11.7.3 हंसा मेहता समिति के प्रस्तावित लक्ष्य

राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद द्वारा गठित इस समिति को लड़कियों की शिक्षा के संदर्भ में पाठ्यक्रम का अध्ययन करने हेतु निम्नलिखित कार्य सौंपे गए थे–

1. वर्तमान विद्यालयी पाठ्यक्रम की जाँच करना और यह पता लगाना कि यह महिलाओं की वैयक्तिक और सामाजिक आवश्यकताओं को किस सीमा तक पूरा करता है।
2. सामान्य शिक्षा में आवश्यक सुधार हेतु सुझाव देना।
3. ललित कला और गृह विज्ञान के क्षेत्रों में पाठ्यवस्तु का पुनरीक्षण करना और महिलाओं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए आवश्यक सुधार हेतु सुझाव प्रदान करना।
4. बालिकाओं के लिए स्थापित पोलीटेक्निक और जूनियर तकनीकी स्कूलों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए उपयोगी रोजगारों के विभिन्न प्रकारों की जाँच करना।

11.7.4 हंसा मेहता समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति हमेशा से समान नहीं रही थी। वे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई थीं और उनके अधिकारों का हनन किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को समान अधिकार दिए बिना एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना नहीं हो सकती। इसी उद्देश्य से हंसा मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भारतीय महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई सिफारिशें कीं।

1. समिति का मानना है कि बालक–बालिकाओं के बीच शारीरिक, बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक अंतर की धारणा गलत है। उन्होंने कहा कि उनकी शैक्षिक और व्यावसायिक उपलब्धियों में अंतर सही अवसरों की कमी के कारण होता है।
2. संविधान में स्त्री एवं पुरुषों को समान माना गया है, इसलिए उनकी शिक्षा के अंतर को शीघ्रता से कम करना चाहिए।
3. बालक–बालिकाओं के बीच अंतर को समझने के लिए वैज्ञानिक जानकारी देना और एक–दूसरे के प्रति सही नजरिया विकसित करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।
4. प्राथमिक स्तर पर सह–शिक्षा को अपनाना चाहिए।
5. माध्यमिक और कॉलेज स्तर पर प्रबंधकों और अभिभावकों को यह संविधा होनी चाहिए कि वे सह–शिक्षा संस्थान चलाएँ या लड़के–लड़कियों के लिए अलग–अलग संस्थान खोलें।

6. लड़कों वाले माध्यमिक और कॉलेज स्तर के संस्थानों में महिला अध्यापकों की नियुक्ति की कोशिश करनी चाहिए।

7. प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बालक–बालिकाओं के पाठ्यक्रम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

8. माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके रुचियों और क्षमताओं के अनुसार अलग–अलग पाठ्यक्रम बनाए जा सकते हैं।

9. माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान, ललित कला, और संगीत के लिए विशेष पाठ्यक्रम शीघ्र शुरू किए जाने चाहिए।

10. माध्यमिक स्तर की शिक्षा में गृह विज्ञान के अध्ययन की कमियों को दूर करना चाहिए। इसमें विषयवस्तु की कमी, अध्यापकों की कमी, विश्वविद्यालय की मान्यता की कमी और पाठ्यक्रम की त्रुटियों पर ध्यान देना आवश्यक है।

11. उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर यौन शिक्षा देना आवश्यक है।

12. माध्यमिक स्तर पर गणित और विज्ञान की पढ़ाई करने वाली बालिकाओं को अभिप्रेरित किया जाना चाहिए।

13. गणित और विज्ञान की शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

14. लड़कियों के त्योहारों, खेलों, और महान नारियों के जीवन से जुड़े प्रकरणों को भाषा और सामाजिक अध्ययन की विषय सामग्री में सम्मिलित करके बालिकाओं की आवश्यकताओं, अनुभवों और समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।

15. पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से लड़के–लड़कियों में एक–दूसरे के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए।

16. माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर लड़कियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

17. महिलाओं के लिए अंशकालिक रोजगार के अधिकाधिक अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए।

समिति ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। समिति ने लड़कियों के लिए अलग पाठ्यक्रम के विचार को हतोत्साहित किया और विज्ञान, गणित और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए

5. हंसा मेहता समिति में कुल कितने सदस्य थे ?

....

....

11.8 10+2+3 राष्ट्रीय समिति (1973)

11.8.1 10+2+3 राष्ट्रीय समिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत सरकार ने कोठारी आयोग की सिफारिशों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत स्वीकृत 10+2+3 शैक्षिक संरचना को लागू करने के व्यावहारिक उपाय बताने और इसके खर्च का अनुमान लगाने हेतु राष्ट्रीय समिति का गठन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पी० डी० शुक्ला की अध्यक्षता में की गयी। इस समिति को

10+2+3 राष्ट्रीय समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति ने पांच अध्यायों और आठ परिशिष्टों में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत सरकार को प्रस्तुत किया।

11.8.2 10+2+3 राष्ट्रीय समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

इस समिति द्वारा प्रस्तुत किए गये महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ निम्नवत् वर्णित है –

1. 10+2+3 शिक्षा संरचना सम्पूर्ण राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी और इससे शिक्षा के सभी स्तरों की गुणवत्ता में सुधार होगां जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष अपने को स्थापित कर सकेंगी।
2. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किए गये पाठ्यक्रम को स्वीकार किया जाना चाहिए।
3. माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 और 10 में सामान्य पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, हिन्दी, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा कला की शिक्षा सम्मिलित होनी चाहिए।
4. उच्चतर माध्यमिक स्तर में विशिष्टीकरण द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। इन कक्षाओं के लिए दो प्रकार की शिक्षा सुलभ कराई जानी चाहिए। (1) शैक्षिक और (2) व्यावसायिक। शैक्षिक शिक्षा में कुल पांच विषय शामिल होने चाहिए और इसके अतिरिक्त एक पाठ्य सहगामी क्रियाएँ भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए जैसे एनसीसी, समाज सेवा आदि। व्यावसायिक शिक्षा में रोजगार परक पाठ्यक्रम को शमिल किया जाना चाहिए जैसे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, चिकित्सा, बैंकिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई आदि।
5. उच्च शिक्षा में परंपरागत पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्क्रमों की शिक्षा दी जानी चाहिए।
6. शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए।

इस समिति के अनुसार इस शैक्षिक संरचना की व्यवस्था में पांचवी पंचवर्षीय योजना में लगभग 60 करोड़ रुपए के खर्च होने का अनुमान था।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए

6. 10+2+3 राष्ट्रीय समिति का गठन किस सन में हुआ? ?

....

....

11.9 ईश्वर भाई पटेल समिति (1977)

11.9.1 ईश्वर भाई पटेल समिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1977 में केंद्रीय शिक्षामंत्री ने एनसीईआरटी के अध्यक्ष की हैसियत से श्री ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के पुनः निरीक्षण के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति का आधिकारिक नाम 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम पुनर्निरीक्षण समिति था, लेकिन इसे पटेल समिति के नाम से भी जाना जाता है।

11.9.2 ईश्वरभाई पटेल समिति के प्रस्तावित लक्ष्य

1. एनसीईआरटी द्वारा तैयार दस वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम के स्तरवार और विषयवार उद्देश्यों का पुनरीक्षण करना।
2. पहले बिंदु के सन्दर्भ में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की जाँच करना।

3. एनसीईआरटी के अभिलेखों में दी गई अध्ययन व्यवस्था की जाँच करना और उपयुक्त संशोधन की तरफ इंगित करना।

4. वर्तमान अध्ययन प्रणाली की भी जाँच की जानी चाहिए।

11.9.3 ईश्वरभाई पटेल समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

1. शिक्षा को व्यक्ति में अच्छे जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, आदत, दृष्टिकोण और मूल्यों को विकसित करना चाहिए, जिससे वह एक योग्य और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन सकें। इसके साथ ही वह अपनी जन्मजात योग्यताओं व सृजनात्मक उद्यमों का सफलतापूर्वक उपयोग कर सके।

2. अधिगम व्यवस्था को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। संस्थागत प्रणाली इतनी कठोर भी नहीं होनी चाहिए कि पढ़ने के इच्छुक छात्र उनका उपयोग न कर सकें। ऐसे बच्चें जो उचित आयु पर किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, उनके लिए बाद में पढ़ाई की व्यवस्था संस्थानों में या अनौपचारिक ढ़ंग से प्रदान किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

3. शिक्षा प्रणाली को बालकों के अन्दर ऐसा दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहिए तथा मूल्यों को भी उन्हें सीखना चाहिए, जिससे प्रत्येक बालक के अन्दर समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र का विकास हो सके। संविधान में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए।

4. संविधान में किए गए प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की संकल्पना को देखते हुए प्राथमिक स्तर की शिक्षा के उद्देश्य उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर की शिक्षा के उद्देश्यों से अलग होने चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य हर बालक को शिक्षा की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और उसे एक मजबूत शैक्षिक नींव प्रदान करना है।

5. स्कूल शिक्षा के विभिन्न वर्गों के लिए पाठ्यक्रम संरचना तथा समय विभाजन की संस्तुतियाँ भी की गई ।

6. समाज उपयोगी उत्पादक कार्य को इस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए जिससे समुदाय को लाभ हो सके तथा इसमें विभिन्न उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं की निर्माण की प्रक्रिया शामिल हो, जो समुदाय के लिए महत्वपूर्ण हो।

7. समाज उपयोगी उत्पादक कार्य से जुड़े हुए शिक्षकों को अन्य शिक्षकों के समान ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षित व्यक्तियों को अंशकालिक रोजगार देने की व्यवस्था होनी चाहिए। समाज उपयोगी उत्पादक कार्य के लिए हर राज्य के शिक्षा विभाग में एक विशेष इकाई होनी चाहिए जो इसका प्रबंधन कर सकें। इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु अनुकूल पाठ्यवस्तु को एनसीईआरटी द्वारा तैयार कराया जाना चाहिए।

11.9.4 विभिन्न कक्षा स्तर पर प्रस्तावित सिफारिशें

कक्षा 1 से 7 तक के शिक्षा के उद्देश्य –

1. सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों का वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अध्ययन करना और ज्ञान प्राप्त करना।

2. खेलकूद के द्वारा शारीरिक शक्ति विकसित करना और समूह के सहपाठियों एवं मित्रों के साथ एक साथ मिलजुल कर काय करने की भावना को बढ़ाना चाहिए।

3. कौशलों को अर्जित करने के लिए समाज उपयोगी उत्पादक कार्यों का नियोजन तथा क्रियान्वयन करना चाहिये।

4. उद्देश्य के प्राप्ति के लिए अवलोकन कौशल विकसित करना।

5. परिवार, स्कूल और समुदाय में सहयोगी व्यवहार की आदतों को विकसित करना।

6. कला और प्राकृतिक दृष्टिकोण से सौंदर्य और सृजनात्मकता का विकास करना।

7. विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों और देशों की संस्कृति और जीवन–शैली को प्रोत्साहित करना और कमजोर और वंचित

लोगों की सेवा में समाजिक उत्तरदायित्व को विकसित करना।

8. सामुदायिक जीवन में भाग लेने और सेवा करने की इच्छा को विकसित करना।

11.9.5 कक्षा 8, 9 एवं 10 की कक्षाओं हेतु समिति द्वारा निर्धारित उद्देश्य

1. स्व अधिगम की आदतों एवं कौशलों को विकसित करना।
2. सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, भाषाएँ और सामाजोपयोगी उत्पादक कार्य सहित वृहद् शिक्षा प्राप्त करना।
3. कलात्मक कार्यों में भाग लेकर सौंदर्य और सृजनात्मकता को विकसित करना।
4. स्कूल और समुदाय के सामाजिक कार्यों में भाग लेने से जनतंत्र के मूल्यों को विकसित करना।
5. निर्धन और वंचित वर्ग की समानता के लिए काम करना।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए

7. ईश्वरभाई पटेल के द्वारा प्रस्तावित दो लक्ष्यों को लिखिए।

....

....

11.10 आदिशेषैया समिति (1977–1978)

11.10.1 आदिशेषैया समिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष के रूप में अक्टूबर 1977 में +2 स्तर की विद्यालयी शिक्षा की पाठ्यचर्या की जाँच हेतु डॉ. मालकॉम आदिशेषैया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुनर्वीक्षण समिति गठित की गयी । इस समिति का आधिकारिक नाम +2 पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पुनर्वीक्षण समिति' था, लेकिन इसे आदिशेषैया समिति के नाम से जाना गया।

इस समिति ने चार कार्यकारी दलों का गठन किया तथा अपना प्रतिवेदन फरवरी, 1978 में गहन विचार–विमर्श के बाद प्रस्तुत किया। इस समिति के प्रतिवेदन का शीर्षक 'करने के लिए सीखना : सीखने व करने के लिए समाज की ओर' था।

एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा प्रकाशित उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और इसके व्यवसायीकरण से संबंधित कई उपयोगी कार्यों के संदर्भ में +2 स्तर के पाठ्यचर्या में सुधार की आवश्यकता महसूस हुयी थी। इसके अलावा, छठी पंचवर्षीय योजना के राष्ट्रीय उद्देश्यों के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यचर्या में संशोधन करना जरूरी था। जिसके कारण राष्ट्रीय पुनर्वीक्षण समिति का गठन हुआ। समिति में 25 से भी ज्यादा सदस्य शामिल थें

11.10.2 आदिशेशैया समिति के प्रस्तावित लक्ष्य

डॉ. मालकॉम एस. आदिशेषैया की अध्यक्षता में गठित इस पाठ्यक्रम के पुर्नरीक्षण समिति को निम्नलिखित कार्य का दायित्व दिया गया जो निम्नवत् है –

1. एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा प्रकाशित उच्च माध्यमिक शिक्षा और इसके व्यावसायिक दस्तावेज का अध्ययन करना और इसमें सुधार के सुझाव देना।
2. सी0बी0एस0ई0 और विभिन्न राज्य बोर्डों की पाठ्यचर्या का अध्ययन करके विशेष रूप से व्यवसायों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना और उपयुक्त पाठ्यवस्तु हेतु सुझाव देना।

3. माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कार्यान्वयन योजना हेतु सुझाव देना।

11.10.3 आदिशेशैया समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

1. उच्च माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच में सेतु होने की वजह से ये शिक्षा स्तर स्कूली शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका महत्व विश्वविद्यालय अध्ययन के लिए होता है।
2. यह स्तर बाल्यावस्था से युवावस्था की एक महत्वपूर्ण संक्रमण अवधि होती है, जो मानव व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3. उच्च माध्यमिक शिक्षा को ग्रामीण विकास, गरीबी हटाने, बेरोजगारी उन्मूलन तथा प्रौढ़ साक्षरता के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ–साथ सतत् और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता के सिद्धांतों के अनुरूप बनाना चाहिए।
4. उच्च माध्यमिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा की धारा और व्यावसायीकृत धारा में विभक्त किया जाना चाहिए।
5. चयनित विषयों में अनिवार्य भाषा के अलावा भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, ललित कलाएँ, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, मनोविज्ञान, भौतिकी और गृह विज्ञान में से किन्हीं तीन का चयन किया जाना चाहिए।
6. सामान्य शिक्षा धारा के माध्यम से भाषाओं, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य और प्राकृतिक, सामाजिक या मानवीय विज्ञानों की शिक्षा द्वारा व्यक्ति और व्यक्तित्व का सामान्य विकास होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना होता है।
7. व्यावसायिक धारा का मतलब है कि छात्र को तकनीकों, संबंधित विज्ञान और अन्य प्रयोगात्मक कौशलों को सीखना चाहिए। इसे तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा से अलग समझना चाहिए।
8. कक्षा आठ के बाद परीक्षा लेने और व्यावसायिक शिक्षा को कक्षा नौ से प्रारम्भ करने की सोच वांछनीय नहीं होनी चाहिए।
9. सामान्य आधार पाठ्यक्रम व्यावसायीकृत धारा के शिक्षार्थियों को जीवन कौशल तथा ऐतिहासिक ज्ञान प्रदान करेगा। यह शिक्षार्थियों को इस प्रकार के ज्ञान से उनकी सोच विस्तृत होगी और वे किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकेंगे।
10. व्यावसायिकृत चयनित विषयों में भूमि और जल संरक्षण, कृषि यंत्र मरम्मत व रख–रखाव, अन्न संग्रह, कृषि आधारित उद्योग, मधुमक्खी पालन, कृषि रसायन, पशुपालन, भूमि परीक्षण, सहकारिता, विपणन, लघु कृषि प्रबंधन, ईधन, कृषि अर्थशास्त्र, रेशम कीड़ा पालन, कृषि भौतिकी, कृषि रसायन, बैंकिंग, कार्यालय प्रबंधन, टंकण, टेलीफोन आपरेटर, कार्यालय यंत्र चालक, विक्रेता, चिकित्सा तकनीशियन, पुस्तकालय, प्राथमिक अध्यापक, शैक्षिक खिलौना निर्माण, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, फोटोग्राफी आदि हो सकते हैं।
11. सेमेस्टर प्रणाली और क्रेडिट सिस्टम को अपनाया जाना चाहिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए

8. आदिशेषैया समिति के दो संस्तुतियों को लिखिए।

....

....

11.11 ज्ञानम समिति (1987)

11.11.1 ज्ञानम समिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1987 में प्रो. ए. ज्ञानम के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का नाम यू0जी0सी0 कमेटी टुवर्डस न्यू एजुकेशन मैनेजमेन्ट था परंतु इसे इसके अध्यक्ष के नाम से ज्ञानम समिति के नाम से जाना जाता है।

11.11.2 ज्ञानम समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

1. विश्वविद्यालयों के प्रबंधन के लिए एक मजबूत वैज्ञानिक फ्रेमवर्क की आवश्यकता है, जिससे उन्हें प्रभावशाली परिणामों तक पहुँचाया जा सके जो राजनीतिक प्रभावों से दूर हो।
2. विश्वविद्यालयों के लक्ष्य और उनकी वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि वे क्षेत्रीय या राष्ट्रीय विकास के प्रमुख केंद्र बन सकें।
3. विश्वविद्यालयों के नए लक्ष्य और उद्देश्यों को तय करने में छात्रों, अध्यापकों, प्रशासकों और समाज के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
4. विश्वविद्यालय प्रणाली की प्रबंधन व्यवस्था में गहनता होनी चाहिए ताकि यह बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूल हो सके।
5. संसद को राज्यों के विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श अधिनियम मॉडल एक्ट बनाना चाहिए, जिसे सभी राज्यों को कोर प्रावधान के रुप में अपनाना चाहिए।
6. केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों की समीक्षा करके उनमें आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए।
7. विश्वविद्यालयों के अधिनियम में स्पष्ट करें कि यू० जी० सी० के दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य रुप से होना चाहिए।
8. राज्य विश्वविद्यालयों के नए अधिनियम लागू होने से पहले यू० जी० सी को संदर्भित किया जाना चाहिए।
9. केंद्रीय विश्वविद्यालय परिषद के गठन का प्रावधान किया जाए।
10. यू० जी० सी अधिनियम की समीक्षा करके उसमें संशोधन किए जाएं, जिससे उच्च शिक्षा के विकास में अधिक सहभागिता हो सके।
11. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 4–5 क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएं, जिससे आयोग के कार्यक्रमों और अनुदानों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो सके।
12. राज्यों में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए, ताकि विश्वविद्यालयों और यू० जी० सी के बीच अच्छा समन्वय हो सके।
13. विश्वविद्यालयों के विभिन्न निकायों के कार्यकलापों की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए

9. ज्ञानम समिति की दो संस्तुतियों को लिखिए।

....

....

11.12 प्रोफेसर यशपाल समिति (1992–93)

11.12.1 प्रोफेसर यशपाल समिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1992–93 में प्रोफेसर यशपाल समिति ने छात्रों के ऊपर पड़ने वाले शिक्षा बोझ के बारे में विचार किया था। इस समिति ने यह प्रश्न उठाया कि छात्रों को अधिगम में सुधार करने के लिए उनके शिक्षा बोझ को कम करने की जरुरत है। इसे लेकर अनेक सुझाव दिए गए परंतु नवीन पाठ्यक्रम तैयार करते समय इन मुद्दों को ध्यान में नहीं रखा गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यान्वयन के समय भी ऐसा ही हुआ था। सरकार ने ऐसा अनुभव किया कि विशेषकर स्कूल और बोर्ड के छात्रों के लिए पढ़ाई का बोझ बहुत बढ़ गया है। इससे उनके ऊपर अधिक दबाव डालने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण शिक्षण प्रक्रिया की रुचि में गिरावट आ गई। इस समस्या को समझते हुए भारत सरकार ने विद्यालयी छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए 1 मार्च 1992, को एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया जिसे प्रो. यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति में आठ सदस्य नामित किए गए।

11.12.2 प्रो0 यशपाल समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

1. **व्यक्तिगत उपलब्धियों के बजाय सामूहिक उपलब्धियों को प्रोत्साहन**

   व्यक्तिगत उपलब्धियों को बढ़ावा देने वाली प्रतियोगिताओं को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये। इसके स्थान पर विद्यालयों में सहयोग आधारित शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु सामूहिक उपलब्धियों एवं प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए।

2. **विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम निर्माण**

   पाठ्यक्रम निर्माण और पाठ्य पुस्तक तैयार करने की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत होनी चाहिए जिससे शिक्षकों की सहभागिता बढ़ सके।

3. **स्वैच्छिक संगठनों को सहयोग**

   औपचारिक, अनौपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा में नवाचारों के प्रति समर्पित स्वैच्छिक संगठनों को पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षक प्रशिक्षण के विकास में स्वतंत्रता और सहयोग दिया जाना चाहिए।

4. **स्थानीय शिक्षा समितियों का गठन**

   ग्राम, ब्लाक और जिला स्तर पर शिक्षा समितियों को स्थापित करना चाहिए जिससे वह अपने क्षेत्र के विद्यालयों को नियोजन और पर्यवेक्षण का कार्य कर सकें।

5. **शैक्षिक उपकरणों के लिए आकस्मिक राशि**

   शैक्षिक उपकरणों की खरीदारी, मरम्मत और उसमें परिवर्तन के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पर्याप्त आकस्मिक धनराशि प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए।

6. **पाठ्यपुस्तक निर्माण में परिवर्तन**

   विषय विशेषज्ञों को परामर्शदाता के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिये और शिक्षकों को पाठ्य पुस्तक लेखन का समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

7. **केन्द्रीय विद्यालयों को सीमित करना**

   केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के अधिकार क्षेत्र को केन्द्रीय तथा नवोदय विद्यालयों तक ही सीमित रखा जाए और अन्य सभी विद्यालय राज्य बोर्डों से ही सम्बद्ध हों।

8. **नर्सरी स्कूलों के संचालन का विनियमन**

   नर्सरी स्कूल खोलने और उनके संचालन को विनियमित करने के लिए उचित कानूनी और प्रशासनिक उपाय अपनाए जाएं। इन स्कूलों को मान्यता देने के मानदंड निर्धारित किए जाएं और नर्सरी कक्षा में

प्रवेश के लिए परीक्षण तथा साक्षात्कार का प्रचलन बंद किया जाए।

9. प्राइवेट स्कूलों के मानदंड

प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने हेतु निर्धारित मानदंडों को अधिक कठोर बनाया जाए। इन मानदंडों को समान रूप से सरकारी संस्थाओं सहित सभी स्कूलों पर लागू किया जाए।

10. पाठ्य पुस्तकों का उपयोग

पाठ्य पुस्तकों को स्कूली सम्पत्ति समझा जाए ताकि बच्चों को व्यक्तिगत रुप से इन पुस्तकों को खरीदने और प्रतिदिन घर ले जाने की जरूरत न हो। गृहकार्य और स्कूल में पाठ्य पुस्तकों तथा अभ्यास पुस्तिकाओं के उपयोग के लिए अलग से समय–सारिणी बनाई जाए।

11. गृहकार्य में बदलाव

गृहकार्य की प्रकृति और स्वरुप में आमूलचूल परिवर्तन की जरुरत है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कोई गृहकार्य न दिया जाए। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में, जहां आवश्यक हो, पाठ्यपुस्तक से हटकर गृहकार्य दिया जाए और घर पर गृहकार्य के लिए छात्रों को बारी–बारी से पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं।

12. शिक्षक–छात्र अनुपात

मौजूदा शिक्षक–छात्र अनुपात 1:40 को लागू किया जाए और प्राथमिक कक्षाओं में इसे घटाकर 1:30 कर दिया जाए।

13. इलैक्ट्रोनिक प्रचार माध्यम

बाल केंद्रित सामाजिक वातावरण के निर्माण के लिए इलैक्ट्रोनिक प्रचार माध्यमों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों के लिए 'शिक्षा दर्शन' नामक एक नियमित दूरदर्शन कार्यक्रम को शुरू किया जाना चाहिए।

14. बी.एड. प्रशिक्षण कार्यक्रम

बी.एड. प्रशिक्षण कार्यक्रम में माध्यमिक, प्रारम्भिक या नर्सरी स्तर पर शिक्षण के लिए विशेषज्ञता प्राप्त करने की व्यवस्था होनी चाहिए। पत्राचार के माध्यम से प्रदान करने वाली बी0एड0 डिग्री पाठ्यक्रम की मान्यता समाप्त की जानी चाहिये।

15. सेवाकालीन शिक्षक–प्रशिक्षण

शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने के लिए सेवाकालीन शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों की व्यवस्थित रुपरेखा तैयार की जानी चाहिए।

16. सार्वजनिक परीक्षाओं की समीक्षा

दसवीं और बारहवीं कक्षा के अंत में ली जाने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं की समीक्षा की जाए और वर्तमान पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों के स्थान पर संकल्पना आधारित प्रश्नों की व्यवस्था की जाए।

17. परियोजना दल का गठन

हर राज्य में एक परियोजना दल बने, जो स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों की जांच करे। यह दल न्यूनतम विषय, संकल्पनाओं की संख्या और कार्य दिवसों का निर्धारण करे।

18. गणित पाठ्यक्रम समीक्षा

देशभर में प्राथमिक कक्षाओं के गणित पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाए जिससे बच्चों को आधारभूत गणितीय संकल्पनाएं धीमी गति से सिखाई जा सकें।

19. भाषा पाठ्य पुस्तकों में सुधार

भाषा की पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय और बोलचाल के मुहावरे शामिल किए जाने चाहिए जिससे बच्चों के अनुभव और सामान्य जीवन को भी पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया जाए।

20. विज्ञान पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक में सुधार

प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में अधिक प्रयोग शामिल किए जाने चाहिए। गैर–जरुरी और महत्वहीन सामग्री को हटाया जाना चाहिए।

21. प्राकृतिक विज्ञान के प्रयोग

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के प्राकृतिक विज्ञान पाठ्यक्रम में ऐसे प्रयोग और गतिविधियां शामिल हों जिन्हें बच्चे और अध्यापक स्वयं कर सकें।

22. सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सुधार

छठी से दसवीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को भी शामिल किया जाए।

23. इतिहास पाठ्यक्रम सुधार

कक्षा 9 और 10 के इतिहास पाठ्यक्रम में प्राचीन इतिहास को शामिल किया जाए। कक्षा 6 से 9 के इतिहास पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद के घटनाक्रम पर ध्यान दिया जाए।

24. नागरिक शास्त्र का समावेश

नागरिक शास्त्र की जगह सामाजिक अध्ययन को रखा जाए और भूगोल का अध्ययन वर्तमान वास्तविकताओं से संबंधित हो।

यशपाल समिति ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ बुनियादी मुद्दों पर विचार करके एक नई दृष्टि दी। वास्तव में समिति का मुख्य कार्य स्कूली बच्चों का बोझ कम करते हुए उनकी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना था, जो आसान काम नहीं था। बिना सामाजिक व्यवस्था में बदलाव किए शिक्षा में सुधार लाना लगभग असंभव है। देश की व्यवस्था और सामाजिक परिदृश्य शिक्षा को भी प्रभावित करते हैं। यशपाल समिति ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें दीं।

11.13 प्रो0 यशपासल (उच्च शिक्षा का पुनरोद्धार एवं नवजीवन समिति–2009)

उच्च शिक्षा और अनुसंधान में आ रही गिरावट और वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 28 फरवरी 2008, को एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के माध्यम से प्रसिद्ध शिक्षाविद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति को यू0जी0सी0 और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कार्यों का पुनरीक्षण और समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया। इस समिति को इसके अध्यक्ष के नाम पर यशपाल समिति के नाम से भी जाना जाता है। समिति में 20 से अधिक सदस्य थें।

11.13.1 प्रो0 यशपाल उच्च शिक्षा का पुनरोद्धार एवं नवजीवन समिति (2009) की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

1. राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग

1. यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई जैसी मौजूदा संस्थाओं को समाप्त करके इनके स्थान पर सात सदस्यीय उच्च नियामक आयोग का गठन किया जाए।
2. इस आयोग का अध्यक्ष चुनाव आयुक्त के समकक्ष हो।
3. आयोग में पांच प्रभाग हों जो भविष्य की दिशा, प्रत्यायन, प्रबंधन, वित्त और विकास तथा नई संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करें।

2. मानित विश्वविद्यालय व्यवस्था का पुनर्गठन

1. मानित विश्वविद्यालय व्यवस्था को समाप्त किया जाए।
2. योग्य मानित विश्वविद्यालयों को पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए।
3. शेष मानित विश्वविद्यालयों को सुधार हेतु तीन वर्ष की समयावधि दी जाए या उनका मानित विश्वविद्यालय का दर्जा समाप्त कर दिया जाए।

3. राष्ट्रीय परीक्षा योजना

1. विश्वविद्यालयी शिक्षा में प्रवेश के लिए जी.आर.ई. की तर्ज पर एक राष्ट्रीय परीक्षा योजना बनाई जाए।
2. यह परीक्षा सभी के लिए सुलभ हो और प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाए।

4. प्रशासनिक निकायों की भूमिका

1. एम.सी.आई. और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे निकाय केवल प्रशासनिक क्रियाकलापों तक सीमित रहें।
2. शैक्षणिक उत्तरदायित्व विश्वविद्यालयों के द्वारा उठाया जाए।

5. आईआईटी और आईआईएम का विकास

1. आई.आई.टी. और आई.आई.एम. जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं को पूर्ण विश्वविद्यालय के रुप में बहुआयामी बनाने और विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
2. उत्कृष्ट शिक्षा के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इन संस्थाओं की संख्या बढ़ाने के बजाय उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए।

6. पाठ्यक्रम सुधार

1. अध्यापकों को पाठ्य संरचना तैयार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
2. छात्रों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य विषयों का अध्ययन करने की छूट होनी चाहिए।

7. राज्य विश्वविद्यालयों की आर्थिक कठिनाइयाँ

1. नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने या उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने से पहले राज्य विश्वविद्यालयों की आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जाए जिससे उच्च शिक्षा में विद्यमान असमानताओं को कम किया जा सके।

8. निजी विश्वविद्यालयों में शुल्क और पदों की अनियमितता

1. निजी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं द्वारा मनमाने शुल्क वसूलने और व्यापारिक एवं राजनैतिक घरानों के सदस्यों को कुलाधिपति व कुलपति जैसे पद देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाए।
2. लाभ के उद्देश्य से संचालित संस्थाओं को विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिलना चाहिए।

9. निजी संस्थाओं में अनैतिक तरीकों का अंत

1. निजी संस्थाओं में न्यूनतम आवश्यक संख्या में योग्य अध्यापकों की नियुक्ति हो, अध्यापकों को पूरा वेतन मिले और छात्रों की उपाधियों व पासपोर्टों को जब्त करने जैसी अनैतिक गतिविधियों को रोका जाए।

10. विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता

1. विश्वविद्यालयों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाए, उनकी कार्यप्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए, और स्वतन्त्र चिन्तन की संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया जाए।

11. राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग

1. प्रस्तावित एन0सी0एच0ई0आर0 को पाठ्यक्रम सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

12. व्यावसायिक शिक्षा का महत्व

1. व्यावसायिक शिक्षा की महत्ता को देखते हुए इसे विश्वविद्यालयी शिक्षा के दायरे में लाया जाए।

13. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन

1. अनुसंधान प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठन किया जाए।

14. आधुनिक उच्च शिक्षा का विस्तार

1. आधुनिक उच्च शिक्षा में विस्तार करने, उन्नत उपकरण उपलब्ध कराने, उच्च विशिष्टीकृत ज्ञान को समाहित करने और योग्य अध्यापकों को लाने की तीव्र आवश्यकता है।
2. यह हर्ष का विषय है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस समिति की संस्तुतियों पर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग अधिनियम 2010 का ड्राफ्ट तैयार किया है और इसे प्रतिक्रियाओं के लिए प्रस्तुत कर दिया है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए

10. प्रो0 यशपाल समिति का गठन कब हुआ ?

....

....

11. प्रो0 यशपाल समिति द्वारा संस्तुत दो संस्तुतियों को लिखिए।

....

....

12. उच्च शिक्षा का पुनरोद्धार एवं नवजीवन समिति का गठन कब हुआ ?

....

....

11.14 सारांश

इस इकाई के अन्तर्गत स्वतन्त्रता के बाद शैक्षिक उन्नयन हेतु विभिन्न प्रकार की शैक्षिक समितियों का गठन देश की शिक्षा व्यवस्था के आलोक में समय–समय पर किया गया, जिसमें से कुछ प्रमुख समितियों चर्चा प्रस्तुत इकाई में की गई। आचार्य नरेन्द्र देव समिति (1952) ने माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों का बहुत बारीकी से अध्ययन कर उसके उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। दुर्गाबाई देशमुख समिति (1957–59) के द्वारा लड़कियों की शिक्षा को प्रभावी बनाये जाने हेतु महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ की। राष्ट्रीय एकता के सुदृढ़ीकरण हेतु डॉ0 सम्पूर्णानन्द समिति (1961) ने महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ दी। हंसा मेहता समिति (1964) द्वारा सभी शैक्षिक स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्माण हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ईश्वरभाई पटेल (1977) ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों के पुनरीक्षण की सिफारिश की है। आदिशेषैया समिति (1977–78) ने स्कूल स्तर की शिक्षा व्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया है। प्रो0 यशपाल समिति (1992–93) ने पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर दिया साथ ही साथ स्कूली बच्चों के शैक्षिक बोझ को कम करने की बात कही है।

इस इकाई के माध्यम से स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद शैक्षिक उन्नयन हेतु समय–समय पर गठित विभिन्न समितियों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रस्तावित लक्ष्यों एवं उनकी संस्तुतियों तथा सिफारिशों की विस्तृत चर्चा की गई है।

11.15 अभ्यास के प्रश्न

1. आचार्य नरेन्द्र समिति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
2. दुर्गाबाई देशमुख समिति के द्वारा दिए गये संस्तुतियों की विवेचना कीजिए।
3. श्री प्रकाश समिति एवं डॉ0 सम्पूर्णानन्द समिति के प्रस्तावित लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए।
4. हंसा मेहता समिति एवं ईश्वरभाई पटेल समिति की प्रमुख संस्तुतियों को लिखिए।
5. प्रो0 यशपाल समिति का सविस्तार वर्णन कीजिए।
6. 10+2+3 राष्ट्रीय समिति एवं ज्ञानम समिति का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

11.16 चर्चा के बिन्दु

1. आचार्य नरेन्द्र देव समिति का मूल्यांकन करते हुए उस पर चर्चा कीजिए।
2. प्रो0 यशपाल समिति के गठन की आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई ? इस पर चर्चा कीजीए।

11.17 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. आचार्य नरेन्द्र देव समिति की पाठ्यक्रम संस्तुतियाँ –
    1. माध्यमिक स्तर पर संस्कृत को हिंदी के साथ छात्रों को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए।
    2. हिंदी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या आधुनिक विदेशी भाषा को माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य करना चाहिए।
2. दुर्गाबाई देशमुख समिति के प्रस्तावित लक्ष्य –
    1. प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा को आगे ले जाने के सुझाव देना।
    2. लड़कियों की शिक्षा में अपव्यय (ड्रॉपआउट) की समस्या का अध्ययन करना चाहिए।
3. 1959 ई0
4. डॉ0 सम्पूर्णानन्द समिति के प्रस्तावित लक्ष्य –
    1. शिक्षा की भूमिका राष्ट्रीय जीवन में संवेगात्मक एकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। अतः इसके समक्ष आने वाली बाधाओं को जानना।
    2. युवाओं और छात्रों के लिए संवेगात्मक एकता को मजबूत करने के लिए हमे सकारात्मक कार्यक्रमों का सुझाव देना।
5. 11 सदस्य थे।
6. 1973 ई0 में
7. ईश्वरभाई पटेल समिति के प्रस्तावित लक्ष्य
    1. एनसीईआरटी द्वारा तैयार दस वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम के स्तरवार और विषयवार उद्देश्यों का पुनरीक्षण करना।
    2. पहले बिंदु के सन्दर्भ में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की जाँच करना।

8. आदिशेषैया समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

1. दो साल के उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए औपचारिक शिक्षा का महत्व होने के कारण यह शिक्षा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी है।
2. उच्च माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच में सेतु होने के कारण यह शिक्षा स्तर स्कूली शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका महत्व विश्वविद्यालय अध्ययन के लिए होता है।

9. ज्ञानम समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

1. विश्वविद्यालयों के प्रबंधन के लिए एक मजबूत वैज्ञानिक फ्रेमवर्क की आवश्यकता है, जिससे उन्हें प्रभावशाली परिणामों तक पहुँचाया जा सके जो राजनीतिक प्रभावों से दूर हो।
2. विश्वविद्यालयों के लक्ष्य और उनकी वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि वे क्षेत्रीय या राष्ट्रीय विकास के प्रमुख केंद्र बन सकें।

10. 1 मार्च, 1992

11. प्रो0 यशपाल समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

1. व्यक्तिगत उपलब्धियों के बजाय सामूहिक उपलब्धियों को प्रोत्साहन
2. विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम निर्माण

12. 2009

11.18 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- **गुप्ता एस0 पी0** : (2004) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
- **त्यागी गुरसरन दास** : (2008/2009) भारतीय शिक्षा का परिदृश्य समस्याएँ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–7
- **पाठक पी0 डी0** : (2010/2011) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2
- **मदान पूनम** : (2016/2017) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2
- **पाठक एवं जौहरी** : (2008/2009) भारतीय शिक्षा का इतिहास, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2
- **लाल, रमन बिहारी** : (2005/2006) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ
- **सारस्वत मालती एवं गौतम एस0 एल0** : भारतीय शिक्षा का विकास, आलोक पब्लिकेशन्स, लखनऊ

इकाई–12 राष्ट्रीय शिक्षा नीति –1968

इकाई की संरचना

12.1 प्रस्तावना

12.2 इकाई का उद्देश्य

12.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1968 : परिचय

12.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधारभूत सिद्धान्त

12.4.1 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था

12.4.2 अध्यापकों का स्तर, वेतनमान तथा शिक्षा में सुधार

12.4.3 भारतीय भाषाओं का सुधार एवं उनके संरक्षण के उपाय

12.4.4 शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु व्यवस्था

12.4.5 प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की पहचान

12.4.6 कार्यानुभव तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए प्रविधान

12.4.7 वैज्ञानिक एवं अनुसंधान युक्त शिक्षा व्यवस्था

12.4.8 कृषि तथा उद्योग से युक्त शिक्षा व्यवस्था

12.4.9 उच्च स्तरीय पुस्तकों का निर्माण एवं उत्पादन

12.4.10 परीक्षा व्यवस्था में सुधार

12.4.11 माध्यमिक शिक्षा

12.4.12 विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था

12.4.13 अंश कालीन शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम

12.4.14 साक्षरता एवं प्रौढ़शिक्षा का प्रचार–प्रसार

12.4.15 खेल–कूद की व्यवस्था

12.4.16 अल्प संख्यकों की शिक्षा व्यवस्था

12.4.17 शिक्षा की संरचना

12.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 के गुण

12.6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 के दोष

12.7 सारांश

12.8 अभ्यास के प्रश्न

12.9 चर्चा के बिन्दु

12.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

12.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

12.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय उद्देश्यों और आदर्शों को दृष्टिगत रखते हुए विश्व के सभी राष्ट्र अपने देश के सर्वागिण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों की योजना बना कर उनका निर्धाण करता है। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय

उद्देश्यों को सवोतम विकास करना है तो शिक्षा को एक सशक्त अस्त्र के रूप में स्वीकार करना होगा। शिक्षा के द्वारा ही किसी राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति को संरक्षित करते हुए राष्ट्र को उन्नयन के पथ पर अग्रसरित किया जा सकता है। इसके दृष्टिगत राष्ट्र को निश्चित एवं महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण करना आवश्यक है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा में व्यापक सुधार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई आयोगों का गठन किया गया जिनमें क्रमशः विश्वविद्यालय आयोग (1948–49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) तथा गठित कोठारी शिक्षा आयोग (1964–66) की संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार किया गया है।

विश्वविद्यालय आयोग (1948–49) एवं माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) का गठन उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के विषय में विचार में विचार एवं सुझाव देने के लिए बनाये गये थे। इसलिए दोनो आयोगों का कार्य क्षेत्र सीमित था।

सन् 1966 में गठित कोठारी आयोग ने शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के निर्धारण पर प्रकाश डाला। कोठारी आयोग के संस्तुति के आधार पर एवं सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूप रेखा तैयार करने के लिए सन् 1967 में एक संसदीय समिति का गठन कर इस कार्य को पूर्ण करने का दायित्व इस समिति को दिया गया। इस समिति के प्रतिवेदन कें आधार पर सन् 1968 ई0 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गहन विचार मंथन प्रारम्भ हुआ और भारत सरकार ने उसी वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के निर्धारण की घोषण की । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 17 सिद्धान्तों को सम्मिलित करने की सहमति बनी।

12.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि –

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अतिरिक्त शिक्षा के लिए गठित आयोगों के मध्य सम्बन्ध को स्थापित कर सकेंगे।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के रूप रेखा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकेगें।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के सिद्धान्तों से परिचित हो सकेगें।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अन्तर्गत निहित महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण कर सकेगें।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का मूल्यांकन कर सकेगें।

12.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1968 : परिचय

कोठारी आयोग के संस्तुतियों के आधार पर संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सन्दर्भ में व्याख्या, विचार एवं विमर्श हुआ और भारत सरकार ने सन् 1968 ई0 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारण की घोषणा की । भारत सरकार द्वारा सन् 1968 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 17 आधार भूत सिद्धान्तों को समाहित किया गया तथा यह घोषित किया कि भारत सरकार इन सिद्धान्तों के आधार पर ही देश में शिक्षा का विकास करेगीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शिक्षा के लिए किए जाने वाले व्यय को बढाते हुए राष्ट्रीय आय के छः प्रतिशत के बराबर लान

बोध प्रश्न

टिप्पणी (क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए।

(ख) अपने उत्तर को इकाई के अन्त में दिये गये उत्तर से मिलान कीजिए।

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के कितने आधार भूत सिद्धान्तों का समाहित किया गया है।

____

____

12.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के आधारभूत सिद्धान्त

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के आधार भूत सिद्धान्त निम्नवत् वर्णित है–

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था
2. अध्यापकों का स्तर, वेतनमान तथा शिक्षा में सुधार
3. भारतीय भाषाओं का सुधार एवं उनके संरक्षण के उपाय
4. शैक्षिक अवसरों के समानता हेतु व्यवस्था
5. प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की पहचान
6. कार्यानुमत तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए प्रविधान
7. वैज्ञानिक एवं अनुसंधान युक्त शिक्षा व्यवस्था
8. कृषि तथा उधोग से युक्त शिक्षा व्यवस्था
9. उच्च स्तरीय पुस्तकों का निर्माण एवं उत्पादन
10. परीक्षा व्यवस्था में सुधार
11. माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था
12. विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था
13. अंशकालीन शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम
14. साक्षरता एवं प्रोढ़ शिक्षा का प्रचार–प्रसार
15. खेल कूद की व्यवस्था
16. अल्प संख्यकों की शिक्षा व्यवस्था
17. शिक्षा की संरचना

12.4.1 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए निःशुल्क एवं अनिर्वाय शिक्षा का प्रविधान किया जाय। इसके साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा जाय कि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में अपव्यय एवं अवरोधन कम से कम हो।

बोध प्रश्न

टिप्पणी (क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

2. संविधान के किस अनुच्छद के अनुसार 14 वर्ष तक के सभी छात्र एवं छात्राओं को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्राविधान है?

....

....

12.4.2 अध्यापकों का स्तर, वेतनमान तथा शिक्षा में सुधार

शिक्षा के स्तर को सर्वोत्तम एवं उत्कृष्ट बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भमिका होती है। तथा उनका स्थान भी अतिविशिष्ट होता है। ये समात एवं राष्ट्र के निर्माता होतो है। अतः समाज में उन्हें उत्कृष्ट सम्मान मिलना चाहिए। इसको दृष्टिगत रखते हुए उनके वेतन स्तर, उनकी योग्यता, कार्य करने की क्षमता एवं प्रशिक्षण के अनुकूल होना चाहिए। अध्यापकों को स्वतन्त्र चिन्तन करने, अध्ययन करने एवं गुणवत्तायुक्त एवं नवाचार के लिए उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। अध्यापकों को समय के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षण एवं विशेष रूप से अन्तसेवा शिक्षा की सुविधा एवं व्यवस्था सुलभ कारी जानी चाहिए।

12.4.3 भारतीय भाषाओं का सुधार एवं उनके संरक्षण के उपाय

(अ) प्रादेशिक भाषाएँ

भारत की सभ्यता एवं विकास संस्कृति के उन्नयन एवं विकास के लिए प्रादेशिक भाषाओं का विकास आवश्यक है। प्रादेशिक भाषाओं का विकास आवश्यक है। प्रादेशिक सरलतापूर्वक पहुचायॅा एवं समझाया जा सकता है। इस प्रकार के ज्ञान के पहुच से जनसाधारण एवं के मध्य जो बढ़ती हुयी खाई है उसे मिलया जा सकता है। इस प्रकार के ज्ञान के पहुच से जनसाधारण एवं बद्धजीवियों के मध्य जो बढ़ती हुसी खाई है उसे मिटाया जा सकता है। प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर पूर्व से किया जा रहा है। अब इन भाषाओं का प्रयोग विश्वविद्यालय स्तर पर भी क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

(ब) त्रिभाषा सूत्र

राज्य सरकारों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था में त्रिभाषा सूत्र को अपनाना एवं अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र में हिन्दी भाषा बोले जाने वाले राज्यों में हिन्दी व अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी एक दक्षिण भाषा को वरीयता दी जानी चाहिए तथा ऐसे प्रदेश जहाँ हिन्दी नहीं बोली जाती है। वहाँ क्षेत्रीय भाषा, अंग्रीजी के साथ हिन्दी को प्रमुख्ता से स्थान दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय एवं कालेज स्तरीय शिक्षा में हिन्दी एवं अंग्रेजी के उपयुक्त पाठ्यक्रम की व्यवस्था सुलभ कराई जानी चाहिए जिससे छात्र विश्वविद्यालय मानको के अनुरूप इन भाषाओं में प्रवीणता एवं निपुणता प्राप्त कर सकें।

(स) हिन्दी

हिन्दी के विकास को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाने चाहिए। हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने वाले कालेजों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं को स्थापित करने के प्रयत्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हिन्दी को राष्ट्रीय आंकाक्षओं के अभिव्यक्त का साधन बनाया जाय।

(द) संस्कृत :– भातरीय एवं अन्य भाषाओं के विकास में संस्कृत का विशेष महत्व है। राष्ट्र के विकास एवं सर्वोत्तम विशिष्टता के लिए स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालय स्तर पर सांस्कृतिक शिक्षण की सुविधाएॅ उदारपूर्वक प्रदान की जानी चाहिए। इसके शिक्षण की नवीन विधियों की खोज को प्रोत्साहित करना चाहिए।

(य) अन्तर्राष्ट्रीय भाषाएॅ :–

अन्य भारतीय भाषाओं के साथ–साथ अंग्रजी तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग मे वैश्विक स्तर पर अपनी अमिट पहचान बनाये रखने के लिए तथा तकनीकि एवं विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विकि सतर पर उत्कृष्ट सिद्ध करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः इसके लिए अंग्रेजी अध्ययन को अधिक पुष्ट बनाये जाने की आवश्यकता है।

12.4.4 शैक्षिक अवसरो की समानता हेतु व्यवस्था

देश के प्रत्येक नागरिको को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित सामान्य स्कूल पद्धति को अपनाया जाय। बालिकाओं के शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पिछड़े वर्ग के बालक–बालिकाओं विशेष रूप से आदिम जातिओं में शिक्षा के प्रति रूक्षान के लिए तीव्र गति से प्रयास किया जाना चाहिए। दिव्यांग बालकों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विकास करना चाहिए। सभी वर्गो के

बालक एवं बालिकाओं के एक साथ अध्ययन करने से राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल एवं दृढ़ होगी।

बोध प्रश्न

टिप्पणी : (क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए किन भाषाओं के विकास पर बल दिया गया है ?

....

....

4. शैक्षिक अवसरो की समानता हेतु किय गये प्राविधान पर प्रकाश डालिए ?

....

12.4.5 प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की पहचान

प्रतिभायुक्त बालको एवं बालिकाओं के विकास उन्नयन के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभाएँ विघमान है। उसकी खोज छोटी उम्र से ही कर लिया जाये तथा उनके विकास के हर सम्भव प्रयास किए जाए एवं प्रतिभा के अनुरूप उन्हें सुविधाएँ सुलभ कराई जाय।

12.4.6 कार्यानुभव तथा राष्ट्रीय योजना के लिए प्राविधान

कार्यानुभाव तथा राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित कार्यो को शिक्षा के कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों में समाहित किया जाय। विद्यालय में मानव एवं समाज केन्द्रिय क्रिया–कलापों के अध्ययन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। विद्यालय में शिक्षार्थियों के लिए पाठ्य सहभागी क्रियाओं में भाग लेने के समुचित अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इनक कार्यक्रमों के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं के अन्दर स्वाबलम्बन, चरित्र निर्माण व सामाजिक संकल्प की भावना के विकास पर अत्याधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

12.4.7 वैज्ञानिक एवं अनुसंधान युक्त शिक्षा व्यवस्था

देश के आर्थिक विकास की तिव्रता के लिए विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा तथा शोध कार्य को विशेष महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। 10वीं कक्षा तक के शिक्षार्थियों के निमित पाठ्यक्रम में विज्ञान एवं गणित विषय के अध्ययन को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।

12.4.8 कृषि तथा उद्योग से युक्त शिक्षा व्यवस्था

व्यावक स्तर पर कृषि और उघोगों की शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर खोले जाये। इस हेतु प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाय। तकनीकि शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान को अत्याधिक महत्व दिया जाये। राष्ट्र की कृषि, तकनीकी तथा औधोगिक आवश्यकताओं एवं जन मानस की शक्ति का समय–समय पर अवलोकन करने हुए सर्वेक्षण किया जाय। इसके साथ ही प्रशिक्षित योग्य व्यक्तिओं एवं रोजगार के माध्यमों के बीच उचित संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न होना चाहिए।

12.4.9 उच्च स्तरीय पुस्तकों का निर्माण एवं उत्पादन

अच्छी पुस्तकों के लेखन कार्य के लिए लेखकों को उदार पारिश्रमिक, सहायता, पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देकर इस कार्य हेतु आकर्षित किया जाय। ऐसा करने से गुणवत्तायुक्त पुस्तको के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। बार–बार एवं जल्दी–जल्दी विद्यालयों में पुस्तकों को नहीं बदलना चाहिए। पाठ्य–पुस्तकों का मुल्य भी अत्यधिक नहीं होना चाहिए। पुस्तकों के दाम कम होने से प्रत्येक छात्र इसे आसानी से क्रय कर सकेंगे। बाल साहित्य के

प्रकाशन एवं क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को प्रकाशन पर अत्याधिक जोर एवं ध्यान दिया जाना चाहिए।

12.4.10 परीक्षा व्यवस्था में सुधार

परीक्षा को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनानें के लिए उसके वॅधता एवं विश्वस्नीयता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शैक्षिक संस्थानों में अनवरत मूल्यांकन पद्धति को अपनायी जाय। इस प्रयास से शिक्षार्थियों की शैक्षिक योग्यता एवं प्रतिभा को बढ़ाने में सहायता मिलती है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी (क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. परीक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु उपाय बताए ?

....

....

12.4.11 माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक स्तर की शिक्षा की सुविधा सभी क्षेत्रों में और सभी वर्गों को प्रदान की जाय। राष्ट्र की उन्नति के लिए माध्यमिक स्तर पर प्रावधिक और औधोगिक शिक्षा प्रदान करने की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। तकनीकि एवं व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाए विभिन्न क्षेत्रों जैसे – कृषि, उधोग, चिकित्सा, गृह प्रबन्धन, कला व शिल्प इत्यादि में दी जानी चाहिए।

12.4.12 विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था

- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में नामांकित छात्र संख्या प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा अन्य सुविधाओं को कर्मचाारियों की संख्या के आधार पर निश्चित की जाये।
- नवीन विश्वविद्यालय की स्थापन का निर्णय अच्छी तरह से विचार करने के उपरान्त की लिया जाय। नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना कि जाय जब पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था हो तथा उचित शिक्षा स्तर या मानकों को उन्नत रखने के पर्याप्त साधन सुलभ हो।
- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संरचना एवं संगठन तथा इस स्तर पर शोध व प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- उच्च शिक्षा के केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों को संशक्त एवं संसाधन युक्त बनाया जाय, जिनका उद्देश्य प्रशिक्षण और शोध के उच्चतम मानकों को स्थापित करना हो।

12.4.13 अंशकालीन शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय स्तर पर अंशकालीन शिक्षा एवं पत्राचार शिक्षा की व्यवस्था की जाय। यह सुविधा माध्यमिक छात्रों, शिक्षकों तथा कृषि, औधोगिक व अन्य कमियों के लिए विकसित किया जाना चाहिए। इस शिक्षा व्यवस्था से उन सभी लोगों को जो पढ़ने की इच्छा रखते है। किन्तु पूर्णकालीक विद्यालय में रहकर नहीं पढ़ सकते, यह सुविधा सुलभ कराई जाय। अंशकालीन तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों के द्वारा दी गई शिक्षा को पूर्ण कालीन शिक्षाक

समकक्ष मान्यता प्रदान की जानी चाहिए।

12.4.14 साक्षरता एंव प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार–प्रसार

देश के विकास को तीव्र गति देने के लिए, निरक्षरता को देश से समाप्त करने के लिए तथा देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन काने की विशेष आवश्यकता है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय सेवाओं, टेलीविजन और आकाशवाणी कार्यक्रमों में सुधार किया जाय, साथ ही साथ इसके विस्तार पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नवयुवक किसानों की शिक्षा तथा स्वरोजगार के लिए युवा वर्ग के प्रशिक्षण पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

12.4.15 खेल–कूद की व्यवस्था

विद्यालयों में छात्रों के शारीरिक, एवं मानसिक रूप से सुद्दढ़ बनाये रखने के लिए खेल कूद की बड़े पैमाने पर व्यवस्था होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था की जाये। खेल कूद का उद्देश्य छात्रों की शारीरिक योग्यता की वृद्धि के साथ कुशल खिलाड़ी तैयार करने से भी है। ऐसे विद्यालय जहॉ खेल के मैदान तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है वहॉ पर ये सूविधाएँ वरियता के आधार पर उपलब्ध कराई जाय।

12.4.16 अल्प संख्यकों की शिक्षा व्यवस्था

संविधान में दिए गयें व्यवस्थानुसार अल्प संख्यकों के अधिकारो को बनाए रखने के लिए और उनके शैक्षिक एवं सामाजिक उन्नयन के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी (क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए।
(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

6. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर किस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है ?

....

....

7. अल्प संख्यकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु पर प्रकाश डालिए ?

....

....

12.4.17 शिक्षा की संरचना

राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में एक समान शैक्षिक संरचना लागू होनी चाहिए। इसके लिए 10+2+3 शैक्षिक संरचना को स्वीकार करने की संस्तुति की गई, जिसमें दो वर्ष का उच्च माध्यमिक स्तर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुद्ध स्कुलो में अथवा महाविद्यालयों में अथवा दोनों में लागू किया जाय।

बोध प्रश्न

टिप्पणी (क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

8. शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए ?

....

....

12.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1968 के गुण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1968 के गुण निम्नवत् वर्णित है–

1. शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व से सम्बन्धित विषय के रूप में स्वीकार किया गया।
2. शिक्षा पर केन्द्रीय बजट का 6% खर्च करने की संस्तुति की गई।
3. सम्पूर्ण राष्ट्र में समान शिक्षा संरचना 10+2+3 को लागू करने की संस्तुति की गई।
4. अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
5. भारतीय भाषाओं के विकास पर बल दिया गया।
6. प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान कर उनकें लिए सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी मानी गई।
7. कृषि, व्यावसायिक एवं प्रौधोगिकी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया।
8. वैज्ञानिक शिक्षा और शोध पर अधिक ध्यान देने की आवश्यक पर बल दिया गया।
9. परीक्षा प्रणाली में हर स्तर पर सुधार हो इस पर बल दिया गया।
10. शिक्षकों के स्तर को उनके गरिमा के अनुरूप बनाया जाय, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
11. राष्ट्र स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए खेल–कूद इत्यादि की उचित व्यवस्था हो इस पर बल दिया गया।
12. देश के सभी नागरिक साक्षर हो इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा एवं पत्राचार शिक्षा को बढ़ावा दिया जाय।
13. सभी को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो। पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्याको की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष बल दिया जाय।

बोध प्रश्न

टिप्पणी (क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

9. शिक्षा नीति–1968 के पॉच गुणों को लिखिए ?

....

....

12.6 शिक्षा नीति 1968 के दोष

1. शिक्षा नीति 1968 के अन्तर्गत केन्द्रीय एवं राज्य सरकारो के लिए शैक्षणिक उत्तरदायित्व तो सुचिश्चित किए गये है परन्तु वे इस कार्य के लिए बाध्य है ऐसे किसी अधिनियम की बात नहीं स्पष्ट है जिसके कारण इसका पालन कड़ाई से नही हो पा रही है।
2. प्रथम 10 वर्षीय योजना के लिए जिस पाठ्यक्रम की चर्चा की गई है वह अत्यन्त विस्तृत है। इसके अतिरिक्त इसमें कार्यानुभव एवं सेवा कार्य को समाहित करने से यह अत्यन्त किष्ट एवं बोझयुक्त हो गया है। जिसके कारण छात्रों के उपर अतिरिक्त भार का बोझ है।

3. माध्यमिक स्तर भी जिस त्रिभाषा सूत्र को लागू करने का जिक्र किया गया है। उसमें कई कमियाँ है। त्रिभाषा सूत्र का निर्माण पूरे राष्ट्र में हिन्दी को अनिवार्य करने के दृष्टि से किया गया था। कोठारी आयोग के सिफारीश के अनुसार त्रिभाषा सूत्र में हिन्दी क्षेत्र के बालक एवं बालिकाओं को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक भाषा को लेने की छूट प्रदान की गई है। यह छूट त्रिभाषा सूत्र के भूल भावना के विपरित है।

4. कार्यानुभव के लिए जिन बातों का जिक्र किया गया है। उसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी जिसे सरकार बजट बढ़ाने के बाद भी पूर्ण नही कर सकती और यह शिक्षार्थियों को सरलता से सुलभ भी नहीं कराया जा सकता।

5. इस नीति के माध्यम से इण्टर पास किसी भी छात्र के लिए उच्च शिक्षा के द्वारा खोल दिए गये है। ऐसा करने से शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश का दवाब बढ़ा साथ ही साथ छात्रों के अन्दर अनुशासनहिनता, छात्र आक्राश, बेरोजगारी तेजी के साथ बढ़ी। ऐसा करने से सिर्फ समय, शक्ति तथा धन का अपव्यय बढ़ा।

बोध प्रश्न

टिप्पणी (क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

10. शिक्षा नीति–1968 को दो दोषों को लिखिए ?

....

....

12.7 सारांश

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय शिक्षा के विकास एवं उसमें आमूल–चूल परिवर्तन के लिए भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की धोषण थी। कोठारी आयोग की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार ने इस नीति को बनाये जाने पर विचार किया एवं इसे लागू करने हेतु समिति का गठन किया। इस नीति के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में वृहद परिवर्तन करने तथा सभी स्तरों के शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु कार्यकी रणनीति बनाई। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को लागू करने, अध्यापको को उनके गरिमा के अनुरूप वेतनमान इत्यादि में वृद्धि एवं समाज में सम्मान जनक स्थान की प्रप्ति तथा उनकों प्रशिक्षण पर बल देने, त्रिभाषा सूत्र को लागू करने, कार्य–अनुभव तथा राष्ट्रीय सेवा योजनाओं के कार्यक्रमों को शिक्षा में समाहित करने, विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौधोगिकी व उधोगों की शिक्षा के साथ–साथा अनुसंधान कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाने, परीक्षा प्रणाली में सुधार करने, अल्पसंख्यको के साथ ही पिछड़ी, जनजाति, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा को बढ़ाने एवं 10+2+3 के शैक्षिक संरचना को पूरे देश में लागू करने जैसे अनेक प्राविधान इस शिक्षा नीति में समाहित किए गये है।

12.8 अभ्यास के प्रश्न

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के आधार भूत सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में निहित महत्वपूर्ण गुणों को लिखिए।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के के दोषों को संक्षेप में वर्णन कीजिए।

12.9 चर्चा के बिन्दु

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के आधारभूत सिद्धान्तों पर चर्चा कीजिए।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के गुण–दोषो की चर्चा कीजिए।

12.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. 17 आधार भूत सिद्धान्तों को समाहित किया गया है।
2. अनुच्छेद 45
3. प्रादेशिक भाषाओं के विकास पर
4. देश के प्रत्येक नागरिको को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित सामान्य स्कूल पद्धति को अपनाया जाय। बालिकाओं के शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पिछड़े वर्ग के बालक–बालिकाओं विशेष रूप से आदिम जातिओं में शिक्षा के प्रति रूक्षान के लिए तीव्र गति से प्रयास किया जाना चाहिए। दिव्यांग बालकों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विकास करना चाहिए। सभी वर्गो के बालक एवं बालिकाओं के एक साथा अध्ययन करने से राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल एवं दृढ़ होगी।
5. परीक्षा को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनानें के लिए उसके वॅधता एवं विश्वस्नीयता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शैक्षिक संस्थानों में अनवरत मूल्यांकन पद्धति को अपनायी जाय। इस प्रयास से शिक्षार्थियों की शैक्षिक योग्यता एवं प्रतिभा को बढ़ाने में सहायता मिलती है।
6. प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय सेवाओं, टेलीविजन और आकाशवाणी कार्यक्रमों में सुधार किया जाय साथ ही साथ इसके विस्तार पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
7. संविधान में दिए गयें व्यवस्थानुसार अल्प संख्यकों के अधिकारो को बनाए रखने के लिए और उनके शैक्षिक एवं सामाजिक उन्नयन के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाए।
8. 10+2+3
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1968 के गुण निम्नवत् वर्णित है–
   - ➢ शिक्षा पर केन्द्रीय बजट का 6% खर्च करने की संस्तुति की गई।
   - ➢ सम्पूर्ण राष्ट्र में समान शिक्षा संरचना 10+2+3 को लागू करने की संस्तुति की गई।
   - ➢ शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व से सम्बन्धित विषय के रूप में स्वीकार किया गया।
   - ➢ अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
   - ➢ भारतीय भाषाओं के विकास पर बल दिया गया।
10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1968 के गुण निम्नवत् वर्णित है–
    1 शिक्षा नीति 1968 के अन्तर्गत केन्द्रीय एवं राज्य सरकारो के लिए शैक्षणिक उत्तरदायित्व तो सुचिश्चित किए गये है परन्तु वे इस कार्य के लिए बाध्य है ऐसे किसी अधिनियम की बात नहीं स्पष्ट है जिसके कारण इसका पालन कड़ाई से नही हो पा रही है।
    2. प्रथम 10 वर्षीय योजना के लिए जिस पाठ्यक्रम की चर्चा की गई है वह अत्यन्त विस्तृत है। इसके अतिरिक्त इसमें कार्यानुभव एवं सेवा कार्य को समाहित करने से यह अत्यन्त किष्ट एवं बोझयुक्त हो गया है। जिसके कारण छात्रों के उपर अतिरिक्त भार का बोझ है।

12.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. अग्रवाल, जे.सी. (1993) : लैण्ड मार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ मार्डन इण्डियन एजूकेशन, वाणी बुक्स, नई दिल्ली।
2. गुप्ता, एस पी. तथा अलका गुप्ता (2004) : भारतीय शिक्षा का इतिहास, एवं समस्याऐं, भवन, युनिर्सिटी रोड, इलाहाबाद।
3. नायक, जे. पी. (1965) : ऐजूकेशन प्लानिंग इन इण्डिया, एलाइड पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
4. पाठक, पी0डी0 (2007) : भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
5. पाण्डेय, रामशकल (1992) : नेशनल पालिसी ऑफ एजुकेशन इन इण्डिया, होराइजन पब्लिशर्स, इलाहाबाद।
6. पाण्डेय, रामशकल तथा करूणा शंकर मिश्र (2007) : भारतीय शिक्षा की सम सामयिक समस्यायें, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा।
7. सारस्वत मालती एवं गौतम एस0 एल0 : भारतीय शिक्षा का विकास, आलोक प्रकाशन, 165/64, (ख) कच्चा होता, अमीनाबाद, लखनऊ।
8. लाल रमन बिहारी (2005–2006) : भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यॉए, रस्तोगी पब्लिकेशन, गंगोत्री शिवाजी रोड, मेरठ–250002
9. जौहरी वी0 पी0 एवं पाठक पी0 डी0 (2010/2011) : भारतीय शिक्षा का इतिहास, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, 28/115, ज्योति ब्लॉक, संजय प्लेस, आगरा।
10. सिन्हा नीता एवं मोहन मदन (2010) : भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्यॉए, राकेश मेहरोत्रा, न्यू कैलास प्रकाशन, खुशहाल पर्वत, (कल्याणी देवी मन्दिर के पास), प्रयागराज।

खण्ड – 04 : समसामयिक भारत में शिक्षा

खण्ड परिचय

भारतीय शिक्षा प्रणाली को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने में हमारे ऋषियों, मनिषियों एवं आचार्यों का प्राचीनकाल से ही अतुलनीय योगदान रहा है। आचार्यों ने अपने चिंतन, मनन, स्वाध्याय एवं स्वमंथन के द्वारा भारतीय नागरिकों को ज्ञानी बनाने के निमित्त गुरूकुलों, मठों, संघों एवं बिहारों के माध्यम से सुसंगठित शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया। जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति, सभ्यता, आदर्श, मूल्यों एवं मान्यताओं से युक्त है और शिक्षा मानव कल्याण के लिए एक उपयोगी अस्त्र सिद्ध हुई। आज भी भारत की सनातनी शिक्षा व्यवस्था समसामयिक एवं प्रासंगिक है। प्रस्तुत खण्ड – 04 को चार इकाईयों में विभक्त करते हुए समसामयिक भारत में शिक्षा का विस्तृत विवेचन किया गया है।

इकाई–13 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

किसी भी राष्ट्र की उन्नति वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सन्दर्भ में कोठारी आयोग का मत है कि यदि राष्ट्रीय प्रगति को तीव्र बनाना है तो एक सबल, सुनिश्चित एवं सुविचार पूर्ण शिक्षा नीति की आवश्यकता होगी। भारतीय शिक्षा निरन्तर प्रगति की ओर उन्मुख है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संरचना के अनुसार भारत की शिक्षा व्यवस्था संचालित थी। प्रस्तुत इकाई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का विस्तृत विवेचन किया गया है।

इकाई–14 : कार्यान्वयन कार्यक्रम – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 1992

आज देश आर्थिक एवं तकनीकी विकास की स्थिति में पहुंच गया है। भारत जैसे विशालतम राष्ट्र को उन्नयन के शिखर तक ले जाने में भारत की शिक्षा व्यवस्था की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बारह मुख्य खण्डों में वर्गीकृत है। प्रस्तुत इकाई में कार्यान्वयन कार्यक्रम – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 1992 का विस्तृत विवेचन किया गया है।

इकाई–15 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय विकास को आगे बढ़ाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी देशा की उन्नति का आधार उस देश की शिक्षा नीति पर निर्भर करती है। भारत में 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति 29 जुलाई, 2020 को लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्धों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस इकाई के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य, उद्देश्य, कार्ययोजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन एवं विशेषताओं आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है।

इकाई–16 : राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली

शिक्षा जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशुवत् व्यवहार करता है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से आशय न्यूनतम मानदण्डों और मानकों से है, जिसे किसी देश के भीतर शिक्षा व्यवस्था के सक्रिय कार्यान्वयन में शिक्षा प्रदाताओं द्वारा पूर्ण किया जाता है। इस इकाई के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की अवधारणा, उद्देश्य, आवश्यकता तथा महत्व के साथ विकास के आधारभूत तत्व इत्यादि की विस्तृत विवेचना की गयी है।

इकाई–13 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

इकाई की संरचना

13.1 प्रस्तावना

13.2 इकाई के उद्देश्य

13.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सम्प्रत्यय

13.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की निर्माण प्रक्रिया

13.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) का संक्षिप्त विवरण

13.5.1 भाग I : भूमिका

13.5.2 भाग II : शिक्षा का सार और उसकी भूमिका

13.5.3 भाग III : राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था

13.5.3.1 अधिगम के समान अवसर उपलब्ध कराना

13.5.3.2 विभिन्न संस्थाओं के मध्य सम्बन्ध स्थापित करना

13.5.3.3 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का प्रसार करना

13.5.3.4 अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करना

13.5.3.5 सार्थक सहभागिता

13.5.4 भाग IV : समानता के लिए शिक्षा

13.5.4.1 असमानता

13.5.4.2 महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा

13.5.4.3 अनुसूचित जातियों की शिक्षा

13.5.4.4 अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

13.5.4.5 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए दूसरे वर्ग और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए शिक्षा

13.5.4.6 अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा

13.5.4.7 दिव्यांगों के लिए शिक्षा

13.5.4.8 प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना

13.5.5 भाग V : विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, शिशुओं की देखभाल एवं शिक्षा

13.5.5.1 पूर्व प्राथमिक शिक्षा

13.5.5.2 प्रारम्भिक शिक्षा

13.5.5.3 माध्यमिक शिक्षा

13.5.5.4 उच्च शिक्षा

13.5.5.5 मुक्त विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ अध्ययन

13.5.5.6 उपाधि को नौकरी से अलग करना

13.5.6 भाग VI : तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा

13.5.6.1 संस्थागत झुकाव की दिशा

13.5.6.2 नवाचार शोध और विकास

13.5.6.3 सभी स्तरों पर दक्षता और प्रभावकारिता बढ़ाना

13.5.6.4 प्रबन्ध कार्यकलाप और परिवर्तन

13.5.7 भाग VII : शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना

13.5.8 भाग VIII : शिक्षा की विशय–वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना

13.5.9 भाग IX : शिक्षक

13.5.10 भाग X : शिक्षा का प्रबन्ध

13.5.11 भाग XI : अनुसंधान तथा समीक्षा

13.5.12 भाग XII : भविष्य

13.6 सारांश

13.7 अभ्यास के प्रश्न

13.8 चर्चा के बिन्दु

13.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

13.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

13.1 प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। जिस देश की जैसी शिक्षा व्यावस्था होगी उस देश का विकास भी उसी के अनुरूप होगा। शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि हमें अपने राष्ट्र के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, अपने आदर्शों को स्थापित करना है, अपने धरोहरों को संरक्षित करना है, अपनी संस्कृतियों का संरक्षण करना है तो अपने देश की शिक्षा नीतियों का निर्धारण करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता के सन्दर्भ में कोठारी आयोग ने कहा था कि ''यदि राष्ट्रीय प्रगति को तीव्र बनाना है तो एक सबल, सुनिश्चित एवं सुविचार पूर्ण शिक्षा नीति की आवश्यकता है।'

13.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संकल्पना को समझ सकेंगे।
2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के निर्माण प्रक्रिया का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे।
3) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विभाजित खण्डों को व्याख्यायित कर सकेंगे।
4) राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को परिभाषित कर सकेंगे।
5) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सभी वर्गों की शिक्षा व्यवस्था से परिचित हो सकेंगे।
6) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को मूल्यांकित कर सकेंगे।

13.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सम्प्रत्यय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन सिद्धान्तों तथा नीतियों का निर्धारण होता है जिनके आलोक में देश की शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है। शैक्षिक गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन के लिए अब तक अपने देश में अनेक आयोगों का गठन किया गया है जो निम्न है–

- विश्वविद्यालय आयोग (1948–1949)
- माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर आयोग) (1952–1953)
- राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग) (1964–1966)

अब तक राष्ट्र में आयोगों के सुझावों के आधार पर अनेक शिक्षानीतियों का निर्धारण हुआ है, जो कि निम्नलिखित है–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1979)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)
- संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति –1986 (1992)

हमारे देश की शिक्षा नीतियाँ सरकार पर निर्भर रहती हैं। सरकार के बदलते ही शिक्षा नीतियाँ बदल जाती हैं। कदाचित् इसी कारण अभी तक शिक्षा के लिए कोई निश्चित एवं स्थायी शैक्षिक नीति का निर्माण नहीं हो पाया है। इसका एक कारण यह भी है कि समय के साथ देश की परिस्थितियाँ एवं आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता रहता है। यही कारण है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त सन् 1968 में घोषित राष्ट्र की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लगभग सत्रह वर्षों के एक लम्बे समयान्तराल के बाद देश की तत्कालीन परिस्थितियों व आवश्यकताओं के अनुरूप एक नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण की आवश्यकता महसूस हुयी।

सन 1984 से 1991 के बीच राजीवगांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने राष्ट्र के विकास के निमित्त अनेक क्षेत्रों के साथ–साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी आन्दोनकारी कदम उठाने शुरू किये। उनका कहना था कि वर्तमान शिक्षा राष्ट्र की मांगों को पूरा करने में असमर्थ है। इसका पुनर्निरीक्षण पुनर्गठन होना चाहिए। उनको डिजिटल इण्डिया का आर्किटेक्ट और सूचना तकनीकी तथा दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है। चाहे मताधिकार के प्रयोग की आयुसीमा में बदलाव हो या कम्प्यूटर क्रांति लाने का श्रेय हो तथा पंचायती राज व्यवस्था का सबलीकरण के लिए राजीव गांधी को आधुनिक भारत की नींव रखने के रूप में जाना जाता है। इसके साथ–साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी उपाय करते हुए राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किया।

13.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की निमार्ण प्रक्रिया

भारत सरकार ने 1985 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने की घोषणा की थी। सर्वप्रथम सरकार ने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराया और उसे अगस्त 1985 में एक दस्तावेज के रूप में 'शिक्षा की चुनौतीः नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य' नाम से प्रकाशित किया। इस दस्तावेज ने नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए प्रयाप्त आधार का कार्य किया। इस दस्तावेज में भारतीय शिक्षा की प्रगति यात्रा का विवरण, उसकी सफलता एवं सीमाएं, गुण एवं दोषों का वर्णन किया गया। जैसी आशा की गयी थी उसी के अनुरूप इस दस्तावेज पर समस्त भारत में मंथन व चिंतन हुआ तथा अनेक शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक एवं व्यावसायिक वर्गों ने अपने–अपने सुझाव दिये। जैसा कि प्रायः होता है जब किसी बदलाव की बात की जाती है तो कुछ लोग उसका स्वागत तो कुछ लोग उसके प्रति असहमति प्रकट करते हैं। इस प्रस्तावित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप का भी कुछ लोगों के द्वारा स्वागत एवं कुछ लोगों के द्वारा आपत्तियां की गयीं। तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने प्राप्त सुझावों को अन्तिम रूप देकर उसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत कर दिया। इस प्रारूप को संसद से पास कराने के उपरान्त भारत सरकार ने मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 प्रकाशित कर दिया। इस नई

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए इसकी घोषणा के कुछ माह पश्चात् ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी कार्ययोजना (Plan of Action-POA) नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ–साथ इसके क्रियान्वयन की पूरी योजना भी प्रस्तुत की गयी थी।

बोध प्रश्न

टिप्पणी–

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर के मिलान इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से कीजिए।

01. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की घोषणा कब की गयी थी?

....

....

....

02. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की किसी एक विशेषता को बताइये।

....

....

13.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) को कुल 12 खण्डों में विभाजित किया गया है। विभिन्न खण्डों में सम्मिलित मुख्य–मुख्य विन्दु अग्रांकित इस प्रकार हैं–

- भाग I : भूमिका
- भाग II : शिक्षा का सार और उसकी भूमिका
- भाग III : राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था
- भाग IV : समानता के लिए शिक्षा
- भाग V : विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुर्गठन, शिशुओं की देखभाल एवं शिक्षा
- भाग VI : तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा
- भाग VII : शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना
- भाग VIII : शिक्षा की विषय–वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना
- भाग XI : शिक्षक
- भाग X : शिक्षा का प्रबंध
- भाग XI : संसाधन तथा समीक्षा
- भाग XII : भविष्य

13.5.1 भाग I : भूमिका

यह भाग 15 विन्दुओं में वर्णित किया गया है। भूमिका में यह स्वीकार किया गया है कि देश की सामाजिक–सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्ति देने और उसे आगे बढ़ाने के लिए आज के समय में शिक्षा प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

इस भाग में वर्णित 1968 की शिक्षा नीति और उसके बाद शीर्षक के अन्तर्गत यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से उन्नतशील तथा विकसित साधनों का प्रयोग शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। शिक्षा के माध्यम से ही उन्नतिशील साधनों का लाभ समाज के हर वर्ग को मिल सकता है। शिक्षा प्रणाली के सर्वांगीण पुनर्निर्माण तथा शिक्षा की गुणवत्ता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं नैतिक मूल्यों के विकास पर जोर दिये जाने वाले 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को महत्वपूर्ण माना गया। यह भी माना गया कि 90 प्रतिशत से अधिक लोगों के लिए एक किलोमीटर के अन्तराल पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सफलता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा की संरचना मान ली गयी है तथा कार्यानुभव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह भी कहा गया है कि 1968 की शिक्षा नीति के अधिकांश सुझाव कार्यरूप में परिणित नहीं हो सके हैं। माना गया कि तत्कालीन परिस्थिति ने शिक्षा के लिए ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर दिया है कि मात्र तौर तरीके से काम नहीं चल सकेगा। भारत में परम्परागत मूल्यों के ह्रास का खतरा उत्पन्न हो गया है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा व्यावसायिक नैतिकता के लक्ष्यों की प्राप्ति में लगातार बाधाएं आ रही हैं। गाँव और शहर के अन्तर को कम करने की आवश्यकता पर ध्यान आकृष्ट किया गया है। महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने की बात कही गयी है जिससे जनसंख्या की बढ़ती हुयी गति पर नियंत्रण पाया जा सके। इस प्रकार प्रस्तावना के इस भाग में तर्क दिया गया है कि उपर्युक्त चुनौतियों एवं सामाजिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत एक नई शिक्षा नीति तैयार कर उसका क्रियान्वयन किया जाय।

13.5.2 भाग II : शिक्षा का सार और उसकी भूमिका

शिक्षा नीति के इस भाग में कहा गया है कि हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता ''सबके लिए शिक्षा'' है। शिक्षा हमारे संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है। इसके अन्तर्गत यह भी कहा गया है कि शिक्षा के द्वारा जनशक्ति का विकास होता है। शिक्षा से ही आत्मनिर्भरता की आधारशिला को संबल मिलता है। इसमें इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया है कि 'शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन है' जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की धुरी है।

13.5.3 भाग III : राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था

इस भाग में कुल 13 विन्दु हैं। इस भाग में यह बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना का सिद्धांत हमारे संविधान में ही निहित है। इसके अन्तर्गत यह स्वीकार किया गया है कि 1968 की नीति में अनुशंसित सामान्य स्कूल प्रणाली को क्रियान्वित करने की दिशा में प्रभावी प्रयास किये जायेंगे। शिक्षा की संरचना 10+2+3 को स्वीकार किया गया जिसमें 10 वर्ष की शिक्षा को 5+3+2 (5 वर्ष की प्राथमिक स्तर की शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर की शिक्षा तथा अंतिम 2 वर्ष की शिक्षा हाई स्कूल की शिक्षा) के रूप में प्रयत्न किये जाने की बात की गयी है। प्रत्येक शिक्षार्थी को विना भेद–भाव के एक जैसी शिक्षा उपलब्ध होगी। शिक्षार्थियों में जात–पात, धर्म, स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। सभी को एक जैसी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त रूप से अनेकों वित्तपोषित कार्यक्रमों की शुरूआत की जायेगी।

देश के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम होगा जिसमें एक सामान्य केन्द्रक (Common Core) होगा। पाठ्यक्रम देश के अन्य हिस्सों को ध्यान में रखते हुए प्रयाप्त लचीलेपन के साथ निर्मित किया जायेगा। पाठ्यक्रम स्थानीय पर्यावरण तथा परिवेश के अनुसार ढ़ाला जायेगा। सामान्य केन्द्रिक पाठ्यक्रम में एक विषय न रखकर लगभग सभी विषयों जैसे– भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, संवैधानिक जिम्मेदारियाँ तथा राष्ट्रीय सम्मान से सम्बन्धित अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित किया जायेगा। पाठ्यक्रम में हमारी सांस्कृतिक धरोहर, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, स्त्री एवं पुरूषों के बीच समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक समरसता, छोटे परिवार का महत्व तथा वैज्ञानिक विधियों को अपनाना आदि विषयों को सम्मिलित कर राष्ट्रीय मूल्यों को हर व्यक्ति की सोच एवं उनकी जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास किया जायेगा। सभी शैक्षिक कार्यक्रमों को धर्मनिरपेक्षता के अनुरूप

आयोजित करने का प्रयास किया जायेगा। नई पीढ़ी में विश्वव्यापी दृष्टिकोण की भावना के सुदृढ़ीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व की भावना के विकास के लिए प्रयास किया जायेगा। सभी के लिए शिक्षा का समान अवसर के साथ–साथ शिक्षा में सफलता के समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक स्तर निर्धारित किया जायेगा। ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि शिक्षार्थी देश के विभिन्न भागों की संस्कृति, परम्पराओं और सामाजिक व्यवस्था को समझ सकें। पुस्तकों का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया जायेगा, बहुभाषी शब्दकोशों की रचना की जायेगी तथा संपर्क भाषा को बढ़ावा दिया जायेगा। देश के युवाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि ये अपनी कल्पना एवं सूझ–बूझ के अनुसार देश की महिमा और गरिमा को पहचान सकें। इन सब के लिए अनेक प्रयास किये जायेंगे जो निम्न है–

13.5.3.1 अधिगम के समान अवसर उपलब्ध कराना

इसके अन्तर्गत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराने की बात की गयी है। यह कहा गया है कि विशेषरूप से तकनीकी उच्च शिक्षा के लिए प्रत्येक उस छात्र को समान अवसर दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी जिनके पास तकनीकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता होगी। अंतरक्षेत्रीय अध्ययन की सुविधा भी प्रदान की जायेगी। उच्च शिक्षा संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के स्वरूप विशेषरूप से 'सार्वभौमिक स्वरूप' पर ध्यान दिया जायेगा।

13.5.3.2 विभिन्न संस्थाओं के मध्य सम्बन्ध स्थापित करना

इसके अन्तर्गत यह बताया गया है कि देश की विभिन्न संस्थाओं के बीच विस्तृत सम्बन्ध स्थापित करने के लिए विशेष उपाय किये जायेंगे। इस व्यवस्था से देश में शोध एवं विकास तथा विज्ञान और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। जब संस्थाओं के मध्य एक स्वस्थ्य एवं विस्तृत सम्बन्ध होगा तो वे अपने–अपने साधनों को सम्मिलित करते हुए राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं में सहभाग कर सकते हैं।

13.5.3.3 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का प्रसार करना

शिक्षा जीवन का अभिन्न पहलू है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या निःऔपचारिक शिक्षा से व्यक्ति जीवन पर्यन्त शिक्षा ग्रहण करता रहता है और सीखे गये ज्ञान एवं अनुभवों का वह अपने जीवन में प्रयोग करते हुए एक सफल एवं कुशल नागरिक का जीवन व्यतीत करता है। युवा वर्ग, गृहणियों, कृषकों, मजदूरों, एवं व्यापारियों आदि सभी को अपनी आवश्कता, पहुँच एवं सुविधा के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। इस खण्ड के अन्तर्गत यह बताया गया है कि उन सभी लोगों को अध्ययन की सुविधा प्रदान की जायेगी जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। इसके लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था होने से प्रत्येक वर्ग को लाभ होगा चाहे वह सरकारी सेवा वाला ही क्यों न हो।

13.5.3.4 अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आदि संस्थाएं राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। इन संस्थाओं के सहयोग से ही शिक्षा व्यवस्था को संवारा जाता है। यदि ये संस्थाएं आपस में जुड़कर एक दूसरे का सहयोग करें तो अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा को सही एवं सकारात्मक दिशा मिल सकती है। अतः उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान को मजबूती प्रदान करने के लिए तथा आपस में कार्यात्मक संबन्ध बनाने के लिए इन सभी संस्थाओं को एक समेकित योजना के द्वारा जोड़ने की बात कही गयी है। यह भी कहा गया है कि इन सभी संगठनों के साथ–साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान को शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में सहभागी बनाया जायेगा।

13.5.3.5 सार्थक सहभागिता

शिक्षा को समवर्ती सूची में रखना एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। वर्ष 1976 में संविधान के अन्तर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। जिसमें शिक्षा के सन्दर्भ में राज्य एवं केन्द्र सरकार की भूमिका एवं दायित्व निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तीसरे खण्ड के विन्दु 3.13 के अन्तर्गत यह कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका और उनके दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केन्द्र सरकार की कुछ विषयों में अब तक से अधिक जिम्मेदारी होगी। जिन विषयों में केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी अधिक होगी

वे निम्नलिखित हैं–

i. शिक्षा के राष्ट्रीय तथा समाकलनात्मक रूप को बल देना।

ii. गुणवत्ता एवं स्तर बनाये रखना।

iii. विकास हेतु जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षिक आवश्यकताओं का अध्ययन एवं देखरेख।

iv. शोध एवं उच्च अध्ययन की आवश्यकताओं को पूरा करना।

v. शिक्षा, संस्कृति तथा मानव संसाधन विकास के अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर ध्यान देना।

vi. सामान्य तौर पर शिक्षा में प्रत्यके स्तर पर उत्कृष्ठता लाने का निरन्तर प्रयास।

13.5.4 भाग IV : समानता के लिए शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस चौथे भाग में विभिन्न प्रकार के वंचितों के लिए शिक्षा व्यवस्था की बात की गयी है। इस भाग में शिक्षा के विभिन्न उपायों को कुल 42 विन्दुओं में वर्णित किया गया है। इस भाग के अन्तर्गत जिन विन्दुओं के अन्तर्गत शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया गया है वे निम्नलिखित हैं–

I. असमानता।

II. महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा।

III. अनुसूचित जातियों की शिक्षा।

IV. अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा।

V. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए दूसरे वर्ग और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए शिक्षा।

VI. अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा।

VII. दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा।

VIII. प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था।

बोध प्रश्न

टिप्पणी–

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर के मिलान इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से कीजिए।

03. नई राष्ट्रीय शिक्षा 1986 में किस प्रकार के वंचितों के लिए शिक्षा व्यवस्था की बात की गयी है?

....

04. महिलाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या विशेष उपाय सुझाये गये हैं?

....

13.5.4.1 असमानता

इसके अन्तर्गत संक्षिप्त रूप में बताया गया है कि नई शिक्षा नीति विषमताओं के निवारण के लिए विशेष ध्यान देगी तथा अभी तक जितने भी प्रकार के वंचित वर्ग हैं चाहे वे लिंग के आधार पर हों, जाति के आधार पर हों, संख्या के आधार पर हों, क्षेत्र विशेष के आधार पर हों शारीरिक अक्षमता के आधार पर हों अथवा आयु के आधार पर हों सभी की विशेष आवश्यकताओं के दृष्टिगत शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करेगी।

13.5.4.2 महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा

इस भाग में कहा गया है कि प्राचीन काल से चली आ रही कुरीतियों और विषमताओं को दूर करने के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में प्रयोग किया जायेगा। जिससे महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन हो सके। अबला समझी जाने वाली महिलाओं को समर्थ एवं सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में प्रभावी उपाय किये जायेंगे। पाठ्यक्रमों के विकास में शिक्षण संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा। शिक्षण–अधिगम सामग्री की पुनर्रचना की जायेगी। अध्यापकों तथा प्रशासकों को पुनः प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इन सभी उपायों से नये मूल्यों की स्थापना होगी। महिलाओं की शिक्षा के लिए अन्य जो उपाय किये जायेंगे वे निम्नलिखित हैं–

- महिलाओं को विभिन्न पाठ्यचर्याओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देना।
- शिक्षण संस्थाओं को महिला विकास के लिए सक्रिय कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए प्रेरित करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित रहने के रूकावटों को दूर करना।
- समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करना।
- विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- लैंगिक आधार पर भेद–भाव समाप्त किया जाना।
- गैर–परम्परागत आधुनिक व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।

13.5.4.3 अनुसूचित जातियों की शिक्षा

इस भाग में यह कहा गया है कि सभी जाति के लोगों की समानता में लाने के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के शैक्षिक विकास पर ध्यान दिया जायेगा। यह समानता सभी क्षेत्रों एवं सभी स्तरों पर की जायेगी। यह समानता ग्रामीण एवं शहरी पुरूषों तथा महिलाओं में होना आवश्यक बताया गया है।

अनुसूचित जातियों का शैक्षिक विकास गैर–अनुसूचित जातियों के बराबर लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो उपाय सोचे गये हैं वे निम्नलिखित हैं–

- अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक नियमित स्कूल भेजने के लिए निर्धन परिवारों को प्रोत्साहन देना।
- सफाई कार्य, पशुओं की चमड़ी का कार्य करने वाले परिवार के बच्चों को प्राथमिक कक्षा से मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ करना। उपर्युक्त कार्यों में लगे परिवारों की आय पर ध्यान दिये बिना उनके सभी बच्चों को इस योजना का लाभ देना।
- अनुसूचित जातियों के बच्चों के नामांकन, नियमित अध्ययन करते रहना और अध्ययन पूरी करने की प्रक्रिया की देख रेख करने की योजना बनाना। इन बच्चों की आगे की शिक्षा एवं रोजगार की संभावना के निमित्त उपचारात्मक पाठ्यचर्या की व्यवस्था करना।
- अनुसूचित जातियों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विशेष ध्यान देना।
- जिला केन्द्रों पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों की सुविधाएं बढ़ाना।

- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सुविधा के अनुसार विद्यालय भवन, बालवाड़ियों तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का चयन करना।
- जवाहर रोजगार योजना का उपयोग करके अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करना।
- अनुसूचित जातियों का शिक्षा में समावेश बढ़ाने के लिए नये तरीकों की खोज करना।

13.5.4.4 अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

इस भाग में अनुसूचित जनजातियों को अन्य जाति के लोगों की समानता में लाने के लिए जिन उपायों को करने के लिए कहा गया है वे निम्नलिखित हैं–

- अनुसूचित जाति वाले क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा की शाखायें संचालित की जायेंगी। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में शिक्षा के बजट, जवाहर रोजगार योजना तथा जनजतीय कल्याण योजना आदि के अन्तर्गत प्राथमिकता निर्धारित करके विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य कराया जायेगा।
- आरम्भिक पाठ्यक्रम निर्माण में आदिवासी भाषाओं एवं क्षेत्रीय भाषा माध्यम का प्रयोग किया जायेगा।
- अधिक संख्या में आश्रमशालायें एवं आवासीय स्कूल स्थापित किये जायेंगे तथा प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देकर अपने ही क्षेत्र में शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
- अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में आगनबाड़ी केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र एवं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

13.5.4.5 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए दूसरे वर्ग और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए शिक्षा

बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो क्षेत्र विशेष के आधार पर पिछड़े हुए हैं। शिक्षा उनकी पहूँच से काफी दूर हैं। वे चाहकर भी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। कुछ ऐसे हैं जो जागरूकता के अभाव में भी शिक्षित नहीं हो सके। अपने परम्परागत व्यवसाय में लगे होने के कारण भी शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। इस प्रकार के वर्ग विशेष हैं– ग्रामीण क्षेत्रवासी, पहाड़ी क्षेत्रवासी, रेगिस्तानी क्षेत्रवासी, दूरस्थ एवं दुर्गम स्थल तथा टापुओं पर रहने वाले लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इन क्षेत्रों में प्रयाप्त संख्या में शिक्षण संस्थाएं खोलने की बात की गयी है।

13.5.4.6 अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह स्वीकार किया गया है कि कुछ अल्पसंख्यक वर्ग शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप उनके लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे जिससे वे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें।

13.5.4.7 दिव्यांगों के लिए शिक्षा

दिव्यांगों के लिए उचित एवं प्रयाप्त शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे वे समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। अगर किसी कारणवश उनके मन में कुण्ठा का भाव हो तो वह समाप्त हो सके। दिव्यांगजन भी उचित प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का लाभ उठाकर सामान्य तरीके से अपनी प्रगति करके पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सामाजिक नागरिक का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं–

- सामान्य रूप से अर्थात् कम गम्भीर दिव्यांग छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ अध्ययन की व्यवस्था की जायेगी। गम्भीर रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए जिला मुख्यालय में ही विशेष प्रकार के विद्यालय स्थापित किये जायेंगे।
- दिव्यांगों के लिए रोजगारपरक शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

- विशेषरूप से प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नया रूप दिया जायेगा।

13.5.4.8 प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना

इस खण्ड में साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि 15–35 वर्ष में निरक्षरता दूर करने के लिए सरकारों, राजनैतिक दलों, शैक्षिक संस्थाओं आदि को साक्षरता अभियानों के प्रति पुनः ध्यान देना चाहिए। लोंगो की सांस्कृतिक सृजनशीलता एवं विकास की प्रक्रियाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की गतिबिधियों को महत्व प्रदान किया गया है।

जो लोग प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं उन्हे उत्तर साक्षरता एवं सतत शिक्षा के लिए जिन कार्यक्रमों को सुझाया गया है वे निम्न हैं–

- प्रौढ़ों को उनकी रूचि की शिक्षा सतत बनाये रखने के लिए सतत शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना।
- श्रमिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना।
- सूचना सम्प्रेषण साधनों को शिक्षण के लिए उपयोग में लाना।
- दूरस्थ अधिगम के कार्यक्रम संचालित करना, आदि।

13.5.5 भाग V : विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुर्गठन, शिशुओं की देखभाल एवं शिक्षा

इस खण्ड के अन्तर्गत शिक्षा व्यवस्था का अनेक स्तरों पर वर्गीकृत करके वर्णन किया गया है। जो इस प्रकार है–

- पूर्व प्राथमिक शिक्षा
- प्रारम्भिक शिक्षा
- माध्यमिक शिक्षा
- उच्च शिक्षा

13.5.5.1 पूर्व प्राथमिक शिक्षा

इस भाग के अन्तर्गत सुझाव दिया गया है कि बच्चों के विकास पर प्रयाप्त विनियोग किया जाये। बच्चों का स्वास्थ्य आवश्यक है। बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखना होगा। बहुत से बच्चे अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते हैं जिस कारण से वे अपनी शिक्षा से बंचित हो जाते हैं। अतः शिशुओं की देखभाल के लिए तथा शिक्षा के लिए केन्द्र खोले जायेंगे जो कि पूर्ण रूप से बाल केन्द्रित होंगे। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम को उन्नतशील बनाकर तथा शिशुओं की देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों को समेकित करके मानव संसाधन विकास में सहायता किया जा सकता है।

13.5.5.2 प्रारम्भिक शिक्षा

इस विन्दु के अन्तर्गत मुख्य रूप से तीन सुधारों को सम्मिलित किया गया है। वे सुधार निम्न हैं–

I. शिक्षा में सभी का नामांकन एवं सभी को आसानी से उपलब्ध हो।

II. शिक्षा की गुणावत्ता के लिए प्रयाप्त सुधार करना।

III. 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा बनाये रखना।

उपर्युक्त सुझावों के लिए अनेक सुझाव दिये गये हैं जो इस पकार हैं–

i. प्रारम्भिक स्तर पर किसी भी कक्षा में किसी भी छात्र को अनुतीर्ण न करना।

ii. छात्रों का वर्षपर्यन्त सतत मूल्यांकन करना।

iii. छात्रों को शारीरिक दण्ड न दिया जाना।

iv. छात्रों की सुविधा को दृष्टिगत रखकर छुट्टियों का निर्धारण करना।

v. प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम दो बड़े कमरे जो सभी मौसम के लिए उपयुक्त हों, आवश्यक खिलौने, श्यामपट्ट, मानचित्र, चार्ट एवं अन्य शिक्षण–सामग्रियों की व्यवस्था करना।

vi. 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' शुरू किया जाना।

vii. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाना।

viii. 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लिए संकल्प लेना, इत्यादि।

13.5.5.3 माध्यमिक शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह आशा व्यक्त किया गया है कि विशिष्ट संस्थाओं के माध्यम से व्यावसायीकरण लागू करके आर्थिक विकास के लिए आवश्यक जनशक्ति उत्पन्न किया जा सकता है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का पुनर्गठन किया जायेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के बच्चों का नामांकन बढ़ाने पर विशेष बल दिया जायेगा। अधिक से अधिक संस्थाओं में कम्प्यूटर साक्षरता के लिए प्रयास किया जायेगा। यह भी कहा गया है कि देश में स्थापित नवोदय विद्यालय के व्यापक उद्देश्यों को आने वाले समय में भी ध्यान दिया जायेगा। दिव्यांग छात्रों के लिए सरकार द्वारा उचित कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। इसके साथ ही सरकार महिलाओं, ग्रामीणों एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास करेगी। देश में जो कुछ नव साक्षर लोग हैं, अपनी अधूरी शिक्षा छोड़ चुके ऐसे लोग जो किसी न किसी व्यवसाय में भी लगे हुए हैं ऐसे लोगों के लिए आवश्यकता आधारित लचीले अनौपचारिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किये जाएंगे।

13.5.5.4 उच्च शिक्षा

इस भाग में उच्च शिक्षा के महत्व को वर्णित करते हुए कहा गया है कि भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को सुदृढ़ एवं उनकी सुविधाओं में विस्तार किया जायेगा। उच्च शिक्षा व्यवस्था में गिरावट न आये इसके लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा। महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता कम की जायेगी। विश्वविद्यालयों के चुनिन्दा विभागों को भी स्वायत्तता प्रदान करके उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी।

इसमें यह भी बताया गया है कि पाठ्यक्रमों का गठन नये सिरे से करके विषय चयन में लचीलापन अपनाया जायेगा। जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा एवं आवश्यकतानसुसार विषयों का चयन कर सकें। शिक्षा परिषदों को गठन किया जायेगा जो विश्वविद्यालाय अनुदान आयोग के साथ उचित ताल–मेल बनायेंगी। शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए जिन उपायों को सुझाया गया है वे निम्न हैं–

i. शिक्षण संस्थाओं में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना।

ii. श्रव्य–दृश्य साधनों एवं इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग प्रारम्भ करना।

iii. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शिक्षण सामग्री के विकास पर अनुसंधान पर ध्यान देना।

iv. विशेषरूप से सेवापूर्व एवं सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा पर ध्यान देना।

v. योग्यता के आधार पर पदों पर चयन करना।

vi. अध्यापकों के कार्यों का व्यवस्थित मूल्यांकन करना।

vii. अन्तरविषयी अनुसंधान को प्रोत्साहन देना।

viii. कृषि, चिकित्सा, कानून एवं अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय निकाय स्थापित किया जाना, आदि।

13.5.5.5 मुक्त विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ अध्ययन

इस खण्ड में मुक्त विश्वविद्यालय के महत्व एवं उपयोगिता को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1985 में नई दिल्ली में की गयी है जिसको और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। माध्यमिक स्तर पर भी मुक्त अध्ययन हेतु क्रमिक रूप से सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान को भी उन्नतशील बनाया जायेगा।

13.5.5.6 उपाधि को नौकरी से अलग करना

इंजिनियरिंग, चिकित्सा, कानून, अध्यापन, मानविकी, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता आवश्यक है। अतः विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को छोड़कर कुछ निश्चित क्षेत्रों में उपाधि को नौकरी से अलग करने का प्रयास करने की बात की गयी है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन स्थापित किया जायेगा जो विशेष कार्यों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करेगी। इससे ऐसे लोगों को रोजगार मिल सकेगा जिनके पास योग्यता एवं क्षमता तो है परन्तु वे उपाधि धारित नहीं हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी–

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर के मिलान इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से कीजिए।

05. अनुसूचित जाति के लोगों के शैक्षिक विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या प्रावधान किये गये हैं?

....

....

06. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किन शैक्षिक स्तरों के लिए शिक्षा व्यवस्था की गयी है?

....

....

07. व्यावसायिक शिक्षा के सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या प्रावधान किये गये हैं?

....

....

13.5.6 भाग VI : तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस छठवें भाग में जिन विषयों के सन्दर्भ में बताया गया है वे निम्न हैं–

I. तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा।

II. संस्थागत झुकाव की दिशा।

III. नवाचार शोध और विकास।

IV. सभी स्तरों पर दक्षता और प्रभावकारिता बढ़ाना।

V. प्रबन्ध कार्यकलाप और परिवर्तन।

तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा के महत्व पर विचार करते हुए कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के बुनियादी प्रारूप एवं सेवा क्षेत्रों के साथ–साथ असंगठित ग्रामीण क्षेत्रों में भी तकनीकी एवं प्रबन्धकीय जनशक्ति बढ़ाने की ओर सरकार द्वारा ध्यान दिया जायेगा। संगणक– साक्षरता (Computer-Literacy) की तरफ ध्यान दिया जायेगा। इसके लिए स्कूल स्तर से ही विस्तृत पैमाने पर कार्यक्रम संचालित किये जायेंगें। संगणक उपयोग की जानकारी बढ़ाने के लिए इसे व्यावसायिक शिक्षा का अंग बनाया जायेगा। महिलाओं, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर तथा दिव्यांगों के लिए तकनीकी शिक्षा हेतु समुचित रूप से औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रम तैयार किये जाने की बात कही गयी है।व्यावसायिक तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा विशेषज्ञ तैयार करने के लिए कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाया जायेगा तथा पुराने एवं अर्थहीन विषयों को क्रमशः समाप्त किये जाने की बात कही गयी है।

13.5.6.1 संस्थागत झुकाव की दिशा

इस विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि सामुदायिक पालिटेक्निक प्रणाली की गुणवत्ता एवं प्रसार को बढ़ाने के लिए उसका मूल्यांकन किया जायेगा। जिससे कमजोर वर्गों का उत्पादक कार्यों में लगाने के लिए उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सके।

13.5.6.2 नवाचार शोध और विकास

इस संदर्भ में कहा गया है कि प्रौद्योगिकी में सुधार किया जायेगा। प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी। दस क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा। ऐसा करने से सहयोग सहकार्य तथा आदान–प्रदान के रिश्ते बनेंगे तथा एक दूसरे की तकनीकियों का लाभ भी मिलेगा।

13.5.6.3 सभी स्तरों पर दक्षता और प्रभावकारिता बढ़ाना–

सभी स्तरों पर दक्षता तथा प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव दिये गये हैं जो निम्नलिखित हैं–

i. कार्यात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए आधुनीकीकरण को उच्च प्राथमिकता देना।

ii. वर्तमान सक्षम संस्थाओं को स्व–संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहित करना। उक्त संस्थाओं को शिक्षण संसाधन, पुस्तकालयों तथा कम्प्यूटर सुविधाओं से सुसज्जित किया जाना।

iii. लड़कियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर छात्रावास की व्यवस्था करना एवं अन्य गतिविधियों यथा– खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा रचनात्मक कार्यों के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

iv. प्रभावी प्रक्रियाओं द्वारा प्रिशिक्षकों की भर्ती करना।

v. शिक्षकों द्वारा अनेकों कार्य किया जाना यथा– शिक्षण, अनुसंधान, शिक्षण सामग्री तैयार करना आदि। शिक्षकों के लिए सेवापूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना।

vi. तकनीकी शिक्षण संस्थानों तथा उद्योगों के मध्य सम्बन्ध स्थापित किया जाना।

vii. निकृष्ट स्तर की संस्थाओं के विस्तार को रोकना तथा व्यक्तियों एवं संस्थाओं के उत्कृष्ठ कार्यों को प्रोत्साहित करना।

viii. उत्कृष्ठ संस्थाओं को शैक्षिक प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वतंत्रता देने के साथ–साथ उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना आदि।

13.5.6.4 प्रबन्ध कार्यकलाप और परिवर्तन

चूँकि परिवर्तन विकास का द्योतक है अतः ऐसी दक्षता विकसित करने की बात की गयी है जो परिवर्तनों को स्वीकार कर सके। तकनीशियनों एवं शिल्पियों की शिक्षा को समन्वित किया जायेगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को जो भी विधिक अधिकार प्राप्त है वह उसके लिए जिम्मेदार होगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जिन कार्यों के लिए जवाबदेह होगी वे निम्न हैं–

i. तकनीकी शिक्षा का नियोजन करना।

ii. स्तरों और मानदण्डों का निर्धारण तथा अनुरक्षण करना।

iii. स्तरों और मानदण्डों का प्रत्यायन करना आदि।

बोध प्रश्न

टिप्पणी–

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर के मिलान इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से कीजिए।

08. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नवाचार शोध और विकास के लिए क्या प्रावधान किया गया है?

....

....

09. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने किन कार्यों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को जवाबदेह माना है?

....

....

....

13.5.7 भाग VII : शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना

इस भाग में शिक्षा की गुणवत्ता तथा उसके विस्तार हेतु युक्तियों के विषय में बताया गया है। इसके लिए शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को ही सक्रिय रहने की बात कही गयी है और कहा गया है कि वे जिम्मेदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन करें। शिक्षा की गुणवत्ता एवं उसके विस्तार के लिए जिन युक्तियों की चर्चा की गयी है वे निम्नलिखत हैं–

i. शिक्षकों को प्रयाप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उनकी जवाबदेही सुनिश्चित किया जायेगा।

ii. शिक्षार्थियों को दी जाने वाली सहायता सेवाओं में सुधार किया जायेगा तथा उनके सही आचरण पर बल दिया जायेगा।

iii. शिक्षण संस्थाओं को प्रयाप्त सुविधाएं प्रदान की जायेगी।

iv. तय किये गये मानकों के आधार पर शिक्षण संस्थाओं के कार्यों के मूल्यांकन हेतु प्रणाली का विकास किया जायेगा।

13.5.8 भाग VIII : शिक्षा की विषय–वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना

इस भाग के अन्तर्गत अनेक पक्षों पर विस्तृत योजना प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा की विषयवस्तु एवं प्रक्रिया को नया मोड़ देने हेतु जिन विषयों पर सुझाव दिया गया है वे निम्नलखित हैं–

I. सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य

II. मूल्यों की शिक्षा

III. भाषाओं का विकास

IV. पुस्तकें एवं पुस्कालय

V. संचार माध्यम एवं संचार प्रौद्योगिकी

VI. कार्यानुभव

VII. शिक्षा एवं पर्यावरण

VIII. जनसंख्या शिक्षा

IX. गणित शिक्षा

X. विज्ञान शिक्षा

XI. खेल एवं शारीरिक शिक्षा

XII. योग शिक्षा

XIII. राष्ट्रीय एवं सामाजिक विकास में युवावर्ग की भूमिका

XIV. मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा व्यवस्था में सुधार

I). सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य

यह स्वीकार किया गया है कि तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था एवं सांस्कृतिक परम्पराओं के बीच समन्वय का अभाव है। इस समन्वय के अभाव को समाप्त करने का साधन परिवर्तनपरक तकनीकी को माना गया है। शिक्षा व्यवस्था एवं संस्कृति में समन्वय स्थापित करने के लिए जिन उपायों की चर्चा की गयी है वे निम्नलिखित हैं–

i. सांस्कृतिक विषय–वस्तुओं को पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जाना।

ii. सौन्दर्य, सामंजस्य एवं परिवार के प्रति छात्रों की संवेदनशीलता बढ़ाने का प्रयास।

iii. गैर उपाधि धारित सांस्कृतिक परम्परा में पारंगत एवं दक्ष व्यक्तियों को शिक्षा में योगदान के लिए आमन्त्रित करना।

iv. पराम्परागत विधि से सांस्कृतिक परम्परा को बढ़ाने एवं पढ़ाने वाले गुरूओं एवं उस्तादों की सहायता लेना।

v. विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना।

vi. ललित–कला, संग्रहालय–विज्ञान और लोक साहित्य इत्यादि विशिष्ट विषयों में शिक्षण–प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की प्रयाप्त व्यवस्था करना आदि।

II). मूल्यों की शिक्षा

जीवन के लिए आवश्यक मूल्यों का ह्रास तथा मूल्यों पर लोगों के अविश्वास पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा गया है कि शिक्षा को मूल्य विकास का एक शक्तिशाली साधन बनाने के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता है। यह भी सुझाव दिया गया है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय एवं सार्वभौमिक लक्ष्यों पर भी मुख्य रूप से बल दिये जाने की आवश्यकता है।

III). भाषा विकास

भाषा विकास के संदर्भ में इस शिक्षा नीति में 1968 की शिक्षा नीति के सुझावों को ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस स्वीकारोक्ति के साथ कि पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का समान रूप से पालन नहीं किया गया है यह सुझाव दिया गया कि इब इस नीति को प्रबल सक्रियता तथा उद्देश्यपूर्णता के साथ देश भर में लागू किया जायेगा।

IV). पुस्तकें और पुस्तकालय

इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षा के कम कीमत पर गुणवत्तायुक्त पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी। सृजनशील लेखकों को प्रोत्साहित एवं उनके हितों की रक्षा की जायेगी। विदेशी पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने का प्रयास किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं में अच्छे पुस्कालय की व्यवस्था तथा

पुस्तकालयाध्यक्षों के स्तर में आवश्यक सुधार करने का प्रयास किया जायेगा।

V). संचार माध्यम एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी

इस शिक्षा नीति में आधुनिक सूचना एवं संचार तकनीकी के महत्व को स्वीकारते हुए कहा गया है कि शिक्षा में इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए, शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन के लिए, कला एवं संस्कृति संरक्षण जागरूकता के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में आधुनिक सम्प्रेषण तकनीकी का प्रयोग करने के लिए जो सुझाव दिये गये हैं वे निम्नलिखित हैं–

i. सुविधा सम्पन्न क्षेत्रों के साथ–साथ अभवग्रस्त क्षेत्रों में भी शैक्षिक प्रौद्योगिकी के पहुँच को सुनिश्चित करना।

ii. सांस्कृतिक रूप से संगत एवं प्रासंगिक तकनीकी आधारित कार्यक्रमों का निर्माण करना।

iii. शैक्षिक उद्‌देश्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले रेडियो एवं दूरदर्शन आधारित कार्यक्रमों का संचालन रोका जाना।

iv. बच्चों के लिए उत्तम कोटि के फिल्मों/चलचित्रों का निर्माण करना।

v. जो गांव विद्युत सम्पन्न नहीं हैं वहां बैटरी या सौर्य ऊर्जा के माध्यम से कार्यक्रमों का संचालन करना इत्यादि।

संचार माध्यम या शैक्षिक प्रौद्योगिकी के साथ शिक्षा की विषयवस्तु के रूप में कार्यानुभव, शिक्षा और पर्यावरण, जनसंख्या शिक्षा, गणित शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, खेल और शारीरिक शिक्षा, योगा, युवा वर्ग की भूमिका तथा मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा सुधार के विषय में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। कार्यानुभव के सन्दर्भ में बताया गया है कि इसकी गतिविधियाँ विद्यार्थियों की रूची, योग्यता तथा आवश्यकता पर आधारित होंगी। शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में योग की शिक्षा सम्मिलित करने की बात की गयी है। खेल के लिए उपयुक्त संसाधनों एवं व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने पर जोर दिये जाने की भी बात की गयी है। युवाओं के योगदान के महत्व को स्वीकार करते हुए उनके प्रोत्साहन के लिए आवश्यक उपाय सुझाये गये हैं।

मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा सुधार के विषय में कहा गया है कि परीक्षाओं का उपयोग शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए किया जाना चाहिए। आत्मगतता (Subjectivity) को समाप्त करने हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए। अंको के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया जाय। शिक्षकों, सहपाठियों तथा अभिभावकों के द्वारा मूल्यांकन का उपयोग किया जाना चाहिए।

13.5.9 भाग IX : शिक्षक

शिक्षा नीति के इस भाग में अध्यापकों की योग्यता एवं उपयोगिता के महत्व को स्वीकार करते हुए निम्न सुधार की बात की गयी है–

(i) शिक्षकों का निरपेक्ष चयन।

(ii) शिक्षकों के वेतन एवं सेवा शर्तों में सुधार।

(iii) शिक्षकों के स्थापन एवं उनके स्थानान्तरण में निरपेक्षता लाना।

(iv) शिक्षकों की जवाबदेही के मानक तय करना।

शिक्षक संघों के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षक संघ एक व्यावसायिक आचार संहिता बनाकर उसके अनुपालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सेवापूर्व एवं सेवाकलीन अध्यापक शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नई दिशाओं के अनुरूप परिवर्तन किया जायेगा। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों, अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा शिक्षकों के सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए 'जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान' स्थापित किये जायेंगे साथ ही साथ अनुपयुक्त एवं खराब प्रशिक्षण संस्थाओं को बन्द किया जायेगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों के पूरक के रूप में कार्य करने के लिए कुछ चयनित माध्यमिक शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थाओं का दर्जा बढ़ाया जायेगा। यह भी कहा गया है कि

अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता देने तथा उनके शिक्षाक्रम तथा पद्धतियों के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को सामर्थ्य और साधन दिये जायेंगे। यह भी व्यवस्था की जायेगी कि अध्यापक–शिक्षा संस्थान तथा विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग आपस में मिलकर कार्य करें।

13.5.10 भाग X : शिक्षा का प्रबन्ध

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस दसवें भाग में शिक्षा का प्रबन्ध करने, राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रबन्ध एवं व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की भूमिका को बताया गया है। भारतीय शिक्षा सेवा का एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठन का सुझाव दिया गया है जिससे शिक्षा के प्रबन्ध के उपयुक्त ढ़ांचे का निर्माण किया जा सके। अखिल भारतीय सेवा के सम्बन्ध में निर्णय राज्य सरकारों के परामर्श से किया जायेगा। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समान राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का दायित्व राज्य सरकार का होगा। शैक्षिक आयोजकों, प्रशासकों और संस्थाओं के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देकर चरणवार संस्थागत प्रबन्ध किये जाने का सुझाव दिया गया है।

जिला एवं स्थानीय स्तर के शिक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में कहा गया है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शैक्षिक प्रबन्धन के लिए राज्य सरकारों के द्वारा जिला शिक्षा बोर्डों की स्थापना की जायेगी। शिक्षा के विकास के लिए जिला तथा स्थानीय स्तर की एजेंसियाँ सहभागिता करेंगी। लोचशील व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यालय संगम स्थापित किया जायेगा विद्यालय सुधार में स्थानीय लोगों की भूमिका को भी स्वीकार किया गया है। ऐसी गैर सरकारी तथा स्वैक्षिक प्रयासों को जिनकी प्रबन्धन व्यवस्था अच्छी होगी प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायता दी जायेगी। व्यापारिक रूप देने वाली संस्थाओं का संचालन बन्द किया जायेगा। शिकायतो के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर शैक्षिक न्यायाधिकरण स्थापित किये जायेंगे।

13.5.11 भाग XI : अनुसंधान तथा समीक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस भाग में यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षा आयोग (1964-66) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) के सुझावों के अनुरूप शिक्षा में पूँजी का निवेश नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में निर्धारित शैक्षिक निवेश राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत से अभी बहुत पीछे है। अतः अनेक उपायों से साधन जुटाना अति आवश्यक है। साधन जुटाने हेतु जिन उपायों को सुझाया गया है वे निम्न हैं–

(i) चंदा एकत्रित करना।

(ii) इमारतों के रख–रखाव तथा दैनिक उपयोगी साधनों हेतु स्थानीय व्यक्तियों की सहायता लेना।

(iii) उच्च शिक्षा स्तर पर शुल्क वृद्धि करना।

(iv) उपलब्ध संसाधनों का अच्छी तरह उपयोग करके बचत करना।

(v) ऐसी एजेंसियों पर उपकर या प्रभार लगाना जो अनुसंधान या तकनीकी तथा वैज्ञानिक जनशक्ति विकास हेतु कार्य कर रही हैं, उनके कामों का उपयोग करती हैं।

पूँजीगत निवेश के सन्दर्भ में चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा गया है कि शिक्षा पर होने वाले निवेश को निर्धारित लक्ष्य तक बढ़ाने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति के मूल्यांकन के आधार पर वास्तविक आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जायेगा। आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा में पूँजी निवेश को सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। यह भी कहा गया है कि शिक्षा में पूँजी निवेश राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत से हमेशा अधिक किया जायेगा और यह प्रयास आठवीं पंचवर्षीय योजना से शुरू होगा। नई शिक्षा नीति के सभी पहलुओं के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष में समीक्षा की जायेगी। समय–समय पर आने वाले मुद्दों की परख के लिए मध्यावधि मूल्यांकन भी किये जायेंगे।

13.5.12 भाग XII : भविष्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस अंतिम भाग में शिक्षा के भावी स्वरूप पर चिन्ता व्यक्त की गयी है। इसमें यह कहा गया है कि ''भारत में शिक्षा का भावी स्वरूप इतना पेचीदा है कि उसके बारे में स्पष्ट रूपरेखा बना सकना सम्भव नहीं है।'' शिक्षा की व्यवस्था को एक पिरामिड मानकर उसके आधार को सुदृढ़ बनाने का सुझाव दिया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि शैक्षिक पिरामिड के शिखर पर जो हों वे विश्व में सर्वोत्तम स्तर के हों।

शिक्षा की बहुमुखी भूमिका के निर्वहन के लिए हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास का एक राष्ट्रव्यापी प्रयास पुनः शुरू होना चाहिए।

13.6 साराशं

किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। जिस देश की जैसी शिक्षा व्यावस्था होगी उस देश का विकास भी उसी के अनुरूप होगा। शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि हमें अपने राष्ट्र के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, अपने आदर्शों को स्थापित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन सिद्धान्तों तथा नीतियों का निर्धारण होता है जिनके आलोक में देश की शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है। भारत सरकार ने मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 प्रकाशित कर दिया। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए इसकी घोषणा के कुछ माह पश्चात् ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी कार्ययोजना (Plan of Action-POA) नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ–साथ इसके क्रियान्वयन की पूरी योजना को इस इकाई में प्रस्तुत किया गया है।

13.7 अभ्यास के प्रश्न

1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सम्प्रव्यय एवं निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत समानता के लिए शिक्षा व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए।
3) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन कीजिए।

13.8 चर्चा के बिन्दु

(i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के निर्माण प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए।
(ii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन करते हुए उस पर चर्चा कीजिए।

13.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) 1985
2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ–साथ इसके क्रियान्वयन की पूरी योजना भी प्रस्तुत की गयी थी।
3) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वंचितों के अन्तर्गत निम्न की शिक्षा व्यवस्था की बात की गयी है –

    I. असमानता।
    II. महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा।
    III. अनुसूचित जातियों की शिक्षा।
    IV. अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा।
    V. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए दूसरे वर्ग और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए शिक्षा।
    VI. अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा।
    VII. दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा।
    VIII. प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था।

4) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिलाओं की समानता के लिए निम्न उपाय सुझाये गये हैं–

- महिलाओं को विभिन्न पाठ्यचर्याओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देना।
- शिक्षण संस्थाओं को महिला विकास के लिए सक्रिय कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए प्रेरित करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित रहने के रूकावटों को दूर करना।
- समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करना।
- विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- लैंगिक आधार पर भेद–भाव समाप्त किया जाना।
- गैर–परम्परागत आधुनिक व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।

5) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अनुसूचित जातियों के लोगों के शैक्षिक विकास के लिए निम्न शैक्षिक प्रावधान किये गये हैं–

- अनुसूचित जाति वाले क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा की शाखायें संचालित की जायेंगी। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में शिक्षा के बजट, जवाहर रोजगार योजना तथा जनजतीय कल्याण योजना आदि के अन्तर्गत प्राथमिकता निर्धारित करके विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य कराया जायेगा।
- आरम्भिक पाठ्यक्रम निर्माण में आदिवासी भाषाओं एवं क्षेत्रीय भाषा माध्यम का प्रयोग किया जायेगा।
- अधिक संख्या में आश्रमशालायें एवं आवासीय स्कूल स्थापित किये जायेंगे तथा प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देकर अपने ही क्षेत्र में शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
- अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में आगनबाड़ी केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र एवं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

6) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निम्न शैक्षिक स्तरों के लिए शिक्षा व्यवस्था की गयी है–

- अ) पूर्व प्राथमिक शिक्षा
- ब) प्रारम्भिक शिक्षा
- स) माध्यमिक शिक्षा
- द) उच्च शिक्षा

7) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह आशा व्यक्त किया गया है कि विशिष्ट संस्थाओं में माध्यम से व्यावसायीकरण लागू करके आर्थिक विकास के लिए आवश्यक जनशक्ति उत्पन्न किया जा सकता है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का पुनर्गठन किया जायेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के बच्चों का नामांकन बढ़ाने पर विशेष बल दिया जायेगा। अधिक से अधिक संस्थाओं में कम्प्यूटर साक्षरता के लिए प्रयास किया जायेगा। यह भी कहा गया है कि देश में स्थापित नवोदय विद्यालय के व्यापक उद्देश्यों को आने वाले समय में भी ध्यान दिया जायेगा। दिव्यांग छात्रों के लिए सरकार द्वारा उचित कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। इसके साथ ही सरकार महिलाओं, ग्रामीणों एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास करेगी। देश में जो कुछ नव साक्षर लोग हैं, अपनी अधूरी शिक्षा छोड़ चुके ऐसे लोग जो किसी न किसी व्यवसाय में भी लगे हुए हैं ऐसे लोगों के लिए आवश्यकता आधारित लचीले अनौपचारिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किये जाएंगे।

8) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नवाचार शोध और विकास के लिए कहा गया है कि प्रौद्योगिकी में सुधार

किया जायेगा। प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी। दस क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा। ऐसा करने से सहयोग सहकार्य तथा आदान–प्रदान के रिश्ते बनेंगे तथा एक दूसरे की तकनीकियों का लाभ भी मिलेगा।

9) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जिन कार्यों के लिए जवाबदेह होगी वे निम्न हैं–

   i. तकनीकी शिक्षा का नियोजन करना।

   ii. स्तरों और मानदण्डों का निर्धारण तथा अनुरक्षण करना।

   iii. स्तरों और मानदण्डों का प्रत्यायन करना आदि।

13.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986): मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार।

  https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/NPE1986_H.pdf Search on 18 January, 2022
- सारस्वत मालती, गौतम एस० एल० : भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामयिक समस्यायें; लखनऊ, इलाहाबादः आलोक प्रकाशन।
- गुप्ता, एस० पी०, अलका गुप्ता (2009): भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें; इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन।

इकाई–14 : कार्यान्वयन कार्यक्रम–राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 1992

इकाई की संरचना

14.1 प्रस्तावना

14.2 इकाई के उद्देश्य

14.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य उद्देश्य

14.4 कार्यदल

14.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हेतु कार्य योजना

14.6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तत्व

14.7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूलभूत विशेषताएँ

14.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आवश्यकता

14.9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यक्रम का क्षेत्र

14.10 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के त्रिभाषा सूत्र

14.11 नई शिक्षा नीति 1986 द्वारा उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदम

14.12 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य बिन्दु जिनके द्वारा शैक्षिक व्यवस्था में परिवर्तन

14.13 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्य योजना 1992 के मूल तत्व

14.14 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन

14.15 1992 कार्य योजना का मूल्यांकन : एक समीक्षा

14.16 कार्य योजना के कुछ महत्वपूर्ण पहलू

14.17 सारांश

14.18 अभ्यास के प्रश्न

14.19 चर्चा के बिन्दु

14.20 बोध प्रश्नों के उत्तर

14.21 कुछ उपयोगी पुस्तकें

14.1 प्रस्तावना

आज देश आर्थिक व तकनीकी विकास की ऐसी अवस्था में पहुँच गया है जहाँ पहले विकसित संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने व परिवर्तनों के लाभों के सभी वर्गों के लोगों तक पहुँचने के लिए प्रयास करने की

जरूरत है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने का मुख्य मार्ग शिक्षा है। अतः इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जनवरी 1985 में यह घोषणा की कि देश के लिए एक नई शिक्षा नीति निर्मित की जाएगी अगस्त 1985 में शिक्षा की चुनौती नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। इस दस्तावेज से देशव्यापी बहस का सूत्रपात हुआ। भिन्न क्षेत्रों से मिले विचारों व सुझावों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद मई 1986 में सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया। यह प्रारूप 12 मुख्य खण्डों में विभक्त है। हम इस लेख के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सभी भागों को विस्तार से समझेंगे।

14.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य उद्देश्यों को समझ सकेंगे।
2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यदल का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे।
3) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्ययोजना को व्याख्यायित कर सकेंगे।
4) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं को परिभाषित कर सकेंगे।
5) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आवश्यकता से परिचित हो सकेंगे।
6) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विभिन्न कार्यक्रम के क्षेत्र को समझ सकेंगे।
7) त्रिभाषा सूत्र व्याख्यायित कर सकेंगे।

14.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे –

I. शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक मनोभाव के साथ चारित्रिक और आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करना।

II. शिक्षार्थियों में कार्मनिष्ठा, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्धता, राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता एवं अन्तर्राष्ट्रीय समाज को बढ़ावा देना।

III. शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों का शारीरिक, मानसिक तथा सौन्दर्यपरक विकास करना।

IV. शिक्षा को समाज परिवर्तन की वाहिका बनाना।

V. शिक्षार्थियों में पारिस्थितिक विषमता को बदल डालने का मनोभाव विकसित करना।

VI. सामाजिक तकनीकी तथा सांस्कृतिक परिवेश के प्रति जागरूकता पैदा करना।

VII. शिक्षा के द्वारा मनुष्य की सामाजिक व आर्थिक उन्नति, तथा उसकी क्षमता एवं सृजनशीलता को विकसित करना।

VIII. वर्तमान विशिष्ट वर्गीय शिक्षा को जनजागरण की शिक्षा के रूप में परिवर्तित करना।

14.4 कार्यदल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद के द्वारा पास होने बाद नवम्बर 1986 में इस शिक्षा योजना को लागू करने के लिए कार्य योजना बनाई गई। इसके तहत 23 कार्यदलों का गठन किया गया, जिसमें ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्, विषय विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ सरकारी लोग शामिल थे। इन 23 कार्यदलों में से प्रत्येक कार्यदल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समाहित एक–एक विशिष्ट विषय बना दिया गया। इन कार्यदलों से अनुरोध किया गया कि वे उन्हें दिए गये विषय से सम्बन्धित वर्तमान स्थिति का अध्ययन करें तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किए गए संकल्पों के अनुरूप इस हेतु कार्ययोजना तैयार करके प्रस्तुत करें। इन विभिन्न कार्यदलों को दिए गए विशिष्ट विषय निम्नवत् थे

1. शिक्षा प्रणाली को क्रियाशील बनाना।
2. स्कूल शिक्षा की पाठ्यवस्तु तथा प्रक्रियाएँ।

3. नारी समानता के लिए शिक्षा।
4. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े समाज की शिक्षा।
5. अल्पसंख्यकों की शिक्षा।
6. विकलागों की शिक्षा।
7. प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा।
8. पूर्व बाल्यकाल परिचर्या तथा शिक्षा।
9. अनौपचारिक शिक्षा व ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड सहित प्रारम्भिक शिक्षा।
10. माध्यमिक शिक्षा तथा नवोदय विद्यालय।
11. व्यवसायीकरण।
12. उच्चशिक्षा।
13. मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूर अधिगम।
14. तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा।
15. अनुसंधान एवं विकास।
16. शिक्षा में कम्प्यूटरों का उपयोग।
17. उपाधियों को रोजगार से विलग करना तथा मानव शक्ति नियोजन।
18. सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य तथा भाषा नीति को लागू करना।
19. खेल शारीरिक शिक्षा तथा युवा।
20. मूल्यांकन प्रक्रिया तथा परीक्षा सुधार।
21. अध्यापक तथा उनका प्रशिक्षण।
22. शिक्षा का प्रबन्ध।
23. ग्रामीण विश्वविद्यालय संस्थान।

सीमित समय एवं व्यापक कार्य प्रकृति के बावजूद कार्यदलों ने अपना कार्य पूरा करके जुलाई 1986 में अपनी आध्यायें प्रस्तुत कर दी। कार्यदलों को इन अध्यायों पर मानव संसाधन विकास मन्त्री के द्वारा अनेक बैठकों में विचार विमर्श किया गया।

14.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हेतु कार्य योजना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद के द्वारा पास होने के बाद नवम्बर 1986 में इस योजना को लागू करने के लिए निम्नलिखित कार्य योजना बनाई गई।

1. नई शिक्षा नीति में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु कार्य योजना

इस शिक्षा नीति में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गये हैं–

- 14 वर्ष तक के शिक्षार्थियों की शिक्षा हेतु पूरे देश में समान अवधि की शिक्षा होनी चाहिए।
- प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार वांछित दिशा में तथा मूर्त रूप में होना चाहिए।
- बालकों के संज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि होनी चाहिए।
- विद्यालयों में शारीरिक दण्ड की प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए।

- छात्रों को व्यवसायिक ज्ञान उनकी सुविधानुसार दिया जाना चाहिए।
- ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के माध्यम से छात्रों को खेल के सामान, मानचित्र, चार्ट, चॉक, श्यामपट्ट तथा डस्टर आदि प्रदान किए जाने चाहिए।

2. नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा हेतु कार्य योजना

नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा के महत्व को भली प्रकार से समझा गया था। अतः इसमें इस स्तर की शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नांकित सुझाव दिए गए थे –

- आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर भी प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक प्रगति में तेजी लाने का प्रयास करना।
- इस नीति में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का एक ऐसा व्यवस्थित एवं सुनियोजित कार्यक्रम बनाने की संस्तुति की गई है, जो छात्रों को उनकी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करें।
- व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार तथा निजी सेवा योजकों पर सहभागिता के आधार पर सौपा गया है।
- माध्यमिक स्तर पर कक्षा 10 के लिए एक सामान्य आधारभूत पाठ्यक्रम बनाया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में तथा महिलाओं के लिए सरकारी तथा व्यक्तिगत दोनों प्रकार की संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए।
- माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा हो कि छात्र विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास कर सकें।

3. उच्च शिक्षा हेतु कार्य योजना

उच्च शिक्षा की समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद, नई शिक्षा नीति में निम्नलिखित संस्तुतियाँ दी गई है –

- भारत में स्थित 150 विश्वविद्यालय व 5000 महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाने के स्थान पर इनके स्तर में सुधार किया जाए।
- शिक्षा में आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के नवाचारों को लागू करना व अधिक सुविधायें प्रदान करना।
- सम्बद्ध कॉलेजों के स्थान पर कुछ प्रमुख स्वायत्त कॉलेज खोले जाए।
- भाषागत योग्यता के आधार पर पर्याप्त ध्यान देना व पाठ्यक्रमों में लचीलापन होना।
- उच्च शैक्षिक स्तर पर व उसकी गुणवत्ता पर यू०जी०सी० द्वारा निरन्तर निगरानी रखना।
- शिक्षक शिक्षा की दृष्टि से ओरिएन्टेशन प्रोग्राम तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु ऐकेडेमिक स्टाफ कॉलेजों की स्थापना करना।

14.6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तत्व

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हम इस नीति के निम्न तत्वों के क्रियान्वयन पर ध्यान देकर सुधार कर सकते है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है –

1. राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम

(i) समस्त राष्ट्र में एक समान 10+2+3 प्रणाली लागू की जाए। 10 वर्षीय पाठ्यक्रम उपविभाजन के अन्तर्गत 5 वर्षीय निम्न प्राथमिक स्तर तथा 3 वर्षीय उच्च प्राथमिक स्तर तथा 2 वर्ष की हाई

स्कूल की शिक्षा होगी।

(ii) राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के एक ढाँचे पर आधारित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एक सामान्य कोर के अतिरिक्त परिवर्तनशील विभाग होंगे। सामान्य कोर में राष्ट्रीय तादात्म्य में सहायक तत्व जैसे स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व आदि शामिल किए जाऐंगे।

2. मूल्यों की शिक्षा

सार्वभौमिक एवं प्राकृतिक मूल्यों की शिक्षा जो व्यक्तियों की समानता एवं एकता पर बल देकर अन्धकार, धर्मान्धता, हिंसा, अन्धविश्वास और भाग्यवादिता के निराकरण पर बल दे।

3. विकलांगों की शिक्षा

शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सामान्य समुदाय के साथ सहभागी बनाने में बल देना। विकलांगो के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, अधिक विकलांगो के लिए जिला स्तर पर छात्रावास तथा स्वैच्छिक प्रयत्नों पर विशेष बल दिया जाएगा।

4. अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

अनुसूचित जातियों की शिक्षा द्वारा गरीब परिवारों के छात्रों को स्कूल भेजने के लिए प्रलोभन, छात्रवृत्ति योजना, अनौपचारिक शिक्षा, निदानात्मक शिक्षण, शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रावास सुविधा आदि उपलब्ध कराई जाएगी। जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की अधिकता हो प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आश्रम विद्यालय की व्यवस्था की जाए।

5. गणित एवं विज्ञान शिक्षण

गणित शिक्षण को आधुनिक तकनीकी उपकरणों के अनुरूप पुनर्गठित किया जाएगा। विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किए जाएंगे कि वह शिक्षार्थियों में समस्या समाधान एवं निर्णय क्षमता तथा विज्ञान, कृषि, उद्योग तथा जीवन के सभी पक्षों पर बल दे।

6. अल्पसंख्यकों की शिक्षा

अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा का गुणात्मक और सामाजिक न्यायिक दृष्टि से सर्वसाधारण योजना तैयार की जाए।

7. शिक्षक

शिक्षकों की चयन विधि योग्यता, वस्तुनिष्ठता, व्यावहारिकता तथा वांछनीयता की दृष्टि से पुनर्गठित किया जाएगा। शिक्षकों का मूल्यांकन खुली, सहभागिता युक्त व प्रदत्त आधारित होगी। वेतन, सेवा शर्तों तथा पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि के साथ उत्तरदायित्वों के आदर्शों के अनुसार अच्छी निष्पत्ति के लिए राष्ट्रीय आचार संहिता निर्मित की जाएगी और उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. परीक्षा प्रणाली

शिक्षार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को उत्साहित कर निरन्तर – समग्र मूल्यांकन को प्रभावी बनाया जाएगा। अंको को प्रतिस्थापित कर ग्रेड तथा माध्यमिक स्तर से ही क्रमिक रूप से सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएगी साथ ही छात्र को फेल न करके ग्रेड प्रदान किया जाएगा।

9. स्त्री शिक्षा

स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। समयबद्ध योजना के द्वारा स्त्री निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा में पहुँच व निरन्तरता सुनिश्चित की जाएगी। व्यवसायिक तथा तकनीकी पर जोर दिया जाएगा।

10. पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा

(i) प्राथमिक विद्यालय हेतु न्यूनतम मूलभूत सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम एक महिला शिक्षिका होगी।

(ii) बाल शिक्षा कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी और इन्हें बाल विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाएगा।

(iii) विद्यालय छोड़ने वाले शिक्षार्थियों के लिए वृहद एवं व्यवस्थित अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम चलाया जाएगा तथा यह प्रयत्न किया जाए कि इसकी गुणवत्ता किसी प्रकार से औपचारिक शिक्षा से निम्न ना हो। 11 वर्ष से 14 वर्ष तक के शिक्षार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक प्रवेश 14 आयु तक ठहराव तथा गुणात्मकता में वृद्धि की जाएगी। शारीरिक दण्ड का कोई स्थान नहीं होगा।

11. पुस्तकों की गुणवत्ता

पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार, सृजनात्मक लेखक को प्रोत्साहन, लेखक के हित की रक्षा के साथ सभी शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालय की व्यवस्था और पुस्तकालाध्यक्षों के स्तर में अपेक्षित संसोधन एवं सुधार करने पर बल।

12. ग्रामीण विश्वविद्यालय

ग्रामीण अंचलों के रूपान्तरण के लिए महात्मा गाँधी के विचारों पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय का नया पैटर्न विकसित एवं एकीकृत करने पर बल दिया जाएगा।

13. नवोदय विद्यालय

देश के प्रतिभावान बालकों को जिनमें अधिकांश ग्रामीण होंगे, तीव्रता की गति से आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाएगें। इन विद्यालयों में नवाचार की पूर्ण सुविधा उपलब्ध रहेगी।

14. माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

उच्च माध्यमिक शिक्षार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यानुभव को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके लिए सुसंगठित एवं क्रमिक कार्यक्रम, शिक्षार्थियों की रूचियों, योग्यताओं तथा स्तर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नियोजित किया जायेगा।

15. प्रौढ़ शिक्षा

निरक्षरता उन्मूलन में अध्यापकों, शिक्षार्थियों, युवाओं, स्वैच्छिक संगठनों और नियोक्ताओं से सहयोग लिया जाएगा। सघन साक्षरता कार्यक्रमों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के सामान्य एवं आश्यकता व रुचि पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने पर बल दिया जाएगा।

16. प्रौद्योगिक एवं प्रबन्ध शिक्षा

अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे और सेवा क्षेत्रों के साथ असंगठित ग्रामीण क्षेत्रों को भी उन्नत तकनीकी की आवश्यकता है। वर्तमान व उभरती प्रौद्योगिकी में सतत् शिक्षा को प्रोत्साहन देना तथा महिलाओं एवं आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग तथा विकलांगों के लाभ हेतु तकनीकी शिक्षा के उचित कार्यक्रम तैयार करना।

17. उच्च शिक्षा एवं खुला विश्वविद्यालय

उच्च शिक्षा कार्यक्रमों की मांग को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठित किया जाएगा। विश्वविद्यालय में शोध के लिए अधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 1985 में स्थापित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को समृद्ध किया जाएगा।

18. कम्प्यूटर साक्षरता

चूंकि कम्प्यूटर एक महत्वपूर्ण व आवश्यक साधन बन गया है। अतः कम्प्यूटर के उपयोग को व्यावसायिक शैक्षिक व्यवस्था का अंग बनाया जाएगा। कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रमों को विद्यालयी स्तर से वृहद पैमाने पर आयोजित किया जाए।

19. उपाधि रोजगार असम्बद्धता एवं राष्ट्रीय परीक्षण सेवा

चयनित क्षेत्रों में उपाधि को रोजगार से असम्बद्ध कर राष्ट्रीय परीक्षण सेवा जैसी उपयुक्त प्रणाली वांछित चरणों में स्थापित कर दी जाएगी जो स्वैच्छिक रूप में परीक्षण संचालित करके विशिष्ट व्यवसायों के लिए प्रत्याशियों की उपयुक्तता निर्धारित करेगी।

14.7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूलभूत विशेषताएँ

जनवरी 1985 में भारत भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा के बाद राष्ट्रव्यापी बहस पश्चात् 1986 में यह नीति लागू की गई। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 'सबके लिए शिक्षा' हमारे भौतिक व सांस्कृतिक विकास की आधारभूत आवश्यकता है। जिससे हमारे राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, स्वतंत्र चिन्तन, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का आधार तैयार होता है। शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य का एक महत्वपूर्ण बहुमूल्य साधन है। यह सिद्धान्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण की धुरी है। इस राष्ट्रीय नीति की मूलभूत विशेषताएँ इस प्रकार हैं –

1. शिक्षा को सर्वाधिक महत्व

समस्त राष्ट्र हेतु शिक्षा की एक समन्वित योजना क्रियान्वित करने का दृढ़ संकल्प लिया जाए यह नीति समाज की आकांक्षाओं व आवश्यकताओं के अनुरूप व गुणवत्ता में सुधार का अच्छा प्रयास है।

2. राष्ट्रव्यापी शिक्षा संरचना

इस नीति के माध्यम से पहली बार केन्द्र सरकार ने शिक्षा हेतु राष्ट्रव्यापी संरचना निर्मित की है जबकि इससे पहले शिक्षा का दायित्व राज्य सरकारों का होने के कारण पूरे देश की शिक्षा नीति में एकरूपता नहीं थी। इस नीति के अन्तर्गत शिक्षा 10+2+3 संरचना की सिफारिश की गयी जिसे हर राज्य ने स्वीकार किया है। इस संरचना का विभाजन इस प्रकार है–

(अ) प्राथमिक स्तर – प्रथम 5 वर्ष

(ब) उच्च प्राथमिक स्तर – 3 वर्ष

(स) हाई स्कूल – 2 वर्ष

(द) इन्टरमीडिएट – 2 वर्ष

(य) डिग्री स्तर (स्नातक) – 3 वर्ष

3. राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना

राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप पर आधारित है। जिसमें एक सामान्य केन्द्र के साथ कुछ अन्य लचीले तत्व भी होंगे।

4. शैक्षिक विषमताओं को कम करना

नई शिक्षा नीति में स्त्री शिक्षा, प्रौढ़, विकलांग शिक्षा, अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति व जनजाति शिक्षा तथा दुर्गम स्थानों पर शिक्षा आदि पक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नवीन विद्यालयों व अधिक सुविधाओं को अनेक प्रावधान दिए गए है।

5. प्रभावकारी शैक्षिक व्यवस्था

इसको तीन भागों में रखा जा सकता है–

(i) शिक्षकों को अधिक वेतन व सुविधाएँ।

(ii) छात्रों के बेहतर व अधिक अध्ययन सुविधाएँ।

(iii) विद्यालय संस्थानों को प्राथमिक सुविधाओं की व्यवस्था।

6. शैक्षिक अपव्यय समाप्त करने की व्यवस्था

(i) छात्रों को अनुतीर्ण न करना।

(ii) मूल्यांकन सम्पूर्ण वर्ष में निश्चित समयान्तराल पर करना।

(iii) विद्यालय की व्यवस्था छात्रों की सुविधानुसार करना, इसके प्रमुख बिन्दु है।

7. ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड

अध्यापन सुविधाओं के विस्तार हेतु प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 2 अध्यापक, 2 बड़े कमरे, श्यामपट्ट, नक्शे, चार्ट, शिक्षणोपयोगी खेल सामग्री व अन्य शिक्षण–सामग्री की व्यवस्था कराई जाएगी।

8. नवोदय विद्यालय

नवोदय विद्यालय पूरे देश में विद्यालय सुधार कार्यक्रम में प्रेरणा का काम करेंगे। इनमें नवीनतम शिक्षण विधियों का उपयोग व अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण का प्रावधान है।

9. व्यावसायिक शिक्षा

स्वरोजगार के प्रति दृष्टिकोण के विकास तथा बेरोजगारी को कम करने हेतु सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध होगा।

10. मुक्त विद्यालयों की स्थापना

छात्रों की बढ़ती संख्या के साथ–साथ विद्यालय प्रवेश की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसे हल करने के लिए मुक्त विद्यालयों की स्थापना की जा रही है।

11. डिग्री की नौकरी से असम्बद्धता

इस नीति की एक विशेषता डिग्री को नौकरी से अलग करने का भी है। क्रमिक रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षण सेवा प्रारम्भ की जाएगी जिससे प्रत्याशियों की उपयुक्तता की परख हो सकेगी।

12. शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन

शैक्षिक प्रगति व समय–समय पर उभरने वाली प्रवृत्तियों की जाँच करने के लिए मध्यावधि मूल्यांकन की व्यवस्था भी रहेगी। इस प्रकार उपरोक्त विशेषताओं का विवरण यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 वर्तमान शैक्षिक आवश्यकता के सन्दर्भ में अत्यन्त सटीक व प्रभावपूर्ण है। इसके क्रियान्वयन से देश के विकास को सही दिशा व उचित गति प्रदान की जा सकती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि इसे सही तरीके से व पूर्ण इमानदारी के साथ लागू व क्रियान्वित किया जाए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर के मिलान इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से कीजिए।

01. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत कितने कार्यदल गठित किये गये?

....

....

02. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य उद्देश्य क्या थे ?

....
....

03. ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को परिभाषित कीजिये ?

....
....

04. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 कब लागू की गयी ?

....
....

05. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई ?

....
....

14.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आवश्यकता

वह नीति जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाती है। मानव रूपी बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के विकास पर ही राष्ट्र की प्रगति अवलम्बित है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास से अनेक समस्याएँ व अपेक्षाएँ जुड़ी हुई है तथा विकास की इस जटिलता में प्रारम्भिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा की भूमिका एक उत्प्रेरक की तरह व गत्यात्मक होती है, जिसे सुनियोजित करना व संवेदनशील व क्रियाशील बनाना जरूरी होता है। जीवन की लगातार जटिलतर होती जा रही तनावपूर्ण परिस्थितियों तथा व्यक्ति को नए वातावरण में लाभान्वित करने के प्रयास हेतु मानव संसाधन के विकास की रूपरेखा बनानी आवश्यक है। इन्हीं चुनौतियों का सामना करने हेतु तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं आदर्शों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राष्ट्र अपने विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु नीतियों का निर्धारण करता है। नीति राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त कराने का एक महत्वपूर्ण साधन होने के कारण हमें शिक्षा की निश्चित नीति का निर्धारण करने की आवश्यकता है।

अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तात्पर्य शिक्षा के उन सिद्धान्तों तथा नीतियों के निर्धारण से है जिस आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है। शिक्षा आयोग का यह कथन भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता का अनुभव कराता है– शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक सुधार यह है कि इसको परिवर्तित करके व्यक्तियों के जीवन आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से इसका सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया जाए और इस प्रकार इसको सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन बनाया जाये जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक है।

14.9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यक्रम का क्षेत्र

शिक्षा एक सतत् प्रक्रिया होने के कारण निरन्तर विकसित होती रहती है तथा उसका प्रसार क्षेत्र लगातार बढ़ता रहा है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को स्पष्ट करने व कायम रखने, समकालीन चुनौतियों का सामना करने व राष्ट्रीय जीवन के संवर्धन के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1964–66 का राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम था। इस पर अमल होना भी शुरू हो गया था। कई प्रान्तों ने

अपने–अपने ढंग से 10+2+3 की शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी थी। त्रिभाषा सूत्र प्रान्तों में कृषि, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक शोधों के लिये विशेष प्रावधान किये जाने लगे थे तथा शिक्षा में सुधार हेतु अन्य कार्य भी शुरू कर दिये गये थे।

परन्तु 1977 में केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनने पर 10+2+3 शिक्षा संरचना के स्थान पर 8+4+3 शिक्षा संरचना का विचार आया। जिसके परिणाम स्वरूप कुछ शिक्षाविदों व सांसदों के सहयोग से तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रताप चन्द्र ने एक नई शिक्षा नीति 1979 की घोषणा कर दी। इसे अभी लागू भी नहीं किया गया था कि 1980 में केन्द्र में पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गई व पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 के अनुपालन पर जोर दिया।

परन्तु इसी बीच इन्दिरा गाँधी जी की हत्या के बाद राजीव गाँधी के प्रधानमंत्री बनने पर हर क्षेत्र में आन्दोलनकारी कदम उठाने के प्रयास में शिक्षा के पुनर्निरीक्षण व पुनगर्ठन प्रक्रिया में तात्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराकर इसे शिक्षा के चुनौती नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य नामक दस्तावेज 1985 अगस्त में प्रकाशित कराया गया। जिसमें भारतीय शिक्षा की 1951 से 1985 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण, उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण करते हुए उसके गुण दोषों का सम्यक विवेचन किया गया है। इस दस्तावेज पर विश्वव्यापी बहस शुरू हुई और सभी प्रान्तों के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए। केन्द्रीय सरकार ने इन सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और इसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया। संसद में प्रस्तुत करने के बाद इसे मई 1986 में पास कराया गया।

यह भारत की पहली ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ उसके कार्यान्वयन की पूरी योजना प्रस्तुत गई है और साथ ही इसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए गए है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मे शिक्षा सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराती है। शिक्षा वास्तव में सभी के लिए है। यह बहुमुँखी विकास पर आधारित है। शिक्षा का एक कार्य संस्कृति संक्रमण है। यह शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा के एक समान शैक्षिक संरचना पर विचार करती है। यह नीति अवसर की समानता को ही नहीं बल्कि सफलता एवं सुलभता की शर्तों के लिए भी बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाने की बात कही गई है। शिक्षा प्रदान करने का माध्यम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में विभाजित कर दिया गया।

14.10 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के त्रिभाषा सूत्र

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन सम्बन्धी निम्न प्रावधान किये गये–

त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत हिन्दी भाषी क्षेत्रों में निम्न भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था की गई है।

1. हिन्दी
2. अंग्रेजी
3. एक आधुनिक भारतीय भाषा इसमें दक्षिण भारत की भाषा को वरीयता।

इसी प्रकार दक्षिण भारत में निम्न भाषाओं के अध्ययन की सुविधा है–

1. क्षेत्रीय भाषा
2. अंग्रेजी
3. हिन्दी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में त्रिभाषा सूत्र के लागू किये जाने से उत्पन्न निम्न विसंगतियों का उल्लेख किया है–

1. कुछ प्रदेशों में आधुनिक भारतीय भाषा के स्थान पर शास्त्रीय भाषा की व्यवस्था की है। हिन्दी भाषा क्षेत्रों में संस्कृत भाषा का प्रावधान है।
2. माध्यमिक स्तर पर तीनों भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य न होना।

3. विभिन्न भाषाओं में भाषायी योग्यता का न्यूनतम स्तर स्पष्ट न होना। भाषाओं के अध्ययन का सुझाव तो दिया लेकिन यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उस भाषा का ज्ञान किस स्तर तक करवाया जाये।

4. हिन्दी भाषा क्षेत्रों में दक्षिण भारत की भाषाओं के शिक्षण की असुविधा विद्यमान है। दक्षिण भारत की भाषाओं को पढ़ने के लिए योग्य शिक्षक नहीं मिलते है और जो मिलते हैं उनको हिन्दी का ज्ञान न होने से वार्तालाप करने में असमर्थ रहते है।

5. देश के सभी प्रदेशों में तीन भाषाओं के अध्ययन में असमानता है। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र लागू करने के लिए निम्नलिखित कार्य योजना पर अमल करने का सुझाव दिया–

   (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा अहिन्दी भाषा क्षेत्रों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। हिन्दी भाषा के ऐसे शिक्षक तैयार किये जाये जिनको दक्षिण की कम से कम एक भाषा का ज्ञान हो।

   (ii) सन् 1978–79 तक प्रचलित हिन्दी शिक्षक नियुक्ति को शत–प्रतिशत अनुदान प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाये।

   (iii) हिन्दी व अन्य भाषाओं के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के साथ पहले से विद्यमान संस्थानों को मजबूत किया जाये।

   (iv) अहिन्दी भाषा क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षक नियुक्ति प्रणाली के समान हिन्दी भाषा क्षेत्रों में आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति प्रणाली प्रारम्भ की जाये।

   (v) भाषा संस्थानों को कम्प्यूटर एवं नवीन सम्प्रेषण तकनीक से समृद्ध किया जाये।

   (vi) भाषा संस्थानों में शिक्षण विधियों में शोध तथा परिणामों को प्रयोग में लाने के लिए उत्साहित किया जाये।

   (vii) त्रिभाषा सूत्र को अनिवार्य रूप से लागू करने वाले राज्यों को केन्द्र सरकार अनुदान दे।

14.11 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदम

नई शिक्षा नीति 1986 का गठन शिक्षा की चुनौतियों के रूप में किया गया था। अतः इसका भारत की शिक्षा व्यवस्था पर पर्याप्त स्थायी एवं व्यापक प्रभाव पड़ा है। जिसके कारण संभवतः उसके द्वारा उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक कदम है। शिक्षा में योगदान देने वाले ये महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं–

1. 10+2+3 शिक्षा विद्यालय
2. नवोदय संकुल
3. विद्यालय संकुल
4. सर्व शिक्षा अभियान
5. शैक्षिक अवसरों की समानता
6. ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड
7. दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त विश्विद्यालय
8. उपधि को सेवा से अलग करना
9. शिक्षक प्रशिक्षण
10. शिक्षक की जवाबदेही

14.12 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य बिन्दु जिनके द्वारा शैक्षिक व्यवस्था में परिवर्तन

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार सम्पूर्ण देश में एक शिक्षा व्यवस्था का अपनाते हुए 10+2+3 प्रणाली को अपनाया गया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा देश के लगभग 90% लोगों को प्राप्त है तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा में गणित व विज्ञान विषय को अनिवार्य कर दिया गया।

इस शिक्षा नीति को 12 भागों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक भाग का सम्बन्ध किसी न किसी विषय क्षेत्र से है –

1. पहले भाग का नाम भूमिका है।
2. द्वितीय भाग का नाम शिक्षा का सार व उद्देश्य है।
3. तीसरे भाग का नाम राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है।
4. चौथे भाग का नाम समानता के लिए शिक्षा है।
5. पांचवें भाग में सभी स्तरों में शिक्षा का पुनर्गठन।
6. छठें भाग में शिक्षा का प्रबन्ध व तकनीकी।
7. सातवें भाग में शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना।
8. आठवें भाग में शिक्षा व विषय–वस्तु को नया मोड़ देना।
9. नवें भाग में शिक्षक व उसकी भूमिका।
10. दसवें भाग में शिक्षा का प्रबन्ध।
11. ग्यारहवें भाग में संसाधन एवं समीक्षा।
12. बारहवें भाग में भविष्य।

बोध प्रश्न

टिप्पणी–

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर के मिलान इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से कीजिए।

06. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से क्या आशय है ?

....

....

07. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्यों आवश्यक है ?

....

....

08. NEP का पूरा नाम लिखिए ?

....

....

09. 10+2+3 शिक्षा प्रणाली का क्या अर्थ है ?

....
....

10. त्रिभाषा सूत्र से क्या आशय है? और त्रिभाषा सूत्र किन भाषा से सम्बन्धित है ?

....
....

14.13 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्य योजना 1992 के मूल तत्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किए गए संशोधनों और उसकी कार्य योजना 1992 का विस्तृत अवलोकन किया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि 1986 की नीति के मूल तत्वों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, केवल कुछ तत्वों का विस्तार किया गया था। यहाँ सम्पूर्ण पक्षों का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत है–

- 1 से 5 मूल तत्व जिसमें शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण, शिक्षा की व्यवस्था हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था, संपूर्ण देश में 10 + 2 + 3 की शैक्षिक संरचना, विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था आदि बिन्दुओं में कोई संशोधन नहीं किया गया।
- उपर्युक्त वर्णित मूल तत्वों के उपरांत संख्या 6 में अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को 1995 से बढ़ाकर 2000 तक प्राप्त करने की योजना बनाई गई थी और इस योजना के लिए एक किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक विद्यालय और 2–3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की योजना बनाई गई। साथ ही, ब्लैक बोर्ड योजना के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भी स्थिति सुधारने पर जोर दिया गया। इसके अलावा, गैर–औपचारिक शिक्षा व्यवस्था को व्यापक बनाने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षा केन्द्रों को केंद्र सरकार से शत–प्रतिशत आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की भी बात की गई।
- संख्या 7 पर वर्णित मूल तत्व जिसमें माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की बात की गई थी में पहला संशोधन यह प्रस्तावित किया गया है कि .2 को स्कूली शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए, दूसरा संशोधन यह कि .2 स्तर पर लड़कियों और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों को वाणिज्य, विज्ञान, और व्यावसायिक शिक्षा में लाने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाए तथा तीसरे संशोधन में यह स्पष्ट किया गया कि इस स्तर पर शैक्षिक तकनीकी को उपयोग में लाया जाए।
- संख्या 8 में वर्णित मूल तत्व जिसमें उच्च शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन की बात की गई में केवल एक संशोधन किया गया कि नए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना केवल आवश्यकता पड़ने पर ही की जाए।
- संख्या 9 में वर्णित मूल तत्व जिसमें तकनीकी एवं प्रबन्धन शिक्षा में सुधार की बात की गई थी उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबद्ध, 1992 में किए गए संशोधन और उनकी कार्य योजना मूल रूप से 1986 की नीति का विस्तार ही था। इसलिए, इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के बजाय संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ही कहना उचित होगा।

14.14 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन

किसी भी क्रिया का मूल्यांकन कुछ पूर्वनिर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। यह सर्वविदित है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए इससे संबंधित किसी भी पक्ष का मूल्यांकन समाज के लिए उसकी उपयोगिता और उसकी तत्कालीन एवं भविष्योन्मुख आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता के आधार पर किया

जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसका संशोधित रूप (1992) लागू हुए काफी समय बीत चुका है। हालांकि, इसे अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग स्तर पर लागू किया गया है। अब इसके परिणाम हमारे सामने हैं इसलिए, हम इसका मूल्यांकन पूर्वनिर्धारित मानदंडों पर कर सकते हैं, इन मानदंडों पर विचार करने पर इस शिक्षा नीति के निम्नलिखित गुण–दोष सामने आते हैं–

नीति के सकारात्मक प्रभाव :–

शिक्षा बजट में वृद्धि : केंद्र और राज्यों सरकारों द्वारा शिक्षा बजट में वृद्धि किया गया।

शैक्षिक का संरचना : 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू की गई। 1968 में घोषित 10̣23 शिक्षा संरचना को पूरे देश में लागू करने पर बल दिया गया। पहले 10 वर्षों के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम और +2 में क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम बनाने पर जोर दिया गया। ऐसा निर्देश दिया गया कि उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए जाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों को समान महत्व दिया गया।

शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विशय घोशित किया जाना :

1986 में शिक्षा को पहली बार राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। 1968 में भी शिक्षा को महत्व दिया गया था, 6% बजट का प्रावधान था, लेकिन 1986 में इसे उत्तम निवेश माना गया और 6% बजट सुनिश्चित किया गया तथा 2000 में 4% खर्च भी हुआ।

कार्य योजना और वित्त :

यह पहली शिक्षा नीति थी जिसके क्रियान्वयन के लिए विस्तृत कार्य योजना और वित्तीय व्यवस्था बनाई गई थी।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा : शिशुओं की देखभाल, पोषण और शिक्षा के लिए योजनाएं चलाई गईं।

प्रौढ़ शिक्षा : प्रौढ़ शिक्षा और सतत् शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया।

समान शिक्षा : महिला शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा में विस्तार हुआ।

प्राथमिक शिक्षा :

प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त बनाने पर जोर दिया गया। 'ब्लैक बोर्ड योजना' के तहत 65ः प्राथमिक विद्यालयों में सुधार किया गया। 1,38,509 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षण अधिगम सामग्री के क्रय के लिए 40 हजार की धनराशि प्रस्तावित की गयी। 1,49,146 द्वितीय शिक्षक और 85,045 तृतीय शिक्षक नियुक्त किए गए।

माध्यमिक शिक्षा :

गति निर्धारक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई। 446 जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए।

उच्च शिक्षा :

मुक्त एवं दूरस्थ विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई। दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और प्रबंध शिक्षा के विकास पर ध्यान दिया गया।

तकनीकी शिक्षा :

किसी भी स्तर पर तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाने पर बल दिया गया। तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की दशा सुधारने पर बल दिया गया। 'राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद' के निर्देशानुसार इसमें सुधार हुआ।

शिक्षक :

शिक्षकों के स्तर और उनके प्रशिक्षण में सुधार पर बल दिया गया। प्रत्येक जिले में 'जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान' (DIETs) स्थापित किए गए। कुछ उच्च स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को शिक्षक शिक्षा केन्द्रों (CTEs) और शिक्षा उच्च्च अध्ययन केन्द्रों (CASEs) में सम्मुनत किया गया। 'राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद' (NCTE) को अधिक अधिकार दिए गए।

परीक्षा :

परीक्षा को विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ बनाने और सतत मूल्यांकन पर बल दिया गया। परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली में सुधार हुआ।

प्रमुख योजनाएं और उनका क्रियान्वयन :

जैसा कि पहले भी यह कहा जा चुका है कि यह पहली शिक्षा नीति थी जिसमें योजना बनाई गई थी और उसके क्रियान्वयन के लिए ठोस सुझाव दिए गए थे। 'न्यूनतम अधिगम मानक' (Minimum Learning Standard) बनाकर शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने पर बल दिया गया। शिक्षकों, शिक्षा प्रशासकों और छात्रों की जवाबदेही निश्चित की गई। शिक्षा योजना की सफलता के लिए सभी का योगदान जरूरी माना गया।

शैक्षिक अवसरों में समानता :

शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्ति पर जोर दिया गया। जिसके लिए ठोस कदम उठाए गए और वित्तीय व्यवस्था भी की गई।

नीति के नकारात्मक प्रभाव :

6% बजट का लक्ष्य :

शिक्षा पर 6% बजट का लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हुआ है।

पाठ्यक्रम :

10 साल की आधारभूत पाठ्चर्या अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है।

उच्च शिक्षा का स्तर :

उच्च शिक्षा का प्रसार हुआ है, लेकिन उसके स्तर में गिरावट आई है।

व्यावसायिक शिक्षा :

+2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है।

केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिकाएं अनिश्चित :

1986 और 1992 की शिक्षा नीतियों में केंद्र और राज्य सरकारों के शैक्षिक अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने के बावजूद, यह नहीं बताया गया कि कौन सी योजनाओं के लिए कौन जिम्मेदार होगा। परिणमस्वरूप, केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित योजनाओं को छोड़कर, राज्य सरकारें अमूमन आंशिक रूप से वित्तपोषित योजनाओं को लागू करने में विफल रही हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में शिक्षा व्यवस्था में असमानता है।

शिक्षा संस्थाओं में जनसहयोग :

नीति ने शिक्षा संस्थाओं में अभिभावक समितियों के माध्यम से जनसहयोग को प्रोत्साहित किया। यद्यपि कि कई मामलों में, अभिभावकों से प्रवेश के समय ''जनसहयोग'' के नाम पर भारी शुल्क भी लिया जाता है, जो शोषण के समान है।

10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यक्रम का अभाव :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने पहले 10 वर्षों के लिए एक आधारभूत पाठ्यक्रम लागू करने पर बल दिया।

1975 में NCERT द्वारा विकसित और 1988 और 2000 में संशोधित, इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में समान शिक्षा प्रदान करना था इसके उपरांत भी प्रत्येक राज्य ने अपना अलग पाठ्यक्रम लागू किया है। केंद्र सरकार राज्यों पर मनमानी का आरोप लगाती है, जबकि राज्य सरकारें केंद्र द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधा डालने का आरोप लगाते हैं।

ब्लैक बोर्ड योजना और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अनुदान :

प्राथमिक विद्यालयों के भवन, फर्नीचर और सामग्री निम्न गुणवत्ता वाले थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दिए गए 40–40 हजार रुपये का उपयोग समुचित ढंग से नहीं किया गया।

नवोदय विद्यालय :

नवोदय विद्यालय खोलने का उद्‌देश्य पिछड़े क्षेत्रों, वर्गों और जातियों के बच्चों के लिए अवसर प्रदान करने का उद्देश्य था परंतु इसके विपरीत प्रवेश में भ्रष्टाचार होता है तथा पात्रता के आधार पर प्रवेश भी कम होता है। नवोदय विद्यालयों की स्थापना तथा संचालन पर खर्च अधिक हुआ जिसका अपेक्षित लाभ अत्यंत निम्न है अतः इस खर्च को यदि माध्यमिक विद्यालयों के सुधार में निवेश किया जाता तो शायद समुचित राशि का बेहतर उपयोग किया जा सकता था।

+2 व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम :

संसाधनों और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी रही। अपूर्ण और अनुपयोगी पाठ्‌यक्रम भी रहे।

उच्च शिक्षा :

प्रवेश पर नियंत्रण और अवसरों में वृद्धि के बीच विरोधाभास रहा। मुक्त विश्वविद्यालयों और पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से अवसरों का विस्तार तो हुआ परन्तु अयोग्य छात्रों, अराजक तत्वों का प्रवेश बढ़ा। उच्च शिक्षा संस्थान उपाधि वितरण के कारखाने बन गए।

1992 में उच्च शिक्षा को स्ववित्तपोषित बनाना :

शिक्षा का निजीकरण करने से शोषण में वृद्धि हुई तथा निर्धनों की उच्च शिक्षा तक पहुंच कम हुई।

आंतरिक मूल्यांकन का दुरुपयोग :

नीति ने आंतरिक मूल्यांकन पर बल दिया। जहां यह व्यवस्था लागू किया गया, वहां इसका दुरुपयोग ही हुआ।

14.15 1992 कार्य योजना का मूल्यांकन : एक समीक्षा

1992 की कार्य योजना 1986 की कार्य योजना का ही संशोधित रूप है। इसमें कुछ शीर्षकों का क्रम बदला गया है और भाषा में थोड़ा बदलाव किया गया है। यह कार्य योजना केवल एक समीक्षा समिति का काम थी, जिसका उद्देश्य 1986 की शिक्षा नीति और राममूर्ति समिति की रिपोर्ट का मूल्यांकन करना था। इसलिए, इससे शिक्षा व्यवस्था में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं थी। इसके बावजूद, इस समिति ने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए।

14.16 कार्य योजना के कुछ महत्वपूर्ण पहलू

उपेक्षित वर्गों, महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों, वयस्कों और बच्चों के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। जिसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर 'ब्लैकबोर्ड' योजना सम्मिलित है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया गया।

बोध प्रश्न

टिप्पणी–

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर के मिलान इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से कीजिए।

11. संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का सकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा ?

....

....

12. संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कोई दो नकारात्मक प्रभाव बताइये।

....

....

14.17 सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू करने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने एक कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार किया जिसमे 23 कार्य दलों का गठन किया गया था जिसमें ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्, विषय विशेषज्ञ तथा वरिश्ठ सरकारी अधिकारी शामिल थे। इन्होंने शिक्षा नीति पर अपने विचार प्रस्तुत कर सभी राज्यों में यह नीति लागू की। शिक्षा नीति द्वारा आर्थिक स्थिति में कमजोर होने पर भी प्रतिभावान बच्चों की शैक्षिक प्रगति में तेजी लाने का प्रयास किया गया। इन्होंने 10+2+3 पैटर्न पर जोर दिया। इसमें नारी शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा पर जोर दिया गया इसके साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा स्तर में बदलाव को लेकर था और देश को ऐसी शिक्षा नीति देनी थी जो आधुनिकीकरण लेकर आए। इस शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक शिक्षा के गुणों को प्रमुख स्थान दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को छात्रों के वास्तविक जीवन से जोड़ा गया है। समाज की वास्तविक आवश्यकताओं का अध्ययन कर छात्रों को समाज के लिए तैयार करने हेतु छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने की योजनाओं को प्रमुख सीान दिया गया है। इसके अन्तर्गत छात्रों को तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया। जिससे वह भावी जीवन के लिए जीविकोपार्जन हेतु तैयार हो सके।

14.18 अभ्यास के प्रश्न

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अर्थ बताते हुए उसके उद्देश्य और विशेषताओं का विवेचन कीजिए।
2. संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्य योजना 1992 के मूल तत्वों की व्याख्या कीजिए।
3. कार्य योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कीजिए।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आवश्यकता एवं कार्यक्रम में क्षेत्र की विवेचना कीजिए।

14.19 चर्चा के बिन्दु

1) कार्यान्वयन कार्यक्रम की रूपरेखा पर वस्तृत चर्चा कीजिए।
2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 1992 में निहित विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा कीजिए।

14.20 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. 23 कार्यदल
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारतीय शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए और शिक्षा व्यवस्था को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाने के लिए बनाई गई थी। जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा

नीति 1968 के दोशों को दूर करना तथा भारतीय शिक्षा संरचना को और अधिक दुरुस्त करना था एवं छात्रों के व्यावहारिक पक्ष एवं शारीरिक पक्ष पर बल देते हुए शिक्षा के द्वारा सर्वांगीण विकास करना था।

3. ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड– सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मूलभूत सामग्री उपलब्ध कराना था। जिसमें 2 अध्यापक, 2 बड़े कमरे, श्यामपट्ट, नक्शे, चार्ट, शिक्षणोपयोगी खेल सामग्री व अन्य शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना।

4. मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई।

5. 1985

6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए गए है। शिक्षा प्रदान करने का माध्यम मातृभाशा और क्षेत्रीय भाशा है। शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में विभाजित किया गया है। इस शिक्षा नीति के तहत सभी शिक्षा के स्तर हेतु पाठ्यक्रम के योजना के निर्माण की तैयारी भी की गई।

7. स्कूल और उच्च शिक्षा में छात्रों की मदद कर उनमें आवश्यक सुधार करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य आवश्यकता है।

8. New Education policy (नई शिक्षा नीति)।

9. 10+2+3 शिक्षा प्रणाली का अर्थ है – 10वीं और 12वीं कक्षा तथा अन्त में ग्रेजुएशन।

10. त्रिभाशा सूत्र भारत में भाशा–शिक्षण से सम्बन्धित नीति है जो भारत सरकार द्वारा राज्यों से विचार विमर्श करके बनायी गई है। त्रिभाशा सूत्र तीन भाशाएँ हिन्दी, अंग्रेजी और सम्बन्धित राज्यों की क्षेत्रीय भाशा से सम्बन्धित है।

11. संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का सकारात्मक प्रभाव निम्न विन्दुओं दिखायी पड़ता है–

- शैक्षिक संरचना।
- शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जाना।
- कार्य योजना और वित्त।
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा।
- माध्यमिक शिक्षा आदि

12 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दो नकारात्मक प्रभाव निम्न है–

. केन्द्र और राज्य सरकारों की भूमिकाएं अनिश्चित।

शिक्षा संस्थाओं में जनसहयोग के नाम पर शुल्क लिया जाना।

14.21 कुछ उपयोगी पुस्तके

- गुप्ता एस० पी० (2009): भारतीय शिक्षा का इतिहास ,विकास एवं समस्याएं, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन पब्लिशर्स।

- सारस्वत मालती, सिन्हा नीता एवं मदन मोहन (2013): भारत में शिक्षा प्रणालियों का विकास, इलाहाबाद : न्यू कैलाश प्रकाशन।
- पाठक, पी० डी० एवं त्यागी गुरुसरन दास (2019): भारतीय शिक्षा का इतिहास, मेरठ : अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
- अग्रवाल, सौरभ (2020): भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास, आगरा : एस. बी. पी. डी. पब्लिसिंग हाऊस।
- पाराशर, मधु एवं दीपा (2021): भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास, आगरा : एस. बी. पी. डी. पब्लिसिंग हाऊस।

इकाई–15 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

इकाई की संरचना

15.1 प्रस्तावना

15.2 इकाई के उद्देश्य

15.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के लक्ष्य एवं उद्देश्य

15.4 कार्य–योजना

15.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का क्रियान्वयन

15.6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की आवश्यकता

15.7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की विशेषताएं

15.8 कार्यान्वयन योजना

15.9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत पहल

15.10 राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की अहम बातें

15.11 राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में शिक्षा के डिजिटलाइजेषन सम्बन्धी प्रावधान

15.12 राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 द्वारा प्रस्तावित शैक्षिक संरचना

15.13 सारांश

15.14 अभ्यास के प्रश्न

15.15 चर्चा के बिन्दु

15.16 बोध प्रश्नों के उत्तर

15.17 कुछ उपयोगी पुस्तकें

15.1 प्रस्तावना

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास तथा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। अगले दशक तक भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। सन् 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने का लक्ष्य है। भारत एक विकसित देश बनने के साथ–साथ दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। शिक्षा में विषय–वस्तु को पढ़ाने की जगह इस बात पर अधिक जोर होने की जरूरत है कि बच्चे समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अन्तर सम्बन्धों को देख पायें, कुछ नया सोच पाएं और नई जानकारी को नए तथा बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला सकें।

सन् 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो कि किसी से पीछे न रहे। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से सम्बन्ध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है।

किसी देश की उन्नति का आधार उस देश की शिक्षा नीति होती है। भारत में चौंतीस वर्ष बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई है। नई शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया। समय के साथ–साथ शिक्षा नीति में परिवर्तन भी आवश्यक होता है ताकि देश की उन्नति तेजी से हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव कर आने वाली पीढियों को मानसिक और बौद्धिक स्तर पर और अधिक प्रबल करना है जिससे की हमारा देश तेजी से तरक्की कर सके। क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार होता है, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए समय के साथ–साथ नई शिक्षा नीति को लागू करना भी आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है।

15.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि –

1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य एवं उद्देश्यों से परिचित हो सकेंगे।
2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्ययोजना समझ सकेंगे।
3) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्वयन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे।
4) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख आवश्यकाताओं एवं विशेषताओं को परिभाषित कर सकेंगे।
5) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किये गये पहल से परिचित हो सकेंगे।
6) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य संरचना को व्याख्यायित कर सकेंगे।

15.3 नई शिक्षा नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्य

एन.ई.पी. 2020 यानि नई शिक्षा नीति (New Education Policy) 2020, 5+3+3+4 शैक्षिक संरचना सूत्र पर आधारित है। नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 में पूर्व प्राथमिक (Pre-Primary) यानि Play School की शिक्षा को जोड़ा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत 3 साल की उम्र से ही बच्चे स्कूल जाएंगे। तीन वर्ष में बच्चे का स्कूल में दाखिला Pre-Primary कक्षा में होगा और तीन साल तक पूर्व प्राथमिक स्कूल या प्ले स्कूल की शिक्षा दी जाएगी। तीन साल के बाद 6 वर्ष की उम्र में बच्चा कक्षा 1 में प्रवेश करेगा।

पुरानी शिक्षा नीति के तहत 6 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूल में दाखिल किया जाता है उसमें बदलाव किया गया। नई शिक्षा नीति के तहत 3 वर्ष की आयु में दाखिल किया जाएगा। जिसमें बच्चों को प्ले स्कूल की तरह खेल–खेल में शिक्षा दिया जाएगा। विद्यालय में बच्चों को किताब–कॉपी नहीं लेकर जाना होगा, इससे बच्चों को बस्ता का वजन भी नहीं ढ़ोना पड़ेगा।

नई शिक्षा नीति 2020 के तहत हाई स्कूल (10+2) की संकाय (Stream) प्रणाली को समाप्त कर दी गयी अब से विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी या अर्थशास्त्र (Science, Mathematics, History, Geography, English or Economics) में से किसी भी विषय (Subject) में हाई स्कूल की पढ़ाई कर सकते हैं। NEP 2020 के तहत एम. फिल. (M.Phil.) डिग्री को समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत करना।
2. पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा (Local Language) में उपलब्ध करवाना।
3. मातृ भाषा (Mother Tongue) को कक्षा 8 और उससे आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देना।

4. एन.ई.पी. 2020 के तहत 3–18 आयु वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, RTE 2009 के अंतर्गत रखा जाना।
5. NEP 2020 का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है।
6. 2025 तक पूर्व–प्राथमिक शिक्षा (3–6 आयु वर्ष के बच्चों की शिक्षा) को सार्वभौमिक बनाना।
7. शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा जाना।
8. देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए 'भारतीय उच्च शिक्षा परिषद्' नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना।
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान' पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग के अनुरूप 'निपुण भारत मिशन' संचालित किया जाना।
10. राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1–3 आयु वर्ष तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार किया जाना।

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत के युवाओं को समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह भारत की 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जो कि योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू की जा रही है।

भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाया जाये और भारत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च किया जाए। इस नई नीति से पुरानी शिक्षा नीति को बदल दिया गया है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपना जीवन उज्जवल बना पाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में तकनीकी तथा रचनात्मकता के साथ–साथ शिक्षा के महत्व को समझना तथा उन्हें अपने आने वाले कल के लिए पूर्ण रूप से तैयार करना जिससे उनके अन्दर सशक्तिकरण व मनोबल बना रहे। इसके अतिरिक्त अन्य उपायों की भी चर्चा की गयी है जो निम्नलिखित है–

- बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना।
- शिक्षा को लचीला बनाना।
- बच्चों को अनुशासन सिखाना और उनका सशक्तिकरण करना।
- शिक्षा नीतियों को पारदर्शी बनाना।
- मूल्यांकन पर जोर देना।
- खुली शिक्षा प्रणाली (Open Education System) में निवेश (Invest) करना।
- बच्चों की सोच को सृजनशील करना।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विकसित करना।
- शोध पर अधिक ध्यान देना।
- एक साथ कई भाषाओं पर ध्यान केन्द्रित करना।
- प्रत्येक बच्चे की क्षमता की पहचान एवं समता का विकास करना।

15.4 कार्य योजना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारत में 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। NEP 2020 की कार्ययोजना में प्री–प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की स्कूली शिक्षा को सम्मिलित करना है। आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। NEP 2020 के माध्यम से भारतीय शिक्षा परिदृश्य में बड़े बदलावों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। हालांकि, इसकी सफलता प्रधानमन्त्री और शिक्षा मंत्री से लेकर अन्य सभी हितधारकों द्वारा इसके कार्यान्वयन के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी।

नई शिक्षा नीति में वर्ष 5+3+3+4 के तहत शैक्षिक ढांचे तथा पाठ्यक्रम को बाँटा गया। नई शिक्षा नीति में 10+2 के पाठ्यक्रम को समाप्त करके अब 5+3+3+4 मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें पहले 5 साल के अध्ययन को फाउण्डेशन स्टेज के रूप में माना जाता है। इसके साथ ही अब कक्षा 9वीं में ही विषय चयन करने का विकल्प भी दिया जाएगा और साथ ही प्रारंम्भिक परीक्षा में मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। नई शिक्षा नीति की पाठ्यक्रम संरचना 5+3+3+4 को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है–

1. **पूर्व प्राथमिक वर्ग**– इसमें तीन वर्ष से आठ वर्ष तक के बच्चे सम्मिलित होंगे, जिन्हें बुनियादी शिक्षा दी जाएगी। नर्सरी, के.जी. तथा यू.के.जी. में ऐसा पाठ्यक्रम रहेगा कि बच्चे खेल–खेल में पढ़ना सीख जाएँ। इसके बाद कक्षा एक और कक्षा दो की पढ़ाई कराई जाएगी।
2. **प्राथमिक वर्ग**– इस वर्ग में आठ से ग्यारह वर्ष के बालक तीसरी, चौथी तथा पाँचवीं की पढ़ाई करेंगे। इसमें प्रयोगों के द्वारा गणित, विज्ञान और कला की शिक्षा दी जाएगी।
3. **माध्यमिक वर्ग**– इसमें ग्यारह से चौदह वर्ष के बालक छठीं, सातवीं तथा आठवीं कक्षाओं में अध्ययन के साथ ही कौशल विकास तथा स्थानीय दस्तकला का ज्ञान प्राप्त करेंगे।
4. **सेकेन्डरी वर्ग**– इसमें कक्षा नौ से बारहवीं तक की पढ़ाई कराई जाएगी। जिसमें विद्यार्थियों को अपनी इच्छा के अनुसार विषय चुनने की आजादी होगी। रटने से बचकर ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया जाएगा। विद्यार्थियों को बहुविषयक जानकारी दी जाएगी।।
5. **उच्च शिक्षा**– स्नातक शिक्षा चार वर्ष का होगी। छात्र तकनीकी शिक्षण के साथ कला तथा मानविकी की पढ़ाई भी कर सकेंगे। चिकित्सा, इंजीनियरिंग एवं विधि की शिक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थित ढंग से दी जाएगी। शोध आदि को आवश्यकताओं के अनुरूप बढ़ावा दिया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परीक्षाओं को भी आसान बनाया जाएगा। इसके अन्तर्गत कोचिंग संस्कृति को समाप्त करने के लिए मुख्य रूप से मुख्य दक्षताओं का परीक्षाओं की वर्तमान व्यावस्था को समाप्त करने के लिए किसी भी वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी।

NEP को पूर्व इसरो (1580) प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी एक समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया गया है। NEP 2020 में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ शिक्षा नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी–

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर के मिलान इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से कीजिए।

01. नई शिक्षा नीति NEP 2020 से आप क्या समझते हैं ?

....

....

02. NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

....

....

....

....

15.5 नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संदर्भ में मुख्य विचार इस प्रकार है –

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए अलग–अलग समय सीमाएं तय की गई है। क्योंकि यह नीति अगले 20 वर्षों के लिए बनाई गई है इसलिए एन.ई.पी. का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।
2. एन.ई.पी. 2020 से सम्बन्धित विभिन्न अनुशंसाओं और इसके कार्यान्वयन के लिए तय की गई रणनीतियों पर चर्चा के लिए 8 से 25 सितम्बर 2020 तक शिक्षा पर्व का आयोजन किया गया था। इसमें हितधारकों से लगभग 15 लाख सुझाव प्राप्त हुए है।
3. एन.ई.पी. 2020 के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कार्य सूचियों के साथ कार्यान्वयन योजना का एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें प्रत्येक सुझावों के अनुसार किए जाने वाले कार्यों, जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा उनके निष्पादन, इन्हें लागू करने की समय सीमा और इनके अपेक्षित परिणामों को सम्मिलित किया गया है।
4. समाज के सभी वर्गों से सुझाव आमंत्रित करके इस कार्यान्वयन योजना को यथार्थवादी, लचीला और समावेशी बनाने पर पूरा ध्यान दिया गया है। यह आशा व्यक्त किया गया है कि सभी सम्बन्धित पक्षों के सहयोग और सुझाव से तैयार की गई यह कार्यान्वयन योजना नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी और सम्बन्धित हितधारकों के बीच पर्याप्त जागरुकता और दक्षता लाकर अपनी जमीनी स्तर तक पहुंचेगी, जिससे देश में स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव आएगा।
5. एन.ई.पी. का बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपारेखा (NCF) और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में शामिल किया जाएगा। विभाग ने नई शिक्षा नीति में इसे समाहित कर सुझावों के अनुरूप कार्य किया। जो इस प्रकार है–

   - शिक्षकों के लिए 50 घन्टे के अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के सभी पहलुओं को व्यापक रूप से सम्मिलित करते हुए 4–5 घन्टे के 18 मॉड्यूल (Module) को 'दीक्षा' के तहत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन माध्यम में 'दीक्षा' मंच में 6 अक्टूबर 2020 से शुरू कर दिया गया है। अब तक इनमें 3.4 करोड़ से अधिक पाठ्यक्रमवार पंजीकरण हो चुके हैं और 23 लाख से अधिक शिक्षकों ने 2.8 करोड़ ऐसे पाठ्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।
   - 'दीक्षा' के माध्यम से ई–लर्निंग का विस्तार किया गया है।
   - विभाग के मानसिक स्वास्थ्य के स्तर पर छात्रों की सहायता के लिए 'मनोदर्पण' नामक एक पहल शुरू की है।
   - स्कूली शिक्षा के लिए, भारतीय सांकेतिक भाषा के शब्दकोष को विकसित करने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र (आई.एस.एल.आर.टी.सी.) और एन.सी.ई.आर.टी. के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

किसी भी नीति की प्रभावशीलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। ऐसे क्रियान्वयन के लिए कई निकायों द्वारा समन्वित एवं व्यवस्थित तरीके से बहुत सी पहल करनी होगी और कई कदम उठाने की जरूरत

होगी। इसलिए इस नीति के क्रियान्वयन को कई निकायों, जिनमें एम.एच.आर.डी., केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजूकेशन (CABE) केन्द्र एवं नियामक निकाय, एन.सी.ई.आर.टी., एस.सी.ई.आर.टी. स्कूल एवं उच्चतर शिक्षण संस्थान सम्मिलित हैं।

क्रियान्वय हेतु किए जाने वाले विविध उपायों के बीच परस्पर जुड़ाव का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और समीक्षा सभी पहलुओं के एक दूसरे से प्रभावी जुड़ाव से सुनिश्चित करने की दृष्टि से जरूरी होगी। इसमें कुछ ऐसे कार्यों में निवेश शामिल है (उदाहरण के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा का बुनियादी ढांचा) जो ना सिर्फ एक मजबूत नींव बनाने की दृष्टि से जरूरी है बल्कि भावी कार्यक्रमों और कार्यों के बाधारहित संचालन के लिए भी आवश्यक है।

सम्बन्ध मंत्रालयों के समन्वय से एवं उनमें परामर्श करके केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर विषयवार क्रियान्वयन विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाएगा जो इस नीति के उद्देश्यों को चरणबद्ध और स्पष्ट रूप से प्राप्त करने के लिए सिद्धान्तों के अनुसार एक विस्तृत क्रियान्वयन योजना तैयार करेंगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्यों द्वारा निर्दिष्ट टीमों के द्वारा प्रत्येक क्रियान्वयन बिन्दु के लिए रखे गए लक्ष्यों के अनुसार नीति की प्रति वर्ष समीक्षा की जाएगी और 'केब' के साथ साझा की जाएगी। 2030–40 के दशक तक सम्पूर्ण नीति क्रियान्वयन अवस्था में आ चुकी होगी और उसके बाद एक और व्यापक समीक्षा की जाएगी।

15.6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता

पहले की शिक्षा मूल रूप से सीखने और परिणाम देने पर केन्द्रित थी। विद्यार्थियों का आकलन प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता था। यह विकास के लिए एक बहु एकल दिशा वाला दृष्टिकोण था। लेकिन नई शिक्षा नीति एक बहुविषयक दृष्टिकोण की प्रासंगिकता पर केन्द्रित है जिसका उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है। नई शिक्षा नीति एक नए पाठ्यक्रम और शिक्षा की संरचना के गठन की कल्पना करती है जो छात्रों को सीखने के विभिन्न चरणों में मदद करेगी। शिक्षा को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सभी तक पहुंचाने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया जाना चाहिए। यह लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पूरा करके स्थिरता को पूरा करने की ओर होगा।

शिक्षा के सम्बन्ध में गाँधी जी का विचार था कि ''शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है।'' स्वामी विवेकानन्द जी का कहना था कि ''मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।'' अतः यह जरूरी हो जाता है कि पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन कर उसे किसी प्रकार एक नए बदलाव के रूप में रखा जाए।

बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार, नवाचार और अनुसंधान की नई तकनीकियों को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए तथा शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

यह नीति स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधारों का प्रावधान करती है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करने, मौजूदा परीक्षा प्रणाली में सुधार, प्रारम्भिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के नियामक ढांचे के पुनर्गठन पर ध्यान बढ़ाना है।

15.7 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएँ

भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है –

1) **समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा**– एन.ई.पी. 2020 का लक्ष्य छात्रों को समग्र और बहुविषय शिक्षा प्रदान करना है, जिसका अर्थ है कि उन्हें अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ–साथ कला, संगीत और खेल सहित विविध विषयों तक पहुंच प्राप्त होगी। यह दृष्टिकोण छात्रों को उनकी रचनात्मक तथा आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में सक्षम करेगा जो उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक है। यह नीति संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास सहित छात्र के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं

के विकास के महत्व को पहचानती है और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए पाठ्येत्तर गतिविधियों को पाठ्यक्रम में एकीकृत करने का प्रस्ताव करती है।

2) **शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास**– एन.ई.पी. 2020 शिक्षक–प्रशिक्षण के महत्व को पहचानना और शिक्षकों को उनके कौशल और ज्ञान को उन्नत करने के लिए निरन्तर व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव करता है। यह नीति शिक्षण पेशे में सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित और सुनिश्चित करती है जिससे छात्रों को समग्र और बहु–विषयक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए।

3) **शिक्षक शिक्षा और चिकित्सा तथा कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एकल सर्वव्यापी छात्र निकाय**– भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) मानक निर्धारण के लिए स्वतंत्र निकायों के साथ सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (एच.ई.जी.सी.), मान्यता–राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एन.ए.सी.) और विविमयन–राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद (एनएचईआरसी) का गठन।

4) सीखने, मूल्यांकन, योजना, प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के आदान–प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (एनईटीएफ) का निर्माण। शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का उचित एकीकरण।

5) केन्द्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द जीडीपी के 6 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे।

6) उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना।

7) अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना।

8) बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (MERU) की स्थापना।

9) हल्का लेकिन सख्त विनिमय।

10) सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के लिए खुली और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार।

15.8 कार्यान्वयन योजना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों (1968 और 1986 में संशोधित) की कड़ी में तीसरी और 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। एन.ई.पी. 2020 की इस कार्ययोजना में प्री–प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की स्कूली शिक्षा को शामिल करना।

- प्री–प्राइमरी स्कूल से ग्रेड 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।
- 3–6 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना।
- नई पाठ्यचर्या और शैक्षाणिक संरचना (5+3+3+4)।
- कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येत्तर गतिविधियों के बीच तथा व्यावसायिक और अकादमिक धाराओं के बीच कोई कठिन अन्तर नहीं है।
- आधारभूत साक्षारता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना।
- बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर, शिक्षा का माध्यम कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन अभिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक, घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी।
- मूल्याकंन सुधार – किसी भी स्कूल में वर्ष के दौरान दो अवसरों पर बोर्ड परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा और

सुधार के लिए एक, यदि वांछित हो।

- न्याय संगत और समावेशी शिक्षा – सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर दिया गया।
- वंचित खेलों और समूहों के लिए एक अलग लिंग समावेशन निधि और विशेष शिक्षा क्षेत्र।
- राज्य विद्यालय मानक, प्राधिकरण (एसएसएएस) की स्थापना।
- स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा का प्रदर्शन।
- कई प्रवेश/निकास विकल्पों के साथ समग्र और बहुआयामी शिक्षा।
- ड्रापआउट को कम करना और स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।
- शिक्षक सशक्तिकरण।
- प्रारम्भिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) और मूलभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता (एफ.एल. एन.) पर ध्यान केन्द्रित करना।

नई शिक्षा नीति सीखने के लिए पुस्तकों का बोझ बढ़ाने के बजाय व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ाने पर ज्यादा केन्द्रित है। छात्रों को पाठ्यक्रम के विषयों के साथ–साथ सीखने की इच्छा रखने वाले पाठ्यक्रम का चयन करने की भी स्वतंत्रता होगी, इस तरह से कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह 10+2 व्यवस्था को 5+3+3+4 संरचना के साथ बदल देता है, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री–स्कूलिंग होती है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी–

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर के मिलान इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से कीजिए।

03 एन.ई.पी. 2020 की कार्ययोजना क्या है ?

....

....

04 नई शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता क्यों हुई ?

....

....

05 नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

....

....

....

....

15.9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पहल

शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा भारत में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव के लिए राष्ट्रीय शिक्षानीति (National Education Policy- NEP) 2020 के तहत की गई पहलों पर लोकसभा में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गयी थी। जिसका विवरण इस प्रकार है–

1) **उभरते भारत के लिए पी. एम. श्री स्कूल**– पी. एम. श्री (PM SHRI) योजना का उद्देश्य न्यायसंगत, समावेशी और मनोरंजक स्कूली वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है। यह देश भर में 14500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिये सितम्बर 2022 से शुरू की गई एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। पी.एम. श्री पहल के तहत स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 630 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है।

2) **निपुण भारत**– बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल–निपुण भारत मिशन का दृष्टिकोण मूलभूत साकारता तथा संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने हेतु एक सक्षम वातावरण बनाना है ताकि प्रत्येक बच्चा 2026–27 तक ग्रेड–3 के अन्त तक पढ़ने लिखने और संख्यात्मकता में वांछित सीखने की दक्षता प्राप्त कर सके।

3) **पी.एम. ई–विद्या**– इस पहल का उद्देश्य दीक्षा जैसे विभिन्न ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रदान करके और देश भर के छात्रों को ई–पुस्तकें तथा ई–सामग्री प्रदान कर ऑनलाइन शिक्षा एवं डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देना है।

4) **राश्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेख–मूलभूत चरण (NCF-FS) और जादुई पिटारा**– 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु खेल–आधारित अध्ययन को शिक्षण सामग्री हेतु मूलभूत चरण के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framework for Foundational Setag -NCF FS) और जादुई पिटारा शुरू की गई है।

5) **निष्ठा (NISHTHA)**– नेशनल इनीसिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट अर्थात् निष्ठा (NISHTHA) भारत में शिक्षकों और स्कूल प्रधानाचार्यों के लिए एक क्षमता–निर्माण कार्यक्रम है।

6) **नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर (NOEAR)**– यह वास्तु शिल्प सम्बन्धी ब्लूप्रिंट है, जो शिक्षा से सम्बन्धित डिजिटल प्रौद्योगिकी – आधारित अनुप्रयोगों को सक्षम बनाने हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का सेट तैयार करता है।

7) **शैक्षणिक रूपरेखा**– क्रेडिट हस्तांतरण और शैक्षणिक लचीलेपन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) तथा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NHEQR) की शुरुआत है।

8) **आई.आई.टी. (IIT) परिसरों की स्थापना**– जांजीबार और अबू धानी में आई.आई.टी. (IIT) परिसरों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए है जो भारत की वैश्विक शैक्षिक पहुँच को दर्शाता है।

15.10 नई शिक्षा नीति की अहम बातें

यह नीति देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाएगी। प्रौढ़ शिक्षा NEP-2020 में प्रौढ़ शिक्षा पर बल दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा देने में प्रौढ़ शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

सरकार की ओर से देश की शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू किया। इस नीति का उद्देश्य देश में स्कूली पढ़ाई से लेकर उच्च शिक्षा तक, शिक्षा का विकास करना है। इसी के साथ एनईपी 2020 में प्रौढ़ शिक्षा पर भी जोर दिया गया है, इसके अन्तर्गत आजीवन सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना और समय के साथ आने वाले बदलाव और चुनौतियों के लिए लोगों को तैयार करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रौढ़ एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर हो चुके लोगों के लिए प्रमाणन परीक्षा का आयोजन करना भी सम्मिलित है।

इस नीति के अन्तर्गत वयस्क के लिए सतत् शिक्षा केन्द्रों और वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों की स्थापना भी की जा रही है। एन.ई.पी. 2020 प्रौढ शिक्षा पर जोर देती है और इसका मुख्य उद्देश्य वयस्कों को अपने कौशल और ज्ञान को उन्नत करने के अवसर प्रदान करना है, जिससे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान मिलता रहे।

15.11 डिजिटल पर बल

NEP 2020 सीखने की एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना है जो आजीवन सीखने का इकोसिस्टम बना कर वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करें। यह शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के महत्व पर बल देती है। NEP 2020 के अन्तर्गत ऑनलाइन और डिजीटल मंच पर बल दिया गया है जिसके द्वारा वयस्क अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं। एन.ई.पी. 2020 शिक्षा और रोजगार के बीच में जो अन्तराल है उसे दूर करने के लिए एक पुल के रूप में काम करेगी। यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति की पढ़ाई बीच में छूट जाती है इसका दुःख अगर वयस्क होने पर किसी इन्सान को होता है तो एन.ई.पी. 2020 जैसी शिक्षा नीति उसकी पढ़ाई करने के रास्ते उस उम्र में भी खोल देती है, इसलिए एन.ई.पी. 2020 बहुत अच्छी नीति है। यही नहीं ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई की जा सकती है, इसमें वयस्कों के लिए आसानी होगी क्योंकि वह घर बैठकर भी अपनी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं।

15.12 नई शिक्षा नीति 2020 एवं की 5+3+3+4 संरचना

10+2 कक्षा 10 के बाद 2 साल की स्कूली शिक्षा को संदर्भित करता है। भारत की नई शिक्षा नीति (एन. ई.पी.) 2020 के अनुसार भारत में 10+2 स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नई 5+3+3+4 प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर स्कूल शिक्षा प्रणाली के विभिन्न स्तरों का आयुवार विवरण इस प्रकार से है –

1) आधार भूत–चरण के 5 साल

- उम्र के लिए – 3 से 8 वर्ष
- कक्षाओं के लिए – आंगनबाड़ी/प्री. स्कूल, कक्षा–1 एवं कक्षा–2
- यह चरण प्ले–आधारित या गतिविधि–आधारित तरीकों में शिक्षण और भाषा कौशल के विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

2) तैयारी चरण के 3 साल

- उम्र के लिए– 8 से 11 वर्ष
- कक्षाओं के लिए– कक्षा 3 से कक्षा 5
- प्रारम्भिक चरण में ध्यान भाषा के विकास और संख्यात्यक कौशल पर रहेगा। यहाँ शिक्षण और सीखने की विधि खेल और गतिविधि, आधारित होगी और इसमें कक्षा की बातचीत और खोज का तत्व भी सम्मिलित होगा।

3) मध्य चरण के 3 साल

- उम्र के लिए– 11 से 14 वर्ष
- कक्षाओं के लिए– कक्षा 6 से कक्षा 8
- एन.ई.पी. 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा का यह महत्वपूर्ण चरण सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान केन्द्रित करेगा, जो वर्षों से हमारी शिक्षा प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले रटना, सीखने के तरीकों से एक बड़ा बदलाव है। यह चरण विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में अनुभवात्मक शिक्षा पर काम करेगा।

4) माध्यमिक चरण के 4 वर्ष

- उम्र के लिए– 14 से 18 वर्ष
- कक्षाओं के लिए– कक्षा 9 से कक्षा 12
- यह चरण दो चरणों को समाविष्ट (Cover) करेगाः– कक्षा 9 एवं 10 तथा कक्षा 11 एवं 12 अवधारणाओं को इस चरण में अधिक गहराई से समाविष्ट (Cover) किया गया है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी–

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) अपने उत्तर के मिलान इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से कीजिए।

06. शिक्षा राज्य मन्त्री के द्वारा भारत में शिक्षा खेल में बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या–क्या पहल की गई थी?

....

....

07. NEP 2020 में 5+3+3+4 से क्या आशय है ?

....

....

08. नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत किस प्रणाली को समाप्त किया गया है ?

....

....

09. नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा का क्या मॉडल अपनाया गया है ?

....

....

10. नई शिक्षा नीति के जनक कौन हैं ?

....

....

15.13 सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुव्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से प्रारम्भ की जा रही है विश्वास है कि इसके परिणाम लाभकारी तथा देशहित में होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के 34 वर्षों के अन्तराल के बाद 29 जुलाई 2020 में हमारी केन्द्रिय सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों की सोच और रचनात्मक क्षमता को बढ़ाकर सीखने की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना है। नई शिक्षा नीति में स्कूल स्तर के साथ–साथ उच्च शिक्षा में कई बदलाव किये गये हैं।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली 1986 की शिक्षा नीति में किए गए परिवर्तनों का परिणाम है। नई शिक्षा नीति बच्चों के समग्र विकास पर केन्द्रित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में लागू की गयी थी में बदलाव की आवश्यकता थी। परिणामस्वरुप उसमें परिवर्तन कर नई शिक्षा नीति 2020 अस्तित्व में लाया गया। इस नीति की कई सकारात्मक विशेषताएं है लेकिन इसे केवल सख्ती से लागू करके ही प्राप्त किया जा सकता है। अभिविन्यास (Layout) के लिए केवल विचार ही काम नहीं करता बल्कि कार्यों को कुशलता से करना भी पड़ता है। अतः नई शिक्षा नीति 2020 की सफलता के लिए हमें कुशलता से इसे लागू कर कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

नई शिक्षा नीति कई उपक्रमों के साथ रखी गई है जो वास्तव में वर्तमान परिदृश्य की जरुरत है। इस नीति का सम्बन्ध अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ कौशल विकास पर ध्यान देना है। किसी भी चीज के सपने देखने से वह काम नहीं करेगा, क्योंकि उचित योजना और उसके अनुसार काम करने से केवल उद्देश्य पूरा करने में मदद मिलेगी। जितनी जल्दी एन.ई.पी. के उद्देश्य प्राप्त होंगे, उतना ही जल्दी हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा।

एन.ई.पी. 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो छात्र स्नातक की पढ़ाई पूरी करना चाहते है, उन्हें चार साल की पढ़ाई करनी होगी, जबकि कोई भी आसानी से दो साल में अपना डिप्लोमा पूरा कर सकता है। यह छात्र को पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत वर्ष 2030 तक सकल नामाकंन अनुपात (Gross Enrolment Ratio- GER) को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत भाग के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति को बच्चों की 3–8, 11–14 और 14–18 उम्र के अनुसार 4 अलग–अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहले हिस्से में प्राइमरी से दूसरी कक्षा, दूसरे हिस्से में तीसरी से पांचवीं कक्षा, तीसरे हिस्से में छठी से आठवीं कक्षा और चौथे हिस्से में नौवीं से बारहवीं कक्षा को सम्मिलित किया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत के युवाओं को समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह भारत की 21वीं सदी की पहली नीति है जो कि योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू की जा रही है। नई शिक्षा नीति का मसौदा इसरो के प्रमुख रह चुके डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी एक सामति से सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है।

एन.ई.पी. 2020 का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है। यह भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराकर और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवन्त समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि जो छात्रों में अपने मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्य, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक के भूमिका के उत्तरदायित्व की जागरुकता उत्पन्न करेगी। इस नीति का विज़न है छात्रों में भारतीय होने का गर्व, केवल विचार में ही नहीं बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी रहे, साथ ही ज्ञान, कौशल मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए। जो मानव अधिकार ही स्थाई विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो ताकि वह सही मायने में एक योग्य नागरिक बन सके।

15.14 अभ्यास के प्रश्न

1. नई शिक्षा नीति का आशय स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताएं एवं उद्धेश्य को बतायें ?
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल्यांकन कीजिए।

15.15 चर्चा के बिन्दु

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा कीजिए।
2. कार्यान्वयन योजना की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

15.16 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) से आशय ऐसी नीति से है जिसमें कक्षा 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृ भाषा या स्थानीय भाषा के उपयोग पर जोर दिया गया है, जबकि कक्षा 8 और उसके बाद तक इसे जारी रखने की सिफारिश की गई है।
2. नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करना है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके और इस तरह भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक समान और जीवन्त समाज में बदलने में सीधे योगदान देता है।
3. एन.ई.पी. 2020 के अन्तर्गत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अन्तर्गत रखा गया है। इस नीति के तहत सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व–प्राथमिक शिक्षा (3–6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है।
4. पहले की शिक्षा मूल रूप से सीखने और परिणाम देने पर केन्द्रित थी। विद्यार्थियों का आकलन प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता था। यह विकास के लिए एक बहुत बहु एकल दिशा वाला दृष्टिकोण था। लेकिन नई शिक्षा नीति एक बहुविषयक दृष्टिकोण की प्रासंगिकता पर केन्द्रित है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है।
5. नई शिक्षा नीति 2020 सीखने के लिए पुस्तकों का बोझ बढ़ाने के बजाय व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ाने पर ज्यादा केन्द्रित है। छात्रों को पाठ्यक्रम के विषयों के साथ–साथ सीखने की इच्छा रखने वाले पाठ्यक्रम का चयन करने की भी स्वतंत्रता होगी। इस तरह से कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह 10+2 सिस्टम को 5+3+3+4 संरचना के साथ बदल देगा जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री–स्कूलिंग होती है।
6. शिक्षा मंत्री ने भारत में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने हेतु पी.एम. श्री योजना, निपुण भारत मिशन, जी.एम.ई. विद्या, जादुई पिटारा, निष्ठा आदि जैसी अन्य योजनाएं लागू की।
7. एन.ई.पी. 2020 में 5+3+3+4 प्रणाली से आशय है कि इसमें चार चरण होंगे जिसमें मूलभूत चरण (3 से 8 वर्ष), प्रारम्भिक चरण (8 से 11 वर्ष), मध्य चरण (11 से 14 वर्ष) तथा माध्यमिक चरण (14 से 18 वर्ष) सम्मिलित होंगे।
8. एन.ई.पी. 2020 में न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर के अनुसार पुरानी प्रणाली 10+2 प्रणाली को समाप्त किया गया।
9. भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का निर्माण (HECI) 2025 तक पूर्व–प्राथमिक शिक्षा (3–6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत जी.ई.आर. के साथ प्री–स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। कक्षा 6 से कोडिंग और व्यावसायिक अध्ययन के साथ एक नया स्कूल पाठ्यक्रम शुरु किया जाएगा।
10. के. कस्तूरीरंगन।

15.17 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986): मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार।

  https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/NPE1986_H.pdf Search on 18 January, 2022
- सारस्वत मालती, गौतम एस० एल० : भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामयिक समस्यायें; लखनऊ, इलाहाबादः आलोक प्रकाशन।
- गुप्ता, एस० पी०, अलका गुप्ता (2009): भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें; इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन।

इकाई–16 : राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली

इकाई की संरचना

16.1 प्रस्तावना

16.2 इकाई के उद्देश्य

16.3 राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की अवधारणा

16.4 राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य

16.5 राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता एवं महत्व

16.6 राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास के आधारभूत तत्व

16.7 भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास हेतु किये गये प्रयास

16.8 सारांश

16.9 अभ्यास के प्रश्न

16.10 चर्चा के बिन्दु

16.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

16.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

16.1 प्रस्तावना

शिक्षा जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। यह आवश्यकता इतनी अधिक है कि इसके लिए कहा भी गया है कि "शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में उतना ही अंतर होता है जितना कि जीवित और मृत व्यक्ति में। संस्कृत में भी कहा गया है कि "विद्या ददाति विनयं" अर्थात विद्या अपने साथ गुणों को भी विकसित करती है और गुणों के विकास से ही चरित्र का निर्माण होता है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत सरकार ने लोगो में शिक्षा का प्रसार करने हेतु और शैक्षिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए एक नीति का निर्माण किया जिसे "राष्ट्रीय शिक्षा नीति" कहा गया। स्वतंतत्रता प्राप्ति के बाद से भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी स्तर पर अशिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए कई कार्यक्रमों को प्रायोजित किया। प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक समान शिक्षा प्रणाली के साथ मजबूत शिक्षा की परिकल्पना किया। शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने हेतु विश्वविद्यालय आयोग (1948–49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और कोठारी आयोग (1964–66) की स्थापना की गयी। 1968 में कोठारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इंदिरा गाँधी सरकार ने पहली शिक्षा नीति को लागू किया। इसके अंतर्गत 6–14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया। इस शिक्षा नीति में तीन भाषा सूत्र पर बल दिया गया जिसमे हिंदी, अंग्रेजी और तीसरी क्षेत्रीय भाषा या संस्कृत को सम्मिलित किया गया।

1986 में राजीव गाँधी सरकार ने नयी शिक्षा नीति को लागू किया जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) व महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना था। जिसमें आरक्षण, छात्रवृत्तियां, वयस्क शिक्षा का विस्तार, गरीब बच्चों में शिक्षा का विस्तार आदि को प्राथमिकता दिया गया था। इससे मुक्त विद्यालयों व मुक्त विश्वविद्यालयों को बढ़ावा मिला। 1992 में नरसिम्हा राव सरकार ने 1986 की शिक्षा नीति में संशोधन किया। इसके अनुरूप व्यवसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक आम परीक्षा का गठन किया। सभी प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य नौकरियां पाना था। परिणामस्वरूप रोजगार चाहने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही थी बजाए रोजगार देने वालो की संख्या के। इसलिए हमारे देश की अधिकतर परेशानियों का कारण हमारी शिक्षा प्रणाली है। जब तक बीमारी को नहीं स्वीकारा जा सकता तब तक बीमारी का उपचार भी सम्भव नहीं है। अतः शिक्षा प्रणाली के दोष पूर्ण होने के कारण इसे बदलने की मांग भी समय समय पर उठती रही। अतः परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जो आज की अधिकतर समस्याओं का हल करने का प्रयास है। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से तात्पर्य न्यूनतम मानदंडों

और मानकों से है जिन्हें किसी देश के भीतर शिक्षा प्रक्रिया के कुशल कार्यान्वयन में शिक्षा प्रदाताओं और इकाइयों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। इस इकाई मे ंहम राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विषय में सविस्तार प्रस्तुत करेंगे

16.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि –

- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की अवधारणा को समझ सकेंगे।
- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य से परिचित हो सकेंगे।
- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कर सकेंगे।
- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास के आधारभूत तत्वों को परिभाषित कर सकेंगे।
- भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास हेतु किये गये प्रयासों को व्याख्यायित कर सकेंगे।

16.3 राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की अवधारणा

शिक्षा हर समाज के विकास और प्रगति का महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा प्रणाली सभी देशों में महत्वपूर्ण है जो ज्ञान, नैतिकता और योग्यता का संचार करने का एक तरीका है। शिक्षा प्रणाली कैसे काम करती है और इसमें कौन–कौन से प्रमुख घटक होते हैं उनका संक्षिप्त वर्णन निम्नवत हैं –

प्राथमिक शिक्षाः शिक्षा प्रणाली का प्राथमिक स्तर प्राथमिक शिक्षा होता है जिसमें बच्चों को आधारभूत ज्ञान और कौशलों की शिक्षा दी जाती है। यहां बच्चों को अक्षर–माला, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला और शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा में छात्रों को आधारभूत ज्ञान, कौशल और अभिप्रेरणा प्राप्त होती है।

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षाः प्राथमिक शिक्षा के बाद छात्रों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मिलती है। इसमें विभिन्न विषयों में विस्तृत ज्ञान और कौशल की शिक्षा दी जाती है। छात्रों को यहां विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, भाषा, संगणक विज्ञान, कला, वाणिज्य और अन्य विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

16.4 राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के निम्नवत उद्देश्य हैं –

1. सभी छात्रों को जाति, पंथ, लिंग और धर्म के भेदभाव के बिना समान गुणवत्ता वाली शिक्षा देना।
2. राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली का 'आमूलचूल पुनर्गठन' करना तथा सभी के लिए शिक्षा के अवसरों को समान बनाया जा सके जिससे राष्ट्रीय एकीकरण और बेहतर आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास प्राप्त किया जा सके।
3. बुनियादी ढांचे का समर्थन, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाना एवं नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित करना।
4. छात्रों और उनके सीखने के स्तर में वृद्धि करने के उपाय सुझाना।
5. माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा को अधिक समृद्धशाली बनाना।
6. स्कूलों के साथ परामर्शदाताओं या अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं का को जोड़ना।
7. एन.आई.ओ.एस. और राज्य ओपन स्कूलों के माध्यम से कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग, कक्षा 10 और 12 के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना।
8. वयस्क साक्षरता और जीवन–संवर्धन कार्यक्रम जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित तरीके बताना।

16.5 राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता एवं महत्व

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली भारतीय समाज के विकास और प्रगति का महत्वपूर्ण अंग है। यह छात्रों को ज्ञान, नैतिकता, और योग्यता प्रदान करके उन्हें समृद्ध, सकारात्मक, और स्वावलंबी नागरिक बनाती है। इसके अंतर्गत हर एक स्तर और घटक अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है जो शिक्षा प्रणाली को संपूर्ण बनाता है। शिक्षा हम सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक बहुत ही आवश्यक साधन है। हम अपने जीवन में शिक्षा के इस साधन का उपयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों की सामाजिक और पारिवारिक सम्मान तथा एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से शिक्षा हमारे जीवन में इतना महत्व रखती है। अनिवार्य रूप से शिक्षा सांस्कृतिक मूल्यों और मानदंडों को स्थापित करके बच्चों को समाज में शामिल करती है। उन्हें समाज के उत्पादक सदस्य बनने के लिए आवश्यक कौशल से युक्त करती है। ऐसा करने से यह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है और स्थानीय तथा वैश्विक समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाती है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली उपयुक्त शिक्षा व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करके शिक्षा को रचनात्मक बनाती है तथा शिक्षा की सकारात्मक दिशा को तय करती है जिस पर चलकर हम अपने भावी लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली किसी भी देश की शैक्षिक प्रगति का आधार स्तम्भ होती है जिस पर सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था टिकी होती है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी–

क– नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए।

ख– इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए।

1. प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गाँधी द्वारा कौन सी शिक्षा नीति को लागू किया गया था ?

   ....

   ....

2. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का क्या अर्थ है ?

   ....

   ....

   ....

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 कब लागू की गयी ?

   ....

   ....

16.6 राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास में आधारभूत तत्व

किसी भी देश के राष्ट्रीय तत्त्वों का उस देश की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली और राष्ट्रीयता में गहरा सम्बन्ध होता है। अतः हमें उन बातों को समझना आवश्यक है जिनसे किसी देश की शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कहा जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास में आधारभूत तत्व निम्नवत हो सकते हैं –

(i) सांस्कृतिक चेतना

किसी देश की शिक्षा–प्रणाली को हम तब राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कह सकते हैं जबकि देश के कर्णधारों का यह प्रयास हो कि शिक्षा के माध्यम से देशवासियों में अपने पूर्वजों के महान् कार्यों के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न किया जा सके। हमारे पूर्वजों के द्वारा विकसित संस्कृति को अपनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। हमें संस्कृति के संदर्भ में शिक्षा के तीन प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है– (1) प्राचीन संस्कृति का संरक्षण, (2) अपनी संस्कृति को आगामी पीढ़ी में हस्तांतरित करना तथा (3) अपनी संस्कृति के विकास में योगदान

करना। किसी भी देश की शिक्षा–प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक जागरूकता का प्रसार भी होना चाहिए।

(ii) संस्कृति की स्थायी मान्यताएँ

प्रत्येक संस्कृति की कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं होती हैं जैसे– ईश्वर के अस्तित्व में आस्था, सत्य से प्रेम, अहिंसा में विश्वास, वसुधैव कुटुम्बकम, विश्व–बन्धुत्व तथा न्यायशीलता। जिन्हें हमें शिक्षा के माध्यम से संरक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसी प्रकार माता–पिता और सन्तान, भाई–बहन, पति–पत्नी, स्वामी और नृत्य तथा समाज के अन्य घटकों के परस्पर सम्बन्ध में अब भारी परिवर्तन आ गया है। अब हम कुछ प्रतिकूल प्राचीन रूढ़ियों को छोड़ने लगे हैं और उनके स्थान पर अधिक अनुकूल और उदार मनौभाव अपनाने लगे हैं। हमें आवश्कता है इस बात की है कि कैसे हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को बनाये कि जिससे हम अपनी संस्कृति एवं प्राचीन मान्यताओं को भूलें नहीं अपितु अपनी भावी पीढ़ी को भी इन मान्यताओं को अपनाने के लिए प्रेरित करे।

(iii) अपनी संस्कृति के प्रति अनुराग

अपने देश की संस्कृति के प्रति अनुराग से राष्ट्रीयता को बल मिलता है अतः शिक्षा–प्रणाली द्वारा अपने देश की संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न करना आवश्य है। देश को समृद्ध तथा बलशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि देश के नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना प्रवाहित होता रहे। हमारा भारतीय संविधान भी सभी धर्मों, सम्प्रदायों तथा वर्गों की रक्षा का आश्वासन देता है, परन्तु देश की संस्कृति की रक्षा के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। वस्तुतः प्रत्येक देशवासी में चाहे वह किसी धर्म या सम्प्रदाय का क्यों न हो, भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न करना चाहिए। देश की राष्ट्रीय शिक्षा–प्रणाली द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है।

(iv) राष्ट्रीय एकता हेतु चेतना

शिक्षा राष्ट्रीय सकता का प्रमुख आधार है। उसी शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कहा जा सकता है जिससे देश में राष्ट्रीय एकता की भावना दृढ़ हो। इस भावना का होना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि संसार के प्रायः प्रत्येक देश की भांति हमारे देश में भी विभिन्न सम्प्रदाय, धर्म, वर्ग और भाषा–भाषी लोग पाये जाते हैं। किसी भी राष्ट्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीयता आवश्यक है और इस विकास में शिक्षा सबसे अधिक योग दे सकती है। हमें शैक्षिक पाठ्यक्रमों का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना सदैव दृढ़ बनी रहे।

(v) आर्थिक सुरक्षा का आधार

आर्थिक क्षमता के अनुरूप ही किसी देश की शिक्षा प्रणाली विकसित की जाती है। जिस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो वहाँ की शिक्षा भी अनेक अर्थों में पिछड़ी रहती है। किसी देश की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में उस देश की आर्थिक क्षमता की उपेक्षा नहीं की जाती है। किसी भी शिक्षा–प्रणाली के विकास में हमें देश की आर्थिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए शैक्षिक संरचना का ढ़ांचा भी समृद्ध बनाना पड़ता है। जिसके लिए प्रयाप्त अर्थ की आवश्कता होती है। अतः शिक्षा संरचना ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत हो सके।

(vi) राजनीतिक स्थिति

किसी देश की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर उस देश की राजनीतिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक परिवर्तन की शिक्षा–प्रणाली पर स्पष्ट छाप पड़ती है। वस्तुतः किसी भी देश के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वहाँ की शिक्षा–प्रणाली स्थापित शासन–व्यवस्था से प्रभावित होती है। जैसा राजनीतिक परिदृश्य होगा वैसी शैक्षिक व्यवस्था होती है। प्रत्येक सरकार अपने उद्देश्य के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करती है। इसीलिए जब भी किसी सरकार के समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनायी जाती है तो एक वर्ग असंस्तुष्ट ही रहता है तथा उस शिक्षा नीति का विरोध करते दिखायी पड़ता है। चाहे वह शिक्षा नीति भले ही विकासोन्मुखी क्यों न हो। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो देश के हित में हो जिससे देश का सामाजिक, आर्थिक एवं सकारात्मक राजनीतिक विकास हो सके।

(vii) जन–भावना

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास में जन–भावना का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जनता जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली की माँग करती है उस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के विकास हेतु शासन प्रयत्न करने लगता है अथवा प्रयत्न करने की बात करने लगता है जिससे जनता का असन्तोष बढ़कर क्रान्ति का रूप न ले ले। अतः शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो जन भावना का भी सम्मान करे।

(viii) शैक्षिक विचारधारा

जिस प्रकार राजनैतिक व्यवस्था का शिक्षा–प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार कभी–कभी कुछ शैक्षिक विचारों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। समय समय पर राजनीतिक व्यवस्था भी बदलना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब लम्बे समय तक किसी एक ही राजनीतिक बिचारधारा का शासन रहता है तो हो सकता है वैचारिक रूप से अस्थिरता उत्पन्न होने का अंदेशा हो जाता है। अतः समय समय पर विभिन्न राजनीतिक विचारधारा का शासन हो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि व्यवस्था में परिवर्तन हो। यह तभी सम्भव है जब शिक्षा प्रणाली में बदलाव हो।

(ix) जनतन्त्रात्मक और साम्यवादी आधार

जनतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था व्यक्ति की स्वतन्त्रता और पूर्ण विकास पर विशेष बल देती है। इसके ठीक विपरीत, साम्यवादी शासन व्यवस्था इस विश्वास पर चलती है कि जो कुछ वह सोचती है, वह व्यक्ति के कल्याण के लिए है, व्यक्ति को स्वतः सोचने की आवश्यकता नहीं। फलतः साम्यवादी शासन–व्यवस्था यह चाहती है कि उसके इशारों पर सदैव चलने में ही व्यक्ति का कल्याण निहित है। जनतन्त्र व साम्यवाद इन दोनों राजनीतिक शासन–व्यवस्थाओं का राष्ट्रीय शिक्षा–प्रणाली से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी प्रकार किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का शिक्षा–प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

(x) प्रचलित शैक्षिक विचारधारा

किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली पर उस समय में प्रचलित शैक्षिक विचारधारा का प्रभाव पड़ता है, परन्तु कुछ हद तक यह प्रभाव देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। यदि देश रूढ़िवादी और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो इन शैक्षिक विचारों का कम प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शैक्षिक प्रणाली इस प्रकार होनी चाहिए जिससे शिक्षा सबके लिए सामान्य रूप से सुलभ की जाय।

(xi) राष्ट्रभाषा का आधार

प्रायः प्रत्येक देश में कई भाषाएँ बोली जाती हैं, परन्तु किसी एक ही भाषा को राष्ट्रीय भाषा होने का गौरव प्राप्त होता है। किसी भी देश की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रभाषा के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रत्येक देश में राष्ट्रभाषा के अध्ययन पर विशेष महत्त्व दिया जाता है और इसीलिए सभी वैज्ञानिक और तकनीकी विषय राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही पढ़ाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। शासन की यह भी चेष्टा रहनी चाहिए कि देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रभाषा में अपने भावों के प्रकाशन की पर्याप्त क्षमता प्राप्त कर ले। बिना अपनी राष्ट्रभाषा के कोई भी देश शक्तिशाली नहीं हो सकता। राष्ट्रीय भावना के निर्माण में राष्ट्रभाषा पर स्वभावतः विशेष बल दिया जाना चाहिए। फलतः राष्ट्र भावना के विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रभाषा के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(xii) राष्ट्रीय शिक्षा–प्रणाली में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का स्थान

वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण यह विश्व अब एक ही सूत्र में बंध गया है। किसी भी कोने की गम्भीर घटना का प्रभाव विश्व भर में चारों ओर क्षण भर में फैल जाता है। जिसका जीता जागता उदाहरण कोरोना काल में देखने को मिल चुका है। अब परस्पर निर्भरता पहले से अधिक बढ़ गई है। कोई भी देश कितना ही समृद्ध क्यों न हो, वह अपनी कुछ न कुछ आवश्यकताओं के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। किसी भी देश के वर्तमान इतिहास से यह बात स्पष्ट है। आज हम कुछ समान भावनाओं के सूत्र में पहले से अधिक बंधे हैं, क्योंकि इन भावनाओं का अब हमें शीघ्रतर ज्ञान हो जाता है। जो देश अधिक समृद्ध है, वह दूसरों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाता है और जो बेश गरीब है वह दूसरों से सहायता पाने की अपेक्षा करता है। अध्यापकों और विद्यार्थियों का

आदान–प्रदान किया जा रहा है। यूनेस्को के माध्यम से पिछड़े देशों को शैक्षिक सहायता दी जा रही है। फलतः किसी भी देश की राष्ट्रीय शिक्षा–प्रणाली में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को महत्त्वपूर्ण स्थान होना चाहिए।

(xiii) राष्ट्रीय शिक्षा–प्रणाली और राष्ट्रीय चरित्र

किसी देश की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली और उस देश के राष्ट्रीय चरित्र में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। किसी भी देश की शिक्षा–प्रणाली में उस देश के जीवन–दर्शन का पुट मिलता है। राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय शिक्षा–प्रणाली में परस्पर सम्बन्ध इस प्रकार का होता है कि दोनों एक–दूसरे से प्रभावित होते हैं। फलतः राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय शिक्षा–प्रणाली में परस्पर सम्बन्ध होना अति आवश्यक है।

16.7 भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास हेतु किये गये प्रयास

1976 का संविधान संशोधन, जिसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया यह एक दूरगामी कदम था जिसके निहितार्थ– मूलभूत, वित्तीय और प्रशासनिक–राष्ट्रीय जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के संबंध में संघ सरकार और राज्यों के बीच जिम्मेदारी के एक नए बंटवारे की आवश्यकता है। जबकि शिक्षा के संबंध में राज्यों की भूमिका और जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से अपरिवर्तित रहेगी, संघ सरकार शिक्षा के राष्ट्रीय और एकीकृत चरित्र को सुदृढ़ करने, गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखने, विकास के लिए जनशक्ति के संबंध में पूरे देश की शैक्षिक आवश्यकताओं का अध्ययन और निगरानी करने, अनुसंधान और उन्नत अध्ययन की जरूरतों को पूरा करने, शिक्षा, संस्कृति और मानव संसाधन विकास के अंतरराष्ट्रीय पहलुओं की देखभाल करने और, सामान्य रूप से, पूरे देश में शैक्षिक पिरामिड के सभी स्तरों पर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की एक बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार करेगी। समवर्तीता एक ऐसी साझेदारी को दर्शाती है जो एक साथ सार्थक और चुनौतीपूर्ण हैय राष्ट्रीय नीति इसे अक्षरशः और भावना में प्रभावी बनाने की दिशा में उन्मुख होगी।

पांचवी तक मातृभाषा में अध्ययन करवाया जायेगा जिससे विद्यार्थियों को दोहरे जीवन से मुक्ति मिलेगी। तीन भाषा के सूत्र को बढ़ावा दिया जाएगा जिसका चयन राज्य, क्षेत्र, व छात्र की इच्छा से होगा। संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा जो विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक होगी। मूल्यांकन पद्धति को भी बदला जाएगा जिसमे छात्र और शिक्षकों का मूल्यांकन भी शामिल होगा जिसका उद्देश्य छात्रों के सम्पूर्ण विकास को बढ़ावा देना होगा। मूल्यांकन का आधार ज्ञान को परखना होगा न कि रटने की क्षमता को परखना। कक्षा 6 से ही व्यवसायिक (प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग) व शिल्प से जुड़े विषयों को सम्मिलित किया जाएगा जिससे विद्यार्थियों के कौशल को बढ़ावा मिल सके।

सरकारी व निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के हेतु समान मानदंड होंगे। नियामक पाठ्यक्रम के लिए समान शुल्क होगा। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु एक ही परीक्षा होगी जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) करवाएगी। शोध हेतु संस्थानों को श्रेणियों में बांटा जाएगा जिससे शोध को बल मिलेगा। शोध हेतु नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) की स्थापना की जाएगी। जो छात्र विदेशी यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेना चाहते है उनके लिए देश में 100 कॉलेज को भारत में खोलने के लिए छूट होगी जिसका नियंत्रण भारत सरकार के पास होगा। किसी कारण वश अगर कोई छात्र शिक्षा पूरी नहीं कर पाता था तो उसके साल का कोई उपयोग नहीं रहता था। अब ऐसा नहीं होगा अब बीच में शिक्षा छोड़ने पर सर्टिफिकेट (1 वर्ष पर) डिप्लोमा (2 वर्ष पर), व डिग्री (3 –4 वर्ष पर) का प्रावधान रखा गया है। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शनशास्त्र, इंडोलॉजी, कला, थिएटर, नृत्य, शिक्षण, गणित, खेल जैसे विषय अनिवार्य होंगे।

इसरो के पूर्व चीफ व शिक्षा कमेटी के अध्यक्ष कस्तूरी रंगन के अनुसार "नालंदा व तक्षशिला के समय या उससे पहले के भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास बताता है कि मानवीय ज्ञान के सभी पहलू मौलिक रूप से आवश्यक है" और यह उनके शिक्षा नीति के प्रारूप में स्पष्ट दिखता है। जिसका उद्देश्य मात्र रटना नहीं अपितु ज्ञान को व्यवहारिक रूप से अपनाना है जिससे व्यक्ति के कौशल में वृद्धि होगी। परिणामस्वरूप रोजगार चाहने वालो की तुलना में रोजगार पैदा करने वाले लोगो की संख्या में वृद्धि होगी। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी प्रगतिशील परिवर्तन होंगे।

बोध प्रश्न

टिप्पणी–

क– नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए।

ख– इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति –1968 में प्रतिपादित 10+2+3 संरचना का क्या अर्थ है?

....

....

5. राष्ट्रीय शिक्षा–प्रणाली के किन्हीं दो प्रभावकारी आधारभूत तत्त्वों को बतायें।

....

....

16.8 सारांश

वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रारूप ठीक उसी प्रकार का है जैसे प्राचीन भारत में गुरुकुलों में शिक्षण पद्धति हुआ करती थी, शोध पर बल और कौशल में वृद्धि। शायद तिलक और कलाम साहब ने भी इसी प्रकार के शिक्षण प्रणाली की परिकल्पना की होगी। इस प्रणाली में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की बात की गयी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारे शिक्षाविदों को देश की शिक्षा की सर्वाधिक चिंता थी। इसी के परिणाम स्वरूप देश में आज तक कई शिक्षा नीतियों का निर्माण किया गया। सभी शिक्षा नीतियों में देश की प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गयी जिसके आधार पर समाज तथा राष्ट्र के चहुंमुखी विकास की संकल्पना की गयी। शिक्षा के सभी स्तरों को समुन्नत बनाने तथा इसको सर्वसुलभ बनाने की बात लगभग सभी शिक्षा नीतियों में की गयी। इन्ही शिक्षा नीतियों के प्रभाव की ही बात है जिससे हमारा देश शिक्षा में नित नई ऊँचाइयों को छू रहा है। वर्तमान में समाज व विद्यालय मिलजुल कर शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। जहाँ एक ओर विद्यालयों में विद्यार्थी अनेक कौशलों को सीख रहे हैं वही दूसरी ओर समाज भी इनकी शिक्षा को उन्नत बनाने में अपना योगदान दे रहा है जिससे वे खेलकूद व अन्य प्रतियोगिताएं में भी बुलंदियों पर पहुँच रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे विद्यार्थी वर्तमान में शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तथा विश्व में अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं तथा अपने देश का मान बढ़ा रहे हैं। यह सब यहाँ की शिक्षा नीतियों व शिक्षा प्रणाली से ही संभव हो रहा है तभी हमारा राष्ट्र पुनः विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है।

16.9 अभ्यास के प्रश्न

प्रश्न 01 : राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का आशय स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकत व महत्व बतायें?

प्रश्न 02 : राष्ट्रीय एकता की चेतना राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से किस प्रकार सम्बद्ध है ?

प्रश्न 03 : राष्ट्रीय शिक्षा–प्रणाली के विकास में देश की आर्थिक क्षमता के महत्त्व पर प्रकाश डालिए

16.10 चर्चा के बिन्दु

1. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता एवं महत्व पर चर्चा कीजिए।
2. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के उद्धेश्य एवं उसके आधारभूत तत्व पर चर्चा कीजिए।

16.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति –1968।
2. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की अवधारणा का तात्पर्य है कि एक निश्चित स्तर तक, जाति, पंथ, स्थान या लिंग

के बावजूद सभी छात्रों को तुलनीय गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए।

3. 29 जुलाई 2020 को

4. भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु सम्पूर्ण देश में एक शिक्षा व्यवस्था को अपनाते हुए 10+2+3 प्रणाली को अपनाया गया यानी 10वीं के बाद 11वीं + 12वीं और फिर 3 साल का स्नातक।

5. राष्ट्रीय शिक्षा–प्रणाली के दो प्रभावकारी आधारभूत तत्त्वों निम्न हैं–

- सांस्कृतिक चेतना
- संस्कृति की स्थायी मान्यताएँ

16.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. चौबे, एस. पी. (1994), तुलनात्मक शिक्षा, आगराः विनोद पुस्तक मन्दिर।
2. प्रकाश कुमार, 21वीं सदी की मांग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति, आउटलुक हिंदी, 24 अगस्त 2020
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
4. प्रो. के. एल शर्मा, दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण, पृष्ट संख्या 2, 24 अगस्त 2020
5. गंगवाल सुभाष, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला, दैनिक नवज्योति पृष्ठ संख्या –25, 22 अगस्त 2020
6. राजस्थान पत्रिका नागौर, 28 जनवरी 2020, सम्पादकीय पृष्ठ –102
7. तन्खा वरूण, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, राजस्थान पत्रिका नागौर, 26 अगस्त 2020, सम्पादकीय पृष्ठ –18
8. सिंह दुर्गेश, क्रॉनिकल मासिक पत्रिका, मई 2020, पृष्ठ संख्या 80–81
9. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
10. https://en.wikipedia.org/wiki/National_Education_Policy_2020
11. *Puri, Natasha (30 August 2019). A Review of the National Education Policy of the Government of India - The Need for Data and Dynamism in the 21st Century. SSRN.*
12. *Vedhathiri, Thanikachalam (January 2020). "Critical Assessment of Draft Indian National Education Policy 2019 with Respect to National Institutes of Technical Teachers Training and Research". Journal of Engineering Education, 33*
13. https://mgmu.ac.in/wp-content/uploads/NEP-Indias-New-Education-Policy2020-final.pdf
14. *http://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ijmer/pdf/volume 10/volume10-issue2(5)/33.pdf*
15. *Kumar. K. (2005). Quality of Education at the Beginning of the 21st Century: Lessons from India. Indian Educational Review 2. Draft National Education Policy 2019.*
16. *https://innovate.mygov.in/wpcontent/uploads/2019/06/mygov 15596510111.pdf 3. National Education Policy 2020.*
17. *https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/NEP_Final_English.pdf referred on 10/08/2020*